खण्ड-417, अंक-8
मंगलवार, 1 भाद्रपद, शक संवत् 1917
(22 अगस्त, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 417 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ग
सिंचाई की दरें बढ़ाये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास	1
मथुरा यज्ञ प्रकरण पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण की मांग ...	1–2
प्रश्नोत्तर	2–52
उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ के निधन पर शोकोद्गार	53–56
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	57
राज्य सम्पत्ति विभाग में समूह "ग" के पदों पर नियमित चयन के शिक्षित श्रमिकों के पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा शून्य होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत वजीरगंज, मसकनवा व बभनान बाजार को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
कानपुर नगर में बनने वाले गंगा बैराज से प्रभावित होने वाले किसानों को यथोचित मुआवजा तथा आवास हेतु अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में ...	58
नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	
विधान सभा क्षेत्र रामनगर, बाराबंकी के शिमली नदी के सरसवां घाट पर पक्का पुल बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	58
जनपद अल्मोड़ा के राजकीय बालिका इण्टर कालेज, रानीखेत में छात्राओं का प्रवेश न हो पाने विषयक 301 के अन्तर्गत सूचना	59
वाराणसी महानगर में अलईपुर उत्तरी (नक्सीघाट) में वरुणा नदी पर नये पुल के निर्माण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	59
जनपद पडरौना के तमकुही राज तहसील पर प्रदर्शनकारियों पर लगाये गये मुकदमों को खारिज करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	60
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का विधिक आरक्षण कोटा पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	60–61

आगरा महानगर में सीवर व्यवस्था फेल हो जाने एवं गन्दगी का साम्राज्य स्थापित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 61

विधान सभा क्षेत्र इटवा, जिला सिद्धार्थनगर के गांव सोहना में जल भराव एवं जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 62

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में जानकारी ... 62–63

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सिंचाई दरों में की गयी वृद्धि के संबंध में विधान परिषद् में पारित प्रस्ताव को विधान सभा की कार्य-सूची में न रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न 63–69

विधान सभा सत्र के दौरान टिहरी गढ़वाल में बैठक आहूत किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न 69

आज सामान्य प्रशासन एवं पुलिस विभाग के बजट पर अधिक समय दिये जाने की मांग 69–70

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल की बिक्री का क्रय कराधान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1995 (सदन के पटल पर रखी गयी) ... 70

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बीसवें वार्षिक लेखों एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सदन के पटल पर रखा गया) ... 70

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के इक्कीसवें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 (सदन के पटल पर रखा गया) ... 70

उत्तर प्रदेश बैण्ड आफ ताड़ी (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गयी) 71

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रुदौली के ग्राम पंचायत बरावां के ग्राम बरावां में कन्या प्राइमरी पाठशाला खोले जाने विषयक श्री राम धीरज मौर्य आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 71

जनपद बाराबंकी की तहसील एवं ब्लाक रूदौली के अन्तर्गत रूदौली कोटवा सड़क को बनवाये जाने विषयक श्री राम धीरज मर्य आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 71

जनपद लखनऊ के अंन्तर्गत शिवानी विहार कल्यानपुर में विद्युत सप्लाई विषयक श्री परमहंस दुबे आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ... 71

जनपद लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ला के मैदान एल० एच० खान हसनपुरिया में डामरयुक्त सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहम्मद अहमद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 72

जनपद अलीगढ़ में सेण्ट्रल डेरी फार्म छेरत के निकट आबादी के मध्य बन रहे विशाल कल कारखानों के निर्माण को रोके जाने विषयक श्री हर्षवर्धन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 72

जनपद बांदा के अन्तर्गत चित्रकूट धाम कर्वी में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिजली विभाग का एक सब-डिवीजन कार्यालय एवं स्टोर खोले जाने विषयक श्री पंकज अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ... 72

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... 72–73

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 110 के उत्तर के संबंध में शोधन वक्तव्य 74–75

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 को वापस लिए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 75

सिंचाई की दरों में वृद्धि किये जाने संबंधी प्रस्ताव को कार्य-मंत्रणा समिति के अनुसार विधान सभा में न लाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ... 75–77

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरःस्थापित) 77

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित) ... 78–90

उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित) ... 90–102

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अधिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 82–सर्तकता विभाग (जारी) 102–125

गृह विभाग (पुलिस) और सामान्य प्रशासन के बजट पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव, (स्वीकृत) 125–126

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अधिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 82–सर्तकता विभाग (स्वीकृत) ... 126–136

उत्तर प्रदेश विनियोग विदोयक, 1995 (पारित) 136–145

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 145

आगरा महानगर में जगदीशपुरा की नीलगिरी इन्क्लेव में गृह स्वामी की हत्या तथा पांच लोगों को घायल करने एवं लूट करने के संबंध में डा० राम बाबू हरित आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 146

प्रदेश के बरई, चौरसिया समाज के लोगों को पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने विषयक श्री जगदम्बिका पाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य 146–148

लेखपाल हल्कों की पुनर्गठन योजना के फलस्वरूप अतिरिक्त (सरप्लस) लेखपालों को संग्रह कार्य में लगाये जाने विषयक श्री मारकण्डेय सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य 149

प्रदेश में चल रहे दस जाली विश्वविद्यालयों से शिक्षा के क्षेत्र में आये संकट विषयक श्री रमेश कान्त लवानियां द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य 150–152

भदोही जिले के कतिपय मार्गों में नदियों पर बने पुलों पर सरकारी घोषणा के बावजूद वाहन शुल्क वसूले जाने विषयक श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ... 152–153

लखनऊ में न्यायालय की हवालात तोड़कर 16 कैदियों के भागने के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 153–154

प्रदेश के बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों को सेवायोजित किये जाने के संबंध में श्री अरविन्द कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य 154–155

रायबरेली जिले की शारदा नहर दक्षिणी रायबरेली की डीह डी० वाई० में सफाई आदि में अनियमितताओं के संबंध में श्री राजाराम त्यागी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ... 155

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटन विभाग में लखनऊ गाइड मैप न उपलब्ध होने विषयक श्री जगदम्बिका पाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन राज्य मंत्री का वक्तव्य 156

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड गौरा के अन्तर्गत 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने तथा पडरौना जिले के तरया सुजान व दुदही विद्युत सब-स्टेशनों के फीडरों की री-ग्रुपिंग कराये जाने विषयक श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन राज्य मंत्री का वक्तव्य 156–157

प्रदेश में किसानों को समुचित रूप से विद्युत आपूर्ति न होने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा, (जारी) 157–160

विद्युत विभाग से संबंधित चर्चा पर विभागीय अधिकारियों के दीर्घा में उपस्थित न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न 160–161

प्रदेश में किसानों को समुचित रूप से विद्युत आपूर्ति न होने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा 161–164

नत्थियाँ 165–168

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(बारहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 22 अगस्त, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़	ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
अखलाख, श्री	मेरठ	ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
अखिलेश, श्री	महराजगंज	करन सिंह, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	कोकब हमीद, श्री	मेरठ
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	गनपद सिंह, श्री	महराजगंज
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	चन्द्र विजय सिंह उर्फ	
अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर	बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
अरिमर्दन सिंह, श्री	हमीरपुर	जगराम सिंह,	कानपुर नगर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई	जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री	इलाहाबाद
आर० के० चौधरी, श्री	इलाहाबाद	जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी	ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
उदय भान सिंह, श्री	आगरा	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़
उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर	दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया
ऊषा यादव, श्रीमती	एटा	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	धनीराम वर्मा, श्री	इटावा

धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू राम वर्मा, श्री	बस्ती
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा०	गोरखपुर
यश पाल चौधरी, श्री	खीरी
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश कान्त लवानियां, श्री	आगरा
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश यादव, श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम अधार यादव, श्री	महराज गंज
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम देव पटेल, श्री	फैजाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
राम प्रसाद, श्री	बस्ती
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां उर्फ/रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विक्रम सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीर अभिमन्यू सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र मोहन सिह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खां, श्री	बरेली
शाकिर, श्री	देवरिया
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा
शिव सागर लाल डा०	उन्नाव
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
सन्त बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सफदर रजा खान, श्री	सुल्तानपुर
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 22 अगस्त, 1995

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री बी० आर० वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

सिंचाई की दरें बढ़ाये जाने विषयक नियम-311 के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, नियम–311 के अन्तर्गत हमने नोटिस दी है। किसानों के ऊपर आज सिंचाई की दरें बढ़ा दी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी पहले प्रश्न प्रहर हो जाने दें और भी माननीय सदस्यों ने नियम–300 के अन्तर्गत नोटिस दी है जो इसी विषय से संबंधित है। मैं बाद में इसको सुन लूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा विनम्र निवेदन सुन लें। आज हमारे अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। इस सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी घोषणाएं करते हैं.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि पहले प्रश्न प्रहर हो जाने दें मैं बाद में सुन लूंगा।

मथुरा यज्ञ प्रकरण पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण की मांग

श्री प्रमोद तिवारी–

कल आपने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया आज तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां पर उपस्थित करायें। कल जो मैंने स्पष्टीकरण पूछे थे जब माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर अपना बजट भाषण करें तो उन बिन्दुओं को भी स्पष्ट करवायें।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के कल के वक्तव्य में सारी स्थिति स्पष्ट हो गयी थी और उसमें कोई बिन्दु नहीं रह गया था। यह विषय तो कल ही समाप्त हो गया था और आपने दूसरी मद भी ले ली थी जिसे जनता दल के माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक जी ने रखी थी और मान्यवर, यह परम्परा भी है कि जब दूसरी मद ले ली जाये तो जो पहले वाला बिन्दु माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं उसे उठाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण मांगना था और स्पष्टीकरण पूछने का मेरा अधिकार भी है। मैं आपके विवेक को चुनौती देकर आपसे कहना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी अपना बजट भाषण करें तो उस समय मेरे द्वारा जो स्पष्टीकरण कल के बिन्दु के संबंध में पूछे जायं उसका भी वह जवाब दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इसमें स्पष्टीकरण तो कोई बनता नहीं है। आज माननीया मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण भी है उस समय जो बिन्दु वह उठायेंगे उन पर तथा कल के जो बिन्दु रह गये थे अगर मा० मुख्य मंत्री जी चाहेंगे तो उसको हिस्सा बनाकर जवाब दे देंगी।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह बजट भाषण के बाद भागने न पायें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश सरकार की नयी पर्यटन नीति की जानकारी

**1—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार नयी पर्यटन नीति घोषित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक यह नीति घोषित हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पशुधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विश्भर प्रसाद निषाद)–

प्रदेश सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति घोषित की जा चुकी है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबसे मुख्य आय का स्रोत पर्यटन है और इसीलिए आज पर्यटन की सुविधाओं के लिये प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, गुरात हो या फिर दक्षिण भारत का कोई राज्य हो। तो मैं भी आपसे अपेक्षा करता हूं कि वर्तमान सरकार ने कोई नयी पर्यटन नीति की घोषणा की होगी और इसीलिए मैंने यह प्रश्न पूछा था लेकिन उसका उत्तर नहीं आया। मैं आपसे चाहूंगा कि इसको स्थगित कर दें क्योंकि नयी पर्यटन नीति क्या है? इसका कोई संलग्नक नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष–

आपने प्रश्न यह पूछा था कि प्रदेश सरकार नयी पर्यटन नीति की घोषणा करने पर विचार कर रही है तो उसका उत्तर क्या होगा, कि घोषित की जा चुकी है? आपने यह नहीं जानना चाहा था कि नयी पर्यटन नीति क्या है?

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने जो पर्यटन नीति घोषित की है, उसमें कौन-कौन से नये बिन्दु हैं?

श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अवस्थापना सुविधाओं, परिवहन सुविधाओं, पर्यटन की दृष्टि से मनोरंजन तथा वास्तुकला से संबंधित चीजों आदि अनेक में छूट दी गई है। 23 सितम्बर, 1994 को एक शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। एक सितारा होटल से लेकर पांच सितारा होटल तक ये सुविधायें दी जा रही हैं। माननीय श्री पाल जी कक्ष में आ जायें, मैं विस्तार से उन्हें बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि जो पर्यटन नीति घोषित की जा चुकी है, उसमें मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं?

श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, प्रदेश में पर्यटन को गतिशील बनाने के लिये 6 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। उसमें सबसे पहले तो हमने वन विन्डो सिस्टम कर दिया है ताकि उद्यमी को अलग-अलग न जाना पड़े। दूसरा जहां 26–26 इन्सपेक्टर थे, अब मात्र 6 इन्सपेक्टर हैं और जिनके जांच की सीमा को भी हमने सीमित कर दिया है। अब वे विशेष शिकायतों पर ही जांच करेंगे। अब जिन क्षेत्रों को हमने चिन्हित किया है अगर उनमें कोई उद्यमी पर्यटन की दृष्टि से कोई उद्योग लगाना चाहता। तो हम उसे भूमि की सुविधा देते हैं तथा उसमें बाजार मूल्य से 20 परसेन्ट की छूट दी जाती है। सड़क, बिजली, पार्क आदि की सुविधा भी सरकार की तरफ से दी जाती है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन्होंने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, यदि हां तो इस नीति के तहत कितने लोग सामने आये हैं और कितना पूंजी निवेश हुआ है?

श्री अध्यक्ष–

आधा प्रश्न तो आपका ठीक है परन्तु पूंजी-निवेश कितना हुआ है इसकी सूचना माननीय मंत्री जी के पास अगर हो तो वह दे दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय मंत्री जी केवल यह बता दें कि कोई किस नीति के तहत अपलाई करेगा?

श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद–

हमने नीति घोषत कर दी है और लोगों को आमंत्रित किया है उद्योग लगाने के लिये जो भी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता हैं उनका स्वागत है। सुविधाओं का जहां तक प्रश्न है उसमें भवन स्थापना सुविधा, मनोरंजन कर में छूट, परिवहन कर आदि में छूट दी है इसके अलावा इन्सपेक्टर राज खत्म किया है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बार-बार यह कहते हैं कि हमने उद्योग नीति घोषित कर दी है और वह उद्योग नीति क्या है? उसे साफ तौर पर बता नहीं पा रहे हैं आपने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है या नहीं क्योंकि नीति बनेगी तो उसका आधार होगा। और उसमें बाहर से भी पूंजी निवेश के लिये कोई प्रार्थना-पत्र आये होंगे अगर कहीं से प्रार्थना-पत्र आये हैं तो उन्हें बता दें, और उन लोगों को क्या-क्या सुविधायें दी हैं?

श्री अध्यक्ष–

पर्यटन नीति आपने घोषित की है उसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है या नहीं यह वह जानना चाहते हैं।

श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद–

उद्योग का दर्जा दिया गया है और इसके बारे में पहले बता दिया कि क्या-क्या सुविधायें दी हैं?

श्री प्रमोद तिवारी–

किस उद्योग का दर्जा दिया है लघु उद्योग का या माध्यम उद्योग या भारी उद्योग का।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

माननीय तिवारी जी पूछ रहे है उसमें लघु उद्योग की परिभाषा अलग है, माध्यम उद्योग की परिभाषा अलग है। (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

जब किसी क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाता है तो उसकी सुविधायें दे दी जाती है तो पर्यटन को किस उद्योग के अन्तर्गत रखा गया है, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग या भारी उद्योग किसके समकक्ष रखा गया है। भारत सरकार ने जो सुविधा दी है वह लघु उद्योग के बराबर है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन् पर्यटन को हमारी सरकार ने उद्योग का दर्जा दिया है उसमें पर्यटन को सुविधायें दी जा रही हैं। जो उद्यमी इसमें उद्योग लगाना चाहेंगे उनके लिये विस्तार से सुविधायें अलग-अलग कर दी गयी है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं और स्पष्ट कर दूं, माननीय मंत्री जी समझ लें कि जो सुविधायें आप देंगे वह लघु उद्योग की अलग सुविधायें हैं, मध्यम उद्योग की अलग सुविधायें हैं, भारी उद्योग की अलग सुविधायें हैं। तो क्या सुविधायें आप दे रहे हैं?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

उनको विस्तार से बता दिया गया है।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय, अध्यक्ष जी शायद दीक्षित जी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। मेरे इस प्रश्न से यह स्पष्ट हो जायेगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बता दें कि लघु उद्योग, भारी उद्योग और मध्यम उद्योग में क्या अन्तर है? इसको बता देंगे तो सवाल का उत्तर आसान हो जायेगा।

वन एवं लघु उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

माननीय, किरनपाल जी बड़े सीनियर मेम्बर हैं उन्हें लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहद उद्योग की परिभाषा नहीं मालूम है यह तो उसे मामूली सदस्य ही जानते होंगे। श्रीमन् लघु उपयोगी परिभाषा में वह उद्योग आते हैं जो 50 लाख से नीचे के हैं और 50 लाख से ऊपर मध्यम फिर 50-55 करोड़ में वृहद् उद्योग आते हैं। माननीय किरनपाल सिंह जी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्यटन नीति के तहत किसी भी स्थान को पर्यटन स्थल चुनने के लिए मानक क्या हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद शहर के धार्मिक, शैक्षिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए पर्यटन नीति के अन्तर्गत इलाहाबाद को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का सरकार क्या विचार करेगी?

श्री विश्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रदेश में 6 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इसमें बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत सारनाथ, कुशीनगर, को लिया गया और यदि माननीय सदस्य के संबंध में अलग से लिखकर दे देंगे तो मैं उसके संबंध में दिखवा लूंगा।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, अभी श्री राम लखन वर्मा जी ने कहा था कि लघु उद्योग और भारी उद्योग की परिभाषा या है उसे मैं बता दूं? इसलिए मान्यवर, यदि वर्मा जी को जानकारी न हो तो मैं उन्हें बता सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है? श्री जगदम्बिका पाल आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जैसा कि अभी मंत्री जी ने प्रदेश के 6 क्षेत्रों को चिन्हित करने की बात कहा है उन्हें पर्यटन नीति के अन्तर्गत विकसित करने में प्राथमिकता दी जायेगी जिनके नाम उन्होंने लिए लेकिन शोरगुल के कारण सुनायी नहीं पड़ा। लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बौद्ध परिपथ क्षेत्र के अन्तर्गत गौतम बुद्ध की जन्मस्थली पिपरहवा और कपिलवस्तु को विकसित करने के संबंध में सरकार की क्या कोई कार्य योजना है? और उस कार्य योजना के तहत

क्या जापान, श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि तमाम देशों से जो पर्यटक यहां आते हैं और लखनऊ से फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर होकर पिपरहवा और कपिलवस्तु जाना पड़ता है तो क्या इस सड़क को बौद्ध परिपथ योजना में शामिल करने पर सरकार क्या विचार करेगी? चूंकि प्राइवेट व्यक्तियों को होटल खोलने में बढ़ावा देने के लिए उन्हें बार के लाइसेंस लेने होते हैं। तो उसमें बार-लाइसेंस के संबंध में भी क्या नीति होगी? यह मेरे 3 अनुपूरक प्रश्न हैं इनका उत्तर मंत्री जी दे दें?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, प्रदेश में पर्यटन विकास में गतिशलता लाने के लिए 6 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। उसमें से एक स्थान पिपरहवा भी है लेकिन इनका मूल प्रश्न जो है उसमें सिर्फ पर्यटन की नीति पर प्रश्न किया था और उनके अनुपूरक प्रश्न खास मार्ग और बीच की सुविधाओं के बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए सूचना की आवश्यकता है। फिर भी जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उस पर यदि विस्तार से सरकार को लिखकर भेज देंगे तो उन पर विचार कर लेगी।

(अगला प्रश्न लेने पर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैंने कह दिया है कि जो सुझाव उनके हैं उनको वह विस्तार से लिखकर भेज देंगे तो हम विचार कर लेंगे।

प्रदेश में मिनी डिस्टीलरियों को लगाये जाने के लिए लाइसेंस दिये जाने की सरकार की नीति

** 2—श्री अम्बिका सिंह (देवरिया)–

(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मिनी डिस्टीलरियों को लगाये जाने की कोई योजना शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हां, तो उसके लाइसेंस के लिए क्या शर्तें हैं और अब तक कितने लागों को उक्त आशय के लाइसेंस पूर्व सरकार द्वारा दिये गये और कितने लाइसेंस विचाराधीन हैं?

मुख्यमंत्री (सुश्री मायावती)–

जी नहीं। पूर्व में शासन द्वारा ऊर्जा सहित 50 से कम तथा ऊर्जा के बिना 100 से कम कामगारों वाली पेय मदिरा की आसवनियों की स्थापना के संबंध में नीति निर्धारित की गयी थी, किन्तु पेय मदिरा के प्रसार को प्रतिबन्धित करने संबंधी राष्ट्रीय नीति के परिप्रेक्ष्य में अभी तक किसी भी इकाई को पेय मदिरा निर्माण की प्रस्तावित आसवनियों हेतु लाइसेंस नहीं दिया गया है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम विशुन आजाद–

यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है इस पर आप आधा घण्टा की चर्चा करवा लें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

शासनादेश के विरुद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा में विस्तार की शिकायत

*1—श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री बालेश्वर त्यागी तथा श्री तेजभान सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव आदि को जारी किये गये अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–1/2/73 कार्मिक–2, दिनांक 23 जुलाई, 1988 में उल्लिखित विभिन्न स्पष्ट शासनादेशों की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुये माह जनवरी, 1993 से 31 मार्च, 1995 तक राज्य सरकार के कुल कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा विस्तार की स्वीकृति दी गयी? उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा विस्तार के क्या आधार/मानक थे? क्या शासन द्वारा उन्हीं मानक/आधार पर राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा विस्तार के नीति शासनादेश निर्गत किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों। ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री चैनसुख भारती)—

सूचनायें एकत्र की जा रही हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी—

उत्तर तो कुछ मिला नहीं, मैं इसमें अनुपूरक क्या करूं? मैं इसमें आपका संरक्षण चाहूंगा, आपने इसके लिये पहले भी अपनी पीठ से यह निर्देश दिया था कि इस प्रकार की समस्या जब उठायी गयी थी कि तीन-तीन चार-चार महीने बीत जाने के बाद भी उत्तर दिया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो आपने कहा था कि यह गलत है और आगामी दिनों में इस तरह के उत्तर न दिये जायं। तो मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

नियमावली में प्रश्नों के बारे में जो व्यवस्था है, उसके तहत यह सम्भवतः पहली बार सदन में आया है कि उन्होंने सूचना एकत्र करने के लिये कहा है, तो अब यह स्थगित हो जायगा। हाउस होता तो 14 दिन में आगे आ जाता.....

श्री प्रमोद तिवारी—

दो सप्ताह बाद सत्र नहीं रहेगा, तो यह अनुत्तरित रह जायगा। क्योंकि इस सरकार का यह अखिरी सत्र है। इसके बाद इस सरकार को रहना नहीं है। तो इस प्रकार से जवाब नहीं मिलना है। मा० कांशीराम जी ने बड़े स्पष्ट रूप से इस बारे में कह दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मा० कांशीराम के नाम की उनके द्वारा चर्चा से साबित हो गया है कि कांग्रेस सरकार केन्द्र की उत्तर प्रदेश सरकार को खत्म करने के लिये षडयन्त्र कर रही है।

श्री प्रमोद तिवारी—

यह उनका बयान आया है.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग प्रश्न प्रहर को प्रश्न प्रहर के लिये ही रखें।

प्रदेश में बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराने एवं उनके तैयार माल को खरीदने संबंधी सरकार की नीति की जानकारी

*2 श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के बुनकरों को सस्ती दर पर सूत उपलब्ध कराने तथा उनके द्वारा तैयार माल की खरीददारी संबंधी शासन की नीति क्या है?

वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री (श्री इश्तियाक अंसारी)–

प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराये जाने हेतु हैंक यार्न प्राइस सब्सिडी योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम एवं यूपिका से सम्बद्ध बुनकरों द्वारा गुणवत्ता व मानक के अनुसार तैयार माल को उक्त संस्थाओं द्वारा क्रय किया जाता है।

(लघु उद्योग मंत्री का नाम श्री अध्यक्ष द्वारा कई बार पुकारे जाने पर भी उनके न खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

देख लीजिये श्री दीक्षित जी आपकी नहीं [xxx] की सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

यह सवाल मेरा है और अगर मंत्री जी ने इस तरफ उदासीनता उठाई है.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पांच बार मैंने लघु उद्योग मंत्री जी का नाम उत्तर देने के लिये पुकारा है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

तिवारी जी कुछ बाधा डाल रहे थे इसलिये वह रुक गये थे।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपने पांच-पांच बार नाम लिया, यह सुन नहीं पाये तो खेद व्यक्त कर दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

उस बीच तिवारी जी कुछ कह रहे थे इसलिये सुन नहीं पाये।

(व्यवधान)

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार हटाया गया।

श्री राम आसरे वर्मा–

हथकरघा बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराये जाने के लिये हैंक यार्न प्राइस सब्सिडी योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं यह उत्तर में कहा गया है तो यह योजना क्या है? शासन की इस योजना से बुनकर किस तरह से लाभान्वित होगा?

श्री इश्तियाक अंसारी–

यह योजना वह है इसमें सब्सिडी सूत जो है वह लच्छेदार बनता है इस योजना में कुछ छूट दी गयी है। यह बुनकरों की योजना है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने पूछा योजना क्या है इस योजना में सब्सिडी किस आधार पर दे रहें हैं और कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? जिससे बुनकर लाभन्वित होगा। सब्सिडी देने के बाद बुनकरों को किस तरह का सूत उपलब्ध होगा?

श्री अध्यक्ष–

सब्सिडी की जो योजना है तो वह सब्सिडी आप किस दर पर दे रहे हैं? क्या-क्या सुविधा दे रहे हैं?

श्री इश्तियाक अंसारी–

मान्यवर, यह दो प्रकार का सूत होता है एक जनता वस्त्र एक नान जनता वस्त्र, जनता वस्त्र पर सब्सिडी दी जाती है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, संरक्षण दीजिये यह क्या बता रहे हैं?

श्री इश्तियाक अंसारी–

मैं सब्सिडी की बात कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

सब्सिडी किस दर पर दे रहें हैं यह बता दें।

श्री इश्तियाक अंसारी–

1994–95 में यह योजना थी कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम पर छूट दी जाती थी। 1995–96 में इसको 20 रुपये बढ़ाकर कर दिया है।

श्री राम आसरे वर्मा–

सूत की क्या दर है यह बता दें।

श्री अध्यक्ष–

इसका प्रश्न से संबंध नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

संबंध है मान्यवर, दर बता दें।

श्री इश्तियाक अंसारी–

दर के लिये आपको मैं बता दूंगा। अभी दर मालूम नहीं है।

श्री ऊदल–

क्या माननीय मंत्री जो बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले दो वर्ष में खासकर एक वर्ष में सूत के दाम दोगुना हो गये हैं, तो क्या बढ़े हुए दाम को कम करने पर विचार करेंगे?

श्री रामलखन वर्मा–

श्रीमन्, वर्मा जी ने बुनकरों के प्रति चिन्ता जताई है और कहा है कि सूत के दाम बढ़े हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि सूत के दाम 100 रुपया प्रति गड्डा कम हो गए हैं। जब से आपकी सरकार बनी है। पहले की सरकारों के समय सूत के दाम सुबह कुछ होते थे और शाम को कुछ हो जाते थे। इस सरकार ने तय कर लिया है कि सूत के दाम तीन महीने के लिये तय कर लिया जाएगा। तीन महीने के बाद ही दाम बढ़ाया या घटाया जाएगा। इस समय सूत के दाम 100 रुपये प्रति गड्डे कम हुए हैं और प्रदेश में बुनकर खुशहाल है।

श्री ऊदल–

जो यह 100 रुपए प्रति गड्डे सूत के दाम घटे हैं उसके बावजूद सूत के दाम पिछले दो वर्षों से दो गुना बढ़े हैं। यानी 100 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। तो क्या माननीय मंत्री जी पुराने मूल्य पर सूत के दाम लाने पर विचार करेंगे?

श्री रामलखन वर्मा–

इसके लिए पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है। धीरे-धीरे हम सूत के दाम घटा रहे हैं। पिछली सरकारों ने सूत के दाम काफी बढ़ा दिये थे।

श्री जगदम्बिका पाल–

जो बुनकरों द्वारा माल तैयार किया जाता है उसकी खरीददारी के संबंध में सरकार की क्या नीति है? माननीय मंत्री जी द्वारा यह कहा गया है कि हथकरघा निगम और यूपिका द्वारा तैयार माल खरीदा जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आज की तारीख में इन बुनकरों का कितना पैसा बकाया है इन संस्थाओं पर। सालों से बुनकरों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरे उत्तर प्रदेश में 22 सूती मिलों से अधिकांश मिलें बन्द पड़ी हैं। जिसमें मगहर मिल भी बन्द पड़ी है। जो सूत में 100 रुपया प्रति गड्डा कमी करने के बात कही गयी है लेकिन जब सूत ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है मजबूर होकर बड़े पैमाने पर बुनकर खुले बाजारों से सूत खरीद रहे हैं। इस संबंध में सरकार क्या करेगी?

श्री रामलखन वर्मा–

मा० पाल साहब ने जो प्रश्न पूछा उसमें उन्होंने मगहर मिल का भी नाम ले लिया कि वह मिल बन्द पड़ी है मिलों के खुलने का मामला तो नीतिगत विषय है। हम सूत सस्ते दर पर उपलब्ध करा रहे हैं। जो मा० पाल साहब ने बकाये के संबंध में पूछा है वह प्रश्न से संबंधित नहीं हैं उसकी जानकारी हम मंगा लेंगे और उनको सूचित कर देंगे। सूत उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और हम बुनकरों को सूत उपलब्ध करवाएंगे।

श्री रामआसरे वर्मा–

मंत्री जी ने जो बुनकरों के खुशहाली की बात कही है मैं जानकारी दे दूं। उत्तर प्रदेश से हजारों बुनकर पलायन कर चुके हैं। और दिल्ली से लेकर चण्डीगढ़ तक वह बुनकर दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिये बराबर भटक रहे हैं। सस्ते दर पर उनको सूत उपलब्ध नहीं हो पा रहा है बिचौलिए उनका शोषण कर रहे हैं। हथकरघा और यूपिका एजेंसियां लूट का अड्डा बन गयी हैं। इन्होंने बुनकरों का शोषण कर रखा है। इन एजेन्सियों द्वारा जो खरीद की नीति अपनाई जाती है उसमें बुनकरों के सामने कठिनाई पैदा हो रही हैं। उनका माल रिजेक्ट कर दिया जाता है। सूत देकर माल बनवाते है लेकिन माल लेने से इनकार कर देते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी, इनके तैयार किये हुये माल की बिक्री में जो कठिनाइयां पैदा होती हैं, उनको दूर करने पर भी विचार करेंगे और बुनकरों के प्रतिनिधियों को बुलाकर, उनके साथ बैठकर, उनकी कठिनाइयां जानकर उनके निदान पर विचार करेगें।

श्री रामलखन वर्मा–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी का सुझाव अच्छा है, इसी के संबंध में हम जगह-जगह पर बुनकर सम्मेलन आयोजत कर रहे हैं। सबसे पहला सम्मेलन जलालपुर में किया गया, वहां 25 फीसदी हैं और यह स्थान पूरे प्रदेश में बुनकरों के रूप में पहचाना जाता है। दूसरा सम्मेलन हमने बनारस में रखा है और एक राज्यमंत्री जी को उसकी जिम्मेदारी सौंपी हैं। वर्मा जी का सुझाव अच्छा है, उस पर अवश्य विचार होगा। बुनकरों की सुविधा के लिये हम जगह-जगह सूत डिपो खोल रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं। हमारी सरकार बुनकरों के लिये काफी चिन्तित है। मैं मा० वर्मा जी के सुझाव का स्वागत करता हूं, उस पर अवश्य विचार करेंगे।

प्रदेश के बुनकरों की समस्याओं को दूर करने के लिये उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग

*3—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश बुनकरों की समस्याओं को दूर करने के लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय सरकार लेगी? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

श्री इश्तियाक अंसारी–

जी हां।

यथा शीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि बुनकरों की समस्याओं को दूर करने के लिये उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय क्या सरकार द्वारा लिया जा रहा है, उत्तर आया, जी हां। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। अभी इस प्रश्न के पूर्व में माननीय मंत्री श्री राम लखन वर्मा जी ने कहा, कि बुनकरों के लिये रामराज्य आ गया है और उनको सस्ते मूल्य पर सूत मिल रहा है, अन्य बहुत सी सुविधायें मिल रही हैं, इसका मतलब कि अब बुनकरों की कोई समस्या नहीं है तो उच्च स्तरीय समिति गठित करने का औचित्य क्या है.....?

श्री राम लखन वर्मा–

राम राज्य नहीं, अल्लाह राज्य आ गया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पता नहीं, रामराज्य से परहेज क्यों कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि जो बुनकरों के लिये उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, यह किस तारीख को गठित की गई है, यदि नहीं की गई है तो इसे कब तक गठित करेंगे, इस उच्च स्तरीय समिति के गठन के पीछे विचारणीय बिन्दु क्या-क्या हैं, टर्म आफ रिफरेन्स क्या होंगे। मान्यवर, जो बुनकर क्षेत्र हैं, वहां के जनप्रतिनिधि जानते होंगे, कि बुनकरों को पैसा नहीं मिल रहा है, यहां भले ही माननीय मंत्री जी हमारी आवाज को दबा दें। मैं जानना चाहता हूं कि उच्च स्तरीय समिति किसकी अध्यक्षता में बन रही है तथा यह गठित कब होगी और इसके टर्म आफ रिफरेन्स क्या हैं?

श्री इश्तियाक अंसारी–

मान्यवर, जगदम्बिका पाल जी ने पूछा है कि यह कब गठित की गई थी। मैं बताना चाहता हूं कि यह 1987 में गठित की गई थी और 1989 तक 2 साल के लिये यह गठित हुई थी और उसमें यह भी सवाल पूछा है कि कौन-कौन लोग इसमें थे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी पाल साहब यह जानना चाहते हैं कि यदि इस समय कोई समिति गठित हो तो बता दें अगर समिति गठित नहीं है तो उसके बारे में बता दें।

श्री इश्तियाक अंसारी–

मान्यवर, समिति इस समय गठित नहीं है, विचार कर रहे हैं, समिति गठित होगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, तब तो उत्तर में विरोधाभास हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

आपने प्रश्न पूछा है कि प्रदेश के बुनकरों की समस्याओं को दूर करने के लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय सरकार लेगी। मंत्री जी ने उत्तर में कहा है "जी हां"। समिति गठित की जायगी निर्णय ले लिया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित होगी। इसके टर्म्स आफ रिफरेन्स क्या होंगे और कब तक गठित हो जायेगी यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री राम लखन वर्मा–

हमारे मंत्री जी ने बताया कि उस पर विचार चल रहा है। शीघ्र ही गठित कर रहे हैं इन प्रश्नों के पूछने का कहां सवाल पैदा होता है।

श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एक समिति गठित की जा रही है जो बुनकरों की समस्याओं को देखेगी। मेरे यहां बहुत से कालीन बुनकर हैं उनकी अनेक समस्यायें हैं तो यह जो समिति गठित की जा रही है क्या कालीन बुनकरों की समस्याओं को देखेगी। मेरे यहां मिर्जापुर, भदोही में काम करने के लिये लोग जाते हैं। इन बुनकरों का ठेकेदार लोग शोषण करते हैं। इन बुनकरों के बनाये गये गलीचों को सस्ते दामों पर खरीदा जाता है तो क्या सरकार इन बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध करायेगी और इनके द्वारा बनायी गयी कालीन को खरीदने की व्यवस्था करेगी?

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, कालीन उद्योग है। यह बुनकरों से संबंधित मामला है मूल प्रश्न से इसका संबंध नहीं है। माननीय सदस्य ने जो समस्यायें बतायी हैं उन पर अपने स्तर से विचार कर लेंगे कि क्या सुविधा दे सकते हैं।

(नत्थी–ग तारांकित प्र० सं०—। पुकारे जाने पर।)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सरकार बुनकरों के संबंध में हठधर्मिता पर उतारू है। सरकार की नीतियां बुनकरों के खिलाफ हैं इसलिये मैं और मेरा दल सदन का परित्याग करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

6 जून, 1995 को पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा की गयी वीडियो रिकार्डिग एवं प्रेस कान्फ्रेन्स की जांच आख्या

*1—श्री हरेन्द्र सिंह मलिक—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6 जून, 1995 को पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा की गई प्रेस कान्फ्रेस तथा वीडियो फिल्म बनाने एवं उसके प्रदर्शन करने के मामले की मजिस्ट्रीरियल जांच कराई गयी थी? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है? दोषी पाये गये अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

शासन द्वारा मजिस्ट्रेट को प्रश्नगत प्रकरण में जांच कराये जाने के जो निर्देश दिये गये थे उसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से अभी भी आख्या प्रतीक्षित है।

(संशोधित उत्तर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

श्रीमन्, शासन द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट को प्रश्नगत प्रकरण में जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये। जिला मैजिस्ट्रेट की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है। सरकार उसका परीक्षण करा रही है।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक—

मान्यवर, मुझे जो उत्तर मिला है उससे यह भिन्न उत्तर है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने की घोषणा करेंगे?

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है। मैंने बताया है कि जिला मैजिस्ट्रेट की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है और सरकार उसका परीक्षण कर रही है उसी के अनुसार सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, यह प्रकरण माननीय हरेन्द्र सिंह से जुड़ा हुआ है इसलिये अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। जांच रिपोर्ट में माननीय हरेन्द्र मलिक जी के सिलसिले में क्या तथ्य प्रकाश में लाये गये हैं?

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

श्रीमन्, फरवरी, 1995 में मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन्स में हत्या हो गयी थी और उस हत्या के सिलसिले में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था पुलिस ने बताया कि उन्होंने बयान दिया है कि माननीय विधायक श्री हरेन्द्र सिंह जी उस हत्या के प्रेरक लोगों में से एक थे। इस बारे में पुलिस ने सम्बन्धित अभियुक्तों के बयानों की वीडियों फिल्म बनाई थी। पुलिस द्वारा वीडियों फिल्म बनाये जाने का यह प्रकरण विशिष्ट प्रकार का था। इसलिये शासन ने अतिरिक्त जिलाधिकारी से कहा कि पूरे प्रकरण पर अलग से बयान लिये जायें और ए० डी० एम० ने सम्बन्धित अभियुक्तों से बयान लिये और

जितने लोगों से बयान लिये उनमें सत्येन्द्र, यशपाल आदि से बयान लिये गये जिसमें उन्होंने कहा कि मलिक जी से हत्या के बारे में कोई वार्तालाप नहीं हुआ है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है। एक पुलिस अधिकारी ने जानबूझकर माननीय विधायक मलिक जी को अपमानित करने के लिये उनकी छवि खराब करने के लिये एक पुराने कत्ल के केस में झूठे फंसाने के लिये झूठे बयान लिये गये। आपने जांच के आदेश दिये उस पुलिस अधिकारी की मनोवृत्ति का अन्दाजा लगाया जा सकता है कि बयानों का नाटक करने के बाद ही वीडियों फिल्म बनाई गई और इसी के बाद पत्रकार वार्ता की गई। और उस वीडियों फिल्म को उनके सामने दिखाया गया तो पुलिस अधिकारी की मनोवृत्ति का पता इसी से लग जाता है। दो महीने के पहले रिपोर्ट आ चुकी है। 8 जून को आ चुकी है और आप कह रहे हैं कि परीक्षण करवा लेंगे। पुलिस अधिकारी ने जानबूझकर उनको बेइज्जत करने के लिये और उनकी छवि खराब करने के लिये और तरह-तरह से जान के नुकसान को पहुंचाने का षडयंत्र रचाया गया। मान्यवर, जांच हो गई है और प्रशासनिक अधिकारी ने जांच की है और साबित हो गया है कि उनके बयान पुलिस अधिकारी ने दबाव देकर, चोट पहुंचाकर मलिक जी का नाम सम्मिलित किया गया। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उत्तर दें कि दो महीने के बाद भी वह परीक्षण की बात कह रहे हैं। उनको जिलाधिकारी गुमराह कर रहे हैं उनका जो असली उत्तर है उसमें है कि आख्या ही नहीं आई है। मलिक साहब ने आख्या दे दी है, तो उत्तर दिया है। क्या विधान सभा में आप घोषणा करेंगे, कि जिस अधिकारी को जांच के दौरान दोषी पाया गया है क्या तत्काल समयबद्ध और कठोर कार्यवाही उसके विरुद्ध करने का आश्वासन देंगे?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में जो भी अधिकारी दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। मैं एक अधिकारी की बात नहीं कह रहा हूं। जिस किसी स्तर पर जो भी दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो रिपोर्ट मिली है उसमें तथ्य बिल्कुल साफ है। अभियुक्त सत्येन्द्र की पिटाई की गई और जांघ पर बारीक-बारीक सुईयां चुभोई गई। नाक में पानी डाला गया। पिटाई की गई और माननीय मलिक जी का नाम इस कत्ल के मामले में लिवाया गया। दूसरे गवाह को लिखकर दिया गया कि तुमको वीडियो फिल्म बनाते समय पढ़ना है। उसे कागज पर लिखकर दिया गया। थानाध्यक्ष सिविल लाइन ने लिखकर दिया वहां पर एस० पी० मौजूद थे हर गवाह ने कहा कि उसने मार के डर से उनका नाम लिया है। इस काम को थानाध्यक्ष ने अंजाम दिया और एस० पी० की मौजूदगी में दिया। दोनों की उपस्थिति में यह काम हुआ। 'यदि' लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है उनकी बदनीयती इसी से जाहिर होती कि वीडियो फिल्म बनाने के बाद पुलिस अधिकारी प्रेस कांफ्रेस कर रहे हैं उनकी छवि को खराब करने का काम कर रहे है। आप संरक्षण दें और जो तथ्य सामने आये हों थानाध्यक्ष सिविल लाइन और एस० पी० दोनों के खिलाफ कार्यवाही करने की घोषणा करेंगे और मलिक जी का नाम अगर आया है तो उनके नाम को निकलवाने के आदेश जारी करेंगे? इसकी घोषणा माननीय मंत्री जी करें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, मैंने "यदि" नहीं लगाया। मैंने यह कहा है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी अधिकारी दोषी होगा, किसी एक अधिकारी की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो भी दोषी होगा, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जांच रिपोर्ट में जब नाम आ गया है कि एस० पी० की मौजूदगी में थानाध्यक्ष सिविल लाइन्स द्वारा इस काम को अंजाम देना, तो फिर जो भी "अधिकारी की बात नहीं रह जाती है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो प्रश्न किया है मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। मान्यवर, जांच रिपोर्ट में एक चीज आ गयी है जो जांच रिपोर्ट आई है यह जांच रिपोर्ट उन अभियुक्तों के बयान पर आधारित है। आगे वरिष्ठ अधिकारीगण जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई बात कही गयी है उनके बयान भी लेंगे। किसी अधिकारी को दण्डित किये जाने के पूर्व उनका बयान लिया जाना आवश्यक है। इसलिए चाहे एक अधिकारी दोषी पाया जाय, चाहे दो अधिकारी दोषी पाये जायं चाहे तीन अधिकारी दोषी पाये जायं उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सवाल अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण है आज जो भी सार्वजनिक जीवन में कार्यकर्ता हैं आज अगर वह अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं कर्तव्य का पालन करते हैं उन परिस्थितियों में उनके क्षेत्रों में जनता के सवाल पर आये दिन प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस अधिकारियों से वाद-विवाद होता रहता है तो क्या आई० ए० एस० और आइ० पी० एस अधिकारियों को जब उनका सेलेक्शन होता है तो वह संविधान के प्रति शपथ लेते हैं कि हम बिना पक्षपात के, रागद्वेश के कार्य करेंगे। यदि संविधान के अन्तर्गत शपथ लेकर कार्य करते हैं तो प्रागदर्शन में ऐसे मामले में एक पुलिस अधिकारी ने अपने प्रेस कांफ्रेस में जिस तरह से वीडियो से टेलीवाइस करवाया तो यह प्रागदर्शन में लगता है कि द्वेशपूर्ण भावना से उस अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से एक कार्यकर्ता श्री मलिक जी की छवि को खराब करने की साजिश का कार्य किया तो इस प्रागदर्शन के आधार पर उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे जांच तो अन्तिम आती रहेगी लेकिन प्राइमाफेसाई यह साबित हो रहा है कि उसने द्वेशपूर्ण कार्य किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे और उस आधार पर हरेन्द्र मलिक जी का कहीं नाम आया है तो उसको निकालने का काम करेंगे?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, अभी तक माननीय विधायक जी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है उनका नाम पुलिस अधिकारियों ने सम्मिलित किया और एफ० आई० आर० में मलिक जी का नाम नहीं है जहां तक वीडियों फिल्म बनाये जाने की बात है और जो बिन्दु उठाये गये हैं उन पर जांच के बाद ही कार्यवाही हो सकती है। जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें हत्या में सम्मिलित बताये जाते हैं उनके बयानों के आधार पर बनाई गयी है। इसलिये पूरे मामले में गहन समीक्षा करके ही किसी अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करा सकते हैं।

श्री ऊदल–

मान्यवर, जो अधिकारी जांच कर रहे थे उनके सामने जिस व्यक्ति का झूठा बयान दिलाया गया मैं उसकी अन्तिम दो लाइन पढ़ना चाहता हूं आपकी आज्ञा से। सत्येन्द्र पुत्र श्री राज्यपाल ने अपने बयान में यह कहा कि उसकी जांघ में बारीक-बारीक सूइयां चुभोयी गयी, नाक में पानी डाला गया और पिटाई की गयी और यह कहा गया कि हरेन्द्र सिंह मलिक जी का नाम लो। रिपोर्ट आपके पास है, उसी रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा हूं। रिपोर्ट में कहीं भी हरेन्द्र सिंह जी का कत्ल से संबंध नहीं है तो उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? समीक्षा तो अलग बात है लेकिन जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की और ऐसा कार्य किया उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, किसी अपराध के बारे में कितनी कार्यवाही हो सकती है ऐसी घोषणा करना ऐसा बारीक पैमाना न तो किसी मंत्री के पास और न ही इस आदरणीय सदन के पास हो सकता है। किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किस प्रकार का कार्यवाही की जाये यह तो सक्षम अधिकारी की जांच के द्वारा ही पता चल पायेगा। वह जब तक गहन रूप से छानबीन नहीं करेगा तब तक कार्यवाही करना सम्भव नहीं हो पायेगा इसलिए इसकी जांच हो जाने दें। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की जिज्ञासा यह नहीं है कि आपने हरेन्द्र सिंह मलिक जी के खिलाफ क्या कार्यवाही की? जब कोई आरोप सिद्ध ही नहीं पाया गया तो आप कार्यवाही क्या करेंगे? मान्यवर, एक अधिकारी ने जिस प्रकार से अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और यदि आप इजाजत दें तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जितनी निकृष्ट हरकत हो सकती थी वह करी तो आप इस निकृष्ट हरकत के खिलाफ जो उस अधिकारी ने की क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैंने तो पहले ही निवेदन किया था कि इस पूरे मामले में जो दोषी पाया जायेगा किसी भी प्रकार का चाहे वह माननीय विधायक के अपमान का प्रश्न हो या वीडियों द्वारा टेलीवाइज कराने का हो या जिनको झूठा बयान जबरदस्ती दिलाये जाने का प्रश्न हो, जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मजिस्ट्रीरियल जांच रिपोर्ट तो आ चुका है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मजिस्ट्रीरियल जांच रिपोर्ट तो आ चुका है लेकिन अभी भी उत्तर दायित्व का निर्धारण नहीं हुआ है जब तक इसका निर्धारण नहीं होगा, तब तक हम कैसे कार्यवाही करेंगे?

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यदि मृतक के परिवार वाले यह एफिडेविट न देते कि माननीय हरेन्द्र सिंह जी का इस हत्या से कोई ताल्लुक नहीं है और हमारी उनसे कोई शिकायत नहीं तभी पुलिस ने कार्यवाही नहीं की नहीं तो वह कार्यवाही करने को तैयार थी। मैं आपका मान्यवर, संरक्षण चाहूंगा आप भी सरकार को

निर्दिष्ट कर सकते हैं। जब ऐसे मामले में प्रारम्भ में पूरी रिपोर्ट आ चुकी है जिला मजिस्ट्रेट ने सरकार के पास जांच रिपोर्ट नहीं भेजी, वह तो हरेन्द्र सिंह मलिक जी के पास थी जो आपको दे दी और उसी से आप जवाब भी दे रहे हैं। उन्होंने तो झूठ बोल दिया। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा यह सारे सदस्यों के इज्जत की बात है माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन दें कि जो भी दोषी अधिकारी होंगे एक हफ्ते में 15 दिन में उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी? आप सरकार को निर्दिष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य की यह जिज्ञासा है कि यदि जांच रिपोर्ट आ गयी है तो कितने दिनों के अन्दर कार्यवाही की जायेगी और यदि नहीं आयी है तो कब तक आप जांच रिपोर्ट मंगवाकर कार्यवाही करा लेंगे?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जिस जांच रिपोर्ट की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं इस बात के लिए ए० डी० एम० को कहा गया था कि इसकी जांच करें। जो वीडियो फिल्म बनाकर टेलीवाइज कराने की बात कही गयी थी इसको भी संज्ञान में लेकर ए० डी० एम० से जांच करायी जायेगी और जो हत्या में नाम प्रयुक्त हुआ है उसको भी ध्यान में रखा जायेगा और इसमें जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, कितने दिन में आप रिपोर्ट मंगवाकर इस पर कार्यवाही कर देंगे।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जांच रिपोर्ट तो केवल एक विषय की आयी है।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, आप हमें संरक्षण दें। मान्यवर, मेरे विरुद्ध न तो कोई रिपोर्ट दर्ज थी और न ही इस प्रकरण से मेरा कोई संबंध था। छः महीने पहले कत्ल हुआ था। इसे आप भी जानते हैं। उसके बाद सुबह मुल्जिम पकड़े जाते हैं और तीन बजे प्रेस कान्फ्रेस की जाती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन सा विधिक अधिकार था और कौन सा शासनादेश था, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कान्फ्रेस की और वीडियो फिल्म दिखायी। दूसरा, जिस दिन कथित अभियुक्तों पर आरोप-पत्र दाखिल किया गया, उस दिन पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा कि माननीय विधायक के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र किये जा रहे हैं। जब साक्ष्य ही नहीं थे तो प्रेस कान्फ्रेस व वीडियो फिल्म बनाने का अधिकार कहां से उन्हें प्राप्त हो गया? तीसरा, न तो मेरी रिपोर्ट है और माननीय मंत्री जी ने भी अपने उत्तर में कहा है कि अभियुक्तों के बयान के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। मेरे विरुद्ध एक षडयन्त्र रचा गया और उसमें कुछ अभियुक्तों से कहलवाया गया कि एक बार माननीय विधायक जी ने हमें आदेश दिया था कि इसे ठोंकने के लिए न कि मारने के लिए अभियुक्तों के कहने पर यह कार्यवाही की गयी है, मेरी सूचना को सही मानते हुए, उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं किसी को बचाना नहीं चाहता हूं। जिन अभियुक्तों के बयान के आधार पर माननीय विधायक श्री हरेन्द्र सिंह मलिक जी को अभियुक्त बनाने की कोशिश की गयी थी, अगर उनके बयान पर विश्वास कर लिया जाता, तब तो हरेन्द्र सिंह मलिक जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता। ए० डी० एम० ने इन्हीं अभियुक्तों से बयान लिए हैं।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, दो मजिस्ट्रेट्स के सामने लिए गये बयान हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस मामले की पूर्व से जानकारी मुझे नहीं थी। इस समय प्रश्न के उत्तर और अनुपूरक प्रश्न और माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जानबूझकर एक सम्मानित विधायक की छबि को धूमिल करने का षड़यन्त्र रचने का प्रयास किया गया है। एक सामान्य बात है कि जब तक पूरे पुष्टिपूर्ण प्रमाण नहीं मिल जाते हैं तब तक एस० पी० को बी० डी० ओ० फिल्म दिखाने का कोई अधिकार नहीं कि अभियुक्त कौन है, धारा 120-बी क्या है जब तक प्रागदर्शन में पूरी बात नहीं आ जाती है यह नहीं करना चाहिए था। पुलिस कर्मियों और एस० पी० ने जानबूझकर एक माननीय सदस्य विधान सभा की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। अभी कितना समय और लिया जायेगा जांच करने में और प्राग्दर्शन में बात सही होने पर पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी आ गयी हैं अब वह इसका जबाब दें।

सुश्री मायावती–

मान्यवर, आज विधान सभा में सम्मानित सदस्य के बारे में जो मामला उठा है इस मामले को मैं अपने कार्यालय में बैठ कर पूरा सुन रही थी। मैंने जरूर महसूस किया कि मुझे हाऊस में पहुंच कर इसका जबाव सन्तोषजनक खुद देना चाहिए और जबाव देने से पहले मैं माननीय तमाम सदस्यों को भी अवगत कराना चाहती हूं कि आज सदन शुरू होते ही कुछ टीका टिप्पणी भी शुरू हो गयी लकिन मैं थैंक्स अदा करती हूं सभी माननीय सदस्यों का, जब आज गृह और प्रशासन पर चर्चा होनी है तो उसी मौके पर जिनको अपनी बात किसी भी मामले से चाहे वह संबंधित हों और जो कल अपनी बात नहीं रख सके आज रख सकते हैं और आपने भी सहमति जताई। तो मैं बताना चाहती हूं कि जब मैंने कल हाउस में स्टेटमेंट दिया हमारे माननीय मलिक जी ने दूसरा सवाल शुरू कर दिया और मैंने सोचा कि हमारे भाई मलिक जी ने विषय बदल दिया है तो शायद यह विषय हट गया है मैं चली गयी और यह भी बताना चाहती हूं कि फिरोजाबाद जिले में रेल दुर्घटना हुई तो मैं जब हाऊस में बैठी हुई थी तो मुझे सूचना मिली कि आज माननीय प्रधान मंत्री जी फिरोजाबाद आने वाले हैं, मुझे वहां पहुंचना चाहिए, प्रधान मंत्री जी पूरे देश के कर्ता-धर्ता और मालिक हैं तो जब हमारे प्रदेश में आने वाले हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनका पूरा ध्यान रखा जाय और उनकी पूरी सुरक्षा का बन्दोबस्त किया जाय। मैं कोई मैदान छोड़ कर भागने वाली नहीं हूं। जब मैं 2 जून को मैदान छोड़ कर नहीं भागी जिसमें पूरे प्रदेश के गुण्डे और माफिया इक्ट्ठे हो गये थे मैं भागी नहीं, मुझे भाइयों का सहयोग मिला, मैंने डटकर मुकाबला किया। माननीय प्रमोद तिवारी स्वयं इस चीज से सहमत होंगे और भी सहमत होंगे, प्रधान

मंत्री जी का जरूर सम्मान करेंगे, जब वह यहां आ रहे हों तो प्रदेश के मुख्य मंत्री की जिम्मेदारी बनती है वह वहां पहुंचे। आज तो प्रधान मंत्री नहीं आ रहे हैं चूंकि रात को प्रोग्राम बदला है इसलिये शायद वह कल आयेंगे।

मान्यवर, कल यदि श्री मलिक जी न बोलते तो मैं यहां सदन में एक-एक बात का जवाब देती। मान्यवर, मैं श्री हरेन्द्र मलिक जी को बताना चाहती हूं कि उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसको लेकर हाउस में जो आज सवाल उठा है जिसे अपने कार्यालय में बैठी सुन रही थी और मैंने उनकी सारी बातों को सुना और समझा, इसलिये मैं उनकी बातों का जवाब देने यहां आयी हूं। मान्यवर, मैं अपने भाई श्री मलिक जी को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि मुझे वह बीस दिनों का समय दें जिसमें मैं किसी सीनियर अधिकारी को जिम्मेदारी दूंगी और मैं स्वयं इस मामले में रुचि लेकर बीस दिनों में आपके केस का निवटारा कर दिया जावेगा। मैं आपके साथ ही अन्य सदस्यों को भी बताना चाहती हूं कि चूंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं और किसी भी प्रतिनिधि के साथ, चाहे वह किसी भी पार्टी से चुनकर आया हो, चाहे पार्टी मतभेद हों, चाहे पार्टी पालिटिक्स करके जनप्रतिनिधि के साथ, ज्यादती होगी या उनके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचायेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जायेगी और किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जावेगा। मेरी बात को आपने गम्भीरता से लिया है और यह मामला गम्भीर है इसलिये बीस दिनों में इसका फैसला कर दिया जायेगा।

[मंगलवार, दि० 22 अगस्त, 1995 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

* 1—श्री श्याम देव राय चौधरी—

[दि० 3-8-95 को ता० प्र० सं० 6 द्वारा उत्तरित]

जनपद झांसी के पटाखा फैक्टरी में बम विस्फोट एवं उससे हुई मृत्यु तथा उसके अवैध ढंग से चलते रहने की शिकायत

* 2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि० 4 अक्टूबर, 1994 को झांसी में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से काफी व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी? यदि हां, तो विस्फोट का कारण क्या था? मृतकों की संख्या क्या है? फैक्ट्री को विधि सम्मत चलाने के लिये आवश्यक औपचारिकता पूरी न होने के बाद भी चलते रहने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

जी हां।

प्रथम दृष्टया विस्फोट का कारण आतिशबाजी कारखाने में अपेक्षित सावधानियां न रखा जाना था। कुल 44 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। नवीन स्थल पर इस प्रकार से अवैध रूप से आतिशबाजी का निर्माण किये जाने से न रोकने हेतु उपनिरीक्षक श्री जगतपाल सिंह, प्रभारी चौकी तथा हेड कान्सटेबुल श्री राम सेवक, चौकी उन्नाव गेट, थाना कोतवाली झांसी को दोषी पाये जाने पर निलम्बित किया गया और इसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस प्रश्न की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि यह फैक्टरी अवैध रूप से चल रही थी और जहां विस्फोट हुआ है वहां 44 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि फैक्टरी जो काम वहां पर कर रही थी उसके सामान को स्टोर करने की क्या कोई

सुरक्षित व्यवस्था थी और अग्निशमन की क्या व्यवस्था थी? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस फैक्टरी को लाइसेन्स प्राप्त था कि नहीं और यदि प्राप्त था तो उसका नवीनीकरण हुआ था कि नहीं? इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की क्या व्यवस्था किया है? पुलिस के खिलाफ तो कार्यवाही करने की व्यवस्था कर दी गयी है लेकिन फैक्टरी के मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही किया है जो इस कांड के लिये जिम्मेदार थे?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस घटना के संबंध में एक मुकदमा धारा 204, 285, 298 और विभिन्न धाराओं में, जिन्हें मैं सुन नहीं पाया, वहां मुकदमा कायम हो गया और फैक्टरी के मालिक श्री लक्ष्मी नारायण जो मृतक हैं इस घटना में, मुकदमे के आधार पर जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आपने इक्सप्लोसिव ऐक्ट के तहत कार्यवाही कर दिया और 44 व्यक्तियों के मरने के कारण धारा 302 और दूसरी धारायें लगाया जिनको मैं सुन नहीं पाया, इसलिये आवश्यक दूसरी धारायें यदि लगाया है तो ठीक है, यदि नहीं तो अपराधियों को बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? बचाने के लिये यह प्रयास क्यों किया जा रहा है? जो नाम आपने दर्शाये हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है? और 44 व्यक्ति जो काल कवलित हुए हैं क्या उनके परिवारिक जनों को कोई आर्थिक सहायता दी गयी है और यदि नहीं दी गयी है तो क्यों नहीं दी गयी है?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है क्योंकि यह जवाब गृह विभाग द्वारा तैयार किया गया है। लेकिन इस मामले में उन्होंने खास कर पूछा है तो अभियुक्तों को बचाने की कोई बात नहीं है। सरकार किसी को बचाना नहीं चाहती है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। इस संबंध में चार्जशीट कोर्ट में भेजी जा चुकी है और वहां विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

गृह विभाग की ओर से उत्तर दिया गया है इसलिये इसमें सहायता की बात नहीं है, यह मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। तो यह सही नहीं है। गृह विभाग ने उत्तर तैयार किया लेकिन यहां पर संयुक्त जिम्मेदारी है। 44 व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की कोई जानकारी उनके पास नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इसका सही समाधान नहीं हुआ, इसलिये इसको आप स्थगित कर दें। जानकारी हो तो वह पत्रावली देखकर बता दें। इसमें पूरी तरह से शासन जिम्मेदार था। पुलिस कर्मियों के खिलाफ तो जानकारी और कार्यवाही की बात तो आपने कह दी लेकिन जिलाधिकारी ने जो लाइसेन्स दिया था, उसमें अग्निशमन और स्टोर व्यवस्था देखने की बात थी वह पूरी तरह से और सही रूप से क्या देखी गयी थी, तो इसमें सारे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता है। उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी तो यह किसी प्रकार ठीक नहीं है। यदि इन ज्वलन्त प्रश्नों का उत्तर पत्रावली में नहीं है तो मान्यवर, आप स्वयं सहमत होंगे कि इसको आज स्थगित कर देना चाहिए।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इसमें कौन-कौन दोषी हो सकता है, इसकी मजिस्ट्रेटी जांच की जा रही है उसकी रिपोर्ट आने पर पूरी कार्यवाही हो जायेगी और आर्थिक सहायता देने की जो बात है तो अलग से कोई प्रार्थना-पत्र गुप्त जी मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत करेंगे तो उस पर औचित्य के आधार पर सरकार फैसला कर लेगी।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री ऊदल–

मान्यवर,आप मुझसे कुछ नाराज आजकल मालूम पड़ते हैं। मैं काफी देर से इस पर चुप खड़ा रहा हूं लेकिन आपकी दृष्टि नहीं पड़ी। मैं तो बिल्कुल चुप और शान्त रहता हूं और कभी-कभी आप लोगों की उत्तेजना में बह भी जाता हूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

कभी-कभी यह भीष्म पितामह की तरह चुप हो जाते हैं।

श्री ऊदल–

यह मामला 4 अक्टूबर, 1994 का है, करीब 10 माह हो गये हैं और अब तक इसमें सक्रिय रूप से कार्यवाही न होने का क्या कारण है ? और क्या आप उसमें समय निश्चित करेंगे कि इतने समय में वह जांच समाप्त हो जायेगी जिसका उन्होनें जिक्र किया है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन् ऊदल जी के सुझाव का सम्मान करते हुए सरकार की तरफ से यह निदेश जारी कर दिये जायेंगे कि एक महीने के अन्दर ही सारे तथ्य सामने आ जायं और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर दी जाय।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ जिन 44 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु हो गयी , उनको मानवीय आधार पर स्वयं सहायता देने के स्थान पर उन्होंने कहा है कि प्रार्थना-पत्र यदि वह देंगे तो उस पर विचार हो जायेगा। तो इसमें प्रार्थना-पत्र देने की आवश्यकता क्या है ? बिना प्रार्थना-पत्र दिये हुए भी उनके परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में मंत्री जी क्या मुआवजा देने पर विचार करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इस बारे में पहले ही निवेदन कर लिया है, घटना गम्भीर रही है इसकी जांच हो रही है और जहां तक आर्थिक सहायता देने की बात है जब तक पूरी जानकारी नहीं हो जाती कि किस स्तर के लोग वे थे, तो यहां पर कोई आश्वासन देना भी ठीक नहीं होगा। अलग से यदि कोई प्रार्थना-पत्र माननीय सदस्य ही माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे तो निश्चित रूप से इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी आखिरी सवाल पूछ लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर बड़ा अटपटा सा लगा । दीवार गिर जाती है तो क्षतिपूर्ति मिल जाती है । फिरोजाबाद में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने मुआवजा दिया । उन 44 लोगों ने स्वयं तो गोली मारकर हत्या नहीं की । यह 44 लोग तो वह लोग हैं जो रास्ता निकाल रहे थे या और कोई कार्य कर रहे थे यह मजदूर लोग हैं । इतना बड़ा विस्फोट हुआ कई मकान ढह गये । इस विस्फोट में जो लोग मारे गये हैं उनमें अनुसूचित जाति के भी रहे होंगे । अनुसूचित जाति के लिए नियम-307 में यह है कि वह घायल हो जायें तो सरकार पैसा देती है । वह कोई प्रार्थना-पत्र देने नहीं आते हैं । मैं भी मंत्री रहा हूँ उस वक्त जानकारी नहीं होती थी सूचना की आवश्यकता होती थी तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देने की कृपा करेंगे ? इसको दिखवा लेंगे 44 लोगों के परिवारों को मानवीय आधार पर आर्थिक सहायता देंगे इस पर मंत्री जी कुछ कहेंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

उसमें कुछ अनुसूचित जाति के होंगे, गरीब होंगे उन पर सरकार विचार कर लेगी । सम्यक् रूप से । यह कहना कि आर्थिक सहायता देंगे ही तो यह प्रश्न की परिधि में नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, प्रश्न प्रहर शुरू होते ही मैंने एक निवेदन किया था ।

अध्यक्ष, उ०प्र० गलीचा बुनकर टैक्सटाइल मजदूर संघ का बाल **श्रमिकों एवं बन्धुआ बुनकरों को न्याय दिलाने संबंधी** कथित **पत्र**

*3–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊनी गलीचा एवं दरी उद्योग में लगे बाल श्रमिकों एवं बन्धुआ बुनकरों को न्याय दिलाने के सन्दर्भ में उ० प्र० शासन को श्री पारस नाथ मौर्य, अध्यक्ष, उ० प्र० गलीचा बुनकर टेक्सटाइल मजदूर सभा तथा संयुक्त कालीन मजदूर सभा, उ० प्र० का पत्र दिनांक 9 जनवरी, 1994 प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पत्र में वर्णित प्रमुख बिन्दु क्या हैं ? इन बिन्दुओं पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम लाल यादव)—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*4–श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

(6ठे मंगल के लिए स्थगित)

नत्थी "छ" के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

लखनऊ के बन्दरियाबाग, कैबिनेटगंज के सरकारी आवासों में पेयजल की आपूर्ति ठीक करने की मांग

*5–श्री तीरथ राज–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित बन्दरियाबाग कैबिनेटगंज सरकारी कालोनी में ऊपर के तलों में पानी की समस्या काफी दिनों से चल रही है और जिसका निदान अभी तक राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा नहीं कराया जा सका है ? क्या यह भी सही है कि इससे वहां पर रहने वाले लगभग 75 सरकारी कर्मचारियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार इस समस्या का हल शीघ्र करवाने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां, कैबिनेटगंज सरकारी कालोनी में प्रथम तल पर रहने वाले अध्यासियों को केवल ग्रीष्म ऋतु में जल संस्थान की पाइप लाइन में पानी का दबाव कम होने के कारण पानी की समस्या रहती है। चूंकि जलापूर्ति जल संस्थान, लखनऊ द्वारा की जाती है इसलिए इस समस्या के निदान हेतु उनका सुझाव एवं प्रस्ताव प्रतीक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश सरकार के घाटे पर चलने वाले निगमों के सुधार की नीति की जानकारी

*6–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक घाटे के उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बीमार उद्योगों में पिछले तीन वर्षों में कुल कितना घाटा रहा ? क्या यह सत्य है कि इन निगमों को चलाने वाले अधिकतर आई०ए०एस०, पी०सी०एस० अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ हेतु अनियमिततायें की हैं ? क्या मंत्री जी इन निगमों के अधिकारियों के निजी सम्पत्ति की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो किससे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश में कार्यरत निगमों में घाटे को रोकने तथा दक्षता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा जून, 1994 में निर्देश जारी किये गये थे, जो मुख्य रूप से निम्नवत् हैं :–

क–(1) सभी निगम कारपोरेट प्लान बनायें ताकि वे भविष्य में नियोजित ढंग से अपना विकास कर सकें।

(2) निगमों द्वारा उन वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं को समाप्त किया जाये जिनका योगदान उद्यमों की निश्चित लागत की पूर्ति हेतु नगण्य अथवा ऋणात्मक है।

(3) सभी उद्यमों द्वारा रहतियों एवं देनदारियों की समीक्षा कर उन्हें यथासम्भव कम किया जाये और इस प्रकार फंसी हुई धनराशि को अवमुक्त कराकर व्यवसाय में लगाया जाये।

(4) उद्यमों द्वारा अतिरिक्त कार्मिकों का अभिज्ञान करके उन्हें निम्नोजित ढंग से कम किया जाये।

(5) सार्वजनिक उद्यमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष रक्खा जाये ।

(ख) सामाजिक उपादेयता तथा जनकल्याव से जुड़े हुए उपक्रमों/इकाइयों को छोड़कर जो उपक्रम/इकाइयां हानि की स्थिति में हैं और जिन्हें लाभप्रद नहीं बनाया जा सकता/अथवा जिनकी उपयोगिता नगण्य है, के निजीकरण पर विचार किया जायेगा ।

दि सिक इण्डस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशल प्रोविजन) ऐक्ट, 1985 के नियम 3(1) (सी) में रुग्णता के मापदण्डों के अनुसार वर्ष 1993-94 के अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर 15 निगम रुग्ण थे, जिनमें विगत 13 वर्षों में हुई हानि की सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 165.166 पर)

गया प्रसाद निवासी पल्टन जनपद लखनऊ के पुत्र राजेश कुमार की हत्या का मामला

*7–श्री राम कुमार शुक्ला–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गया प्रसाद निवासी पल्टन, जनपद लखनऊ के पुत्र राजेश कुमार पाल की हत्या अलीगंज थाना के अन्तर्गत कर दी गयी थी ? यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कोई की जा रही है ? क्या अपराधी नामजद किये गये हैं ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ? क्या अपराधियों ने इससे पहले भी अपराध किये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

इस संबंध में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या–241/9. धारा 302 भा०द०वि० थाना अलीगंज की विवेचना थानाध्यक्ष अलीगंज द्वारा की जा रही है । इस बीच नामजद अभियुक्त अन्नू उर्फ अनुराग यादव पुत्र श्री जे० पी० यादव ने दिनांक 28-4-95 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया ।

जी हां ।

अन्नू उर्फ अनुराग यादव पुत्र श्री जे०पी० यादव निवासी पतौरागंज थाना हसनगंज, लखनऊ ।

जी हां ।

कुल 3 अपराध थाना अलीगंज लखनऊ पर पंजीकृत है ।

प्रदेश में लाइसेंस समाप्त किये जाने वाले उद्योगों के विवरण की जानकारी

*8–श्री सतीश भाटिया–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन उद्योगों से लाइसेंस समाप्त कर दिये गये हैं ? क्या इस ड्रग एण्ड कास्मेटिक ऐक्ट, 1940 के अन्तर्गत औषधि निर्माण के लिए भी लाइसेंस समाप्त किया गया है ? यदि हां, तो किस आदेश के द्वारा ?

सुश्री मायावती–

उद्योगों के लिए लाइसेंस देना अथवा समाप्त करना भारत सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में घोषित औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अब 15 प्रकार के उद्योगों हेतु ही लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य है। शेष उद्योगों हेतु लाइसेंस की आवहयकता नहीं है।

ड्रग एण्ड कास्मेटिक ऐक्ट, 1940 के अन्तर्गत औषधि निर्माण के लिए लाइसेंस समाप्त नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन के जन्म दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की मांग

*9—श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन के जन्म दिन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

शासन की नीति है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के विद्यमान ढांचे में यथासम्भव परिवर्तन न किया जाये तथा वर्ष में दी जाने वाली छुट्टियों की संख्या सीमित रखी जाये।

गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध के बावजूद मेरठ के राली-रैसना गांव के जंगल में 70 गायों की हत्या का मामला

*10–प्रो० रवीन्द्र पुंडीर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में गो-कसी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा है? यदि हां, तो जनपद मेरठ में दिनांक 3-5-95 की रात्रि में राली-रासना गांव के जंगल में 70 गायों की हत्या क्यों कर दी गयी? क्या प्रदेश में बढ़ती हुई गौ-कसी की घटनाओं को रोकने के लिये प्रदेश सरकार कोई ठोस उपाय कर रही है? यदि नहीं तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हां।

दिनांक 3/4-5-95 की रात्रि में ग्राम रैसना थाना मेडिकल, मेरठ के जंगल में कुछ असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों द्वारा गायों का वध की सूचना पर थाना मेडिकल पर मु० अ० सं०–84/95 धारा 147/148/149/323 भा० दं० वि० व 3/8 गोवध निवारण अधि० पंजीकृत हुआ जिसमें 13 व्यक्तियों को मौके पर जेल भेजा गया इसके अतिरिक्त 13 अन्य प्रकाश में आये, जो न्यायालय में आत्म-समर्पण कर दिया। सभी 26 अपराधियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया।

गो-कसी की घटनाओं को रोकने के लिये, खरीदारी करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी दृष्टि रखना वाहनों द्वारा पशुओं को लाने व ले जाने के लिये तथा उनको रोकने के लिये चेक पोस्टों पर एवं मार्ग में प्रभावी चेकिंग करना पशुओं की लगने वाली पैठ में विशेष छानवीन करायी जाती है। साथ ही गायों की सुरक्षा के संबंध में पुलिस बल द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में उर्दू भाषा का प्राविधान

*11–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग उ० प्र० की परीक्षाओं में उर्दू भाषा में भी उत्तर देने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा उर्दू को द्वितीय राज भाषा घोषित किया जा चुका है। अतः लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में उर्दू भाषा के माध्यम से भी प्रश्न पत्रों का उत्तर दिये जाने के प्राविधान किये गये हैं।

बालदासता/बाल मजदूरी किये जाने हेतु शासन की योजना

*12–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बालदासता/ बाल मजदूरी समाप्त करने के लिये सरकार की कार्य योजना क्या है?

श्री श्याम लाल यादव–

खतरनाक नियोजनों/प्रक्रियाओं में बाल श्रम को समाप्त करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा इन नियोजनों/प्रक्रियाओं में लगे बाल मजदूरों के पुनर्वासन एवं शिक्षा का प्रबन्ध, उनके परिवारों के जीवन स्तर में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवायें आदि प्रदान करने हेतु तथा श्रम अधिनियमों के प्रभावी प्रवर्तन के लिये 5 वर्षीय कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अन्तर्गत वाराणसी मिर्जापुर-भदोही कालीन उद्योग, अलीगढ़ ताला उद्योग, फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग एवं मुरादाबाद के पीतल उद्योग हेतु कुल 49.32 करोड़ की योजनायें भारत सरकार को भेजी गई थीं। भारत सरकार द्वारा इन योजनाओं को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के आधार पर तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। जिनके संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

1–कार्य योजना के अनुश्रवण के लिये प्रदेश स्तर पर मा० मुख्य मंत्री जी एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समितियां गठित हैं।

2–श्रम विभाग के अतिरिक्त प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विकास, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा भी अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर बाल श्रमिकों के उत्थान हेतु कार्यवाही की जा रही है।

3–कार्य योजना में बाल श्रम से संबंधित श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिये भी आवश्यक प्रबन्ध किये गये हैं।

4–बाल श्रम के उन्मूलन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं से भी सहयोग लिया जा रहा है।

प्रदेश में घाटे पर चलने वाले सरकारी निगम का विवरण

*13-श्री घनश्याम शुक्ला-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष 1993-94 में उ० प्र० में कौन-कौन से निगम घाटे में थे? अलग-अलग निगमों में कितना-कितना घाटा हुआ है? घाटा होने के क्या कारण हैं? क्या शासन की नीतियों के विरुद्ध अधिक खर्च किया गया है? यदि हां, तो निगमों में हो रहे घाटे के लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं? क्या उक्त घाटे को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो वह क्या है?

सुश्री मायावती-

सूची संलग्न है।

घाटे के कतिपय सामान्य कारण निम्न है:-

1-सामाजिक उपादेयता तथा विकासात्मक कार्य प्रकृति।

2-उत्पादकता तथा कार्यकुशलता का अपेक्षित स्तर न होना।

3-शासन की वित्तीय स्थिति के संकुचन के कारण उपक्रमों को उपलब्ध कार्यों में कमी एवं कार्मिक की अधिकता।

4-वित्तीय संसाधनों की कमी।

5-कच्चेमाल की कमी तथा विपणन संबंधी समस्यायें।

6-उत्पादन मूल्य से विक्रय मूल्य कम होना।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

प्रदेश में कार्यरत निगमों में घाटे को रोकने एवं दक्षता सुनिश्चित करने की नीति सरकार द्वारा जून, 1994 में प्रतिपादित की गयी है, जो मुख्य रूप से निम्नवत् हैं:-

1—सभी निगम कारपोरेट प्लान बनायें ताकि वे भविष्य में नियोजित ढंग से अपना विकास कर सकें।

2—निगमों द्वारा उन वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं को समाप्त किया जाये जिनका योगदान उद्यमों को निश्चित लागत की पूर्ति हेतु नगण्य अथवा ऋणात्मक है।

3—सभी उद्यमों द्वारा रहतियों एवं देनदारियों की समीक्षा कर उन्हें यथासंभव कम किया जाये और इस प्रकार फंसी हुई धनराशि को अवमुक्त कराकर व्यवसाय में लगाया जाये।

4—उद्यमों द्वारा अतिरिक्त कार्मिकों का अभिज्ञान करके उन्हें नियोजित ढंग से कम किया जाये।

5—सार्वजनिक उद्यमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष का रखा जाये।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 167-168 पर)

पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी के प्रदेश के कतिपय जिलों में बढ़ते प्रभाव की शिकायत

*14–श्री सत्य प्रकाश–

क्या गृह मंत्री बनो की कृपा करेंगे कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (आई एस० आई०) ने प्रदेश के किन-किन जिलों में अपना जाल फैला लिया है व अड्डे स्थापित कर लिये हैं? क्या अभी तक उनके कुछ एजेंट उत्तर प्रदेश में पकड़े भी गये हैं? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा उनके पास से कितने हथियार व विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है? क्या इन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

संदर्भगत विषय के संबंध में कोई निश्चित/प्रमाणिक अभिसूचना नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी हां।

संदर्भगत गतिविधियों पर कड़ी निगाह एवं सतर्कता बरतने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न अंगों को निर्देश दिये गये हैं।

पवतीय क्षेत्र में आरक्षण के तहत सुनिश्चित जातियों के अभाव में आरक्षण का लाभ अन्य गरीब एवं निर्बल वर्ग के लोगों को दिये जाने की मांग

*15–डा० रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

क्या मुख्य मंत्री पर्वतीय क्षेत्र में आरक्षण के तहत सुनिश्चित जातियों के अभाव में गरीबी रेखा से नीचे अत्यन्त निर्बल उत्तरांचल की जनता को इसको लाभ देने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आर्थिक आधार पर आरक्षण अनुमन्य न होने का कारण ।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन आयोग में बिना शासन की सहमति के नियुक्ति की शिकायत

1–श्री दीपक कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन आयोग का गठन करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों की पोस्टिंग बिना किसी अधिकारी एवं कर्मचारी की सहमति प्राप्त किये आयोग में किसके आदेश से की गयी है? उनकी नियुक्तियों में क्या नीति निर्धारित की गयी थी ? क्या यह सही है कि सचिवालय अधिष्ठान अनुभाग–5

द्वारा बिना किसी नीति निर्धारित किये एवं मनमाने ढंग से अधिकतर अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उन समस्त कर्मचारियों को सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में पुनः नियुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों की तैनाती सचिवालय संवर्ग के पदों के विपरीत सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके की गयी है । इन संवर्गीय पदों पर तैनाती के लिये किसी अधिकारी एवं कर्मचारी की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

चूंकि ये संवर्गीय पद है अतः इनमें तैनाती के लिए अलग से विशेष कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत कर्मचारियों की तैनाती सचिवालय के संवर्गीय पदों के विपरीत की गयी है, अतः इसमें किसी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

सचिवालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति की जानकारी

2–श्री दीपक कुमार–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को एक विभागीय शाखा में कितने वर्ष नियुक्त किये जाने की नीति निर्धारित है ? क्या यह सही है कि गत वर्ष कतिपय ऐसे प्रवर वर्ग सहायकों के शाखा के बाहर स्थानान्तरण किये गये हैं जिनको एक शाखा से मात्र दो या तीन वर्ष ही हुए हैं ? यदि हां, तो वर्तमान में कितने प्रवर वर्ग सहायक ऐसे हैं जो एक ही शाखा में दस वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? उनका स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार ऐसे समस्त प्रवर वर्ग सहायकों के स्थानान्तरण शाखा के बाहर करने के आदेश निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्तमान में उत्तर प्रदेश सचिवालय के अवर वर्ग सहायक/प्रवर वर्ग सहायक/संदर्भ लिपिक/ अनुभाग अधिकारी एवं समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मियों को एक शाखा में अधिकतम 7 वर्ष तक तथा उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अनुसचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष सचिव को एक विभाग में तीन वर्ष तक तैनात रखने की नीति है ।

जी हां ।

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–5 में प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30-6-1995 तक 136 प्रवर वर्ग सहायक ऐसे थे जो एक ही शाखा में 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत थे । इन सभी के स्थान्तरण आदेश कार्यालय-ज्ञाप संख्या–3051/दीस-ई–5-28/95, दिनांक 25-7-1995 द्वारा जारी कर दिये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के अधिष्ठान—5 में तीन साल से अधिक से समय से तैनात अनुभाग अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण

3—श्री दीपक कुमार–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के अधिष्ठान अनुभाग–5 में अनुभाग अधिकारी एवं कितने प्रवर वर्ग सहायक ऐसे हैं जो लगभग तीन वर्ष से अधिक एक ही अनुभाग में कार्यरत हैं? उनके स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि गत वर्ष शिकायतों एवं अनियमित कार्यकलापों के कारण वहां के अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये थे? यदि हां, तो पुनः रोक दिये जाने का औचित्य क्या है? क्या सरकार ऐसे समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को स्थानान्तरित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

सम्प्रति सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–5 में अनुभाग अधिकारी एवं दो प्रवर वर्ग सहायक तीन वर्ष से अधिक की अवधि से कार्यरत हैं।

शासन की नीति एक ही अनुभाग में 4 वर्ष के उपरान्त स्थानान्तरण की है। अनुभाग अधिकारी को अभी 3 वर्ष हुए हैं, अतः इनका स्थानान्तरण आवश्यक नहीं है। निर्धारित अवधि से अधिक समय से तैनात दोनों प्रवर वर्ग सहायकों को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा रिफाइनरी स्थित वायर लारी एण्ड कम्पनी लिमि० (सिलिस्ट एण्ड स्टोर डिवीजन) यू० पी० एस० आई० डी० (साइट) (बी०) को प्राइवेट सेक्टर में बेचने के उपरान्त कर्मचारियों पर कुप्रभाव

4—श्री सूरज सिंह शाक्य–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा रिफाइनरी स्थित वायर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड (सिलेस्ट एण्ड स्टोर डिवीजन) यू० पी० एस० आई० डी० (साइट) (बी०) को माह फरवरी, 1994 में प्रान्त केन्द्र सरकार के सहयोग से प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया गया है? यदि हां, तो क्या नियमानुसार सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी थीं? क्या उक्त कम्पनी में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को समायोजित कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त कम्पनी के कर्मचारियों को कब से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है? और क्यों? कब तक कर्मचारियों का भुगतान कर दिया जायेगा?

सुश्री मायावती–

जी हां। जिलाधिकारी, मथुरा से प्राप्त सूचनानुसार मेसर्स बायर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड (सिलेण्डर एण्ड स्टोर डिवीजन) यू० पी० एस० आई० डी० सी० साइट (बी०) मथुरा, भारत सरकार के प्रतिष्ठान को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान मेसर्स अनन्त राज क्ले प्रोडक्ट्स लिमिटेड को दिनांक 25–3–94

को बेच दिया गया है। औपचारिकतायें पूर्ण कराई गयी या नहीं, इसकी जानकारी जिला एवं राज्य सरकार को नहीं है। इस कार्यवाही में प्रदेश सरकार का कोई सहयोग अथवा हस्तक्षेप नहीं है।

जिलाधिकारी की सूचनानुसार मेसर्स बायर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा अधिकारियों को अपनी अन्य इकाइयों में समायोजित कर लिया गया है परन्तु कर्मचारियों को समायोजित नहीं किया गया है। समायोजन की कार्यवाही में जिला प्रशासन अथवा राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

उक्त कम्पनी के कर्मचारियों को मई, 1994 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। क्रेता फर्म मेसर्स अनन्त राज क्ले प्रोडक्ट्स का मत है कि कर्मचारियों ने उनका सेवायोजन स्वीकार नहीं किया है अतः कर्मचारीगण वेतन भुगतान के अधिकारी नहीं हैं। श्रम विभाग द्वारा दिसम्बर, 94 तक कर्मचारियों के वेतन के संबंध में वसूलयाबी प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है, परन्तु इस पर सेवायोजकों द्वारा मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है।

उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन न दिये जाने की शिकायत

5—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० की प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां जो कि वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम की परिधि में आती हैं, के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो भुगतान न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम लाल यादव—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

6—श्री राम बाबू हरित—

[दि० 17-8-95 को अता० प्र० सं० 45 द्वारा उत्तरित]

7—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह—

[दि० 1-8-95 को अता० प्र० सं० 153 द्वारा उत्तरित]

भूतपूर्व पशुधन प्रसार अधिकारी अनेई जिला वाराणसी के मृत स्वरूप उनकी बेवा को पेंशन न दिये जाने की शिकायत

8—श्री ऊदल—

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जोखई सिंह पशुधन प्रसार अधिकारी अनेई जिला वाराणसी की मृत्यु कई वर्ष पूर्व हो गयी है? यदि हां, तो उनकी विधवा गुजराती देवी को पेंशन अब तक न देने के कारण क्या हैं? क्या सरकार इसकी जांच करवा कर उक्त विधवा को शीघ्र पेंशन उपलब्ध करा देगी?

श्री विश्भर प्रसाद निषाद—

जी हां।

स्व० श्री जोखई सिंह की विधवा श्रीमती गुजराती देवी को पारिवारिक पेंशन आदेश सं० 281-83/स्था०-1/ दिनांक 1-2-95 द्वारा स्वीकृत की गई थी, परन्तु कोषाधिकारी वाराणसी ने कतिपय आपत्तियां उठाई हैं जिसके निराकरण हेतु उप निदेशक, वाराणसी को आवश्यक आदेश निर्गत क गये हैं।

9—श्री ऊदल—

[दि० 1-8-95 को अता० प्र० सं० 131 व 139 द्वारा उत्तरित]

प्रमुख सचिव गृह विभाग को प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया पत्र एवं उस पर कृत कार्यवाही

10—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रमुख सचिव, गृह विभाग को प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1236/95, दिनांक 4 जुलाई, 1995 एवं 1237/95, दिनांक 4 जुलाई, 1995 तथा 1229/95 दिनांक 6 जुलाई, 1995 प्राप्त हुए है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

सुश्री मायावती—

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 1236/95, दि० जुलाई, 1995 तथा 1229/95, दिनांक 6 जुलाई, 1995 भ्रष्टाचार निवारण संगठन तथा पत्रांक 1237/95, दिनांक 4 जुलाई, 1995 सी० बी० सी० आई० डी० को जांच करने हेतु भेज दिये गये हैं।

जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर में जनवरी, 1995 से जुलाई, 1995 तक दर्ज चोरी डकैती, हत्या व लूट के मामले

11—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर में चोरी, डकैती, हत्या व लूट के कितने मामले दिनांक 1-7-95 से अब तक दर्ज किये गये? कितने मामले ऐसे हैं जिसमें अभियुक्तों को पता नहीं चल सका है? क्या सरकार इन मामलों को शीघ्रता से निस्तारित कराने के आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर पर दिनांक 1-7-95 से 4-8-95 तक दर्ज प्रश्नगत अभियोगों के संबंध में वांछित विवरण निम्न प्रकार है:—

अभियोग	दर्ज अभियोगों की संख्या	ऐसे अभियोगों की संख्या जिन्में अभियुक्तों का पता नहीं चल सका है
चोरी	5	2
डकैती	–	–
हत्या	2	–
लूट	–	–

जिन दो मामलों में अभियुक्तों का पता नहीं चल सका है, उनकी विवेचना शीघ्र पूरी करने के कड़े निर्देश दे दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य का दिल्ली स्थित यू० पी० निवास में विधायकों/ पूर्व विधायकों के आरक्षण की अवधि की जानकारी

12—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य का दिल्ली स्थित यू० पी० भवन में विधायक/ पूर्व विधायक द्वारा एक समय में कितने दिनों तक कमरा आरक्षित कराया जा सकता है? क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ लोगों को यू० पी० भवन में यह सुविधा अनन्तकाल तक के लिये उपलब्ध है? क्या यह सही है कि कुछ लोगों को आवश्यकता पड़ने पर एक-एक कमरा एक दिन के लिये उपलब्ध नहीं हो पाता है? क्या इस व्यवस्था में सुधार के लिये कार्यवाही करेंगे? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

-सुश्री मायावती—

उ० प्र० निवास तथा उ० प्र० भवन, नई दिल्ली में ठहरने के लिये विधायक/ पूर्व विधायक को एक समय में एक कक्ष तीन दिनों तक आरक्षित करने के निर्देश है।

जी नहीं।

कक्षों की अनुपलब्धता की स्थिति में कभी-कभी प्रश्न में वर्णित स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नोयडा जनपद गाजियाबाद स्थित टी सीरीज ग्रुप की इकाइयों में कार्यरत मजदूरों को नियमित किये जाने की मांग

13—श्री समीर भाटी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा जनपद गाजियाबाद स्थित टी सीरीज ग्रुप की कितनी इकाइयां कार्य कर रही हैं? इनमें कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं? क्या ये सभी मजदूर नियमित हैं? यदि नहीं, तो ये मजदूर कब तक नियमित कर दिये जायेंगे? क्या सरकार इनको नियमित करने हेतु आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम लाल यादव—

वर्तमान में टी-सीरीज ग्रुप की नोएडा जिला गाजियाबाद में चौदह औद्योगिक इकाइयां कार्यशील हैं।

इनमें कुल 1826 श्रमिक सेवायोजित हैं। इन नियोजित श्रमिकों में 1729 श्रमिक नियमित हैं एवं 97 श्रमिक अस्थायी हैं। अस्थायी श्रमिकों का नियोजन काल 6 माह पूरा नहीं हुआ है। 6 माह का नियोजन काल पूरा होने पर प्रमाणित स्थायी आदेशों के अनुसार नियमित किये जायेंगे? श्रमिकों के नियमितीकरण के मामले प्रतिष्ठान में लागू प्रमाणित स्थायी आदेशों के प्राविधानों के अनुसार शासित होते हैं।

इस संबंध में पृथक से कोई आदेश शासन स्तर पर निर्गत करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गृह विभाग में लोक नाथ वर्मा को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति करने के पूर्व आदेश की जानकारी

14—श्री राम करन आर्य–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29–3–95 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा श्री लोक नाथ वर्मा, उप निरीक्षक को निरीक्षक पद पर प्रोन्नति देने का आदेश दिया था? क्या यह सही है कि श्री वर्मा उप निरीक्षक के पद पर रहकर जनपद इटावा के डकैत उमेश मिश्र सहित चार डाकुओं को मारा था? यदि हां, तो क्या शासन की नीति के अनुसार उन्हें उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर प्रोन्नति दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

जी हां।

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 3–2–94 चूंकि तात्कालिक प्रभाव से लागू है। अतः प्रश्नगत प्रकरण जो वर्ष 1993 का है, उक्त शासनादेश के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होता।

ग्राम गुरगवां, विकास खण्ड तिलहर, जिला शाहजहांपुर में पशुओं को जहर देकर मारने की शिकायत

15—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15–2–95 जो ग्राम गुरगवां ब्लाक तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में पशुओं को जहर देकर मारने के विषय में है, मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्होंने जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को इस प्रकरण की जांच जिलाधिकारी स्तर से कराकर समुचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अभी तक उपरोक्त प्रकरण पर जांच की? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रकरण की जांच अपने स्तर से करायेगी तथा इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जिला सोनभद्र के विकास खण्ड दुद्धी एवं म्योरपुर में गिट्टी और बोल्डर के खनन कार्य को रोकने के संबंध में कृत कार्यवाही

16—श्री विजय सिंह–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला–सोनभद्र के विकास खण्ड दुद्धी के ग्राम–कटौली, कटौधी पीपरडीह में तथा म्योरपुर विकास खण्ड के ग्राम–कुन्डाडीह, देवरी, ईस्वानी, जरहा में गिट्टी और बोल्डर के चल रहे अवैध खनन को रोकने हेतु क्या कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

ग्राम कटौली, कटौधी पीपरडीह, तथा कुण्डाडीह, देवरी, ईस्वामी, जरहा में दि० 10-2-95 के पूर्व गिट्टी और बोल्डर का कोई अवैध खनन कार्य होना नहीं पाया गया। दि० 1-2-95 को निरीक्षण में ग्राम पीपरडीह, मझौली, देवरी तथा जरहा में 4 व्यक्तियों को अवैध खनन कार्य करते हुये पाये जाने के फलस्वरूप 13,000 रुपये की जुर्माने की धनराशि में से रु० 9,500/- की धनराशि वसूल कर ली गई है। शेष धनराशि रु० 3,500/– की वसूली हेतु कार्यवाही चल रही है।

थानाध्यक्ष, खामपार, जिला देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता के संबंध में शिकायती-पत्र

17—श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थानाध्यक्ष, खामपार, जिला देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता के संबंध में पुलिस अधीक्षक, देवरिया को दिनांक 20–5–95 को भूतपूर्व एम० एल० ए० श्री हरिवंश सहाय ने एक शिकायती-पत्र दिया है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी?

सुश्री मायावती–

जी हां।

भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग के संबंध में आठ आरोप लगाये गये हैं। दिनांक 28–7–95 अपर पुलिस अधीक्षक, देवरिया को जांच करने के आदेश दिये गये हैं।

महानगर सचिवालय कालोनी, लखनऊ में स्थित आवास संख्या–सी–59 के आवंटन का मामला

18—श्री मुरलीधर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4 अप्रैल, 1995 को आवास संख्या सी–59 महानगर सचिवालय कालोनी किसको आवंटित किया गया था? तीन माह बीत जाने के बाद भी उक्त आवंटी को आवास का कब्जा क्यों नहीं दिलाया जा सका? क्या इसके लिये सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त आवंटी को कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा?

सुश्री मायावती–

आवास संख्या सी–59, महानगर सचिवालय, कालोनी–लखनऊ दिनांक 4 अप्रैल, 1995 को रिक्ति की प्रत्याशा में श्री मो० इस्लाम सिद्दीकी, अवर वर्ग सहायक, विधान सभा सचिवालय के पक्ष में आवंटित किया गया है।

प्रश्नगत आवास के पूर्व आवंटी श्री अरविन्द कुमार पाण्डे से नियमानुसार आवास रिक्त कराने हेतु बेदखली का वाद विहित प्राधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधिक प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रश्नगत आवास का कब्जा उसके वर्तमान आवंटी को दिलाना सम्भव है।

श्री सूर्यदेव पाण्डेय, पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर कार्य करने का वेतन न मिलने की शिकायत

19—श्री मुक्ति नाथ–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सूर्यदेव पाण्डेय, पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर पशु सेवा केन्द्र बसनिया, जनपद गाजीपुर में कब से कार्यरत हैं? इनका वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या यह सही है कि श्री पाण्डेय का वेतन भुगतान करने के लिये पूर्व मंत्री जी ने उप निदेशक पशुधन वाराणसी को भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया है? यदि हां, तो क्या बकाये वेतन का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विश्भर प्रसाद निषाद–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

गोण्डा जनपद के मत्स्य पालन बिहार सागर तालाब के आय-व्ययक के विवरण की जानकारी

20—श्री राम विशुन आजाद–

क्या मत्स्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के मत्स्य पालन बिहार सागर तालाब से पिछले तीन वर्षों का आय-व्ययक का विवरण क्या है? इस तालाब पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है? यदि घाटा है, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या तालाब के सौन्दर्यीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री विश्भर प्रसाद निषाद–

गोण्डा जनपद में मत्स्य पालन बिहार सागर तालाब पर पिछले तीन वर्षों के आय-व्ययक का विवरण निम्नवत् है:–

क्र०-सं०	वर्ष	आय (रु०)	व्यय (रु०)
1	1991-92	20,236.77	32,273.76
2	1992-93	17,932.55	30,169.85
3	1993-94	22,575.47	25,722.85

इस तालाब पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तीन है।

इस तालाब का विकास मुख्यतः मनोरंजन स्थल के उद्देश्य से किया गया है न कि लाभ-हानि के दृष्टिकोण से। अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं

माइन्स विभाग के खनन मुहर्रिर के पद पर तैनात कर्मचारी की पदोन्नति की मांग

21—श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपदों में माइन्स विभाग में तैनात मात्र एक कर्मचारी खनन मोहर्रिर के पद पर तैनात है? यदि हां, तो प्रोन्नति/स्थानान्तरण की क्या नीति है? क्या प्रश्नकर्ता ने दिनांक 23 नवम्बर, 1994 को शासन को एक पत्र भेजा था जिसमें यह शिकायत की थी कि

जनपद उन्नाव में इकतीस वर्षों से एक ही कर्मचारी एक ही पद पर कार्यरत है? उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। प्रदेश के 10 जनपदों में श्रेणी "ग" के अन्तर्गत मोहर्रिर के 55 पदों पर कर्मचारी तैनात हैं।

मोहर्रिर के पदों के लिये प्रस्तावित क्वैरी संवर्ग सेवा नियमावली अभी प्रख्यापित नहीं हुई है परन्तु प्रस्तावित सेवा नियमावली में मोहर्रिर की प्रोन्नति सुपरवाइजर/वरिष्ठ लिपिक के पद पर किये जाने का प्रस्ताव है। स्थानान्तरण के लिये शासन की सामान्य नीति ही प्रभावी है।

जी हां।

उक्त शिकायती पत्र पर निदेशालय के स्तर से जांच कराई गयी तथा यह पाया गया कि इस पत्र में उल्लिखित कतिपय सामान्य आरोपों के संबंध में पूर्व में जिलाधिकारी, उन्नाव के द्वारा जांचोपरान्त अपने आदेश दिनांक 16 फरवरी, 1994 के द्वारा दो वेतन वृद्धियां स्थायी रूप से रोके जाने, निलम्बन अवधि में निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य देयकों को न दिया जाना उदासीनता व लापरवाही के लिये निन्दा करने व सत्यनिष्ठा संदिग्ध प्रमाणित किये जाने का दण्ड दिया जा चुका है। शेष आरोपों की जांच पर पुष्टि नहीं हो सकी। इस कारण इस पत्र पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। उपरोक्तानुसार।

22—श्री अजय कुमार पोइया–

[5वें गुरू में अता० प्र० सं० 118 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला फैजाबाद के ग्राम अहैया निवासी रामवरन यादव की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला

23—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम अहैया के निवासी श्री राम वरन यादव द्वारा माह जून, 1995 को परगना अधिकारी को उसकी भूमि पर नाजायज कब्जे को रोंकने हेतु तीन प्रार्थना-पत्र दिये गये थे, जो थाना-बेवाना को प्राप्त हुए हैं? उन पर परगना अधिकारी द्वारा क्या आदेश किये गये थे? आदेशों के अनुपालन में स्थानीय पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

परगनाधिकारी को केवल दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।

थानाध्यक्ष-बेवाना, फैजाबाद को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

जांच से आरोप असत्य पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

लोअर सबार्डिनेट परीक्षा 1987 की परीक्षा के बारे में कतिपय जानकारी

24—डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञापन संख्या ए-5/ई०-4/87-88 के आधार पर लोअर सबार्डिनेट परीक्षा 1987 कब पूर्ण हुई तथा कब इसका अन्तिम परिणाम घोषित किया गया? घोषित परिणाम के अनुसार विभिन्न आरक्षण श्रेणियों में कितने पदों पर नियुक्तियां की गयीं तथा कितने

पद रिक्त रहे? रिक्त पदों पर रिशफलिंग द्वारा कितने अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया? अब कितनी रिक्तियां शेष हैं और क्यों?

सुश्री मायावती–

लोअर सबार्डिनेट परीक्षा, 1987 की सम्पूर्ण कार्यवाही 28 जून, 1993 को पूर्ण हुई और इसका अन्तिम परिणाम 22 जुलाई, 1993 को घोषित किया गया।

घोषित परिणाम के आधार पर अनुसूचित जाति के 175, अनुसूचित जनजाति के 19, समाज के विकलांग 18, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 29, भूतपूर्व सैनिक के 18 तथा पिछड़े वर्ग के 146 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु संस्तुत किया गया है। अनुसूचित जाति की एक रिक्ति आगामी चयन वर्ष के लिये अग्रेनीत किये जाने की संस्तुति की गयी है। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित 11 पदों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो पाने के कारण इन रिक्तियों को सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा गया। इस प्रकार आरक्षित 417 रिक्तियों के विरुद्ध कुल 405 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी संस्तुत किये गये, जिन्हें विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा नियुक्ति प्रदान की जा रही है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आरक्षित श्रेणी के कुल 327 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। रिक्त पदों पर रिशफलिंग द्वारा कुल 129 नये अभ्यर्थी, जिसमें आरक्षित श्रेणी के कुल 64 अभ्यर्थी हैं, को नियुक्ति हेतु संस्तुत किया गया है। उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही चल रही है अतः रिशफलिंग के फलस्वरूप संस्तुत आरक्षित श्रेणी के 64 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां शेष हैं, क्योंकि संबंधित विभागों द्वारा नियुक्ति के पूर्व की औपचारिकतायें पूर्ण की जा चुकी हैं।

जनपद उन्नाव में वर्ष 1994 से 1995 के मध्य बालू खनन का ठेका और दर के संबंध में जानकारी

25—श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में वर्ष 1994 और वर्ष 1995 के लिये खनन विभाग द्वारा ग्राम बन्दर से पीली बालू निकालने का ठेका किन व्यक्तियों को दिया गया है? क्या आवंटित व्यक्ति ही कार्य कर रहे हैं? एक घन मीटर बालू निकालने का निर्धारित मूल्य क्या है? क्या निर्धारित मूल्य के अनुसार ही ठेकेदारों द्वारा पैसा वसूला जा रहा है। यदि अधिक पैसा वसूला जा रहा है, तो क्यों? क्या सरकार जांचोपरान्त कार्यवाही करेगी?

सुश्री मायावती–

जनपद उन्नाव के ग्राम बन्दर में 118.5 एकड़ क्षेत्र में पीली बालू का खनन पट्टा श्री चन्द्रिका प्रसाद पुत्र श्री जानकी प्रसाद के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को स्वीकृत किया गया था। जिलाधिकारी के प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध श्री सुखलाल द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन पत्र दिनांक 18 जनवरी, 1995 पर राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 जनवरी, 1995 के अनुपालन में 17 मई, 1995 को उक्त क्षेत्र का खनन पट्टा श्री सुखलाल पुत्र श्री नरायन के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। श्री चन्द्रिका प्रसाद द्वारा दायर रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 जुलाई, 1995 के अनुपालन में जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद के पक्ष में पुनः आवंटित कर दिया गया है।

जी हां।

उ० प्र० उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 में प्रति घनमीटर बालू निकालने का मूल्य निर्धारित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है परन्तु नियमों के अन्तर्गत शासन को पट्टे के फलस्वरूप रु० 8 प्रति घन मीटर रायल्टी का भुगतान पट्टेदार द्वारा करना प्राविधानित है। चूंकि दर के बारे में नियमावली, 1963 में कोई प्राविधान नहीं है। अतः इस बारे में कोई सूचना देना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर में "समाज संगठन" नामक सामाजिक संस्था की जानकारी

26—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी में "समाज संगठन" नामक संस्था राज्य सरकार या वाराणसी पुलिस प्रशासन की कोई संस्था अथवा कार्यालय है? यदि हां, तो क्या उक्त संस्था के आंगनबाड़ी क्षेत्र में स्थित कार्यालय में नगर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की रात्रि में उपस्थिति से आम जनता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी?

सुश्री मायावती--

प्राप्त सूचनानुसार वाराणसी नगर में समाज संगठन नामक एक सामाजिक संस्था है।

उक्त संस्था के आंगनबाड़ी क्षेत्र में स्थित कार्यालय में पुलिस का कोई अधिकारी/कर्मचारी रात्रि में उपस्थित नहीं रहता। अतः पुलिस प्रशासन के किसी अधिकारी/कर्मचारी के उपस्थित रहने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद वाराणसी के भेलूपुर थाने के अन्दर पुताई मजदूर की बम फटने से हुयी मृत्यु के संबंध में क्षतिपूर्ति की मांग

27—श्री श्यामदेव राय चौधरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 3-5-95 को वाराणसी में भेलूपुर थाने के अन्दर रंगाई पुताई का कार्य करते हुये अन्दर रखे बम फटने से गरीब मजदूर मुन्नालाल की मृत्यु हो गयी? क्या मृतक की पत्नी सीता देवी तथा प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 3-5-95 के उपरान्त 2 लाख रुपया मुआवजा दिये जाने हेतु मुख्य मंत्री तथा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को लिखे गये पत्र सरकार को प्राप्त हुये हैं? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कई माह का समय बीत जाने के उपरान्त भी मृतक की पत्नी सीता देवी को मुआवजा न दिये जाने का क्या कारण है? क्या मुआवजा के 2 लाख रुपये का भुगतान हेतु सरकार अविलम्ब निर्देश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

जी हां।

जी हां।

मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

नोएडा जनपद गाजियाबाद में फैक्ट्रियों द्वारा अवैध निर्माण कराये गये के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

28—श्री समीर भाटी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 24-8-94 जो नोएडा जनपद गाजियाबाद में फैक्ट्रियों द्वारा अवैध निर्माण विषयक मुख्य मंत्री को दिया था, पर की गई समस्त कार्यवाही को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

जी हां।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के संबंध में ध्वस्तीकरण नियमावली बनायी जा रही है। उक्त नियमावली के बन जाने के उपरान्त अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के बारे में निर्धारित प्रक्रिया का अनुश्रवण करते हुए समुचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

29—श्री समीर भाटी—

[6ठें सोम में अता० प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजियाबाद के नोएडा स्थित टी० सीरीज फ्लेक्स, फिनिक्स ग्रुप की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत मजदूरों को नियमित किये जाने की मांग

30—श्री समीर भाटी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में नोएडा स्थित टी० सीरीज फ्लेक्स, फिनिक्स ग्रुप की कितनी इकाइयां कार्य कर रही हैं एवं इनमें कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं? क्या यह सभी मजदूर नियमित हैं? क्या सरकार इन्हें नियमित कराने हेतु आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम लाल यादव—

वर्तमान में नोएडा, जनपद गाजियाबाद में फिनिक्श ग्रुप की दस इकाइयां कार्यशील हैं। इन इकाइयों में 711 श्रमिक सेवायोजित हैं।

इनमें से 433 श्रमिक नियमित/स्थायी हैं। 162 श्रमिक परिवीक्षाकाल में हैं तथा 116 श्रमिक अस्थायी हैं।

श्रमिकों के नियमितीकरण/स्थायीकरण से संबंधित कार्यवाही प्रमाणित स्थायी आदेशों/आदर्श स्थायी आदेशों के प्राविधानों के अनुसार होती है। अतः सरकार द्वारा पृथक से श्रमिकों के नियमितीकरण हेतु आदेश जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

थाना चन्दौसी, जिला मुरादाबाद में तैनात उप निरीक्षक पुलिस श्री श्रीनिवास पाठक की नियम विरुद्ध तैनाती की शिकायत

31—श्री लालमणि प्रसाद–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० पुलिस उप निरीक्षक को अपने गृह जनपद की सीमा से लगे थाने में तैनात नहीं किया जा सकता है। यदि हां, तो उप निरीक्षक श्री श्रीनिवास पाठक, जो कि बदायूं के निवासी हैं तथा जनपद मुरादाबाद के चन्दोसी थाने में तैनात हैं, अपने गृह जनपद बदायूं की सीमा से लगे थाने चन्दौसी (मुरादाबाद) में कैसे तैनात हैं?

सुश्री मायावती–

जी हां।

उप निरीक्षक श्री श्रीनिवास पाठक जनपद मुरादाबाद के चन्दौसी थाने में तैनात नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस विभाग में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण के साथ आवास भी स्थानान्तरण किये जाने की मांग

32—श्री लालमणि प्रसाद–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० पुलिस विभाग में पुलिस कर्मचारी/अधिकारी अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के बाद भी पूर्व मुख्यालय पर आवंटित आवास पर वर्षों तक रहते हैं जिससे उप मुख्यालय पर तैनात पुलिस कर्मचारी/अधिकारी आवास सुविधा से वंचित रहते हैं। यदि हां, तो क्यों? क्या ऐसे आवास स्थानान्तरित कर्मचारियों/अधिकारियों से खाली कराकर मुख्यालय पर वहां पर तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों को आवंटित करने की कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० पुलिस विभाग में कर्मचारियों/अधिकारियों के अन्यत्र स्थानान्तरित हो जाने के उपरान्त उन्हें पूर्व में मुख्यालय पर आवंटित आवास खली करा लये जाते है। खाली हुए आवासों को पूर्व से प्रतीक्षारत कर्मियों को नियमानुसार आवंटित कर दिये जाते हैं। यदि किन्हीं कारणवश कर्मचारियों द्वारा आवास खाली नहीं किया जता है तो उनके विरुद्ध समय-समय पर निर्गत शासनादेश दि० 3-11-89 एवं 2-1-92 तथा पुलिस महानिदेशक के पत्र दि० 9-6-92 में निहित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

गृह अभिसूचना विभाग के उप निरीक्षक के पद पर आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

33–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि अभिसूचना विभाग में उप निरीक्षक के पद पर अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या नियमानुसार मुख्य आरक्षियों

(हेड कान्सटेबिल) में से प्रोन्नति द्वारा आरक्षण पूरा किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

अभिसूचना विभाग में उपनिरीक्षक पद पर अनुसूचित जाति का अलग से कोई कोटा निर्धारित नहीं है? इच्छुक उपनिरीक्षकों एवं आवश्यकतानुसार पी० टी० सी० से प्रशिक्षणोपरान्त उपनिरीक्षक को अभिसूचना विभाग हेतु आवंटित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1990 में आरक्षण विरोधी आन्दोलन में मारे गये लोगों को मुआवजा दिये जाने की मांग

34—श्री करन सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-9-90 को चन्दौसी जिला मुरादाबाद में आरक्षण काण्ड में पुलिस की चलाई गोली से कु० संध्यारानी, उमाकान्त गुप्त एवं चन्द्रराज (चन्दा) मारे गये थे? उनको सरकार ने कितनी मुआवजा राशि दी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत घटना में कोई मुआवजा राशि नहीं दी गयी है।

आरक्षण आन्दोलन में मुआवजा दिये जाने के संबंध में कोई शासकीय नीति निर्धारित नहीं है।

रामकोला (देवरिया) काण्ड के अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायिक जांच कराने की मांग

35—श्री अम्बिका सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निवर्तमान सरकार द्वारा रामकोला काण्ड के अभियुक्तों पर लगे सभी मुकदमे वापस ले लिये गये? यदि हां, तो क्यों? क्या पूर्व सरकार ने न्यायिक जांच को भी वापस लेकर सी० आई० डी० जांच के आदेश दिये हैं? यदि हां, तो न्यायिक जांच को वापस लेने के कारण क्या हैं? क्या वर्तमान सरकार सी० आई० डी० जांच वापस लेकर न्यायिक जांच पूरा करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हां।

वाद के तथ्य/साक्ष्य/पत्रादि में पर्याप्त औचित्य के कारण मुकदमे वापस लिये गये।

जी हां।

दिनांक 29-10-92 को गठित न्यायिक जांच आयोग द्वारा दिनांक 28-2-95 तक जांच आख्या का प्रस्तुत न किया जाना।

जी नहीं।

क्योंकि सी० आई० डी० द्वारा जांच की अंतिम आख्या उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्नकर्ता की सुरक्षा के संबंध में हुयी गड़बड़ी की शिकायत एवं पुलिस अधीक्षक रामपुर के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

36—श्री स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेसानुसार प्रश्नकर्ता की सुरक्षा में लगे अंगरक्षकों में से कितने अंगरक्षकों को हटाने हेतु दिनांक 13-6-95 को सूबेदार साहब प्रश्नकर्ता के निवास स्थान पर कितने बजे पहुंचे थे? क्या श्री जय प्रकाश 6 ए० पी० व श्री इस्माईल 31 ए० पी० ने अपनी आमद जी० डी० नम्बर—40/12-30 पर सूबेदार साहब के साथ आकर पुलिस लाइन में करायी थी? क्या का० श्री इस्माइल की ड्यूटी जिला उपाध्यक्ष, कांग्रेस (आई०) रामपुर के साथ दिनांक 13-6-95 को लगायी गयी? यदि हां, तो श्री इस्माईल को किस आधार पर निलम्बित किया गया? क्या मंत्री जी द्वेष भावना से निलम्बित करने वाले एस० पी० रामपुर के विरुद्ध कार्यवाही व श्री इस्माईल को दिनांक 13-6-95 से ही बहाल करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

दो हेड कान्सटेबिल तथा दो कान्स० अंगरक्षक/गनर को लगभग 9.30 बजे प्रातः पुलिस लाइन वापस लाने हेतु पहुंचे।

जी हां।

जी नहीं। उनकी ड्यूटी श्री मुतीउर रहमान, अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी की सुरक्षा में लगायी गयी थी।

श्री इस्माईल व अन्य को पुलिस लाइन, रामपुर आगमन कराने हेतु निर्देशित किया गया जिसकी सूचना दिनांक 9-6-95 को थाने के माध्यम से प्रेषित की गयी। आदेशों का पालन न किये जाने में लिप्त होने पर निलम्बित किया गया।

एस० पी०, रामपुर ने श्री इस्माईल को आदेशों का पालन न करने में लिप्त होने के कारण निलम्बित किया था। द्वेष भावना से नहीं। श्री इस्माईल के विरुद्ध प्रचलित जांच पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले दिनांक 17-7-95 को बहाल कर दिया गया है। जांच पूर्ण होने पर जांच के आधार पर ही दिनांक 13-6-95 से सेवा में बहाल मानकर निलम्बन अवधि निस्तारित करने अथवा न करने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामपाल सिंह यादव प्रभारी पुलिस चौकी हरिग्टनगंज थाना इनायत नगर जनपद फैजाबाद के विरुद्ध शिकायत

37—श्री लल्लू सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम पाल सिंह यादव, प्रभारी, पुलिस चौकी हरिग्टनगंज, थाना इनायत नगर, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध दिनांक 17-5-1995 ई० को भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज व पूर्व विधायक डा० बृजभूषण मणि त्रिपाठी के ऊपर अपनी सर्विस रिवाल्वर से जान से मार डालने की नियत से फायर करने के संबंध में जांच एस० पी० सिटी फैजाबाद द्वारा की जा रही है तथा उक्त दरोगा को बैक इन्ट्री भी मिली है? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उसे

थानाध्यक्ष जहागीरगंज फैजाबाद बनाया गया? क्या उसे थानाध्यक्ष पद से हटाकर दण्डित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

मामले की जांच पूर्व में संदर्भित अधिकारी द्वारा की जा रही थी परन्तु अब सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है।

जी नहीं।

गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेकर संबंधित कर्मी को थानाध्यक्ष बनाया गया है।

जांच में प्रतिकूल तथ्य प्रमाणित होने के उपरान्त यथोचित कार्यवाही संभव होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

सूचना विभाग में श्रेणीवार उक्त पदों पर आरक्षण कोटा पूरा होने की जानकारी

38—श्री उदय प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग में विभिन्न श्रेणी के कुल कितने पद हैं और उनके श्रेणीवार कितने पद रिक्त हैं? क्या सूचना विभाग में श्रेणीवार आरक्षण कोटा पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

दिनांक 30-6-1995 की स्थिति के अनुसार पदों का विवरण निम्नवत् है :–

श्रेणीवार स्वीकृत पदों की संख्या		श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या
1		2
"क"	19	10
"ख"	129	28
"ग"	813	129
"घ"	515	43
योग	1476	210

जी नहीं।

श्रेणी "क"— प्रोन्नति हेतु अर्ह अधिकारी उपलब्ध नहीं है।

श्रेणी "ख"— हेतु सीधे भर्ती द्वारा लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया हैं, परन्तु केवल दो अभ्यर्थी उपलब्ध हो पाये हैं जिनमें से एक की नियुक्ति कर दी गई।

पदोन्नति श्रेणी के लिये अर्ह/उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं।

श्रेणी "ग"— में कुछ पदों पर नियमावली प्रख्यापित न होने के कारण कुछ पदों हेतु अधीनस्थ लोक सेवा आयोग से अर्ह कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण आरक्षण कोटा पूरा नहीं है।

श्रेणी "घ"— में अनुसूचित जनजाति का कोटा पूर्ण करने हेतु कार्यवाही प्रचलित है। श्रेणी "घ" में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है।

सूचना विभाग में निःसंवर्गीय एकल पद एवं आरक्षण के विवरण की मांग

39—श्री उदय प्रकाश—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग में कितने निःसंवर्गीय एकल पद सृजित हैं और न इन पदों के सृजन का क्या औचित्य है? क्या इन पदों का सामूहीकरण करके इनमें आरक्षण का लाभ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सूचना विभाग में मुख्य प्रतिवेदक के पद पर अकुशलएवं अयोग्य व्यक्ति के नियुक्ति की शिकायत

40—श्री उदय प्रकाश—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग में चीफ रिपोर्टर का पद कब सृजित हुआ है? क्या उक्त सृजित पद पर नियुक्ति की गयी? क्या इस पद पर ऐसे रिपोर्टर की नियुक्ति करने के संबंध में कार्यवाही भूतपूर्व सूचना निदेशक द्वारा की गयी है, जिसने आज तक रिपोर्टर के पद का कार्य नहीं किया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

सुश्री मायावती—

विभाग में मुख्य रिपोर्टर पद शासनादेश दि० 31-3-1995 के द्वारा सृजित किया गया।

जी हां।

जी नहीं।

चयनित अभ्यर्थी ने दिनांक 18-10-1989 से 28-7-1995 तक रिपोर्टर के पद पर कार्य किया है जिसमें दिनांक 19-1-1990 से वह विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार मा० मुख्य मंत्री जी के भाषण रिकार्डिग आदि की विभागाध्यक्ष स्तर पर समीक्षा हेतु विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध रहे।

जनपद फैजाबाद के सी० ओ० एवं चौकी प्रभारी श्री रामपाल यादव के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फैजाबाद द्वारा दिये गये आदेश का पालन न किये जाने की शिकायत

41—श्री लल्लू सिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बृजभूषण मणि त्रिपाठी, पूर्व विधायक मिल्कीपुर, फैजाबाद के प्रार्थना-पत्र पर मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फैजाबाद ने दिनांक 19-5-95 के क्षेत्राधिकारी तथा पुलिस चौकी प्रभारी रामपाल यादव के विरुद्ध मुकदमा धारा 307 में पंजीकृत करके विवेचना करने का आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को दिया था? यदि हां, तो दिनांक 19-5-1995 से दिनांक

27-5-95 तक मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं किया गया? क्या दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा पंजीयन न करने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हां।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फैजाबाद ने दिनांक 19-5-95 को क्षेत्राधिकारी तथा पुलिस चौकी प्रभारी रामपाल यादव के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया था। इस आदेश पर दिनांक 21-5-95 को अभियोग पंजीकृत करने हेतु थानाध्यक्ष इनायतनगर को आदेश दिया गया जो थाना इनायतनगर में दिनांक 21-5-95 को प्राप्त हो गया था।

मो० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फैजाबाद के विरुद्ध उ० नि० रामपाल यादव ने न्यायालय सेशन जज फैजाबाद के यहां रिवीजन दायर किया है। मा० न्यायालय सेशन जज फैजाबाद द्वारा दि० 27-5-95 को अग्रिम आदेश तक के लिए स्टे प्रदान किया गया है। चूंकि मामला मा० न्यायालय सेशन जज फैजाबाद के न्यायालय में लम्बित है जिसके परिणामस्वरूप कोई टिप्पणी करना न्याय संगत नहीं है। इस मुकदमें की सुनवाई लगातार हो रही है।

42—श्री समीर भाटी–

[6ठें सोम में अता० प्र० सं० 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नोएडा जनपद गाजियाबाद स्थित फ्लेक्स ग्रुप की इकाइयों में कार्यरत मजदूरों को नियमित किये जाने की मांग

43—श्री समीर भाटी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा जनपद गाजियाबाद स्थित फ्लेक्स ग्रुप की कितनी इकाइयां कार्य कर रही हैं एवं इनमें कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं? क्या ये सभी मजदूर नियमित हैं? क्या सरकार इन्हें नियमित करने हेतु आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम लाल यादव–

वर्तमान में नोएडा जनपद गाजियाबाद में फ्लेक्स ग्रुप की आठ इकाइयां कार्यशील हैं। इन इकाइयों में 2472 श्रमिक सेवायोजित हैं।

इनमें से 2040 श्रमिक नियमित/स्थायी हैं और 432 श्रमिक परिवीक्षाकाल में कार्यरत हैं।

श्रमिकों के नियमितीकरण/स्थायीकरण से संबंधित कार्यवाही प्रमाणित/आदर्श स्थायी आदेशों के प्राविधानों के अनुसार होती है। अतः सरकार स्तर पर पृथक से श्रमिकों के नियमितीकरण हेतु आदेश जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गुलाब राय द्वारा गलत पते पर बन्दूक का लाइसेन्स प्राप्त करने के संबंध में शिकायती-पत्र

44—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना मऊ अन्तर्गत गांव खण्डेहवा के गुलाब राय द्वारा अपना मूल निवास स्थान उपरोक्त छिपाकर मध्य प्रदेश के शहर इन्दौर से सकूनत दिखाकर राइफल का लाइसेन्स नं० 12/सदर बाजार/89, दिनांक 31-10-89 राइफल नं० 86 ए० बी० 2122 तथा आपराधिक गतिविधियों में लीन होने संबंधी शिकायती-पत्र ब० स० पार्टी के तहसील मऊ के अध्यक्ष ने दिनांक 24-8-90 को मुख्य मंत्री को संबोधित एवं पुलिस महानिरीक्षक, उ० प्र० लखनऊ जिला अधिकारी, बांदा, क्षेत्राधिकारी मऊ आदि को दिया है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस प्रकरण की जांच एस० आई०, मऊ द्वारा दिनांक 4-11-95 को उच्च अधिकारियों को कार्यवाही के लिये भेज दिया है? यदि हां, तो उक्त जांच कार्यवाही का क्या परिणाम रहा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

जी नहीं।

प्राप्त सूचनानुसार अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच दिनांक 4-11-94 को तत्कालीन उप निरीक्षक मऊ द्वारा जांच की गई एवं श्री गुलाब राय का कोई अपराधिक इतिहास न पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा ताज प्रेस क्लब को स्वीकृत दस लाख रुपये की अदायगी एवं धनराशि बढ़ाये जाने की मांग

45—श्री रामबाबू हरित—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा ताज प्रेस क्लब को मंजूर किये गये 10 लाख रु० रिलीज कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस धनराशि को बढ़ाने पर कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

सुश्री मायावती—

जी नहीं।

पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा की गई अपूर्ण घोषणाओं को निरस्त कर दिया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग में समूह 'घ' से समूह 'ग' में पदोन्नति में अनियमितता की शिकायत

46—श्री मुक्तिनाथ—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि माह फरवरी, 1995 में राज्य सम्पत्ति विभाग में समूह "घ" से समूह "ग" में आठ कर्मचारियों को प्रोन्नत किया गया? क्या प्रोन्नत कर्मचारियों में एक ऐसा कर्मचारी है जिसकी दिनांक 1-7-94 को पांच वर्ष की नियमित सेवायें पूर्ण नहीं थी और अनेक माननीय सदस्यों की शिकायतों के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है? क्या सरकार नियमों का उल्लंघन करके की गयी प्रोन्नतियां रद्द करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी हां।

शासन की जानकारी के अनुसार किसी भी मा० सदस्य का शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

भोलहू पुत्र श्रीराम, ग्राम बलहा, थाना कोतवाली, उतरौला, जनपद गोण्डा के विरुद्ध शिकायत दर्ज न करने की शिकायत

47—श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भोलहू पुत्र श्रीराम, ग्राम बलहा, थाना-कोतवाली उतरौला, जनपद गोण्डा के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक 6-6-95 रिपोर्ट न दर्ज करने के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट दर्ज करके जांच की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

संदर्भगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अपितु श्री भोलहू के दो पत्र दिनांक 10-12-93 व 4-4-94 पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को प्राप्त हुये थे, जिनमें वाहिद खां उर्फ चिद्दू खां, ग्राम प्रधान-बलहा द्वारा प्रार्थी के यहां लूट-पाट, पुलिस द्वारा प्रार्थी के घर ताला लगाया जाना आदि के आरोप थे। क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई जांच से उक्त पत्रोल्लिखित सभी आरोप असत्य पाये गये।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा देय धनराशि के कालावधि होने की शिकायत

48—श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव तथा श्री धनराज यादव–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितनी देय धनराशि क्रेडिट ऐक्ट के अनुसार कालवाधित हो चुकी है? जनपद वार तथा उद्योग वार इनका विवरण क्या है?

श्री राम लखन वर्मा–

केन्द्रीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की जो धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है, वह बोर्ड द्वारा आयोग को उनके नियमों के अनुसार व्याज सहित वापस करनी होती है। यह धनराशि कालबाधित नहीं होती।

उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित कतिपय पूंजी उपादान से वंचित इकाइयों को पूंजी उपादान उपलब्ध कराने की मांग

49—श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव तथा श्री धनराज यादव–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित कितनी इकाइयों को पूंजी उपादान (कैपिटल सब्सीडी) उपलब्ध कराई गयी है? जिन इकाइयों को कैपिटल सब्साडी नहीं उपलब्ध करायी गयी है उन्हें कब तक कैपिटल सब्सीडी उपलब्ध करायी जायेगी?

श्री राम लखन वर्मा–

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के आय व्ययक से पूंजी उपादान (कैपिटल सब्सीडी) की कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

सूचना निदेशालय में संवीक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति का मामला

50—श्री चरन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना निदेशालय में संवीक्षक के रिक्त पदों में से किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति किया गया है? यदि हां, तो उसमें नियमों का पालन हुआ है?

सुश्री मायावती–

जी हां।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आने के लिये कोई नियम नहीं बनाये गये हैं। लखनऊ नगर महापालिका के पत्र दि० 3-12-1990 में दिये गये दृष्टान्तों के आधार पर जनहित में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया।

जनपद हरदोई के थाना संडीला के ग्राम गंगा खेड़ा मजरे जामू निवासी जसा पुत्र छोटी का अवैध कब्जा संबंधी शिकायती-पत्र तथा उसे मारे-पीटे जाने की शिकायत

51—श्री सफदर रजा खां–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के थाना सण्डीला अन्तर्गत ग्राम गंगा खेड़ा मजरे जामू निवासी जसा पुत्र छोटी का कोई शिकायती-पत्र गाटा संख्या 242/2-515, 405 पर कतिपय प्रभावशाली दबंग व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लिये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक हरदोई को दिनांक 18 जुलाई, 1995 को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र के अनुसार क्या संबंधित व्यक्ति को कब्जा दिला दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हां।

मामला राजस्व विभाग से संबंधित होने के कारण श्री जसा को स्थानीय पुलिस द्वारा कब्जा नहीं दिलाया जा सका है। विपक्षी श्री रज्जा एवं जसा के मध्य विवाद की जांच राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 द० प्र० सं० की निरोधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

52—क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जसा पुत्र छोटी निवासी गंगा खेड़ा मजरे जामू, थाना सण्डीला, जनपद हरदोई को उक्त कब्जा धारियों द्वारा दिनांक 30-3-94 को मारा पीटा गया था और घायल हो गया था, जिसकी रिपोर्ट धारा 323/325/504/506 आई० पी० सी० दर्ज हो चुकी है तथा

मामला न्यायालय के विचाराधीन है? यदि हां, तो बार-बार प्रार्थना-पत्र देने के उपरान्त भी थाना संडीला, जनपद हरदोई द्वारा कब्जा न दिलाये जाने के क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि पुलिस की उदासीनता से कोई बड़ी घटना घटित हो सकती हैं? यदि हां, तो सरकार तत्काल क्या कार्यवाही कर रही है?

सुश्री मायावती–

जी हां।

विवाद भूमि संबंधी होने के कारण निर्णायक कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है। जी नहीं। शान्ति व्यवस्था हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध 107/116 दं० प्र० सं० की कार्यवाही की जा चुकी है तथा मामले पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री के सचिव शाखा से सेवा निवृत्त श्री राम अवतार शर्मा का अपनी सुपुत्री के उपचार हेतु हुये व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग

53–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री सचिव शाखा से सेवा निवृत्त श्री राम अवतार शर्मा का अपनी पुत्र के उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करने हेतु मई, 1994 को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक प्रतिपूर्ति का भुगतान क्यों नहीं किया गया? प्रतिपूर्ति का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

सुश्री मायावती–

जी हां।

मामले में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया है। परामर्श प्राप्त हो जाने पर तद्नुसार शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र में स्थायी प्रकृति के कार्यों को ठेका श्रमिकों से कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षरित-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

54–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता एवं श्री वासुदेव सिंह, कुं० मानवेन्द्र सिंह, विधायकों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 1-10-94 जो कि प्रमुख सचिव (श्रम) को सम्बोधित था, जिसमें अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में स्थाई प्रकृति के कार्यों को ठेका श्रमिकों से कराये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी ने राज्य विद्युत परिषद् में कान्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) ऐक्ट, 1970 का सख्ती से पालन हेतु कोई आदेश दिया है? यदि हां, तो वह आदेश क्या है?

श्री श्याम लाल यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एक अप्रैल, 1994 से 31 मई, 1995 के मध्य में जनपद लखनऊ के चार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रों में हत्या, डकैती एवं बलात्कार आदि की आपराधिक घटनाओं का विवरण

55—श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक जनपद लखनऊ के 4 विधान सभा क्षेत्र, महोना, सरोजनी नगर, मलिहाबाद तथा मोहनलालगंज क्षेत्र में कुल कितनी हत्यायें, बलात्कार, डकैती, राहजनी, चोरी, हत्या की कोशिश, छेड़खानी की घटनायें हुई हैं? क्या सरकार ने बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण हेतु कोई उपाय किये हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

दिनांक 1-4-94 से 31-3-95 तक घटनाओं की संख्या निम्नवत् है :–

1—	हत्या	110
2—	बलात्कार	46
3—	डकैती	15
4—	राहजनी	68
5—	चोरी	1727
6—	हत्या की कोशिश	143
7—	छेड़खानी	28

जी हां।

अपराधों की रोकथाम के लिये समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को मासिक अपराध गोष्ठी में अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिये निरोधात्मक कार्यवाही एवं गस्त करके अपराधियों पर नजर रखने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम सरन, पुत्र गुरू, निवासी ग्राम दखिनगांव, हाटीमऊ, सुल्तानपुर का पशु बीमा संबंधी जिला अधिकारी सुल्तानपुर को भेजा गया प्रश्नकर्त्ता का पत्र

56—श्री तेजभान सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-4-95, जो श्री राम सरन पुत्र गुरू, निवासी ग्राम दखिनगांव, हाटीमऊ, सुल्तानपुर को

बीमा संबंधी पशुदावा दिलाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद्–

जी हां।

श्री राम सरन की एक मृतक बकरी का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सा अधिकारी, जगदीशपुर द्वारा दिनांक 9-12-93 को किया गया। श्री राम सरन द्वारा क्लेम फार्म के साथ कर्ण छल्ला जमा न करने के कारण बीमा कम्पनी ने भुगतान निरस्त कर दिया था किन्तु इस मामले को रिओपेन कराकर चेक संख्या—663356, दिनांक 31-7-95 द्वारा दावेदार को भुगतान करा दिया गया है।

[समय 12 बजकर 20 मिनट।

उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

एक निधन का निदेश है।

*मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मुझे सदन को अत्यन्त खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ का कल रात देहान्त हो गया है। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका जन्म 5 अप्रैल, 1926 में बीकानेर के मशहूर शायर मोहम्मद अब्दुला बेदिल के घर हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनने से पूर्व केन्द्र में मंत्री रहे। यह राज्य सभा के भी सदस्य रहे। यह साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रर्वतक और एक अच्छे लेखक भी थे। उनके निधन से हमने महान देशप्रेमी, कुशल प्रशासक खो दिया है। मैं दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करती हूं मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मा० मुलायम सिंह यादव जी नहीं है। नेता भारतीय जनता पार्टी बोलें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, 1985 से 1990 तक राज्यपाल पद की शोभा को बढ़ाने वाले श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ़ जी का कल रात्रि आकस्मिक निधन हो गया। इस संबंध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन ने व्यक्त किए हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री उस्मान आरिफ जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, रहे, मूलरूप से राजस्थान के निवासी थे। मुझे कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला। उनकी सादगी, सहृदयता को देखकर सहज ही कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाता। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह 15 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इसी के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ-साथ एक प्रख्यात विधिवेत्ता, एक जागरूक सांसद, वयोवृद्ध राजनीतिज्ञएवं एक सफल सम्पादक थे। आज वह हमारे बीच नहीं रहे। केवल राजस्थान ही नहीं सम्पूर्ण देश आज उनके न रहने से दुखी है। वह राजस्थान में साहित्यिक गतिविधियों के केन्द्र थे। अनेक उर्दू पत्रों के वह सम्पादक थे। इसके साथ-साथ एक राजनीतिक दल अर्थात् कांग्रेस में भी वह काम करते थे। इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके दुखी परिवार तक मेरी और मेरे दल की हार्दिक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय भूतपूर्व राज्यपाल मोहम्मद उस्मान आरिफ साहब के लिए जो संवेदना के शब्द नेता सदन, माननीया मुख्य मंत्री जी ने व्यक्त किए हैं, उपनेता भारतीय जनता पार्टी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने आपको और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जाने से जो रिक्ति उत्पन्न होती है उसे भर पाना मुश्किल होता है। मो० आरिफ साहब उन्हीं महानुभावों में से एक थे। उत्तर प्रदेश से उनका व्यक्तिगत नाता था। राज्यपाल के रूप में इस पद को निर्वाहित करते हुए उन्होंने कभी यह नहीं महसूस किया कि राज्यपाल के रूप में वह जनता से दूर हैं। हम सबको उनके करीब रहने का मौका मिला है। मंत्रिमण्डल में दो बार मंत्रि-पद के रूप में दो बार उन्होंने मुझे शपथ दिलाई। इसके अलावा मैं यह कह सकता हूं कि शपथ लेने में या प्रदेश के किसी कोने में साहित्य की कोई महफिल जमती थी, सेक्यूलरिज्म की बात होती थी तो वह श्री आरिफ साहब के बिना अधूरी रहती थी। वह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारत सरकार के उपमंत्री रहे, कुशल प्रशासक थे। एक अखबार के सम्पादक भी थे। उनके चले जाने से कई क्षेत्रों में रिक्तता आई है। उसकी पूर्ति कर पाना मुश्किल है। श्री मोहम्मद आरिफ साहब के निधन से उनके परिवार के लोग, उनके साथ राजनीति में जुड़े लोग, साहित्य जगत में जुड़े हुए लोग, दलों की सीमाओं से परे उनके राजनीतिक मित्र उनके निधन से दुखी हैं। मैं अपनी ओर से अपने दल की ओर से संवेदना आप तक पहुंचाते हुए यह आग्रह करता हूं कि इसे उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

* श्री किरन पाल सिंह–

अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ साहब का कल रात्रि बीकानेर में निधन हो गया। मा० आरिफ साहब का जन्म सन् 1926 में बीकानेर में हुआ था। उन्होंने एल० एल० बी० शिक्षा प्राप्त करने के बाद वकालत शुरू कर दी थी। उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। वह तीन बार राज्य सभा के सदस्य रहे। केन्द्र में उपमंत्री और कैबिनेट मंत्री रहे। प्रदेश के राज्यपाल के रूप में मैंने भी उनका सानिध्य प्राप्त किया था। मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी। वह साधारण से साधारण व्यक्ति से मिलते वक्त भी अपने आपको ऊंचा-नीचा या बड़ा-छोटा नहीं मानते थे। रिस्पेक्ट इज कमान्डेन्ड नाम डिमान्डेड कोई भी कार्य चाहे सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र का उनकी सलाह के बिना नहीं होता था। उनकी सलाह महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। मान्यवर, ऐसा व्यक्ति जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो और जो आपसी भाई-चारे का, साम्प्रदायिक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सौहार्द का, देश की एकता में अटूट विश्वास रखने वाला हो, देश की खतिर मर-मिटने का जज्बा रखने वाला व्यक्ति जब बीच से उठता है तो स्वाभाविक रूप से सबको दुख और शोक होता है। माननीय नेता सदन, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो शोकोद्गार उनके निधन के संबंध में व्यक्त किये हैं, मैं अपने आपको और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी ओर मेरे दल की शोक संवेदनायें श्री मो० उस्मान आरिफ खां साहब के परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री ऊदल–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ साहब का निधन एक दिन पहले कल 21 अगस्त, 1995 की रात साढ़े 10 बजे बीकानेर में हो गया, उनकी आयु लगभग 73 वर्ष की थी। उनका जन्म 1926 में बीकानेर के मशहूर शायर मोहम्मद अब्दुल्ला बेदिल के घर हुआ था। उनकी शिक्षा भी एम० ए०, एल० एल० बी० तक थी, वह वकालत भी करते थे। उन्होंने बीकानेर के डूंगर कालेज और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। श्री आरिफ जी सन् 1970 में राज्य सभा के सदस्य रहे और 1985 तक इसी सदन के सदस्य रहे। वह राजस्थान प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और 1977 तक संसद में कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। दिनांक 31 मार्च, 1985 को वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुये और 12 फरवरी, 1990 तक इस पद पर रहे।

श्री मो० उस्मान आरिफ साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, शिक्षा-दीक्षा से जहां वह एडवोकेट थे, वहीं राजनीति में सक्रिय होने के नाते एक प्रतिष्ठित राजनेता थे, वहीं अपनी तबियत से वे एक साहित्यकार थे। मन, कर्म और ज्ञान की ऐसी त्रिवेणी गिने-चुने लोगों में दिखाई देती है। साम्प्रदायिक सौहार्द्र धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर सम्मेलन और मुशायरों का भी वे आयोजन किया करते थे । राष्ट्रहित में किये जाने वाले ऐसे आयोजनों के कारण उन्हें बड़ ख्याति मिलती थी। साहित्यकार होने के नाते उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है और एक कवि-लेखक के रूप में अपने प्रकाशनों "अगीदंत के फूल", "कलाग की करनत", "नजरे वतन", "नूरे शहर", "फिक्र जो अहसास", "जिक्रे महबूब", "दामने बागवान" के लिये वे सदैव याद किये जायेंगे। श्री आरिफ ने न्यूयार्क, सऊदी अरब, बगदाद, मास्को इत्यादि का भ्रमण भी किया था। उनका नाम राजनेता के रूप में और लेखों से सक्रिय रूप से जुड़े रहने के रूप में जाना जा सकता है। उनके निधन से सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों को दुख हुआ है। उनके जैसे आदमी की पूर्ति अब नहीं हो सकती। उनके निधन के संबंध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन ने व्यक्त किये हैं और माननीय नेताओं ने जो शोकोद्गार प्रकट किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके दुखी शोक-संतप्त परिवार तक मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राम स्वरूप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ का देहावसान कल हो गया इससे मुझे बड़ा दुख है। उनके निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेता जनता दल, नेता भारतीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मा० मोहम्मद उस्मान आरिफ जी के निधन से उनके परिवार, मित्रगण, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी मृत्यु से दुख हुआ है, उनके परिवार तक मेरे और मेरे दल की ओर से शोक संवेदना भिजवाने की कृपा करें।

*श्री इरशाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस शख्शियत के बारे में यहां पर अफसोत और गम का इजहार किया जा रहा है वहां उत्तर प्रदेश के साबिक गवर्नर मोहम्मद उस्मान आरिफ हैं, उनके इन्तकाल और उनकी कमनती के मौके पर जो मुक्तलिफ नेताओं ने, माननीय नेता सदन, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता कांग्रेस, नेता जनता दल और अन्य नेताओं ने जो अपने विचार रखे हैं और जिस गम का इजहार किया है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मा० मोहम्मद उस्मान आरिफ नक्शबंदी, साबिक गवर्नर उत्तर प्रदेश के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग हजारों सालों में पैदा होते हैं जिनमें इतनी खूबियां हों।

हजारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
चमन में होता है तब कहीं एक दीदावर पैदा।

मा० मोहम्मद उस्मान आरिफ नक्सबंदी की एक ऐसी शख्शियत रखते थे जिसकी मिसाल दूसरी मिलनी मुश्किल है। वह एक अच्छे प्रशासक थे, एक अच्छे लेखक थे, एक बड़े पत्रकार थे। दुनिया की सारी खूबियां उनके अन्दर मौजूद थी। लेकिन इनसे भी बड़ी एक खूबी उनमें यह थी कि वह एक अच्छे इंसान थे। अपने छात्र जीवन में कई बार ऐसे मौके आये जब मैं उनसे मिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की समस्याओं को लेकर जब मैं उनसें मिला, तो मुझे यह अहसास हुआ कि सबसे बड़ी खूबी उनके अन्दर यह है, कि वह अपने से छोटे से भी घुलमिल जाते थे और उसको अपनी बराबरी का दर्जा देते थे। मा० मोहम्मद उस्मान आरिफ नक्शबंदी में यह सब खूबियां होते हुये भी सबसे बड़ी खूबी थी कि वह एक अच्छे इंसान थे। एक अच्छा इंसान होना सारी खूबियों पर भारी होता है। मैं अपनी तरफ से और इस सदन की तरफ से उनके इंतकाल पर ताजियत का इजहार करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ जी के निधान के बारे में जो बातें माननीय नेता सदन, उपनेता भारतीय जनता पार्टी नेता कांग्रेस पार्टी, नेता जनता दल, नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) तथा अन्य माननीय सदस्य ने कहीं हैं उनसे मैं अपने की सम्बद्ध करता हूं। श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ जी के निधन से आज न केवल राजनीति का ही क्षेत्र बल्कि कई क्षेत्र सूने हुये हैं और कई क्षेत्रों की अपूर्णनीय क्षति हुयी है। उनके निधन से जहां कांग्रेस पार्टी ने अपना एक निष्ठावान, कर्मठ कार्यकर्ता खोया है वहीं साहित्य जगत ने अपना साहित्यिक, सृजनकर्ता खोया और इस प्रकार से जनता ने एक कुशल राजनैतिक, सामाजिक और धर्मनिर्पेक्ष तथा राष्ट्रीय एकता का एक पुरोधा खो दिया है। ऐसे अवसर पर जो सम्वेदनायें सदन में व्यक्त की गयी हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुये मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इस अपार दुख को सहन करने की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उनके परिवार को शक्ति दे और जो विभिन्न नेताओं ने और सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उसे उनके परिवार तक पहुंचा दी जायेगी।

अब मैं अनुरोध करूंगा, कि सभी माननीय सदस्य खड़े होकर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22 अगस्त, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 50 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 10 सूचनाओं को स्वीकार किया गया है।

श्री छोटे लाल उपस्थित नहीं हैं, सर्वश्री दल बहादुर कोरी, राम विशुन आजाद, श्रीमती प्रेमलता कटियार, श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा, सर्वश्री बची सिंह रावत, अमरनाथ यादव, ऊदल, गया चरन दिनकर और डा० राम बाबू हरित की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है और प्रतीक्षा सूची की एक सूचना श्री स्वयंवर चौधरी की भी पढ़ी हुई मानी गयी।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया)

राज्य सम्पत्ति विभाग में समूह 'ग' के पदों पर नियमित चयन के बाद शिक्षित श्रमिकों के पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा शून्य होने के संबंध में उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दल बहादुर कोरी–

[मैं सदन का ध्यान राज्य सम्पत्ति विभाग में समूह "ग" के पदों पर नियमित चयन के उपरान्त शिक्षित श्रमिकों के पदों पर अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या शून्य हो जाने की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति के लोगों की शिक्षित श्रमिक के पदों पर नियुक्ति शून्य हो जाने के कारण अनुसूचित जाति के लोगों में राज्य सम्पत्ति विभाग की कार्य प्रणाली के प्रति घोर रोष एवं असन्तोष व्याप्त हो गया है वर्तमान सरकार दलितों की सरकार मानी जा रही है फिर भी अभी तक राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतएव इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल शिक्षित श्रमिकों के पद पर अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूर्ति हेतु नियुक्ति की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत वजीरगंज, मसकनवा एवं बभनान बाजार को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद–

[महोदय, आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा की तरफ आकर्षित करते हुये कहना है कि विकास खण्ड वजीरगंज में वजीरगंज बाजार, विकास खण्ड छपिया में मसकनवा बाजार और बभनान बाजार जिसकी आबादी जनगणना 1993 के आधार पर इतनी अधिक जनसंख्या हो गई है

---

* [ ] यह अंश सदन को सहमति से पढ़ा हुआ।

* यह अंश सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।

कि टाउन एरिया बनाया जा सकता है, उक्त बाजार में सड़क, नाली एवं पेयजल का अभाव है जिससे जनता में बराबर शिकायत है और मांग रही है कि उक्त बाजारों के विकास के लिये तथा जनहित में टाउन एरिया, शासन शीघ्र से शीघ्र घोषित करे जिससे वहां के लोगों का विकास हो सके। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आप के माध्यम से मांग है कि सरकार को निर्देश करें कि वह वजीरगंज, मसकनवा और वभनान बाजारों को शीघ्र टाउन एरिया बनाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

कानपुर नगर में बनने वाले गंगा बैराज से प्रभावित किसानों को यथोचित मुआवजा एवं आवास हेतु अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती प्रेमलता कटियार–

[कानपुर नगर में बनने वाले गंगा बैराज के शुभारम्भ से जहां प्रदेश के सबसे बड़े नगर के पेयजल समस्या के समाधान की आशा बंधी है। वहीं इसमें शामिल भूखण्ड का क्षेत्रफल लगभग 22 किलोमीटर लम्बाई, 7 किलोमीटर चौड़ाई लिये जिसमें अमरूद, जामुन, बेर, आम व हीर मटर व हीरी सब्जियां तथा रबी, खरीफ, जायद की फसलों को किसान उगाता है, जो नष्ट हो जायेगा। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र से लगे 64 गांवों की लगभग 50 हजार आबादी भुखमरी के कगार पहुंच जावेगी इस भूखण्ड से लगे गंगा के किनारे 14 बाजारें लगती है जिसमें जागेश्वर अमरूद मण्डी से ही केवल 30–35 मेटाडोर अमरूद देश प्रदेश के कुछ भागों में भेजा जाता है जिससे लगभग सालाना 20 करोड़ रुपये आय होती है। जिस पर यह दलित और पिछड़े वर्ग के व्यक्ति आश्रित रहते हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि गंगा बैराज बने इससे किसी को एतराज नहीं है लेकिन उजड़ने वाले उस श्रेत्र के किसानों को यथोचित मुआवजा, उनके आवास के लिए अन्यत्र भूमि तथा प्रभावित क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार देने की सरकार अविलम्ब तत्परता से व्यवस्था करे।]

विधान सभा क्षेत्र राम नगर, जिला बाराबंकी के सिमली नदी के सरसवां घाट पर पक्का पुल बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

[महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम इब्राहिमपुर, भैरमपुर, सरसवां, मथुरा, करमुल्लापुर, बसन्तपुर, मोहड़वा, बिझली, नयापुरवा, गोवा, कुतलूपुर, हरक्का, बतनेरा, सरसंडा, हेतमापुर, उधिया, डिहुवा, अंकौना पर्वतपुर, बल्लीपुर, दसवन्तपुर मिठौली, जैतपुर आदि गांवों को तहसील मुख्यालय तक आने के लिये सिमली नदी के सरसवां घाट पर पुल न बनायें जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आपसे आग्रह करना है कि इन गांवों के गरीब मजदूर किसानों को आने-जाने तथा कृषि उत्पाद विशेषकर गन्ना को बुढ़वल मिल तक लाने हेतु किसानों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नदी के किनारे तक किसान बैलगाड़ी से गन्ना लगाता है फिर उसे उतारकर नांव पर लादता है, नाव तब पार उतरती है उसी समय खाली भैजा गाड़ी को किसान तैरा कर पार

[ ] वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कराता है नाव के पार लग जाने के बाद किसान अपनी उपज का सामान पुनः बैलगाड़ी पर लादकर मिल अथवा बाजार तक जाता है इस प्रक्रिया के तहत कभी-कभी दुर्घटना भी गठित हो जाती है। कभी-कभी बैलगाड़ी खींच रहे भैंसा बहाव में बह जाते हैं इसी प्रकार से नाव भी पलट जाया करती है, जिससे दुर्घटनायें हुआ करती है। बीमार एवं गर्भवती महिलाएं चिकित्सा सुविधा से वंचित रहती हैं। उक्त क्षेत्र में तहसील रामनगर की दूरी मात्र लगभग 10 कि० मी० है परन्तु यदि किसी को ट्रैक्टर अथवा वाहन से तहसील मुख्यालय जाना हो तो वह लगभग 40 कि० मी० का चक्कर काट कर गर्मी के दिनों में ही मात्र आ सकता है, बारिश के दिनों में बिल्कुल नहीं। अतः क्षेत्र की जनता के सर्वांगीण विकास हेतु लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखते हुए सरसवां के पुल को प्राथमिकता के आधार पर बनवाने की सदन से मांग करती हूं।]

जनपद अल्मोड़ा के राजकीय बालिका कालेज, रानीखेत में छात्राओं का प्रवेश न हो पाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बची सिंह रावत–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में लाने हेतु अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्न सूचना प्रस्तुत करता हूं:– कि जनपद–अल्मोड़ा के विकास खण्ड रानी खेत की ग्राम सभा खनियां में राजकीय बालिका इण्टर कालेज के नाम से एक बालिका इण्टर कालेज स्थित है यह बालिका इण्टर कालेज विकास खण्ड रानीखेत तथा रानीखेत नगर का एकमात्र बालिका इण्टर कालेज है। विकास खण्ड रानीखेत तथा रानीखेत नगर की जनसख्या 90 हजार है इतनी बड़ी जनसंख्या के पीछे मात्र एक बालिका इण्टर कालेज होने से अधिकांश छात्राओं को इस कालेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है शिक्षा के अभाव में इन छात्राओं का भविष्य अंन्धकारमय हो गया है जनता में तीव्र रोष भी व्याप्त है। छात्राओं को प्रवेश दिये जाने हेतु तात्कालिक रूप से अतिरिक्त कक्षों और स्टाफ की व्यवस्था करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, रानीखेत में छात्राओं को प्रवेश दिये जाने हेतु शासन को निर्देश देने की कृपा करें।]

वाराणसी महानगर में अलईपुर उत्तरी (नक्सीघाट) में वाराणसी पर नये पुल के निर्माण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरनाथ यादव–

[महोदय, उक्त विषय जनहित में है, लोक महत्व का भी है और अविलम्बनीय है। इसलिये इसे आपके माध्यम से मा० सदन के संज्ञान में लाकर कहना चाहता हूं कि यह पुल दो विशाल आबादी वाले क्षेत्रों (सारनाथ व अलईपुर) को जोड़ेगा। साथ ही पहाड़ियां मण्डी और शहर के घनी आबादी एवं बुनकर क्षेत्र से बराबर जीवन्त सम्पर्क बना रहेगा। पुल बन जाने से हजारों नागरिकों एवं सैकड़ों श्रमिक प्रतिदिन 10 कि० मी० की दूरी तय करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आते-जाते हैं और अपने दैनिक कारोबार को सम्पन्न करते हैं इस प्रकार उन्हें 20 कि० मी० की दूरी तय करना पड़ता है जिससे उनका

[ ] यह अंश सदन की सम्मति से पढ़ा हुआ माना गया।

धन, समय व श्रम बर्बाद होता है इस नये पुल बन जाने से गरीब और दलित लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो जायेगा। अतः उक्त अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय को जनहित में मा० सदन में प्रस्तुत कर मांग करता हूं कि शासन तत्काल उक्त श्रमिक एवं दलितों के क्षेत्र को धन, श्रम व समय बचाने के लिये एवं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिये नया पुल को बनाने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत करने का कष्ट करे। ।

जनपद पड़रौना के तमकुही राज तहसील पर प्रदर्शनकारियों पर लगाये गये मुकदमों को खारिज करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ऊदल–

। मान्यवर, दि० 26–7–95 को जिला पड़रौना के तमकुही राज तहसील पर खेत मजदूर एवं आवासीय एवं कृषि हेतु पट्टा पाये बे जमीन लोगों ने हजारों की तादात में प्रदर्शन किया। वहां प्रदर्शन के बाद कुछ लोगों को पकड़ कर थाने में बन्द किया गया। तमकुही के उप-जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों, अमीनों ने थाने के लाकप से निकालकर लोगों को बुरी तरह से मारा है और 151 में चालान किया है। इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाते हुए इसकी जांच की मांग करता हूं और 151 को खत्म करके रिहाई की मांग करते हुए सभी अधिकारियों को वहां से हटाकर किसी उच्चाधिकारी से जांच कराने की मांग करता हूं। ।

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति का विधि का आरक्षण कोटा पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गया चरन दिनकर–

। महोदय, ससम्मान अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता सहित खण्डीय एवं मण्डलीय कार्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु कुल 3839 पद आरक्षित हैं, किन्तु आज तक मात्र 1165 कर्मचारी एवं अधिकारी कार्यरत् हैं। शासन व सरकार द्वारा समय-समय पर सीधी भर्ती व प्रोन्नति द्वारा आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु आदेश पारित किये गये हैं। संज्ञान में लाना है कि 2633 आरक्षित पद अभी तक नहीं भरे गये हैं। लाखों की तादात में अनुसूचित जाति/ अनु० जनजाति के योग्य, प्रशिक्षित एवं दक्ष नवयुवक उपलब्ध होने के बाद भी आरक्षित पदों में 2207 गैर अनुसूचित जाति के कर्मचारी/ अधिकारी कार्य कर रहे हैं। वैयक्तिक सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक आशुलिपिक, भण्डारपाल, वाहन चालक आदि पदों में हालत अत्यधिक दयनीय है। किसी भी पदों में 23% का आरक्षण पूरा नहीं है । सिंचाई विभाग में खण्डीय वरिष्ठ लिपिकों के कुल 4185 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 963 आरक्षित पदों के विरुद्ध 222 आरक्षित वर्ग एवं 741 पदों पर गैर आरक्षित वर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं, कभी-कभी आरक्षण पूर्ण करने संबंधी सूचना शासन को विभाग द्वारा गलत आंकड़े भेजे जाते हैं। दिनांक 6–10–94 को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।

भ्रामक सूचना खण्डीय लिपिकों के मात्र 180, कार्यरत लिपिकों की संख्या 507, बताई गई थी। वर्ष 1989 में स्पष्ट शासनादेश जारी किया गया था कि आरक्षित पदों पर अन्य वर्ग न भरा जाय एवं वर्ष 1994 में आरक्षण पूरा न किये जाने की दशा में नियुक्ति अधिकारी को 3 माह की सजा संबंधी अध्यादेश जारी किया गया था, किन्तु संबंधित वर्ग के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। सरकार के प्रति निष्ठा एवं आदर अनुसूचित जाति के मौलिक एवं विधिक अधिकारों का हनन करके मात्र ढोंग है। यह अवश्य अपराध एवं अन्याय है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आरक्षित पदों पर गैर आरक्षित वर्ग के कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को हटा कर विभाग में अनु० जा०/अनु० जनजाति का 23% विधिक आरक्षण पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।।

आगरा महानगर में सीवर व्यवस्था फेल हो जाने एवं गन्दगी का साम्राज्य स्थापित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के संबंध में सूचना

* डा० राम बाबू हरित–

[मान्यवर, आगरा महानगर की सीवर व्यवस्था पूर्णतः फेल हो गयी है चारो तरफ गन्दा, बदबूदार सीवर का पानी सड़कों पर, खरन्जों व सार्वजनिक स्थानों पर बहता रहता है या उन्हें पास के नाले, नालियों में खोल दिया गया है जिससे नालों के अवरूद्ध होने पर सीवर लाइनों में ब्रेक फ्लो (पुनः वापिसी) के कारण सीवर लाइने बन्द होना व इसकी उपयोगिता महत्वहीन होना आम बात हो गयी है। असहनीय बदबूदार वातावरण के कारण जनता की नींद हराम हो गयी है तथा संक्रामक रोगों के फैलने की स्थिति हर समय बनी रहती है।

आगरा पश्चिमी क्षेत्र की सम्पूर्ण कालोनियों जैसे, सी०ओ०डी० कालोनी साकेत, प्रेण्डम, जयपुर हाउस कालोनी, शिवाजी नगर, परशुराम नगर, प्रताप नगर, केशव कुंज, न्यू शाहगंज, जनकपुरी, न्यू राजामण्डी, अशोक नगर, मोती कुंज, मठियाकटरा तथा पुरानी बस्तियों में जहां भी सीवर लाइन है प्रायः चोक (बन्द) होती रहती है। संबंधित जल संस्थान के अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण जनता के दुःख दर्द को दूर करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करते, साथ ही साथ ऊपर के अधिकारियों के नैतिक पतन व भ्रष्ट रवैया के कारण नीचे का स्टाफ अधिकारियों द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करता व अधिकारियों के प्रति घृणापद, अशोभनीय बातें करता रहता है।

विकास प्राधिकरण व नगर निगम की आपसी तालमेल की कमी के कारण केदार नगर निवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वि० प्रा० द्वारा जनता से कह दिया जाता है कि ये कालेनी नगर निगम को स्थान्तरित कर दी गयी हैं जबकि नगर निगम प्रशासक इस बात से साफ इन्कार करते हुए कहतें हैं कि वि० प्रा० अधिकारी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहें हैं। गत दो माह से केदार नगर डी ब्लाक वाले बहुत कष्टमय जीवन जी रहें हैं। शौचालय ऊपर तक भर जाने के कारण जनता पलायन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।

करने को मजबूर हैं, इन्जीनियरिंग विभाग अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं हैं तथा बिना नक्शे के बन रहे मकानों से सुविधा शुल्क लेने में व्यस्त रहते हैं । इनके पम्पिंग सेट सदैव खराब रहते हैं । कालेनीवासियों में हा-हा कार मचा है ।

आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस जनहित की समस्याओं को युद्ध स्तर पर सुलभ कराने की व्यवस्था करें । ।

विधान सभा क्षेत्र इटावा जिला सिद्धार्थ नगर के गांव सोहना में जल भराव एवं जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री स्वयंबर चौधरी–

।महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 171 इटवा, जनपद-सिद्धार्थनगर में ग्राम-सोहना, प्रत्येक दिशा से सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्के मार्गों से सम्बद्ध है । यहां की आबादी लगभग 4-5 हजार की है । यहां केन्द्र सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र की सथापना हो चुकी है । बहुत से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है जहां गत कई वर्षों से कार्य भी चल रहा है । भू० पू० केन्द्रीय मन्त्री एवं भू० पू० राज्यपाल की जन्म एवं कर्म स्थली है, जो आज भी ग्राम सोहना में निवास करते हैं । इस ग्राम में बैंक, विद्यालय तथा पशु चिकित्सालय भी स्थापित हैं । जहां अधिकारी एवं कर्मचारी ग्राम सोहना में कार्यरत हैं और निवास भी करते हैं । परन्तु इस ग्राम के बीचो-बीच में लगभग एक कि० मी० में बरसात में जल भराव रहता है । जो गन्दे नाले के रूप में प्रतीत होता है, जहां भीषण संक्रामक रोग फैलने की आशंका बनी हुई है । दो-तीन लोग हैजे की बीमारी से प्रभावित हो चुके हैं । ग्रामवासियों एवं क्षेत्रीय जनता के आवागमन की गंभीर समस्या बनी हुई है । विशेष तौर पर बूढे, स्त्रियां एवं बच्चे तो रास्ता पार करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते । उपरोक्त गांव के पक्के रास्ते पर जल जमाव के निकासी का पुख्ता रास्ता बनना जनहित में नितान्त आवश्यक है ।

यह अत्यन्त अविलम्बनीय महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर चर्चा कराया जाना आवश्यक है ।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि उपरोक्त ग्राम सोहना में जल जमाव से उत्पन्न विषम स्थिति के पुखता निदान की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय, जिससे ग्राम सोहना एवं क्षेत्रीय जनता के आवागमन की समस्या सुलभ करायी जा सके तथा संक्रामक रोग फैलने से जनता को बचाया जा सके । ।

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना के संबंध में जानकारी

श्री राम आसरे वर्मा––

एक सूचना मैंने नियम 311 में दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 की कोई सूचना मैंने स्वीकार नहीं की है । जिस समय आप लोगों ने इसे उठाया था, तो उस पर मैंने व्यवस्था दी थी कि इसी विन्दु पर नियम 300 में कुछ माननीय सदस्यों ने सूचना दी है और जब मैं उनकी ग्राह्यता पर सुनूंगा, आप लोगों को भी सुन लूंगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

नियम 300 में सुन लेंगे, बड़ी कृपा होगी। मैं एक मुद्दा जो विधान सभा के सदस्यों के अधिकारों के बारे में है, उसके बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ऐसी कोई सूचना नहीं आयी है।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सिंचाई दरों में की गई वृद्धि के संबंध में विधान परिषद् में पारित प्रस्ताव के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22-8-1995 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री राम आसरे वर्मा और प्रो० किरन पाल सिंह जी की है।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, पिछली सरकार ने सिंचाई की दर बढ़ाई थी मान्यवर, उस समय यह ग्रुप भी उस सरकार में शामिल था तब प्रदेश सरकार ने किसानों पर सिंचाई की दरों में बेतहाशा वृद्धि कर दी थी। मान्यवर, विधान परिषद् में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि यह सिंचाई की दरें जो बढ़ाई गयी हैं, प्रदेश के किसानों का ध्यान रखते हुए, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, किसानों के ऊपर दैवी विपत्तियों को देखते हुए, प्रदेश के किसान को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है उनको देखते हुए, किसानों के ऊपर दैवी विपत्तियों को देखते हुए, प्रदेश के किसान को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है उनको देखते हुए विधान परिषद् ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि इन बढ़ी हुई दरों को सरकार वापस ले लें और उसके बाद प्रस्ताव वापस होने के बाद नियमों के तहत वह विधान सभा में आना चाहिए था लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वह नहीं आया। मान्यवर, विधान सभा कल तक है, विधान सभा की कार्यवाही कल तक चलेगी। लेकिन अनेक बार प्रयास करने के बाद भी सरकार जानबूझकर जो सिंचाई की दरें बढ़ाई गयी हैं किसानों पर गलत तरीके से उनको वापस लेने के संबंध में जो प्रस्ताव विधान परिषद् में पास हुआ उसको विधान सभा के एजेन्डे में नहीं लाया गया है जबकि मैंने कई बार कोशिश की है कि इसको विधान सभा के एजेन्डे में लाया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किरनपाल जी, एजेण्डा तो कार्यमंत्रणा में आता है अगर आप कल रहे होते तो आ गया होता।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, कल मैंने विरोधस्वरूप उससे अपने को अलग कर लिया था और मैंने पहले भी चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब नहीं आया।

मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि सरकार किसानों के प्रति अगर हमदर्दी रखती है तो सिंचाई की दरों को जो बढ़ा रखा है और उसको वापिस करने का प्रस्ताव विधान परिषद् ने पारित कर रखा है उसको कल के एजेण्डे में रखवा दें और सरकार का दृष्टिकोण रखवाये। माननीया मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं अभी इस पर राय ले ली जाय, सरकार का मत आ जाय। विधान परिषद् की जो मंशा थी उसके अनुरूप घटाने के लिए क्या कर रही है?

श्री अध्यक्ष–

आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक है। मेरा अनुरोध है कि उसमें आप लोग आये और उसी में बैठकर इसको तय कर लिया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरी बात पूरी नहीं आ पाई है पहले उसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

अगर एजेण्डे में रखने की बात है.....

श्री राम आसरे वर्मा–

यह बात आपने कही है, मैंने नहीं कही है।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मेरी बात को सुन लें हो सकता है कि समाधान हो ही जाय।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जब मा० वर्मा जी पर ध्यान देंगे तो मा० पाल का क्या होगा?

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पिछली सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया था उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय राजकीय नहर प्रणाली नियमावली 1994 और इस अधिसूचना के तहत प्रदेश के किसानों के ऊपर जबरदस्त हमला किया गया उनमें जो सिंचाई की दरें थीं उसे ढाई गुना से लेकर 10 गुना तक बढ़ाने का काम इस अधिसूचना के तहत कर दिया गया और मान्यवर, इसके खिलाफ एक संशोधन प्रस्तुत हुआ विधान परिषद् में इस अधिसूचना को निरस्त करने का वहां पर प्रस्ताव पारित किया गया और विधान सभा सचिवालय को वह प्रस्ताव भेज भी दिया गया लेकिन मान्यवर, उस प्रस्ताव पर चुप्पी साध रखी गयी है।

श्री अध्यक्ष–

कल प्रस्ताव को कार्यमंत्रणा समिति के विचारार्थ रखा गया था और आज फिर रखा जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप व्यवस्था बाद में दे दीजिएगा अगर बीच में व्यवस्था दे देंगे तो मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा।

मान्यवर, जब निरस्तीकरण का प्रस्ताव उच्च सदन से पारित हो गया और इस सदन के सामने रखकर उस पर मत लिया जाना जरूरी था उसे अभी तक नहीं रखा गया है उसे विचारार्थ रखा जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह सरकार किसानों की हमदर्द है तो जिस तरह से पिछली सरकार ने किसानों पर हमला किया उस पर रोक लगाने का ऐलान करें। यह जो हमला किया गया है और जिस अधिसूचना के तहत किया गया है आज इस सदन में उस अधिसूचना को निरस्त किये जाने की घोषणा यह सरकार करें।

मान्यवर, यह इम्तिहान है इस सरकार का कि यह सरकार किसानों के प्रति कितनी हमदर्द है। इसी नियत से मैंने इस औचित्य के प्रश्न को उठाने की अनुमति आपसे चाही है। यह एक संवैधानिक प्रश्न है कि विधान सभा के समक्ष यह प्रस्ताव नहीं आया और उच्च सदन में यह आया और विधान सभा के लोग अपना मत नहीं व्यक्त कर पाये।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राह्यता के विषय पर बोलने की अनुमति दी। मान्यवर, यह विषय कोई राजनीतिक विषय नहीं है। यह विषय प्रदेश के करोड़ों किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न प्रदेश के करोड़ों किसानों को सरकार कल्याणकारी राज में कितनी सुविधाएं दे सकती हैं, उनकी कितनी कठिनाईयों का निराकरण कर सकती है और जो सुदूर अंचलों में बैठे हुए किसान हैं, उनकी कितनी कठिनाईयों का निराकरण कर सकती है और जो सुदूर अंचलों में बैठे हुए किसान हैं उनकी तरक्की के लिये, उनकी बहबूदी के लिये क्या-क्या कार्य कर सकती है, क्या-क्या कार्य योजना बना सकती है? इससे जुड़ा हुआ है। मान्यवर, आज किसानों के लिये बुनियादी आवश्यकता खेतों के लिये सिंचाई है। मान्यवर, जो पिछली सरकार द्वारा सिंचाई में वृद्धि की गयी थी उसका कोई मानक नहीं था। मेरे पास दोनों नियमावली हैं। 1983 की भी और 1994 की।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि 1983 में अपर गंगा नहर से गन्ने की सिंचाई जहां 96/- प्रति एकड़ होती थी उसे श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने 480/- रुपये प्रति एकड़ कर दिया। मान्यवर, अनुसूची 1, अनुसूची 2 तथा अनुसूची 3 में प्रदेश की नहरें हैं अगर आप उसे देखें तो यह पायेंगे कि उसमें ढाई गुना वृद्धि ही नहीं है बल्कि 10 गुना वृद्धि भी हुई है। मान्यवर, यह नियमावली कार्यपालिका के लोगों ने बनायी है। विधायी कार्य का दायित्व इस सदन का है। विधेयक बनने के बाद नियमावली कार्यपालिका बनाता है लेकिन नियमावली में संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन का अधिकार इस सदन को अक्षुण रहता है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के 1958 नियम 182 की तरफ ले जाना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक दशा में संशोधन के संबंध में परिषद् की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहमति या असहमति की सूचना सचिव द्वारा सदन को दी जायेगी। यह बाध्यता है। अगर विधान सभा में कोई संशोधन होता है किसी नियम में या उप नियम में तो उसकी सूचना विधान परिषद् को जायेगी और विधान परिषद् में यदि कोई नियमावली में संशोधन होता है, या निरस्तीकरण होता तो उसकी सूचना विधान सभा में जायेगी। इन परिस्थितियों में जब यह बाध्यता है और हमारा यह विधायी कार्य भी है और विधान परिषद् ने सर्वसम्मति से उस पर अपनी विमति भी दे दी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य भी हैं, जिन्होंने पिछली सरकार के दौरान इसे निरस्त करने के लिये या दरें कम करने के लिये प्रदेश में जगह-जगह आन्दोलन व धरने दिये तथा निरस्त करने के लिये अपना वोट भी दिया, इसलिये मेरा अनुरोध है कि सदन, जो जनता से सीधे जुड़ा हुआ है जिसके प्रतिनिधि जनता से चुने हुए हैं, करोड़ों किसानों के हित का यह सवाल है सरकार यदि आज इस बढ़ी हुई सिंचाई की दरों को निरस्त करने की घोषणा नहीं करती है तो कदाचित् हम अपने संवैधानिक अधिकारों को निर्वाह करने से भी च्युत होते हैं।

श्री ऊदल–

मान्यवर, पिछली सरकार के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी जो अपने को किसानों का मसीहा कहा करते थे, 1994 में जब इसे पेश कर रहे थे तो उस समय उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि जो बजट पेश किया जा रहा है वह कर रहित है परन्तु पिछले दरवाजे से उन्होंने सिंचाई उत्तर प्रदेश परिव्यय राजकीय नहर प्रणाली, 1994 के द्वारा एक अधिसूचना जारी कर रेट बढ़ा दिये। 20 रुपये की जगह पर 260 रूपये कर दिया, ट्युबवेल्स की सिंचाई दर 3 गुना बढ़ा दी गयी, जिससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। आज पूरा सदन उस बढ़ी हुई दर के खिलाफ है। यह मामला किसानों से संबंधित है। आज किसान सूखे से मरता है तो कभी बाढ़ से और कभी पाले से तो कभी ओलों से। इसलिए सरकार इन बढ़ी हुई दरों को निरस्त करने की घोषण इस सदन में करे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, किसानों के हित से जुड़ी हुई समस्या पर यहां बहस चल रही है। इस विषय पर पूर्व वक्ताओं ने अपने जो विचार व्यक्त किये हैं, उससे में अपने को सम्बद्ध करता हुं। पिछली सरकार के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी बार-बार यह घोषणा करते रहे कि हम नहरों के टेल तक पानी पहुंचायेंगे परन्तु मूंछ तक तो वह पानी नहीं पहुंचा पाये, उल्टे किसानों पर सिंचाई की दरें बढ़ाकर कहर बरपा दिया। इस अधिसूचना ने किसानों को बरबादी के कगार पर पहुंचा दिया। अब नहरों से पानी की आपूर्ति के रेट भी अलग-अलग निर्धारित कर दिये गये। पहले एक फसल के लिए एक रेट होता था परन्तु अब पानी की मात्रा के हिसाब से कितनी बार दिया जाता है, उस हिसाब से उसे बढ़ा दिया गया। पिछली सरकार किसान हित विरोधी सरकार थी। लेकिन जहां तक नियमों का सवाल है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। आज यह पूरे प्रदेश के किसानों की पीड़ा का सवाल है। आपने कदाचित यह कहा कि यह कार्य मंत्रणा समिति में जायेगा और वहां पर चर्चा होगी। सदन कल शायद अनिश्चितकाल के लिए स्थगितहो जायेगा। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि विशेष परिस्थितयों में इस बात का ध्यान रखते हुए कि यह किसानों के हित से जुड़ा हुआ मामला है कल ही इस चर्चा करवा लें। कदाचित् मेरी इस बात से आदरणीय सदन के सभी सम्मानित सदस्य इस बात से सहमत होंगे ? सरकार अपनी नीति तय

कर लें । श्री मुलायम सिंह यादव जी की पिछली सरकार किसान हित विरोधी सरकार थी । बी० जे० पी० यह मानती है कि किसानों का हित सर्वोपरि है । जब किसान उन्नति करेगा कि प्रदेश उन्नत करेगा। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं से जोड़ते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस काले अधिसूचना को निरस्त करने अथवा इसमें संशोधन करने या नये ट्रैरिफ की घोषणा करने के लिए सरकार अपनी नीति तय कर ले और कल ही इस पर चर्चा करवा दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं इसके तकनीकी पहुलओं को रख रहा हूं । विधान सभा/विधान परिषद् के बीच में जब कभी ऐसी स्थिति आ जाये तो उस सरकार को क्या करना चाहिये ? मान्यवर, मेरा आग्रह है, अगर उधर से असहमति आ गयी है, सर्वसम्मति से असहमति आ गयी । तो जिस पीठ पर आप बैठे हैं आप सहमत होंगे "हाउस इज मास्टर आफ इट्स ओन विजनैस" आप जिस आसन पर बैठे हैं एक समय में वहां पर बैठे हैं एक समय में वहां पर बैठे हुए अध्यक्ष एक स्थिति में सदन का परित्याग कर चले गये और सदन ने उचित समझा और एक योग्य व्यक्ति को बैठाकर सदन की कार्यवाही जारी रखी । तो आज वैसी ही विषम परिस्थिति आ गयी है विधान परिषद् से असहमति आ गयी है आप कार्यमंत्रणा समिति का सहारा न लेकर इस पर मतदान करा लें और सदन की सहमति बन जाय तो सिंचाई की बढ़ी हुई दरें वापस ले ली जायं । इस पर आज मतदान करा लें और इस विषय को यहीं समाप्त कर दें ।

श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, यह विषय बड़ा गम्भीर विषय है किसानों की बरबादी का यह बिषय है । किसान जो उत्पादन करता है उसके हिसाब से 4 गुना और 10 गुना सिंचाई की दरें बढ़ा दी गई है । जो किसान पुरानी दरों को अदा नहीं कर सकता है और उसके लिए वह जेल में बन्द होता है तो क्या वह इन 4 गुना और 10 गुना बढ़ी हुई दरों को अदा कर पायेगा ? उसके लिए वह मुमकिन नहीं है । जो सरकारें किसानों से पहले वोट मांगने जाती है वही राजनीतिक दल सरकार में आने के बाद किसानों की दुश्मन बन जाती है । इस मामले में यहां विचार होना चाहिये जो इस विचारधारा के लोग हैं वह सामने आ जायेंगे इस मामले में मतदान होना चाहिये ताकि पता लग सके कि कौन किसान के मित्र हैं और कौन किसान के दुश्मन हैं ।

*श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपको ज्ञात है कि कल भी इस बात को सदन में रखना चाहता था । इस सदन में 80 प्रतिशत लोग किसान हैं या किसानी से संबंधित हैं । विधान परिषद् में एक प्रस्ताव पास हो गया माननीय बरार साहब और दूसरे साथी जिन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, बधाई के पात्र हैं तो हमारी नियमावली के अन्दर साफ-साफ दिया हुआ है जो प्रस्ताव वहां पास होकर यहां आ गया, कार्यमंत्रणा में आपने नहीं लिया है , मेरा अनुरोध है आप भी किसान हैं तो अपने अन्दर के उस किसान को जगायें और किसान का जो 90 से 490 और 48 से 430 सिंचाई दर कर दी है उसको समाप्त करें, 13. 14 गुना सिंचाई की दरें बढ़ा दी गयी हैं । आज प्रदेश के पूरे किसानों की जिज्ञासा है वह हमारी

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

और देख रहें है । आप इस सम्मानित पीठ पर बैठे हैं अपने विवेक से निर्णय कर दें और इस पर मतदान करा लें तो निश्चित रूप से जिस जनता का हम रिप्रेजेन्टेशन करते हैं हमारी छवि पर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है हम जनता और जनता विधान परिषद् के सदस्यों के सामने खड़े नहीं हो पायेंगे इस पर आप मतदान जरूर करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण आज महत्वपूर्ण बजट है जिस पर आप लोग बोलना चाहेंगे । ठीक 4 बजे एप्रोप्रियेशन बिल आ जायेगा । इसलिए आदरणीय सदस्यगण से अनुरोध है, इतनी आज बिजनेस है जिसे पूरा होना है । इसलिए इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आप लोग बैठ जाएं । आज महत्वपूर्ण बजट है जिस पर मा० मुख्य मंत्री बोलेंगी अन्य नेतागण बोलेंगे । इसके अलावा 4 बजे एप्रोप्रियेशन बिल प्रस्तुत किया जाना है । इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आप लोग बैठ जाएं ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय राजकीय नहर प्रणाली, 1994 के सहारे पूर्ववती सरकार ने नहरी पानी और सिंचाई दरों को संशोधित करते हुए उनकी दरों में वृद्धि किया था और इस बारे में उच्च सदन ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है । मान्यवर, सरकार किसानों के हितों के बारे में पूरी तरह प्रतिबद्ध है जिसे विभिन्न अवसरों पर यहां कहा गया है । हम अपने उच्च सदन का ठीक तरह से सम्मान करते हैं और उसके द्वारा पारित प्रस्ताव के प्रति आदर है । एक प्रस्ताव वहां पारित हो गया है उस पर सम्यक रूप से विचार करना है ताकि आगे से ऐसा अवसर न आवे कि ऐसा प्रस्ताव पारित हो कर दिया जाये जिस पर ठीक से विचार नहीं किया जा सका । इसलिए जो विधान परिषद् में प्रस्ताव आया है उसको ध्यान में रखते हुए, कैसे दरें बढ़ गयीं हैं और जो धन है उससे कैसे बेहतर विकास कर सकते हैं ? चूंकि किसान के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, इसलिए दरों के घटाने के बारे में सरकार को गहराई से विचार करना है और इसलिए जब सरकार विचार कर रही है तो जल्दबाजी में कोई फैसला करना ठीक नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण और नेतागण आप लोग शान्ति बनाये रक्खें और बैठ जाएं ।

(कांग्रेस पार्टी एवं जनता दल तथा कम्युनिस्ट पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान उत्पन्न हो गया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जितने माननीय सदस्यों ने यहां विचार व्यक्त किये हैं सरकार उनका सम्मान करती है और उनसे सहमत है । लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला करना ठीक नहीं है । (व्यवधान) सरकार इस पर आगे सम्यक् रूप से विचार करेगी ।

(व्यवधान के मध्य कांग्रेस के श्री प्रमोद तिवारी, जनता दल के श्री किरनपाल सिंह और कम्युनिष्ट पार्टी के श्री ऊदल तथा श्री राम स्वरूप सिंह अपने-अपने दल के सदस्यों सहित मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन त्याग कर चले गये हैं।)

श्री अध्यक्ष–

इस पहली सूचना में औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसलिएं मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

(व्यवधान)

विधान सभा सत्र के दौरान टिहरी गढ़वाल में बैठक आहूत किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली तीसरी सूचना, श्री मातवर सिंह कण्डारी की है इसमें मैं कई बार शासन का ध्यान आकृष्ट कर चुका हूं परन्तु कडाई से अनुपालन नहीं हो रहा है। अतः मैं निर्देश देता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस मामले को देखकर इस बारे में कड़ी कार्यवाही करें और जो बैठकें सत्र के दौरान आहूत की गयी है उन्हें निरस्त कर दें। आगे आज जो नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं थी, उन.....

श्री रंगनाथ मिश्र–

इसमें पहले नम्बर पर मेरी सूचना है, उस पर सुन लें।

(व्यवधान)

आज सामान्य प्रशासन और पुलिस विभाग के बजट पर अधिक समय दिये जाने की मांग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, आपके माध्यम से मेरी एक प्रार्थना है सभी माननीय सदस्यों से आज सामान्य प्रशासन और पुलिस विभाग का बजट है, उस पर सभी दलों के माननीय नेता विस्तार से अपने-अपने विचार व्यक्त करेंगे और सरकार उनका फायदा उठायेगी। अनेक विधायक उसमें अपने क्षेत्रों के बारे में सामान्य प्रशासन और पुलिस के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे, तो श्रीमन्, यदि माननीय सदस्य कुछ उदार हो जायें तो सामान्य प्रशासन और गृह विभाग पर विस्तार से विचार के लिए हमें काफी समय मिल सकता है। मा० मुख्य मंत्री जी का भी आज विचार आयेगा। इसके लिए समय निकल सके तो बड़ी कृपा होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण एक निवेदन मैंने किया था एक अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपसे किया है, इससे आपका ज्यादा समय सामान्य प्रशासन पर मिल जायेगा। इस लिए अच्छा हो कि .....

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र–

हम लोग रात भर बैठेंगे इसके लिए तैयार हैं लेकिन.....

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास आज 12 सूचनाएं आयी हैं, सभी को सुनने लगूं तो चार बजे तक भी समाप्त नहीं होगा । आप लोग चाहते हैं कि यही हो ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जो महत्वपूर्ण सूचनायें है, उन पर कम से कम आप सरकार का ही ध्यान आकर्षित करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 की समस्त सूचनाओं को मैं अस्वीकृत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डिजल आयल तथा एल्कोहल की बिक्री या क्रय कराधान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1995†

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आबकारी अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 468-ई-21तेरह-95-283-86, दिनांक 28 मार्च, 1995 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा एल्कोहल की बिक्री या क्रय कराधान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1995 को बिलम्ब के कारणों के सहित संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 की धारा 17 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बीसवें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1191-92††

परिवहन मंत्री (श्री नन्द लाल पटेल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बीसवें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1992 तक) को रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1950 की धारा 33 की उप धारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापी नहीं गयी ।

†† छपा नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के इक्कीसवें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1191-92**

परिवहन मंत्री (श्री नन्द लाल पटेल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के इक्कीसवें लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 (1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1993 तक) को रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1950 की धारा 33 की उप धारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बैन्ड आफ ताड़ी (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आबकारी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 12135-ई-1/तेरह–400(9)-94, दिनांक 4 अगस्त, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश बैन्ड आफ ताड़ी (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रुदौली के ग्राम पंचायत बरावां के ग्राम बरावां में कन्या प्राइमरी पाठशाला खोले जाने विषयक श्री राम धीरज मौर्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका*

श्री भगवत शरण गंगवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रुदौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरावां के ग्राम बरावां में कन्या प्राइमरी पाठशाला खोले जाने के संबंध में श्री रामधीरज मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बाराबंकी की तहसील व ब्लाक रुदौली के अन्तर्गत रुदौली बेलवा सड़क को बनवाये जाने विषयक श्री राम धीरज मौर्य आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका*

श्री भगवत शरण गंगवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बाराबंकी, तहसील व ब्लाक रुदौली के अन्तर्गत रुदौली कोलवा सड़क को कोलवा से अमानीगंज वाया बरायाँ गढ़वनपुरवा तथा पूरे कलहंस तक बनवाये जाने के संबंध में श्री रामधीरज मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

* छापी नहीं गयी।

** वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत शिवानी बिहार कल्याणपुर में विद्युत सप्लाई विषयक श्री परमहंस दुबे आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका +

श्री भगवत शरण गंगवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के अन्तर्गत शिवानी बिहार कल्याणपुर (निकट खुर्रमनगर चौराहा) स्थित बाल विहार पार्क के पास के लगभग 10 खम्भों पर तार खींच कर तीन फेस लाइन की सप्लाई किये जाने के संबंध में श्री परमहंस दुबे व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ला के मैदान एल० एच० खां हसनपुरिया में डामरयुक्त सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मो० अहमद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका+

* श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अलीगढ़ में सेन्ट्रल डेरी फार्म छेरत के निकट आबादी के मध्य बन रहे विशाल यांत्रिक कल कारखाना का निर्माण रुकवाये जाने के संबंध में श्री हर्षवर्धन निवासी जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बांदा के अन्तर्गत चित्रकूट धाम कर्वी में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिजली विभाग का एक सब डिवीजन कार्यालय एवं स्टोर खोलने विषयक श्री पंकज अग्रवाल आदि की याचिका+

* श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के अन्तर्गत चित्रकूट धाम कर्वी में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिजली विभाग का सब डिवीजन कार्यालय एवं स्टोर खोलने के संबंध में श्री पंकज अग्रवाल तथा अन्य निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 अगस्त, 1995 की बैठक में सदन के दिनांक 22 तथा 23 अगस्त, 1995 के उपवेशनों के तिथिवार कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:–

1—सदन के दिनांक 22 तथा 23 अगस्त, 1995 के उपवेशनों के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय:–

अगस्त, 1995

22 मंगलवार 1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण:–

(क) उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1995 – आधा घण्टा

(ख) उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995–आधा घण्टा

2–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

3–4 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 की सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

23 बुधवार 1.2.30 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 1995-96 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

2–विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के संगत नियमों को निलम्बित करते हुए वित्तीय वर्ष 1995-96 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, उन चर्चा, उन पर विचार तथा मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थान, उन पर विचार एवं उसका पारण।

2–दिनांक 22 अगस्त, 1995 को नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, विधान परिषद् में संशोधन हुआ सिंचाई की दरों के बारे में।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव रखें।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना अभी श्री अध्यक्ष ने सदन को दी है से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 110 के उत्तर के संबंध में शोधन वक्तव्य

श्री पशुधन राज्य मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार को पूछे गये श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या–110 के उत्तर में संशोधन तथा प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत वक्तव्य।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मूल प्रश्न :

"क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड कवरई के ग्राम-ग्योड़ी का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत किया गया था? यदि हां, तो कब? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में विद्युतीकरण के बाद भी विद्युत उपलब्ध न होने के पीछे विद्युत आपूर्ति का दोष नहीं वरन् विद्युत विभाग के अभियन्ताओं की मिली भगत से ट्रांसफार्मर व विद्युत खम्भों तथा तार की चोरी है? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन हैं तथा उसे क्या दण्ड दिया जायेगा? क्या उक्त ग्राम के ग्रामवासियों को विद्युतीकरण की सुविधा मिल सकेगी? यदि हां, तो कब तक?"

दिया गया उत्तर :

"जी हां। वर्ष 1978-79 में विद्युतीकरण किया गया। जी नहीं। इस ग्राम के विद्युतीकरण के बाद वहां पर किसी भी ग्रामीण द्वारा विद्युत संयोजन नहीं लिया गया तथा अज्ञात चोरों द्वारा इस गांव की विद्युत लाइन का तांर चुरा लिया गया। इस तार की चोरी में किसी भी विभागीय अभियन्ता अथवा कर्मचारी के दोषी होने की जानकारी परिषद् के संज्ञान में नहीं आयी है? अतः दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता। क्षतिग्रस्त लाइन का तार बदलवाने का तथा व्यवस्था ठीक करने का अनुमानित व्यय रु० 7.00 लाख है। ग्राम का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।"

संशोधित उत्तर :

माननीय सदस्य ने उपर्युक्त उत्तर को त्रुटिपूर्ण बताते हुए निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत सूचना दी है जिसमें यह आक्षेप लगाया है कि दिये गये उत्तर में तथ्यों को छिपाकर सदन को गुमराह किया गया है तथा इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की अपेक्षा की है। तद्नुसार, मामले में जांचोपरान्त पाया गया कि उक्त ग्राम-ग्योड़ी के निवासियों द्वारा संयोजन न लिये जाने की दी गयी सूचना गलत थी जबकि उक्त ग्राम में एक उपभोक्ता के यहां मीटर भी लगा था। इसके अतिरिक्त श्री भानु प्रताप सिंह पुत्र श्री शिव नारायण सिंह द्वारा दिनांक 10-7-79 को विद्युत संयोजन हेतु रु० 153.00 जमा किया गया था। इस ग़लत सूचना देने वाले क्षेत्रीय अधिकारी श्री एम० ए० रिजवी, सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-हमीरपुर को दोषी पाते हुए, उन्हें निन्दा प्रविष्टि का दंड दे दिया गया है तथा ग्राम-ग्योड़ी की विद्युत आपूर्ति भी फरवरी, 1995 में सुनिश्चित कर दी गयी है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

इस समय कौन सी अव्यवस्था पैदा हो गयी है। कार्यमंत्रणा समिति की आज बैठक है उसमें यह जो प्रस्ताव है उसको रख दिया जायेगा। आज जो कार्यमंत्रणा समिति का प्रस्ताव पास हुआ है उसको कल ही रखा गया था वह पास होकर आया है।

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 1995 को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि इस सदन द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 के उपनियम (1) के अधीन पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में लम्बित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 को वापस लेने हेतु अनुमति दिये जाने से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 1995 को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि इस सदन द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 के उपनियम (1) के अधीन पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में लम्बित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 को वापस लेने हेतु अनुमति दिये जाने से सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सिंचाई की दरों में वृद्धि किये जाने संबंधी प्रस्ताव को कार्यमंत्रणा समिति के अनुसार विधान सभा में न लाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा अभी कार्यमंत्रणा समिति ने जो सिफारिशें की उन सिफारिशों का प्रस्ताव सदन के सामने रखा जाना था और प्रस्ताव रखा जाना था उससे पहले ही नियमावली में दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए एक संशोधन दिया गया और संशोधन में यह मांग की गयी कि जो किसानों के ऊपर हमला किया गया है। सिंचाई की दरें बढ़ाई गयी हैं, उसके सिलसिले में जो विधान परिषद् में प्रस्ताव पास हुआ उनको निरस्त कर अधिसूचना को निरस्त करते हुए वह निरस्तीकरण प्रस्ताव विधान सभा सचिवालय को मिल गया। उसे सदन के सामने रखा जाना एक संवैधानिक बाध्यता थी और उसी बाध्यता को पूरा करने के लिये हमने यह संशोधन रखा कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों में उसको शामिल कर लिया जाये। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों पर मतदान करा लिया गया। पहले जो प्रस्ताव संशोधन का

दिया गया था, उस संशोधन के प्रस्ताव को उसमें शामिल नहीं किया गया। आपके द्वारा सिफारिशों के प्रस्ताव को सदन के सामने रखे जाने के पूर्व में ही शंशोधन आपको दे दिया गया था तो मैं मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि अगर कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के अलावा कोई संशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं तो उनकी शर्तें क्या हैं? उनको आप बता दें और मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि जो शर्तें हो सकती हैं, उन सारी शर्तों को पूरा करते हुए ही संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया था। ऐसा लगता है कि संशोधन के प्रस्ताव को नकारने के पीछे यदि आपकी पीठ भी सरकार के क्रिया-कलापों से प्रभावित होने लगेगी, तो मान्यवर, यह दुख की बात होगी। यह सरकार तो प्रतिबद्ध है किसानों के ऊपर बढ़ी हुई दरें न वापस लेने के लिये। जब यह संशोधन का प्रस्ताव श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा उच्च सदन में पेश किया गया था, तो उस चीज को यहां पर भी लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, उसकी प्रक्रिया क्या है?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय वर्मा जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के बारे में। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि कृपया प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 224 को देखने की कृपा करें। नियम 224 में कार्य मंत्रणा समिति के काम दिये हुए हैं, इसकी श्री वर्मा जी को भी पूरी जानकारी है.....

श्री राम आसरे वर्मा–

नियम 226 (2) को पेढ़िये।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मैं जिस नियम के संबंध में अनुरोध कर रहा हूं, कृपापूर्वक उसको देखने का कष्ट करें। नियम 224 (1) में दिया है कि समिति के कृत्य क्या होंगे। "समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे विधेयकों तथा अन्य सरकारी कार्य के प्रक्रम या प्रक्रमों पर चर्चा के लिये समय नियत करने के संबंध में सिफारिश करे, जिन्हें अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से समिति को निर्दिष्ट करने के लिये निदेश दें। " इसी में दूसरा है " समिति को प्रस्थापित समय-सूची में यह दर्शाने की शक्ति होगी कि विधेयक या अन्य सरकारी कार्य के विभिन्न प्रक्रम किस समय पूरे होगे।" इसी में तीसरा विन्दु है " समिति के लिये सदन के कार्य से संबंधित ऐसे अन्य कृत्य भी निर्दिष्ट किये जा सकेंगे, जिन्हें अध्यक्ष समय-समय पर विनिश्चित करें।"

श्री राम आसरे वर्मा–

226 (2) को पढ़िये और उसमें यह भी देखिये कि सदन के सदस्यों को क्या अधिकार दिये हुए हैं?

श्री हरेन्द्र सिंह (मलिक)–

क्या आपकी पुस्तिका में 226 (2) नहीं दिया हुआ है?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जो आपकी पुस्तिका में दिया हुआ है, वही हमारी पुस्तिका में भी है। कार्य मंत्रणा समिति के संबंध में जो परिपाटियां हैं, जो किताबें हैं, वह सब वर्मा जी को ज्ञात हैं। संसदीय परिपाटी है कि कार्य मंत्रणा समिति में आपस में बैठकर सिफारिशें तय की जाती हैं, आज भी समिति की बैठक है, उस बैठक में मिल बैठकर कोई चीज तय कर लेंगे। कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों पर, जिन्हें सभी दल के नेताओं ने पारित किया है, उस पर बहस हो, यह उचित नहीं है। इसलिये हमारी प्रार्थना है कि व्यवस्था के इस प्रश्न को निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम आसरे वर्मा जी का व्यवस्था का प्रश्न सुनने के बाद मैंने उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। कल 21 तारीख को विधान परिषद् से प्रस्ताव सर्वसम्पति से पारित होकर आया था। उसको कार्य मंत्रणा समिति में माननीय सदस्यों के विचारार्थ रखा गया था। माननीय सदस्यों ने उस पर विचार करने के बाद कोई तिथि निश्चित नहीं की। आज पुनः कार्य मंत्रणा समिति में प्रस्ताव विचार के लिये रखा जायगा और जो तिथि कार्य मंत्रणा समिति निश्चित कर देगी उस दिन उस पर सुना जायगा।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995†

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को पुनःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप मेरे प्रश्न पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को पुनःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को पुनःस्थापित करता हूं।

नोट :– † दिनांक 6 सितम्बर, 1995 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) (संशोधन) विधेयक, 1995

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (10) के अन्तर्गत चीनी मिल द्वारा खरीदे गये गन्ने पर क्रय-कर में संशोधन किया गया है और उसके विभाजन में भी संशोधन किया गया है। पहले गन्ने पर क्रय-कर 1.75 रुपये था और अब इस संशोधन के माध्यम से इस धनराशि को 2 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पहले जो क्रय-पर का विभाजन था उसमें भी इस विधेयक के माध्यम से संशोधन किया गया है। इस दो रुपये जनरल रेवेन्यू के रूप में जायेगा, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि के खाते में 36 पैसा जायेगा। चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापन ऋण सहायता में 24 पैसे जायेगा। गन्ना मूल्य भुगतान ऋण सहायता निधि से 30 पैसा जायेगा और कल्याण निधि में 10 पैसा जायेगा।

श्रीमन्, इस तरह से इस दो रुपये का विभाजन इस विधेयक के जरिये से रखा गया है पहले से उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति काम कर रही है लेकिन उसमें वित्त विभाग का प्रतिनिधि नहीं था। अब इसमें भी थोड़ा सा संशोधन किया गया है। इस विधेयक के माध्यम से इस समिति में सचिव गन्ना विकास चीनी उद्योग, गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश और सचिव, वित्त भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल कर दिये गये हैं। यह चूंकि पहले के अध्यादेश की जगह पर प्रतिस्थानी विधेयक लाया गया है इसलिये माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि इसको पारित करने का कष्ट करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने मुझे उ० प्र० गन्ना क्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1995 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आभारी हूं। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी के क्षेत्र में न कहीं गन्ना मिल है और न ही भविष्य में कोई संभावना है कि वहां चीनी मिल लगेगी। वह अपनी विद्वता से विधेयक पारित करा लेते हैं और सभी सरकारी कार्य करा लेते हैं और मुस्कराते रहते है। आपकी और उनकी मुस्कराहट से हम लेग बहुत से कार्य कर देते हैं।

(इस समय 1 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए।)

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जो पहले किसान से गन्ना कर के रूप में एक रुपया 75 पैसा लिया जाता था, उसको बढ़ाकर दो रुपया कर दिया गया है और दो रुपये के बंटवारे के बारे में भी बताया। मैं कहना चाहता हूं कि किसान के ऊपर निरन्तर बोझ बढ़ता जा रहा है। किसान किस प्रकार से अपने गन्ने को चीनी मिलों का देने पर मजबूर होता है और उसके नाते गन्ना किसान कितना उत्पीड़ित है।

मान्यवर, एक माह में पेराई का सत्र प्रारम्भ होने वाला है। किसानों का 147 करोड़ रुपया गन्ना मिलों पर बकाया है। मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश शुगर कारपोरेशन है, उसका 60 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, वह उत्तर प्रदेश की निजी चीनी मिलें नहीं हैं। यह निश्चय हुआ है कि

10 करोड़ रुपये का भुगतान मिलें करेंगी और 50 करोड़ रुपया सरकार से मांगा गया है लेकित अभी तक 10 करोड़ रुपया ही निर्गत हुआ है। एक तरफ तो गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ आप कर में वृद्धि कर रहे हैं। एक तरफ तो सोसाइटीज को दे रहे हैं और दूसरी और गन्ना मूल्य का भुगतान है, उसमें 85 प्रतिशत टैग मनी हो जाती है। केन सोसाइटीज गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करती है और जो पैसा होता है उससे अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करती है। आज भी केन सोसाइटीज पर एक-डेढ़ करोड़ का घाटा है और वह गन्ना मूल्य को ही अपने स्थापना में खर्च करती हैं। शक्कर विशेष निधि की बात थी, क्या यह सरकार चीनी मिलों को मजबूत करने के लिये बैठी है। किसानों के लाभ के लिये कार्य होने चाहिये वह नहीं हो रहे हैं। आज भी केन सोसाइजटीज जो हैं, उनका दायित्व जो है उसको वह पूरा नहीं कर रही है और आज किसानों को लाभ नहीं हो रहा है और इसके विपरीत आज चीनी मिलों को आधुनिकीकरण के लिये पैसा दे रहे हैं। मान्यवर, इस काम के लिये तो इन्स्टीट्यूशनल फाइनेंस हैं उनसे चीनी मिलें पैसा ले सकती हैं और उससे वह उनकी मरम्मत या उनका आधुनिकीकरण कर सकती हैं। आप एक तरफ तो चीनी मिलों के लिये लगातार प्रयास कर रहे हैं और शीरा को फ्री कर दिया है तो इस तरह से आप चीनी मिलों को लाभ दे रहे हैं। मैं मांग करुंगा कि किसानों का जो हित है उसके विरुद्ध कोई कार्य न किया जाय। पहले एक रुपये पचहत्तर पैसे कर था इसको आप दो रुपये कर रहे हैं और इससे भी पहले एक रुपये कर था इससे किसान का हित नहीं होगा। तो किसानों के हित को दृष्टिकोण में रखते हुए जो कर बढ़ाया गया है उसे कम करना चाहिये और किसानों की राहत के लिये कार्य करना चाहिये।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, इस विधेयक के बारे में पाल जी ने अपने विचार विस्तार से रखे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की स्थिति बहुत खराब है। शुगर कारपोरेशन की चीनी मिलें हैं, जो गन्ना विभाग में शक्कर निधि है उससे ही ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत की जाती है। 50 प्रतिशत शुगर निधि से और 50 प्रतिशत केन यूनियन से सहयोग लिया जाता है। मान्यवर, गन्ना विकास समितियां जो हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि शक्कर निधि के पैसे से वहां शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाना चाहिये और किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिये, गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिये और किसानों को तमाम सारी सुविधायें, जो दी जा सके दी जांय जिसका सदन में समय-समय पर विचार होता रहा है। मैं समझता हूं कि इसका निदान किया जाय तो ठीक रहेगा। मै अपने सुझाव पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

* श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो गन्ना क्रय कर संशोधन विधेयक, 1995 पर विचार प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा मैं उस पर आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी से 2-3 अनुरोध करना चाहता हूं। मान्यवर, जो भी टैक्स किसानों की फसल पर लगता है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

वह व्यापारी अपने पास से तो देता नहीं है अंततः जो टैक्स लगेगा तो किसान पर उसका भार पड़ेगा। जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि किसी कोर्ट में बोल रहे हों और व्यापारी की वकालत कर रहे हों। आपने रु० 1.75 से बढ़ाकर 2.00 रु० कर दिया। आप देख लें कि आपके द्वारा एक भी पैसा न गन्ना किसान के बच्चों की शिक्षा के लिये रखा गया, न प्रशिक्षण के लिये रखा गया, न उन्हें कोई जानकारी उपलब्ध कराने के लिये रखा गया और न ही उस क्षेत्र के विकास के कार्यों के लियें रखा गया यही नहीं मान्यवार, जो गन्ना किसान हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिये क्या कोई पारितोषक की व्यवस्था आपने की है? एक तरफ तो किसान के ऊपर 25 पैसे का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

मान्यवर, करोड़ों परिवार इससे जुड़े हुए हैं, माननीय संसादीय कर्या मंत्री जी इसकों गम्भीरता से सुनें, मा० पाल जी डिस्टर्ब करते रहेंगे क्योंकि गन्ना उरई में नहीं है।

मान्यवर, आपने शक्कर निधि की बात कही। एक बार पश्चिम के मंत्री हुए थे श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा जी उस समय शक्कर निधि से किसान के लिए सड़कें बनी थी। अब की बार इस सदन में हम लोगों ने शोर मचाकर, दबाव डालकर यह प्रस्ताव कराया कि शक्कर निधि से सड़कें बनेगी, आपकी सरकार ने वह भी रोक दिया (व्यवधान) आपकी जो निगम की चीनी मिलें हैं, सहकारी चीनी मिलें हैं आपके अधिकारी जाकर अय्याशी में पैसा किसानों का उड़ा दें, आप उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें, कर बढ़ायें यह उचित नहीं लगता। मेरा अनुरोध है कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें और एक निश्चित धनराशि उस क्षेत्र के किसानों के लिए, प्रदेश के गन्ना किसानों के बच्चों की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए, गन्ने की खेती में नई-नई जानकारी देने के लिए और गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप कुछ पारितोषिक देने के लिए और विकास कार्यों के लिए इसके साथ ही साथ आज जो केन्द्रीय सरकार की स्कीम है कि गन्ना किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिलता है उसकी आप व्यवस्था नहीं कर पा रहें हैं, किसान बरबाद है। मेरा अनुरोध है कि यह जो आपके अधिकारियों ने लिखकर आपको भेज दिया है इस पर न चले। मा० मुलायम सिंह की सरकार चली गयी, मा० बाबू राम जी इसको नहीं देख पाये न मा० मुलायम सिंह यादव जी देख पाये तो इससे उनकी सरकार की बदनामी हुई। मान्यवर, एक तो सिंचाई की दर बढ़ाने के मामले में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चुप रहें और दूसरे गन्ने पर कर बढ़ा दिया। अगर आप कर बढ़ाते भी हैं तो उसकी 50 फीसदी धनराशि गन्ना किसानों के कल्याण के कार्यों पर व्यय किया जाय यह मेरा अनुरोध है।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, गन्ना उत्तर प्रदेश के पूर्वान्चल की एक अमूल्य निधि है उत्तर प्रदेश के किसानों का जिस प्रकार गन्ने के बारे में कर बढ़ा है, मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूं जब किसान अपना गन्ना बेचता है तो उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो पाती है, उसे अपनी लड़की की शादी करनी हो, या फिर परिवार में कोई हादशा हो गया हो उसमें खर्च करना हो तो वह गन्ना बेचकर ही उसे पूरा करता है। मान्यवर, आज किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। किसान अपना गन्ना जाकर फैक्ट्री में तो दे देता है लेकिन उसके मूल्य का कब निर्धारण हो उसका कोई समय निश्चित नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि शक्कर निधि से उनके मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करया जाय और जो शुगर कारपोरेशन द्वारा फैक्टरियां चलायी जा रही हैं आज वह

अपनी स्थित से नहीं चल रही हैं मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शक्कर निधि के स्थान पर गन्ना निधि की स्थापना की जाये जिससे उसका भुगतान सुनिश्चित हो सके । जो फैक्टरियां चल नहीं पा रही हैं उसे उच्चीकृत किया जाये ।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण अपने क्षेत्र की एक शुगर फैक्टरी नवाबगंज गोण्डा का देना चाहूंगा। पिछले साल वह मैनेजमेंट की अव्यवस्था और सरकार की कुव्यवस्था के नाते चल नहीं पायी और जब सरकार ने उसे बेचने का निर्णय लिया तो कारपोरेशन के लोगों ने हाईकोट से स्टे ले लिया वह खारिज हो गया है । वहां पर श्रमिकों की हालत खराब है । आज उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गयी है । 8, 10 श्रमिकों की भुख से मृत्यु हो गयी है । मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि शुगर पैंक्ट्री नवाबगंज, गोण्डा को उच्चीकृत किया जाये और जो गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया है उसका भुगतान कराया जाये । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय में बोलने का अवसर दिया ।

*श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, गन्ना क्रय कर (संशोधन) विधेयक पर आपने मुझे विचार रखने का मौका दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, शक्कर निधि से किसानों को फायदा हो इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इन्होंने संशोधन में जो यह रखा है कि इस निधि के लेखे में जमा की जाने वाली कुल धनराशि 15 करोड़ से अधिक नहीं होगी और अगर अधिक होगी तो क और ख के उल्लिखित लेखे में जमा होगी । मान्यवर, ग देखें उसमें ऋण सहायता निधि में जमा करने की बात कही गयी है । यह जो शक्कर निधि है यह किसानों की निधि है और गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए और किसानों को सहायता ऋण देने के लिए जमा की जाये तो अच्छा होगा । अगर 15 करोड़ से ज्यादा धन इसमें हो तो ज्यादा अच्छा होगा । मान्यवर, दूसरा यह है कि शक्कर निधि से गन्ना सोसाइटीज को सड़क निर्माण के लिए या अन्य मदों के लिए पैसा दिया जाता है और उसी से वह कार्य करते हैं । हमारे क्षेत्र में औराई चीनी मिल है लेकिन गन्ना सोसाइटीज को कोई पैसा नहीं दिया गया है । मान्यवर, भदोही चीनी मिल की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । मान्यवर, जहां पर चीनी मिलें होती है वहां गन्ना डेवलेपमेंट के लिए कार्यालय होते हैं लेकिन हमारे यहां भदोही में कोई कार्यालय नहीं है । वह बनारस में हैं और वहीं से कार्य होता है । मेरा आपसे निवेदन है कि भदोही में भी कार्यालय खोला जाये । तभी औराई चीनी मिल का विकास होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

(श्री स्वयंवर चौधरी के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी अपना वक्तव्य दे दें। यदि आपको कोई स्पष्टीकरण पूछना हो, तो तब आप पूछ सकते हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस विधेयक के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने जो विचार व्यक्त किये हैं, उसमें उन्होंने गन्ना के भुगतान के बारे में ज्यादा कहा है और इस विधेयक के प्राविधानें के बारे में सुझाव कम ही दिये हैं। गन्ना किसानों के भुगतान के बारे में हमारी नीति स्पष्ट है इसे मैं पुनः रेखांकित करते हुए कहना चाहता हूं कि हम गन्ने के भुगतान के लिये संकल्पित हैं। दूसरी जो बात समय-समय पर इस आदरणीय सदन के अन्दर व बाहर यह बात उठाई जाती रही है कि गन्ना अनुसंधान के बारे में सरकार को सोचना चाहिये। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो दो रुपये इससे आयेगा, उसका 36 पैसा हम गन्ना अनुसंधान के लिये रखेंगे और 30 पैसे हम गन्ना भुगतान की निधि में सुरक्षित रखेंगे। यदि कहीं पर किसी मद में पैसे की कमी हो गई है और उसमें पैसे की आवश्यकता है तो जिसमें पैसा है उससे उसका अन्तरण भी हो सकता है परन्तु शर्त यह है कि यह उधार के रूप में माना जायेगा। जब उस मद में पैसा हो जायेगा तो उसे वापस करना होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की बातें उठाई हैं, जिनका इस विधेयक के प्राविधानों से कोई संबंध नहीं है। जो शंकायें उठाई गई हैं, मुझे वह निर्मूल दिखाई पड़ती हैं।

माननीय श्री मलिक ने कहा कि हमने इसे बढ़ाया है। हो सकता है वह सुन नहीं पाये, या मेरी बात को समझ नहीं पाये या मैं अपनी बात उनसे कह नहीं सका। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि 25-11-94 से ही 2 रुपये प्रति कुन्तल यह निर्धारित किया गया है और इस विधेयक के माध्यम से हमने इसका विभाजन किया है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसे इसी रूप में पारित किया जाय।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, मैंने अनुरोध किया था कि जो एकत्र होने वाली राशि है, उसमें से 50 प्रतिशत से अधिक धनराशि गन्ना किसानों की फसल बीमा के लिये, उसके बच्चों की शिक्षा के लिये, उसके प्रशिक्षण के लिये तथा उनके चिकित्सा आदि की मदों पर व्यय किया जाय।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इनका जवाब तो दिया नहीं आरोपित और कर दिया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, कोई आरोपित मैंने नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय कार्य मंत्री जी को जवाब देने के लिये बुलाया वह क्या बोलेंगे यह तो वही तय करेंगे?

श्री स्वयंवर चौधरी–

माननीय सदस्य बोलते रहते हैं हमें बोलने दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं सिद्धार्थनगर में कोई चीनी मिल नहीं है 5 साल हो गये वहां चीनी मिल लगने की बात थी अभी तक नहीं लगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय स्वयंवर चौधरी जी यह चीनी मिल लगाने का विषय कहां है?

श्री स्वयंवर चौधरी–

मैं जानना चाहता हूं कि सिद्धार्थनगर से सटा हुआ जिला महाराजगंज है, बस्ती है। बस्ती में खलीलाबाद की चीनी मिल बंद पड़ी है। तो इन जिलों का किसान अपना गन्ना कहां ले जाय?

श्री अधिष्ठाता–

यह विषय कहां है? (व्यवधान, कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी पूरी तरह से विज्ञ हो गये हैं।

* श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय 14 मिलें उत्तर प्रदेश में चीनी की लगनी थी उसमें से एक शोरहतगढ़, सिद्धार्थनगर में लगनी थी उसका लाइसेन्स भी दे दिया गया है लेकिन वह अभी तक नहीं लगी तमाम किसानों का गन्ना बाहर ले जाने में कठिनाई हो रही है।

श्री अधिष्ठाता–

आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं यह विषय चीनी मिल लगाने का नहीं है।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, नबावगंज के किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शास्त्री जी आप भी वरिष्ठ सदस्यों में हैं कई बार सदन में इस बात को कह चुके हैं यह विषय इस समय कहां है?

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, गन्ने पर कल चर्चा करा दें या फिर 24 को एक दिन और हाउस बैठ जाये और इस पर चर्चा हो जाय।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

किसानों के बारे में मान्यवर, जो चिन्ता और विचार माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये हैं वह ठीक है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो गन्ना अनुसंधान के लिये दो रुपये में से 36 पैसा आवंटन गन्ना अनुसंधान के लिये होगा उसका सीधा फायदा किसान का ही होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्यों ने चीनी मिलों को लगाने के संबंध में मामला उठाया है और कहा कि किसानों के बकाये का भुगतान नहीं हो रहा है तो इसके लिये भी इसके लिये भी इसमें ध्यान रखा गया है उसके लिये धन आवंटित किया गया है (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में मिल लगाने के संबंध में बात कही है उसका इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर काफी विचार आ गये हैं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल

खण्ड 2, खण्ड 3, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1995

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन, 1995 कहा जायगा।

(2) यह 21 अप्रैल, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1961 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3, में,–

(एक) उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्–

"(10)" प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग करे के पश्चात् राज्य सरकार उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उद्गृहीत और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल किये गये कर के आगम के पचास प्रतिशत के बराबर धनराशि राज्य की संचित निधि से और उसके बाहर निकालेगी और निकाली गई धनराशि को निम्नलिखित अनुपात में निम्नांकित नाम की चार पृथक निधियों के खाते में जमा करेगी, अर्थात् :–

(क) उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान और विकास निधि को छत्तीस प्रतिशत;

(ख) उत्तर प्रदेश शक्कर फैक्ट्रियां पुनः स्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि को चौबीस प्रतिशत;

(ग) उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये ऋण सहायता निधि को तीस प्रतिशत;

प्रतिबन्ध यह है कि इस निधि के लेखे में जमा की जाने वाली कुल धनराशि पन्द्रह करोड़ रुपये से अधिक न होगी और उससे अधिक उपलब्ध किसी धनराशि को खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित निधियों के लेखे में क्रमशः साठ प्रतिशत और चालीस प्रतिशत के अनुपात में जमा किया जायगा;

(घ) कल्याण निधि के लिये दस प्रतिशत।"

(दो) उपधारा (12) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्–

"(12) उक्त चारों निधियों का अनुरक्षण और प्रवर्तन एक समिति में निहित होगा जो उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति कही जायगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्–

(क) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चीनी उद्योग विभाग जो समिति का अध्यक्ष और संयोजक होगा;

(ख) गन्ना, आयुक्त, उत्तर प्रदेश;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उसका नाम निर्देशिती जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो।";

(तीन) उपधारा (13) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्–

"(13) उपधारा (12) में अभिदिष्ट समिति एक निगमित निकाय होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी,–

(एक) निधियों की धनराशि को ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझें, विनिहित करना और निधियों के नामों में इंगित उद्देश्यों पर व्यय करना; और

(दो) इस शर्त के साथ एक निधि से दूसरी निधि में धनराशि अन्तरित करना कि ऐसी निधि की पूर्ति, उस निधि जिसमें धनराशि अन्तरित की गयी थी, से पुनः धनराशि अन्तरित करके की जायगी।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 1995

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा–संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के प्रविधान सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड –2, खण्ड –3, खण्ड –1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आपकी अनमुति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1995, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995

माध्यमिक, बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधयेक, 1995 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह रुड़की विश्वविद्यालय का अधिनियम एक मार्च, 1948 को प्रभावी हुआ था और रुड़की विश्वविद्यालय के शिक्षण व्यवस्थाओं से लेकर अन्य व्यवस्थाओं के लिये यह अधिनियम बना था लेकिन इस अधिनियम को संशोधित करने के लिये देखा गया कि लम्बे समय तक इस विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और शिक्षा प्रणाली में और अधिक कैसे विकास हो इसे ध्यान में रखते हुए इस नियम के तहत कुछ अनियमिततायें पाई गईं। इसलिये शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिये बहुत जरूरी हो गया कि इसमें संशोधन किया जाय। मान्यवर, इसके लिये 1983 से प्रयास होता रहा और बीच-बीच में तमाम अवरोध होते रहे लेकिन 1984 में प्रयास किया गया और भूतपूर्व कुलपति, डा० जयकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने संस्तुति किया कि इसमें संशोधन होना जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए 1992 में पंत्रिपरिषद् ने निर्णय लिया और दिनांक 18-1-95 को प्रस्ताव भी संशोधन के लिये आया। इसलिये इसमें संशोधन एक लम्बे समय से विचार हेतु चला आ रहा है लेकिन इस बार सरकार संशोधन कुछ मुद्दों पर कर रही है और वह महत्वपूर्ण हैं। मान्यवर, जहां रुड़की विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग शिक्षा के विकास अनुसंधान के क्षेत्र में एक शानदार विरासत है जिसे आगे और सुदृढ़ करने हेतु इसमें विधेयक ला रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस विधेयक के तहत हमारी रुड़की विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता और बढ़ेगी और इसका विकास होगा।

मान्यवर, इसमें दो महत्वपूर्ण बाडी होती हैं, एक सीनेट और दूसरी सिंडीकेट। मान्यवर, सीनेट बाडी में सदस्यों की संख्या अधिक थी इसलिये उसमें कम किया गया है जो एक अच्छा निर्णय है। इस तहर से सीनेट और सिंडिकेट बाडी में सदस्यों की संख्या जो अधिक थी उसे घटाकर क्रमशः 109 और 25 करने का प्रस्ताव रखा है।

मान्यवर, इसी तरह से स्टेट्यूटरी बाडी बना रहे हैं जिसके अन्तर्गत विद्या परिषद् और वित्त समिति का गठन कर रहे हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करेगी। मान्यवर, वित्त समिति इस विश्वविद्यालय की वेतन वितरण और वित्तीय नियंत्रण एवं उससे सम्बन्धित अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वतंत्र रूप से करेगी। इसी तहर विद्या परिषद् भी स्वतंत्र होकर शिक्षा प्रणाली और अन्य व्यवस्थाओं को देखेगी। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हम लाये हैं जो विश्वविद्यालय को सुदृढ़ करने के लिये अच्छी बात है जिससे देश में इसकी प्रतिभा बने। आई० आई० टी० संस्था है उसके समकक्ष ले जाने के लिये प्रयासरत हैं। रुड़की विश्वविद्यालय के पठन-पाठन में, संवर्गों में रिलेक्सेशन किया है। ऐसी तमाम प्रतिभायें हैं जो आई० आई० टी० में रही है। बहुत सी प्रतिभायें विदेश भागना शुरू कर देती हैं ऐसी प्रतिभाओं को रोकने के पक्ष में हैं और रुड़की विश्वविद्यालय को आई० आई० टी० संस्था के समकक्ष ले जा रहे हैं। एसोसियेट प्रोफेसर का पद किया है और लचीले पद देकर संशोधन कर रहे हैं। जो संशोधन लम्बे समय से लम्बित था रुड़की विश्वविद्यालय का, उसको हम सुन्दर रूप में रख रहे हैं। इसे सबको स्वीकार करना चाहिए। रुड़की विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज है इसकी सुन्दर स्थिति के बारे में संशोधन लाया गया है। इसको सबको स्वीकार करना चाहिए ताकि इसकी गरिमा को बढ़ाया जा सके।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 पर मंत्री जी ने अपने विचार रखे। इसको हम स्वीकार करते हैं लेकिन कुछ बिन्दुओं पर आपत्ति है। पृष्ठ –3 के खण्ड – 6 के मूल अधिनियम की धारा—10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाए—"चांसलर, वाइस चांसलर की नियुक्ति न्यूनतम तीन ऐसे इंजीनियरों, वैज्ञानिकों या प्रौद्योगिकीविदों की सूची में से करेगा जिन्हें कोई ऐसी कमेटी मनोनीत करे जिसमें इंडियन नेशनल एकेडेमी आफ इंजीनियर्स के प्रेसीडेन्ट या इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) के प्रेसीडेन्ट और राज्य सरकार के नियुक्त किये हुए दो सदस्य सम्मिलित हों।

(इस समय 2 बजकर 9 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में कहें।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि इसमें संशोधन किया जा रहा है। इसमें दो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए सदस्य एक नेशनल एकेडेमी आफ इंजीनियर्स के प्रेसीडेन्ट या इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) के प्रेसीडेन्ट की समिति बनेगी वह वाइस चांसलर का पैनल बनायेंगे। इसमें मेरी घोर आपत्ति है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त हो गयी। इससे सरकारीकरण किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले विश्वविद्यालय का विधेयक प्रस्तुत किया गया उसमें यह बात कही गयी है। कन्ट्रोलर आफ इक्जामिनेशन पी० सी० एस० को बनाया गया है उसका परिणाम पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष

समय काफी कम है।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

यह यूनिवर्सिटी से संबंधित विधेयक है। इस पर हमें अपने विचार रखने का समय मिलना चाहिए। मैं उच्च शिक्षा से संबंधित रहा हूं उच्च शिक्षा का मंत्री रहा हूं इस पर मैं अपने विचार रखूंगा। मेरा कहना है कि जो सरकार दो सदस्यों को नामित करेगी, एक विशेषज्ञ रहेंगे, इन तीन लोगों की समिति वाइस चांसलर हेतु नाम प्रस्तावित होगा। मान्यवर, जिस तरह से अन्य विश्वविद्यालयों में व्यवस्था है एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रहेगा, दूसरा इंडियन नेशनल एकेडेमी आफ इंजीनियर्स के प्रेसीडेंट का रहेगा। तीसरा सदस्य सिंडीकेट द्वारा मनोनीत या चुना हो तो कमेटी बनेगी, जो पैनल बनाया जायेगा वह महामहिम राज्यपाल के पास भेजा जायेगा वह वाइस चांसलर का चयन करेंगे। मेरा एक निवेदन है इसमें सही व्यवस्था नहीं हुई है कई बार विश्वविद्यालय के कुलपति 65 वर्ष की आयु से भी अधिक के बना दिये जाते हैं और उनको विश्वविद्यालय चलाने में एक तरह से कठिनाई होती है, इसलिये इसमें एक संशोधन किया जाए कि 65 वर्ष से अधिक की आयु का कोई कुलपति न बनाया जाये, 62 वर्ष तक की आयु का ही बनाया जाए। ताकि तीन वर्ष की सेवा उपरान्त 65 वर्ष की आयु में उसका टर्म समाप्त हो जाए, जो तीन वर्ष का उसका टर्म निर्धारित है।

उनके आगे मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि जो वाइस चांसलर द्वारा प्रो० वाइस चांसलर नियुक्त करने की व्यवस्था है, उसके संबंध में मेरा विचार है कि प्रायः यह देखा गया है कि वाइस चांसलर नियुक्त होने के बाद वह प्रो० वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं करता है काफी समय तक। इसके कारण से विश्वविद्यालय का कार्य संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिये इसमें यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाये कि वाइस चांसलर की नियुक्ति होने के बाद एक माह के अन्दर प्रो० वाइस चांसलर अवश्य नियुक्त कर लिया जाये।

इसी तरह इसके पृष्ठ 6 पर धारा (2) में दिया हुआ है कि "निर्दिष्ट श्रेणी तीन, चार, पांच और सात के किसी सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी और उक्त उपधारा में निर्दिष्ट श्रेणी छः के सदस्य की पदावधि, एक वर्ष होगी....." मान्यवर, इसमें मेरा सुझाव है कि सबकी पदावधि समान रखी जाए। माननीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहूंगा कि जो विधेयक यह प्रस्तुत किया गया है उसमें कई अच्छाइयां है। सिंडीकेट में सदस्यों की समयावधि समान रखी गयी है, जबकि और अन्य विश्वविद्यालयों में कार्यकाल की तीन-तीन कैटेगरी होती है। मेरा इस संबंध में सुझाव है कि इस विचार को देखते हुए अन्य विश्वविद्यालयों में भी 3 वर्ष की अवधि सभी प्रकार के सदस्यों के लिये रखी जाए। अन्त में मै पूरे विधेयक का एक तरह से ओवर-आल स्वागत करता हूं।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, गौर जी वास्तव में विश्वविद्यालय में रहे हैं, विद्वान हैं और उनका अपना अनुभव है। जहां तक पैनल का मामला है, अब तक एक इंजीनियर रहता रहा है और अब तीन का पैनल बना दिया गया है। इसका तो उन्हें स्वागत करना चाहिए। इससे इसमें निष्पक्षता हो रही है। जहां तक उन्होंने उम्र का सुझाव दिया है, हम मा० ऊदल जी से अनुभव ले सकते हैं.....

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधयेक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 3, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995

रुड़की विश्वविद्यालय (युनिवर्सिटी) ऐक्ट, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

चूंकि इंजीनियरिंग और विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में रुड़की विश्वविद्यालय की एक शानदार विरासत और परम्परा रही है और उसने एक प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त कर ली है :

और चूंकि विश्वविद्यालय को उत्कर्ष के केन्द्र के रूप में विकसित करने की दृष्टि से उसकी विद्या परिषद् और वित्त समिति का गठन करने और उसकी सिनेट और सिंडीकेट को पुनर्गठित करने के लिये और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को सुकर और दक्षतर बनाने के लिये रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट में अन्य संशोधन करना आवश्यक हो गया है :

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा।

(2) रुड़की विवविद्यालय (यूनिवर्सिटजी) ऐक्ट, 1947 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 9 सन् 1948 की धारा 2 का प्रतिस्थापन

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

"2–इस ऐक्ट में–

परिभाषायें

(क) "विद्या परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् से है;

(ख) शैक्षणिक विभाग (एकेडेमिक डिपार्टमेंट) का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी शिक्षण विभाग से है जिसमें ऐसा शिक्षण दिया जाता है जिसकी परिणित स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा में होती है:

(ग) "शैक्षिणिक केन्द" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी ऐसे विद्यालय, केन्द्र प्रयोगशाला, संस्थान या ऐसी ही किसी संस्था से है जिसमें अनुसंधान, शिक्षण या प्रशिक्षण का कार्य किया जाता हो, किन्तु जो खण्ड (ख) के अधीन न आता हों:

(घ) "अध्ययन बोर्ड" का तात्पर्य किसी शैक्षणिक विभाग या शैक्षणिक केन्द्र के अध्ययन बोर्ड से है जो रेगुलेशन के अनुसार गठित किया गया हो:

(ङ) "संकायाध्यक्ष" का तात्पर्य रेगुलेशन के अनुसार नियुक्त किसी संकायाध्यक्ष से है:

(च) "निदेशक या समन्वयकर्ता" का तात्पर्य रेगुलेशन के अनुसार इस रूप में नियुक्त शैक्षणिक केन्द्र के निदेशक या समन्वयकर्ता से है:

(छ) "वित्त समिति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है:

(ज) शैक्षणिक विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य रेगुलेशन के अनुसार नियुक्त किसी शैक्षणिक विभाग के अध्यक्ष से है:

(झ) "छात्रालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त निवास की इकाई से है:

(ञ) "रजिस्टर्ड ग्रेजुएट" का तात्पर्य धारा 20 के अधीन सिंडीकेट द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड ग्रेजुएट से है:

(ट) "रेगुलेशन" का तात्पर्य धारा 21 के अधीन सिंडीकेट द्वारा बनाये गये रेगुलेशन से है:

(ठ) "नियम" का तात्पर्य धारा 20 के अधीन सिंडीकेट द्वारा बनाये गये नियम से है:

(ड) "अध्यापक" (टीचर) का तात्पर्य प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, रीडर लेक्चरर या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य करता हो:

(ढ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन स्थापित रुड़की विश्वविद्यालय से है।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(1) विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइसचांसलर, प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई हो और सिनेट, सिंडीकेट, विद्यापरिषद् और वित्त समिति के सदस्य जो विश्वविद्यालय में तत्समय ऐसे पद धारण कर रहे हों, से रुड़की विश्वविद्यालय नामक एक निगमित निकाय गठित होगा।"

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में (एक) खण्ड (2) में उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे अर्थात्—

"(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की हो या कुछ शिक्षा विश्वविद्यालय में और कुछ किसी ऐसी संस्था में प्राप्त की हो जिसको विश्वविद्यालय ने इस निमित्त स्वीकृति प्रदान की हो; या

(कक) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त स्वीकृत किसी संस्थान में अनुसंधान कार्य किया हो; या" :

(दो) खण्ड (6) में शब्द "प्रोफेसरों" के पश्चात् शब्द "एसोसियेट प्रोफेसरों, असिस्टेन्ट प्रोफेसरों" बढ़ा दिये जायेंगे :

(तीन) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

"परन्तु विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण, बिक्री, दान, बन्धक या तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये पट्टे के रूप में नहीं करेगा।"

नई धारा 7-क का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"7-क-(1) विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण कार्य का पुनर्विलोकन करने के लिये

विश्वविद्यालय की पुनर्विलोकन समिति

विश्वविद्यालय की एक पुनर्विलोकन समिति होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में नौ सदस्य होंगे जो चांसलर द्वारा, उन व्यक्तियों में से जिन्होंने इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की हो, नामजद किये जायेंगे।

(3) पुनर्विलोकन समिति के सदस्य चांसलर के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे और ऐसी सुविधायें और मानदेय प्राप्त करेंगे जैसा नियमों द्वारा निर्धारित किया जाय।

(4) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, उसमें निर्दिष्ट समिति उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के दिनांक से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति पर विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्य का स्वतंत्र रूप से पुनर्विलोकन करेगी और अपनी रिपोर्ट चांसलर को प्रस्तुत करेगी जो इस पर ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसी वह ऐक्ट के अधीन समीचीन और आवश्यक समझे।"

धारा 10 का प्रतिस्थापन

6—मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

"10—(1) चांसलर, वाइसचांसलर की नियुक्ति न्यूनतम तीन ऐसे इंजीनियरों, वैज्ञानिकों या प्रौद्योगिकीविदों की सूची में से करेगा जिन्हे कोई ऐसी कमेटी मनोनीत करे जिसमें इंडियन नेशनल अकेडेमी आफ इंजीनियर्स के प्रेसीडेन्ट या इंस्टीट्यूशन आफ इंजनियर्स (इंडिया) के प्रेसीडेन्ट और राज्य सरकार के नियुक्त किये हुए दो अन्य सदस्य सम्मिलित हों। वाइसचांसलर ऐसे निबन्धनों पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अपने पद पर आरूढ़ रहेगा जैसी नियमों द्वारा निर्धारित की जाये। वाइसचांसलर

(2) जहां छुट्टी पर जाने या रोगग्रस्त होने या किसी अन्य कारण से वाइसचांसलर का पद अस्थायी रूप से खाली हो जाय, और

(एक) ऐसी रिक्ति दो मास से अनधिक की अवधि के लिये हो वहां प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई नियुक्त हो, या यदि कोई प्रो-वाइस-चांसलर न हो या प्रो-वाइस-चांसलर भी अनुपस्थित हो तो विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम प्रोफेसर दो मास की अवधि की समाप्ति तक या वाइस चांसलर के पद की रिक्ति भरने तक या प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई हो, के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें जो भी पहले हो, वाइसचांसलर की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा;

(दो) ऐसी रिक्ति दो मास से अधिक अवधि के लिये हो, वहां चांसलर किसी उपयुक्त इंजीनियर, वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् को वाइस चांसलर के पद पर छः मास से अनधिक अवधि के लिये, जो समय-समय पर एक वर्ष की कुल अवधि तक के लिये, जिसमें मूल आदेश में नियत अवधि भी है बढ़ाई जा सकती है, नियुक्त कर सकता है।"

धारा 11 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 11 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "सिंडीकेट का मेम्बर और उसका चेयरमैन होगा और" के स्थान पर शब्द "सिंडीकेट का मेम्बर और सिंडीकेट, विद्या परिषद् और वित्त समिति" का चेयरमैन होगा और" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "सीनेट और सिंडीकेट" के स्थान पर शब्द "सिनेट, सिंडीकेट, विद्या परिषद् और वित्त समिति" रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का प्रतिस्थापन

8—मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

"12—(1) वाइस चांसलर, यदि वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय के दस ज्येष्ठतम प्रोफेसरों में से एक को प्रो-वाइस- चांसलर नियुक्त कर सकता है। प्रो-वाइस-चांसलर

(2) प्रो-वाइस-चांसलर, प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रो-वाइस-चांसलर, वाइस चांसलर के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) प्रो-वाइस-चांसलर ऐसी सुविधायें और ऐसा मानदेय प्राप्त करेगा, जैसा नियमों द्वारा निर्धारित किया जाय।

(5) प्रो-वाइस-चांसलर ऐसे विषयों में, जैसे वाइस चांसलर द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किये जायं, वाइस-चांसलर की सहायता करेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसे वाइस-चांसलर द्वारा सौंपे या प्रत्यायोजित किये जायें और वाइस चांसलर की अनुपस्थिति में वाइस चांसलर की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।"

धारा 13 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द "सिनेट और सिंडीकेट के सेक्रेटरी की हैसियत से काम करेगा।" के स्थान पर शब्द "सिनेट, सिंडीकेट, वित्त समिति और विद्या परिषद के सेक्रेटरी की हैसियत से काम करेगा और नियमों द्वारा निर्धारित रीति से नियुक्त किया जायेगा।" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 15 में, खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(2-क) विद्या परिषद्;

(2-ख) वित्त समिति।"

धारा 16 का प्रतिस्थापन

"16—(1) सिनेट में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

सिनेट

श्रेणी—एक—पदेन—सदस्य :—

(एक) चांसलर;

(दो) वाइस चांसलर;

(तीन) प्रो-वाइस चांसलर, यदि कोई हो;

(चार) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर से कम का न हो;

(पांच) समस्त संकायाध्यक्ष;

(छः) समस्त शैक्षणिक विभागों के अध्यक्ष और समस्त शैक्षणिक केन्द्रों के निदेशक या समन्वयकर्ता :

(सात) रजिस्ट्रार;

श्रेणी—दो—आजीवन सदस्य :—

(आठ) तीन से अनधिक व्यक्ति, जिनको चांसलर नाम से इस कारण आजीवन सदस्य नियुक्त करे कि उन्होंने इंजीनियरिंग और प्रोद्योगिक विज्ञान या शिक्षा में विशिष्ठता बप्त की है या उनकी प्रशंसनीय सेवा की है;

(नौ) ऐसे समस्त व्यक्ति जिन्होंने विश्वविद्यालय को या उसके उद्देशयों के लिये कम से कम दस लाख रुपये दान दिया है; .

(दस) ऐसे समस्त व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के दिनांक को आजीवन सदस्य हों;

श्रेणी–तीन-संसद और राज्य विधान मण्डल के प्रतिनिधि :–

(ग्यारह) लोक सभा के दो सदस्य, जिन्हें लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जायेगा;

(बारह) राज्य सभा का एक सदस्य, जिसे राज्य सभा के सभापति द्वारा नामजद किया जायेगा;

(तेरह) राज्य विधान सभा के चार सदस्य जिन्हें उसके द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;

(चौदह) राज्य विधान परिषद् के दो सदस्य जिन्हें उसके द्वारा निर्वाचित किया जोयगा;

श्रेणी-चार-रजिस्टर्ड ग्रेजुएट :–

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड ग्रेजुएटों के दस प्रतिनिधि, जिन्हें नियमों द्वारा निर्धारित रीति से निवाचित किया जायेगा;

श्रेणी-पांच-अध्यापकों के प्रतिनिधि :–

(सोलह) विश्वविद्यालय के बीस अध्यापक, उनके सिवाय जो किसी अन्य हैसियत में उसके पहले से सदस्य हों, जो अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे। अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या और उनके निर्वाचन की रीति ऐसी होगी जैसी नियमों द्वारा निर्धारित की जाय :

परन्तु इस प्रकार एक बार निर्वाचित सदस्य की सदस्यता उस अवधि के दौरान जिसके लिये वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया था, केवल इस कारण से समाप्त नहीं हसो जायेगी कि उसे अध्यापकों की किसी उच्चतर श्रेणी में नियुक्त कर दिया गया था :

श्रेणी-छः-शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि :–

(सत्रह) विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चार प्रतिनिधि जिन्हें वाइस चांसलर द्वारा नामजद किया जायेगा;

श्रेणी-सात-राज्य सरकार द्वारा नामजद किये जाने वाले अन्य सदस्य, जो निम्नलिखित विशेष हितों या क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों, अर्थात् :–

(अठारह) इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) का एक प्रतिनिधि;

(उन्नीस) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, निगमों, अनुसंधान, रक्षा (डिफेन्स) या अन्य संगठनों के छः प्रतिनिधि;

(बीस) निजी क्षेत्र के उद्योगों या संगठनों के तीन प्रतिनिधि;

(इक्कीस) रेलवे और राज्य सरकार के सिंचाई और लोक निर्माण विभागों के एक-एक प्रतिनिधि;

(बाईस) विश्वविद्यालयं के आस-पास के औद्योगिक संगठनों के दो प्रतिनिधि;

(तेईस) विश्वविद्यालय के आस-पास के अनुसंधान संस्थाओं के दो प्रतिनिधि;

(चौबीस) विश्वविद्यालयों के विभिन्न शैक्षिक विषयों (डिसिप्लिन) के वृत्तिक निकायों के दो प्रतिनिधि;

(पच्चीस) राज्य के विश्वविद्यालयों, संस्थानों और महाविद्यालयों के, जिनमें इंजीनियरिंग या टेक्नालोजी में डिग्री पाठ्यक्रम हो, क्रमशः वाइस चांसलरों, डायरेक्टरों और प्रिंसिपलों में से तीन प्रतिनिधि।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट श्रेणी तीन, चार, पांच और सात के किसी सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी और उक्त उपधारा में निर्दिष्ट श्रेणी छः के सदस्य की पदावधि, एक वर्ष होगी, जो यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नामजद किये जाने के पश्चात् सिनेट की प्रथम बैन्क होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी।

(3) कोई व्यक्ति जो सिनेट का सदस्य (चाहे निर्वाचन या नामजदगी द्वारा) कोई पद विशेष धारण करने के आधार पर हुआ हो, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि, यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, ऐसे पद विशेष पर न रह जाने पर ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।"

धारा 18 का प्रतिस्थापन

12—मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

18—(1) सिंडीकेट विश्वविद्यालय की इक्जीक्यूटिव बाडी होगी।

सिंडीकेट

(2) सिंडीकेट में निम्नलिखत सदस्य होंग, अर्थात्—

(क) वाइस चांसलर;

(ख) प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई नियुक्त हों;

(ग) तीन विभागाध्यक्ष और शैक्षणिक केन्द्रों का एक निदेशक या समन्वयकर्ता, जो नियमों द्वारा निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम से विद्या परिषद् द्वारा नामजद किये जायेंगे;

(घ) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(ङ) अध्यापकों के नौ प्रतिनिधि, सिवाय उनके जो किसी अन्य हैसियत में सिंडीकेट के पहले से सदस्य हों, जिन्हें सिनेट द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या और उनके निर्वाचन की रीति ऐसी होगी जैसी नियमों द्वारा निर्धारित की जाय;

(च) चार व्यक्ति जिन्हें सिनेट द्वारा अपने ऐसे सदस्यों में से जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, निर्वाचित किया जायेगा;

(छ) सुविख्यात इंजीनयिरों और वास्तुविदों (आर्किटेक्टों) में से दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें नियमों द्वारा निर्धारित रीति से चांसलर द्वारा नामजद किया जायेगा;

(ज) सुविख्यात शिक्षाविदों आर वैज्ञनिकों में से दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें नियमों द्वारा निर्धारित रीति से चांसलर द्वारा नामजद किया जायेगा;

(झ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर से कम का न हो;

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग), (ङ), (च), (छ), और (ज) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी जो यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नामजद किये जाने के पश्चात् सिनेट की प्रथम बैठक होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी।

(4) कोई व्यक्ति जो सिनेट का सदस्य (चाहे निर्वाचन या नामजदगी द्वारा) कोई पद विशेष पद धारण करने के आधार पर हुआ हो, इस बात के होते हुए भी, कि उसकी पदावधि यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, ऐसे पद विशेष पर न रह जाने के कारण ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।"

धारा 19 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(3) सिंडीकेट अध्यापकों की संख्या और अर्हताओं और एक्जामिनरों को देय फीस के सम्बन्ध में विद्या परिषद् की संस्तुति पर विचार किये बिना कोई विनिश्चय नहीं करेगा।"

नई धारा 19-क, 19-ख, 19-ग और 19-घ का बढ़ाया जाना

14—मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्

"19—क—(1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी; विद्या परिषद्

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्

श्रेणी-एक-पदेन सदस्य :—

(एक) वाइस चांसलर;

(दो) प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई नियुक्ति होत;

(तीन) समस्त शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष;

(चार) समस्त शैक्षणिक केन्द्रों के निदेशक या समन्वयकर्ता;

(पांच) पुस्तकालयाध्यक्ष;

(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा नामजद एक व्यक्ति;

(सात) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग का एक नामजद व्यक्ति;

(आठ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, बविधिक शिक्षा विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो;

(नौ) समस्त संकायाध्यक्ष;

(दस) रजिस्ट्रार;

श्रेणी-दो-अध्यापकों के प्रतिनिधि :-

(ग्याहर) विश्वविद्यालय के पांच ज्येष्ठतम प्रोफेसर;

(बारह) प्रत्येक शैक्षणिकि विभाग से दो अध्यापक, जो ज्येष्ठताक्रम में, चक्रानुक्रम से, वाइस चांसलर द्वारा नामजद किये जायेंगे।

परन्तु केवल ऐसे लेक्चरर नामजदगी के लिये पात्र होंगे जिन्हें लेक्चरर के रूप में या समकक्ष क्षमता में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो;

श्रेणी–तीन–चांसलर के नामजद व्यक्ति :–

(तेरह) वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, टेक्नालाजिस्टों, इंजीनियरों और वास्तुविदों (आर्किटेक्टों) में से चांसलर द्वारा नामजद पांच से अनधिक व्यक्ति:

(चौदह) विश्वविद्यालयों, संस्थानों और महाविद्यालयों के, जिनमें इंजीनियरिंग या टेक्नालाजी में डिग्री पाठ्यक्रम हो, क्रमशः वाइस चांसलरों, निदेशकों और प्रिंसिपलों में से चांसलर द्वारा नामजद पांच से अनधिक व्यक्ति:

श्रेणी-चार औद्योगिक या वाणिज्यिक संगठनों के प्रतिनिधि :–

(पन्द्रह) राज्य सरकार द्वारा नामजद किये जाने वाले औद्योगिक या वाणिज्यिक संगठनों के दो प्रतिनिधि:

(3) उपधारा (2) के खण्ड (बारह), (तेरह), (चौदह) और (पन्द्रह) निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगा जो उसकी नामजदगी के पश्चात् विद्या परिषद् की प्रथम बैठक होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी।

(4) कोई व्यक्ति जो विद्या परिषद् का सदस्य (चाहे निर्वाचन या नामजदगी द्वारा) कोई पद विशेष धारण करने के आधार पर हुआ हो, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि, यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, ऐसे पद विशेष पर न रह जाने के कारण ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।

19-ख-विद्या परिषद्, इस ऐक्ट, नियमों और रेगुलेशनों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए

विद्या परिषद् की शक्ति और कर्तव्य

(क) समस्त शैक्षणिक विषयों से संबंधित उपबन्धों को रेगुलेशनों में सम्मिलित किया जाने के लिये सिंडीकेट को संस्तुति करेगी;

(ख) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगी;

(ग) शैक्षणिक विभागों और शैक्षणिक केन्द्रों के सृजन या उत्पादन या आमेलन या विभाजन के लिये प्रस्तावों पर विचार करेगी और सिंडीकेट को उनकी सिफारिश करेगी;

(घ) विश्वविद्यालय में किये जा रहे या दिये जा रहे शिक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के स्तर का नियंत्रण, विनियमन और अनुरक्षण करेगी;

(ङ) अध्ययन बोर्ड के कार्य संचालन का समन्वयन करेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षण और परीक्षा की प्रणाली के संबंध में उनके प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन करेगी;

(च) पी० एच० डी० अभ्यर्थियों के एक्जामिनरों की सिफारिशों की संवीक्षा और उनका अनुमोदन करेगी;

(छ) अध्यापकों की संख्या और उनकी अर्हताओं और एक्जामिनरों को देय फीस के सम्बन्ध में सिंडीकेट को सलाह देगी;

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के प्रमाण-पत्रों, डिप्लोमाओं और डिग्रियों की मान्यता के सम्बन्ध में जैसा कि नियमों और रेगुलेशनों में निर्धारित है, अनुमोदन करेगी;

(झ) ऐसे विषयों पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें देगी जो सिनेट या सिंडीकेट द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जायं;

(ञ) शैक्षणिक विषयों के संबंध में समस्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी, जो इस ऐक्ट, नियमों और रेगुलेशनों के उपबन्धों के समुचित कार्यान्वयन के लिये आवश्यक हों;

(ट) विश्वविद्यालय की शिक्षण पद्धति में सेवायोजक संगठनों द्वारा बदलाव की अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिये उनसे सम्पर्क बनाये रखेगी।

19-ग-(1) वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्-

वित्त समिति

(क) वाइस चांसलर;

(ख) प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई नियुक्त हो;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो;

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो;

(ङ) सिंडीकेट के संकल्प द्वारा नामजद किये जाने वाले पांच व्यक्ति जिनमें से दो सिंडीकेट के सदस्यों से भिन्न ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी शिक्षा और वित्त में रुचि हो;

(च) मुख्य लेखा अधिकारी;

(छ) रजिस्ट्रार।

(2) खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी जो उसकी नामजदगी के पश्चात् वित्त समिति की प्रथम बैठक होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी:

परन्तु कोई व्यक्ति जो सिंडीकेट का सदस्य होने के आधार पर सदस्य हुआ हो, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, सिंडीकेट का सदस्य न रह जाने के कारण ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।

वित्त समिति की शक्ति और कर्तव्य

19—(घ) वित्त समिति इस ऐक्ट, नियमों और रेगुलेशनों के उपबन्धों हुए, के अधीन रहते निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का सम्पादन करेगी:—

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट को बनाना और उसके लिये निधि का आवंटन;

(ख) सहायता अनुदान से भिन्न अतिरिक्त करने के लिये विश्वविद्यालय को सलाह देना;

(घ) ऐसे अन्य विषय जो उसे सिंडीकेट द्वारा निर्दिष्ट किये जायं।

(2) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो नियमों के अधीन उसे सौंपे जायं।"

धारा 28 और 29 का प्रतिस्थापन

15—मूल अधिनियम की धारा 28 और 29 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

संक्रमणकालीन उपबन्ध

"28—उत्तर प्रदेश, रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ होने पर—

(एक) राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष के पश्चात् नहीं, धारा 19-क के उपबन्धों के अनुसार विद्या परिषद् के गठन के लिये

कार्यवाही करेगी और जब तक विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाय, तब तक विद्या परिषद् के कृत्यों का पालन सिंडीकेट द्वारा किया जायेगा;

(दो) सिनेट के सदस्य (उनसे भिन्न जो विश्वविद्यालय के अफसर या आजीवन सदस्य हों) ऐसे सदस्य के रूप में पद पर नहीं रहेंगे और राज्य सरकार यथाशक्य शीघ्र किन्तु ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष के पश्चात् नहीं, धारा-16 के उपबन्धों के अनुसार सिनेट के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही करेगी और जब तक ऐसा पुनर्गठन न हो जाय तब तक सिनेट में पदेन सदस्य, आजीवन सदस्य और सिंडीकेट के ऐसे सदस्य होंगे जो खण्ड (तीन) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामजद किये गये हों;

(तीन) वाइस चांसलर और प्रो-वाइस-चांसलर से भिन्न सिंडीकेट के सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में पद पर नहीं रहेंगे और राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र किन्तु ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष के पश्चात् नहीं, धारा 18 के उपबन्धों के अनुसार सिंडीकेट के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही करेगी और जब तक ऐसा पुनर्गठन न हो जाय तब तक सिंडीकेट में वाइस-चांसलर, प्रो-वाइस-चांसलर, छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष, सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग और ऐसे सदस्य होंगे जो धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (ङ), (च), (छ) और (ज) में निर्दिष्ट श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नामजद किये गये हों।

अधिभार

29—(1) चांसलर के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई अफसर विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन ऐसे अफसर के रूप में कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या कदाचरण का प्रत्यक्ष परिणाम हो;

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्ग्रस्त धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा निर्धारित की जाय।"

धारा 31 का प्रतिस्थापन

16—मूल अधिनियम का धारा 31 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"31—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि के भीतर, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो 1995 के उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, और उस कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष, यथाशक्य शीघ्र रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू

होंगे जिस प्रकार वे उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं।"

धारा 32 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द "सिंडीकेट या सिनेट" के स्थान पर शब्द "सिनेट, सिंडीकेट, वित्त समिति या विद्या परिषद्" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह कि खण्ड 2 से खण्ड 1, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नय यह है कि उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1995–96 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान

अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 84—सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 19—कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20—कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या 30—गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अधिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या 46—प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 78—सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 82—सतर्कता विभाग

(मुख्य मंत्री सुश्री मायावती के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

(सत्ता पक्ष की ओर इशारा कर)–अब तो आप लोग मेंज थपथपा दें।

मुख्य मंत्री सुश्री मायावती–

मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोद तिवारी जी मेजें थपथपाना चाहते हैं मेरे बोलने पर, इसलिये कहलवाया है, ताकि वह भी बोलें तो मेंजे थपथपाई जायें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं तो चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस तरह मुस्करा कर बोलती रहें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

जो मांगें हैं पहले आप उन्हें प्रस्तुत कर दें।

सुश्री मायावती–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,00,39,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,00,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,24,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों

को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,86,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

मान्यवर, अभी मैंने गृह विभाग, सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार आदि विभागों की अनुदान मांगें प्रस्तुत की और जिन पर मैं अपने संक्षिप्त विचार व्यक्त करना चाहती हूं । यह अनुदान मांगें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और उनसे संबंधित विषय प्रदेश के जनजीवन से सीधे जुड़े हुए हैं । किसी कल्याणकारी राज्य की कल्पना इसी तथ्य में निहित है कि वहां की जनता को यह महसूस हो कि शासन उनके कल्याण और हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है और सरकार सर्वजन हिताय कार्य करते हुए विशेषकर उनका ध्यान भी रख रही है जो सदियों से दबे, कुचले हैं, पीड़ित हैं जिन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक व आर्थिक विकास का सुख अभी तक नहीं मिला है । हमें सत्ता में आए हुए लगभग तीन महीने के करीब हुए हैं लेकिन इस अल्प अवधि में हमने प्रदेश की जनता को व्यापक हितों के मद्दे नजर रखते हुए अनेकों ठोस कदम उठाए हैं । जिससे उन्हें यह महसूस हुआ है कि 3 माह पूर्व मात्र सत्ता परिवर्तन ही नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन भी हुआ है ।

[2 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार को विरासत में गुण्डाराज मिला है । वर्ष 1993 के चुनावों में कुछ मुद्दों और सिद्धान्तों को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में गठबन्धन हुआ था, जिन मुद्दों को लेकर यह तालमेल हुआ है, यह तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं यह अवगत कराना चाहती हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का तालमेल हुआ तो जो मुद्दे रखे गये थे, उसमें पहला मुद्दा यह था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारु रूप से चले । दूसरा मुद्दा यह था कि दलितों, शोषितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर किसी किस्म की जुल्म-ज्यादती नहीं होनी चाहिए और पूरे प्रदेश में जनता यह महसूस करे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कानून का राज कायम हो गया है । यह भी तालमेल हुआ था कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाती है और गठबन्धन की सरकार हो जाती है तो किसी किस्म की गुण्डागर्दी, माफियागर्दी नहीं बढ़नी चाहिये । साथ ही जो भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वह छोटे इलेक्शन हों अथवा बड़े इलेक्शन हों, इन चुनावों में किसी किस्म की धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिये और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिये ।

लेकिन मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह गठबन्धन की सरकार 18 महीने चली और हमारी पार्टी भी उस सरकार को चलाने में शामिल थी लेकिन पूरे सदन को और विभिन्न पार्टियों के माननीय नेताओं को इस बात के बारे में पूरी जानकारी है कि पिछले 18 महीने जो गठबन्धन की सरकार चली, उसके दौरान जब हमारी पार्टी के अध्यक्ष मान्यवर, कांशीराम जी जब साउथ के दौरे पर, वहां के दबे-कुचले लोगों को तैयार करने के लिये निकले तो उन्होंने मेरे कन्धों पर यहां की जिम्मेवारी डाली थी । इन 18 महीनों के अन्दर मैंने क्या देखा, क्या महसूस किया, वह तो आप लोगों को समय-समय पर अखबारों के माध्यम से जानकारी मिलती रही होगी । इसके अलावा मेरे पास जो एम० एल० एज० आते थे, उनके माध्यम से भी जानकारी मिलती थी । इन 18 महीनों के दौरान गरीबों, दलितों, शोषितों, महिलाओं पर जो जुल्म-ज्यादती हुई और जो चुनाव में धांधलेबाजी हुई, तारादेवी का केस आप लोगों को

अच्छी तरह मालूम है, इस तरह के तमाम काम पूर्व की सरकार के दौरान हुये । मैं मुलायम सिंह यादव को समय-समय पर अवगत कराती रहती थी कि जिन मुद्दों को लेकर यह सरकार बनी है, उन पर अमल नहीं हो रहा है, उन पर अमल कराया जाय, तो मुलायम सिंह यादव जी अक्सर यह कह दिया करते थे कि हम जरूर सोचेंगे । कुल मिलाकर इन 18 महीनों के दौरान, जिन मुद्दों को लेकर यह सरकार बनी थी, उन मुद्दों पर अमल नहीं किया गया, नतीजा क्या हुआ, बहुजन समाज पार्टी के लोग इससे बहुत दुखी थे, हमारे सारे एम० एल० एज० दुखी थे, मंत्री भी दुखी थे, इसके अलावा हमारी पार्टी ही नहीं, अपितु भारतीय जनता पार्टी भी बहुत दुखी थी और साथ ही इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी दुखी थी । इन 18 महीनों के अन्दर भारतीय जनता पार्टी में दो टुकड़े तो नहीं हुये, लेकिन कांग्रेस पार्टी में दो टुकड़े अवश्य हुये । कांग्रेस पार्टी के लोग अवश्य इस बात को जानते होंगे कि कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े क्यों हुये ? क्यों लोग निराश हुये ?

क्यों हमारे भाई प्रमोद तिवारी जी से नाखुश हुये, यह अच्छी प्रकार से कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाले एम० एल० ए० जानते हैं । भारतीय जनता पार्टी के लोग दुखी थे, कांग्रेस के लोग दुखी थे, जनता दल के लोग दुखी थे । हमारे जो निर्दलीय एम० एल० ए० हैं वह भी दुखी थे । सी० पी० एम० के लोग दुखी थे । सी० पी० आई० के एम० एल० ए० भी तोड़ लिये गये थे और हमारे बुजुर्ग अकेले रह गये लेकिन उनको घबराना नहीं चाहिये आपकी बेटी आपके साथ है । (मेजों की थपथपाहट) हमारे बुजुर्ग अकेले नहीं हैं । हम उनके साथ हैं, हम सब लोग मिलकर जिन वादों को लेकर यह सरकार बनी है और जिनको पूरा नहीं किया गया था उनको पूरा करेंगे ।

मैं बताना चाहती हूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग भी दुखी थे, बहुजन समाज भी दुखी था । भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनता दल, सी० पी० आई० और जो निर्दलीय माननीय सदस्य हैं वह दुखी थे । लोग कहते थे कि आपकी सरकार है आप श्री मुलायम सिंह यादव को समझाइये । जो गुंडागर्दी, माफियागर्दी बढ़ रही है, अन्याय और अत्याचार बढ़ रहा है उसके विषय में लोग हमसे शिकायत करते थे । हम लोगों का सोचना था कि मुलायम सिंह यादव जी को सुधारने का मौका दिया जाय । आपको मालूम होगा, कि बीच में माननीय कांशीराम जी आये थे और मैं भी आयी, तो कहा गया कि 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने का समय दे दें स्थिति में सुधार किया जायेगा । लेकिन ऐसा करते-करते 18 महीने बीत गये । जब यह लगा कि श्री मुलायम सिंह यादव में कोई सुधार नहीं आने वाला है तो हमने सोचा कि समर्थन वापस लिया जाना चाहिये । जब हमने समर्थन वापस लेने का फैसला किया बहुजन समाज के हित में और उत्तर प्रदेश के हित में तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मेरी बातचीत हुयी । कांग्रेस पार्टी, जनता दल, सी० पी० आई० के नेताओं से बात हुयी तो उन्होंने कहा कि आप समर्थन वापस ले रही हैं लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर ऐसे हालत नहीं है कि चुनाव हों, अगर चुनाव होते हैं तो वह किसी पार्टी के लिये हित में नहीं होगा और न जनता तथा प्रदेश के हित में होगा । बेहतर है कि आप सरकार बनाइये हम आपको सहयोग देंगे ।

बड़ी खुशी की बात है कि इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दल है उन्होंने हमें बिना शर्त समर्थन दिया और कुछ उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर जिन मुद्दों पर मुलायम सिंह यादव जी ने अमल नहीं किया था । भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग दिया । लेकिन जहां

तक कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधान मंत्री नरसिंह राव जी, उनका पूरा सहयोग रहा । उस मौके पर मैं प्रधानमंत्री जी से मिली थी, उन्होंने कहा, कि ठीक है, हमारे तो मेम्बर बहुत कम हैं लेकिन हमारा मारल सपोर्ट आपके साथ रहेगा । जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी० पी० सिंह ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर आपने समर्थन वापस लिया है उस पर हमारा सहयोग है और हमारा मारल सपोर्ट रहेगा । मैं बताना चाहती हूं कि जो हमारे निर्दलीय माननीय सदस्य हैं वह भी आप लोगों की तरह दुखी थे । उनका कहना था कि हम भी दुखी हैं ।

तो ऐसे मौके पर भाजपा ने बिना शर्त, कुछ मुद्दों को ध्यान में रखकर, हमें समर्थन दिया है, सहयोग दिया है । मान्यवर, हमारी सरकार को विरासत में गुण्डा राज मिला और उससे सभी लोग जानकार हैं । इस पर मैं विस्तार से जानकारी नहीं देना चाहती हूं, लेकिन इतना बताना चाहती हूं कि जिन दलितों और पिछड़े लोगों के लिये और अत्यन्त अल्प संख्यकों के लिये जो सबसे ज्यादा दुखी थे, पिछली सरकार में उनको कोई राहत नहीं मिली, मान्यवर, पिछली सरकार के 18 माह की अवधि और 1991-92 की भाजपा सरकार के 18 माह की अवधि में अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध हुये अपराधों के आंकड़ों की तुलना के आधार पर हत्याओं में 13 प्रतिशत की वृद्धि, गंभीर चोटों में 19 प्रतिशत की वृद्धि, अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के बलात्कार में 59 प्रतिशत की वृद्धि, दलितों के विरुद्ध आगजनी की घटनाओं में 42 प्रतिशत की वृद्धि, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मुकदमों में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसी प्रकार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में भी बढ़ोत्तरी, दहेज हत्यायें 27 प्रतिशत अधिक, बलात्कार 19 प्रतिशत अधिक, शीलभंग 53 प्रतिशत अधिक और अपहरण 18 प्रतिशत अधिक हुए ।

मान्यवर, पंचायत राज लोकतंत्र की आधारशिला है किन्तु पिछले पंचायत चुनावों में एक दल विशेष ने जिस प्रकार गुण्डागर्दी की वह लोकतंत्र पर कलंक है । प्रदेश में 5 सौ हिंसात्मक घटनाय, 33 व्यक्तियों की हत्या, 49 मामलों में गुण्डों द्वारा फायरिंग जिसमें 70 व्यक्ति घायल, मारपीट की 109 घटनायें जिनमें 86 व्यक्ति जख्मी और मतपेटियां छीनने और उनमें पानी डालने की 248 घटनायें हुयीं, मान्यवर, 2 जून, 1995 को राज्य अतिथि गृह में घटित घटना लोकतंत्र पर कलंक है । लोकतंत्र के रक्षक होने का दावा करने वाले लोगों ने लोकतंत्र की चारो स्तम्भों कार्यपालिका, न्यायपालिका विधायिका, एवं प्रेस पर आक्रमण किया । उनका शासनकाल लोकतान्त्रिक मूल्यों पर नहीं, बल्कि गुण्डागर्दी पर आधारित था अतः हमने गुण्डागर्दी, आतंक व अन्याय समाप्त करने का संकल्प लिया । सरकार ने सबसे पहले अपराधमुक्त व्यवस्था की स्थापना और गुण्डाराज की समाप्ति का लक्ष्य अपने सामने रखा । गुण्डों, माफिया के लोगों तथा साम्प्रदायिक तत्वों के खिलाफ अभियान प्रारम्भ किया गया, जिसमें सफलता मिली ।

जून, 1995 के शुरू से जुलाई, 95 के अन्त तक की अवधि में डकैती, लूट, गृह भेदन, ट्रांसफार्मर चोरी, फिरौती के लिए अपहरण, रोड होल्डअप आदि प्रमुख अपराधों में वर्ष 1994 की तुलना में भारी कमी आई ।

1-6-95 से 31-7-95 तक आई० पी० सी० के कुछ अपराध पांच वर्षों की इसी अवधि में सबसे कम रहे जो उल्लेखनीय उपलब्धि है । मान्यवर, जून तथा जुलाई, 1995 में पुलिस एवं डकैतों के बीच

282 मुठभेड़, 28 डकैत मारे गये, 595 डकैत गिरफ्तार, जिनसे 421 अवैध शस्त्र बरामद किये गये, एन० एस० ए० के अन्तर्गत 35 अपराधियों को निरुद्ध किया गया, 119 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट में कार्यवाही की गयी, 768 अपराधियों के खिलाफ गुण्डा ऐक्ट में कार्यवाही की गयी और 6774 व्यक्तियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम में कार्यवाही की गयी। 1-8-95 से हमने 45 दिनों का अपराध नियंत्रण अभियान शुरू किया है, जिसके पहले सप्ताह में ही एक माफिया सदस्य मुठभेड़ में मारा गया और तीन गिरफ्तार किये गये। 97 गुण्डे, 72 डकैत, 81 लुटेरे, 26 रोड होल्ड अप करने वाले अपराधी, 109 हत्यारे, 10 अपहरणकर्ता, 78 वाहन चोर, तथा 287 महिलाओं को छेड़ने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न श्रेणियों के 6729 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। 6 अपहृत व्यक्ति बरामद किये गये और चोरी गये 116 वाहन बरामद किये गये। 10 व्यक्तियों को एन० एस० ए० में निरुद्ध किया गया। गैंगस्टर एक्ट में 27 और गुण्डा ऐक्ट में 44 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई।

मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजति और अन्य निर्बल वर्ग के व्यक्तियों तथा महिलाओं की सुरक्षा का भी संकल्प लिया है। जब यह मेरी सरकार बनी तो मैंने शपथ लेने के बाद ही यह कहा था कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अन्दर अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण बनायेगी लेकिन इसके साथ ही साथ जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूं खासतौर से ऐसा समाज जिसके अनुसूचित जाति से सम्बन्ध है इस देश के अन्दर जो मनुवादी व्यवस्था की शिकार है, गैर बराबरी वाली व्यवस्था की सबसे ज्यादा शिकार है। खासकर के ऐसे वर्ग पर निर्बल वर्गों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जायेगा उनके साथ न्याय धर्म या जाति को ध्यान में रखकर नहीं होगा। मेरी जिम्मेदारी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की आती है लेकिन सर्वसमाज में जो सबसे ज्यादा दबे कुचले समाज के आप लोग भी चाहते हैं कि उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय। मेरी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं यह बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजति एवं अन्य निर्बल वर्ग के व्यक्तियों तथा महिलाओं की सुरक्षा करने और उनका उत्पीड़न रोकने के लिए संकल्पबद्ध है।

इन वर्गों के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने, तथा उनके उत्पीड़न के मामले में तत्परता से अपराध पंजीकरण, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल निरीक्षण एवं अभियुक्तों की त्वरित गिरफ्तारी आदि के बारे में कड़े निर्देश जारी किये गये हैं। इन मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई बरदाश्त नहीं की जायेगी।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और निर्बल वर्गों के व्यक्तियों के साथ-साथ हम लोगों ने प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए भी कड़े कदम उठाये हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव देश और प्रदेश के विकास के लिए अनिवार्य है हमारी सरकार इस दिशा में पूरी तौर से सजग है। मोहर्रम के अवसर पर शान्ति व्यवस्था भंग कर सरकार को बदनाम करने की साजिश समाजवादी पार्टी के लोगों ने और कुछ असामाजिक तत्वों ने की थी। मोहर्रम का त्योहार आया यह त्यौहार गम का था लेकिन उस मौके पर भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और मोहर्रम के मौके पर कुछ इस तरह का तनाव पैदा किया जाय जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिक दंगा हो सके। जब से इस बात की भनक पड़ी तो मेरी सरकार ने कड़े निर्देश दिये और जब कड़ाई बरती गयी तो फिर समाजवादी पार्टी के नेता और कुछ असमाजिक तत्वों को बढ़ावा देने वाले कुछ नेताओं ने फिर कहा कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने इमरजेंसी जैसा माहौल बना दिया है।

दिया है । आपातकाल जैसा माहौल बना दिया है । मैं बताना चाहती हूं कि यह मुख्य मंत्री जिसको आप लोगों ने मिलजुलकर बनाया है यह सख्त किस्म की मुख्य मंत्री है और यह किसी प्रकार से किसी मजहब या धर्म में किसी को दखल नहीं देने देगी कोई भी त्योहार हो उसको आजादी से मनाने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया जायेगा जो उसको सहारा लेकर उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करें । तो मोहर्रम के मौके पर मेरी सरकार ने सख्ती से कदम उठाये और, नतीजा क्या हुआ आपको यह जानकर खुशी होगी, कि मेरी सरकार से पहले जितनी भी सरकारें थी जब भी यह त्योहार आया, तो कहीं न कहीं साम्प्रदायिक तनाव पैदा हुआ और कुछ लोग मारे गये, लेकिन यह पहला मौका है जब कोई भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ और न ही कोई व्यक्ति मारा गया । सहारनपुर में एक छत गिरने के वजह से कुछ लोगों को जरूर नुकसान हुआ । जब ताजिये गुजर रहे थे तो कुछ लोग छत से देख रहे थे और छत गिर पड़ी थी उससे कुछ लोगों को नुकसान हुआ था । तो मैं यह बताना चाहती हूं कि मेरी सख्ती के कारण ही कोई अप्रिय घटना नहीं घटी ।

मान्यवर, वाराणसी में तीज के अवसर पर तीसरे सोमवार को विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल द्वारा श्रृंगार को जलाभिषेक किये जाने की घोषणा से साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की सम्भावना थी । लेकिन सरकार ने दृढ़ता के साथ निर्णय लिया कि कोई नयी परम्परा स्थापित न की जाये । उस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमें पूरा सहयोग दिया । मान्यवर, जब मेरी सरकार ने सख्ती बरती तो कुछ समाजवादी पार्टी के लोग अपनी घिनौनी हरकत से बाज नहीं आये । एक पारसनाथ मौर्य विधान परिषद् के मेम्बर हैं उनकी अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के लोग और कुछ असामाजिक तत्व जो ज्ञानवापी मस्जिद के नजदीक थे, उनकी प्लानिंग थी कि कोई अप्रिय घटना घट जाये,लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया और श्री पारसनाथ मौर्य जी और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया, जिसका सरकारी रिकार्ड मेरे पास है आप देखेंगे तो उसमें मिल जायेगा । इससे यह साबित हो जाता है कि जब भी ऐसे मौके आये तो समाजवादी पार्टी के तथा और लोगों ने जिनकी हमदर्दी मुलायम सिंह यादव जी के साथ थी, उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की लेकिन हमारी सरकार ने इसे फैलने नहीं दिया ।

मान्यवर, मथुरा के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं । कल इसके ऊपर काफी विस्तार से मैंने अपनी बात हाऊस में कही थी । मान्यवर, मथुरा के अन्दर बड़े पैमाने पर खास तौर से कांग्रेस पार्टी के लोग, जब मैं 14 तारीख को प्रधान मंत्री जी से मिली थी तो उन्होंने कहा कि हम आपको पूरा सहयोग देंगे और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं । लेकिन दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रधान मंत्री जी की टांग खीचने में लगे हुए हैं । खास तौर से मैं राजेश पाइलट जी का नाम लूंगी । 18 तारीख को जन्माष्टमी थी और 17 तारीख को उन्होंने मथुरा के डी० एम० को कहा कि मैं मथुरा आना चाहता हूं ।, डी० एम० ने मुझे टेलीफोन किया, तो मैंने उनसे यह कहा कि मना कर दो । मैंने फिर फैक्स के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री चव्हाण जी को इत्तिला दी और यह पूछा कि आपके संज्ञान में यह है कि नहीं । मान्यवर, राजेश पायलट जी ने मेरे अधिकारियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया और यह कहा कि मुख्य मंत्री जी को मनाओ ताकि धारा 356 के तहत उन्हें अधिकार मिल जाये । उसका वह दुरुपयोग कर लें और केन्द्र सरकार के पास अधिकार चला जाय । वह यह समझ बैठे थे कि मायावती इतने बड़े प्रदेश की

मुख्य मंत्री बन गई, जो कभी मिनिस्टर तो रही नहीं और जिसे तजुर्बा भी नहीं है, इसलिये हम उसका भरपूर फायदा उठा लेंगे ।

किन्तु श्री राजेश पायलट व उनके रास्तों पर चलने वाले कुछ केन्द्रीय नेता व कुछ प्रदेश में बैठने वाले लोगों का षड़यंत्र फेल हो गया । इससे षड़यंत्र में मुलायम सिंह यादव जी का भी हाथ था । परन्तु मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहती हूं कि मायावती की उम्र कम अवश्य है परन्तु वह बुद्धि में कम नहीं है । मैं बिना सोचे-समझे कदम उठाने वाली नहीं हूं । मैंने भी बी० ए० किया है, बी० एड० किया है और कानून की शिक्षा ली है । मैं जानती हूं कि कायदा कानून क्या होता है । मैंने विकट परिस्थितियों में इतने बड़े प्रदेश का कार्यभार संभाला और इधर मैं काफी व्यस्त भी रही । फिर भी मैं ऐसे किस्म के लोगों को बताना चाहती हूं चाहे वह मुलायम सिंह यादव हों, राजेश पायलट हों, चाहे उनके पदचिन्हों पर चलने वाले प्रदेश के कुछ कांग्रेसी नेता हों, कि मायावती कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करती है। वह सोच समझकर काम करती है । यदि इस प्रकार का षड़यंत्र ऐसे किस्म के लोगों ने भविष्य में फिर किया तो मैं बताना चाहती हूं कि इस हाउस के अन्दर बैठे हुए विभिन्न पार्टी के जो मेरे भाई हैं, जो जनता के हित की बात सोचते हैं, ऐसे बुजुर्ग नेताओं का सहयोग मुझे मिलते रहेंगे और ऐसे किस्म के लोगों का षड़यंत्र कभी भी सफल नहीं होने पायेगा ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहती हूं कि अदालतों में जो मामले लम्बित हैं, उनमें सरकार न्यायालयों के आदेशों के अनुसार कार्यवाही करेगी । कदाचित सभी पार्टी के लोग इस बात से सहमत होंगे, चाहे किसी भी जिले में आप कितना ही बढ़िया डी० एम० व एस० एस० पी० को भेज दीजिए परन्तु जो नीचे की मशीनरी है, अगर कोई चुस्त हुआ तो वह ए० डी० एम०, एस० डी० एम० पर कंट्रोल तो कर सकता है परन्तु थाने के जो इन्चार्ज होता है, उस पर क्षेत्र की समस्या का समाधान काफी निर्भर करता है । यदि किसी जिले में कोई घटना घटती है तो सबसे पहले उसकी सूचना डी० एम० व एस० एस० पी० को नहीं आती है बल्कि वह उस थाने के इन्चार्ज को आती है । अब वहां पर यह देखना होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, उसकी समस्या को वहां का थाने का एस० ओ० किस तरह से टैकल कर सकता है ।

मुझे अभी लगभग 3 महीने का समय यहां पर हुआ है । इस बीच में बजट सेशन भी चला, काफी ऐसे तीज-त्योहार भी पड़े, जिनमें मैं काफी व्यस्त भी रही । लेकिन में सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि बजट सेशन समाप्त होने के बाद मैं जिले के डी० एम०, एस० एस० पी० अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स तथा नीचे के लेबल के अधिकारियों/कर्मचारियों पर ध्यान दूंगी, जिनके साथ जनता का सीधा सम्पर्क होता है ।

जिनका सीधा संबंध जनता से है तो इसी बात को ध्यान में रखकर मेरी सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर 20 प्रतिशत थानाध्यक्ष दलित समाज के, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के होंगे और 25 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के होंगे और 8 प्रतिशत थाना प्रमुख अल्पसंख्यक समाज से संबंध में रखने वाले होंगे । इधर मैं काफी काम से उलझी रही । बजट सत्र समाप्त होने के बाद मैं विश्वास दिलाती हूं कि 20%, 25% और 8% की जो बात मैंने कही है उस पर मेरी सरकार अमल करेगी । इसके साथ ही साथ नीचे के लेविल पर जो मशीनरी है वह अपनी ड्यूटी बराबर नहीं निभाती है

तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी । मुझे यह शिकायत मिलती रहती है कि जनप्रतिनिधि जब एस० एस० पी० या डी० एम० अथवा अन्य अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

तो मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि बजट सेसन समाप्ति के बाद मैं इस तरफ ध्यान दूंगी और पूरी कोशिश करूंगी और खासतौर पर जो हमारे एम० एल० ए० और जनप्रतिनिधि हैं कमिश्नरी के हिसाब से एम० एल० ए० चाहे किसी पार्टी के हों बी० एस० पी० के हों, बी० जे० पी० के हों, कांग्रेस के हों या किसी पार्टी के हों उनको कमिश्नरी के हिसाब से बुला कर उनकी बातों को सुनूंगी । जिस क्षेत्र से वह चुन कर आये हैं उनके दुख तकलीफ को सुनने के लिये मैं खुद कमिश्नरीज में जाऊंगी, वहां का दौरा करूंगी और जो अधिकारी हैं उनको एक्टिव करने की कोशिश करूंगी । मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि कोई भी अधिकारी जनप्रतिनिधियों को जो आज लोगों को चुन कर जनता ने भेजा है उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचायेगा । आपकी बात डिस्ट्रिक लेबिल पर भी पूरी तरह से सुनी जायेगी और सख्ती का वातावरण बनाया जायेगा उसके लिये आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा और उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी । जहां प्रशासन के सहयोग की जरूरत है वहीं आपके सहयोग की भी जरूरत है ।

मुझे विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से समस्याओं को निपटाने में कामयाबी मिलेगी । आप लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी और हम एक दूसरे का सहयोग कर सफल होंगे । इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे सहयोग देंगे ।

इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहती हूं कि मेरे सत्ता में आने के बाद खासतौर से यह बात भी आप लोगों को माननी चाहिये मेरे हाथ में सत्ता आने के बाद गरीबों और मजदूरों और कमजोर वर्गों के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है और बड़े पैमाने पर आत्मविश्वास जागा है । पिछली सरकारों में क्या होता था कि गरीबों पर जो जुल्म और ज्यादतियां होती थीं उनकी रिपोर्ट थानों में नहीं लिखी जाती थी । मैंने सीनियर अधिकारियों को कहा है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सब रिपोर्ट रिकार्ड में आनी चाहिये । कहीं भी प्रदेश में किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो बकायदा उसकी रिपोर्ट लिखी जाय ।

श्रीमन्, इसमें हालांकि अधिकारियों से कहा तो उन्होंने कहा कि तादाद बढ़ेगी लेकिन हमने कहा कि तादाद चाहे जितनी बढ़े उसकी कोई बात नहीं है किन्तु पिछली सरकार के मुकाबले में मैं एक्शन चाहती हूं और चाहती हूं कि चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा उसकी रिपोर्ट लिखनी चाहिए और उस पर कार्यवाही होनी चाहिए चूंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है । इसलिए मैं बताना चाहती हूं कि सरकार इस तरफ सख्ती बरतेगी और पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जायेगा ।

श्रीमन्, पुलिस विभाग के बजट के बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहती हूं कि वर्ष 1995-96 में 1145 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान था जबकि वर्ष 94-95 में 1075 करोड़ रुपये का प्राविधान था । अतः कुल प्राविधान में 6.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

पुलिस बल के प्रशिक्षण पर 12 करोड़ 68 लाख रुपये का प्राविधान है, जो पिछले साल से 5.67 प्रतिशत अधिक है । पुलिस बल के आधुनिकीकरण एवं तकनीकी सेवाओं के लिए 80 करोड़ 98 लाख

रुपये का प्राविधान किया गया है, जबकि पिछले साल 74.50 करोड़ रुपये का प्राविधान था, अर्थात् 8.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मशीन एवं साज-सज्जा उपकरण के लिए 16 करोड़ 10 लाख रुपये का प्राविधान है जबकि पिछले साल 14.26 करोड़ का प्राविधान था, अर्थात् 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पुलिस कर्मियों के आवासीय व अनावासीय भवनों के लिए 5 करोड़ रुपये का प्राविधान है।

पुलिस कल्याण के लिए विशेष अनुदान 7 करोड़ 39 लाख रुपये से बढ़कर 7 करोड़ 48 लाख रुपये किया गया, अर्थात् 5.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अग्निशमन सेवाओं के लिए 28.17 करोड़ रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। प्रदेश में 11 नये फायर स्टेशन खोले जायेंगे।

अभिसूचना विभाग को इस वर्ष 29 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि पिछले वर्ष 25.21 करोड़ रुपये का प्राविधान था।

हमारी सरकार ने दबे-कुचले वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व देते हुए प्रशासकीय एवं पुलिस अधिकारियों की तैनाती, उनकी योग्यता, कर्मठता एवं लगनशीलता के आधार पर की है। खराब अधिकारी/कर्मचारी को चाहे वह किसी धर्म अथवा जाति का है, किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जायेगा और उसको कठोर सजा दी जायेगी। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहती हूं कि बहुत से मा० सदस्य कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने आज तक अधिकारी को बदल दिया, 15 दिन में फिर उसे हटा दिया, तो 15 दिन ज्यादा हो गया, मैं बताना चाहती हूं कि कोई भी अधिकारी बड़ा हो या छोटा जनता के अनुरूप यदि काम नहीं करेगा, आदेशों का पालन नहीं करेगा तो 15 दिन छोड़ें उसे 24 घंटे में हटा सकती हूं।

श्रीमन् अब मैं सदन को बताना चाहती हूं कि बड़ी संख्या में गरीब एवं निर्बल वर्ग के लोग अपने-अपने काम लेकर लखनऊ आते हैं और परेशान होते हैं। उनकी समस्याएं छोटी-छोटी होती हैं जिनका स्थानीय स्तर पर निराकरण हो सकता है। अतः हमने जिलाधिकारी को कड़े निर्देश दिये हैं कि वह हर कार्य दिवस में सुबह 9 से 10 बजे तक निर्धारित स्थान पर आम नागरिकों से उनकी समस्याएं सुनने के लिए मिलेंगे और समस्याओं का त्वरित निराकरण करेंगे।

इस संबंध में मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूं कि जब हमने यहां सत्ता संभाली और जनता से पहली बार मिली तो लगभग 3-4 घंटा मेरा जनता के ऊपर लगे और उनकी समस्याओं को मैंने स्वयं सुना और इस नतीजे पर पहुंची कि जनता की समस्याएं जो हैं जिनके संबंध में जब वह लखनऊ आते हैं तो उनकी बहुत सी समस्याएं लखनऊ से नहीं बल्कि जिले से ज्यादा जुड़ी होती हैं और उनकी वे समस्याएं थानों से संबंधित होती हैं। इसलिये उन्हें लखनऊ आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर, तहसील स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। इसके लिए मैंने रास्ता निकाला है। मैंने सोच विचार किया। जब मैं पहले दिन जनता से मिली तो देखा कि दूर दराज के लोग लखनऊ आते हैं उनकी कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं होती हैं बल्कि वह तहसील, ब्लाक व जिला स्तर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। तब मैंने सोच विचार करके यह फैसला लिया, मेरी सरकार ने यह

फैसला लिया कि दबे, कुचले, पीड़ित लोग जो इतनी परेशानी से लखनऊ आते हैं उनको स्थानीय स्तर पर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके लिए सरकार ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में डी० एम०, एस० एस० पी० 9.00 बजे से 10.00 बजे जनता दरबार खोलेंगे जहां पर जनता अपनी समस्याओं को रखे। उनकी समस्याओं का निस्तारण जिला हेड क्वार्टर के साथ ब्लाक और तहसील पर संबंधित अधिकारी बैठेंगे वह भी उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं गारण्टी से नहीं कह सकती हूं कि उन्होंने कितना अमल किया है।

मैंने आदेश तो जारी कर दिए हैं। कल हम विधान सभा सत्र से फारिग हो जायेंगे सेसन खत्म हो जावेगा। उसके बाद मैं देखती हूं कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं कि नहीं। मैं बताकर नहीं जाऊंगी और देखूंगी कि अधिकारी 9.00 बजे से 10.00 बजे के बीच जनता की समस्याओं को सुनते हैं कि नहीं। डी० एम० और एस० एस० पी० समय देते हैं कि नहीं। इसके साथ ही मैं बताना चाहती हूं कि जनता की समस्याओं को तहसील स्तर पर ही सुलझाया जाएगा। मैं छापा मारूंगी और देखूंगी कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं कि नहीं। मुझे विश्वास है कि इससे जनसमस्याओं के निराकरण में मदद मिलेगी। इसके अलावा दो दिन विकास खण्ड मुख्यालय पर ब्लाक बैठक दिवस आयोजित करने के आदेश जारी किए गए हैं। उसमें सभी विभागों के ब्लाक स्तर के अधिकारी एक स्थान पर उपस्थित होकर जनसमस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेंगे। हम भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था सुलभ कराने के लिए भी संकल्पबद्ध हैं। सतर्कता संगठन को और मजबूत बनाया जा रहा है। मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी तथा गोरखपुर में विशेष न्यायालय खोले जा रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार के जो मामले लम्बित हैं उन पर कोई निर्णय हो सके। राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली में भ्रष्टाचार निवारण के उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए संशोधन किया जा रहा है। अभी तक सतर्कता अधिष्ठान को 44 अन्वेषण के मामले, 36 खुली जांच के मामले, तथा 9 गोपनीय जांच के मामले सौंपे गए हैं। 10 कर्मचारी रिश्वत लेते हुए टेप किए गये। सतर्कता अधिष्ठान ने 108 मामलों की जांच पूरी की, जिसके फलस्वरूप 12 मामलों में अभियोजना चलाने का निर्णय लिया गया, 22 मामलों में विभागीय स्तर पर कार्यवाही करने तथा 28 मामलों में लघु दण्ड देने के लिए प्रशासकीय विभाग को रिपोर्ट भेजी गयी, दो मामलों में अपचारी लोक सेवकों से क्षति वसूली का निर्णय लिया गया। दो अन्य मामलों में वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया, 8 मामलों में चेतावनी दी गई, तथा एक मामले में अपचारी लोक सेवक की पेन्शन से कटौती करने का निर्णय लिया गया। यह हमारी सरकार के मात्र तीन महीने के कार्यकाल की समीक्षा है। इतनी अल्प अवधि के कार्यकाल की समीक्षा से कोई सामान्य निष्कर्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन जनता को सुलभ कराने के अपने ध्येय में काफी हद तक हमें सफलता मिली है। 14 करोड़ आबादी के इस विशाल प्रदेश की अनेकों समस्याएं हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु हमारे संशाधन सीमित हैं किन्तु हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प असीमित हैं।

अतः मान्यवर, हमें विश्वास है कि हम प्रदेश के आर्थिक व सामाजिक जीवन में सकारात्मक एवं व्यापक परिवर्तन लाने और प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने में सफल होंगे। प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, गुण्डा राज को समाप्त करने के लिए और अपराध, अन्याय तथा भ्रष्टाचार से प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए मैं आप सभी के सहयोग की प्रार्थना भी करती

हूं। मुझे विश्वास है कि गृह विभाग व अन्य विभागों का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस पर आपके महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे। मैं उन सुझावों का स्वागत करूंगी। इन शब्दों के साथ मैं गृह विभाग व अन्य सामान्य प्रशासन विभागों के अनुदानों को प्रस्तुत करती हूं।

श्री प्रमोदे तिवारी–

(खड़े होने पर सत्ता पक्ष द्वारा मेंजे थपथपाए जाने पर) धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

हमने मेंजे थपथपाई हैं, यह सही नही, लेकिन बोले,

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, माननीया मुख्यमंत्री जी ने 65 मिनट में गृह विभाग का अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया है। इसमें मैं इतना ही कह सकता हूं कि इन 65 मिनट में से केवल 5 मिनट ही गृह विभाग में गया है और 60 मिनट के उनके भाषण से ऐसा लग रहा था कि वह विधान सभा में नहीं किसी चौराहे पर जनता के बीच बोल रही हैं। जहां तक जनता में बोलने की बात है इसका निपटारा तो हम उनके साथ बाद में कर लेंगे, अभी अवसर है। पर इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह मुख्य मंत्री जी का तथ्यों को छिपाने वाला तथा सदन को गुमराह करने वाला बजट है। मुख्य मंत्री जी ने स्वयं मेरा बोझ बहुत हल्का कर दिया है, जो मुझे कहना चाहिए था उसे स्वयं मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है। आपने संभवतः ला भी किया है। हमने भी किया है। हो सकता कि युनिवर्सिटी का फर्क हो। कानून में आपको 164 (2) जरूर पढ़ाया गया होगा और वहां पर उम्मीद है कि वहां पर किसी की वैशाखी काम नहीं आयी होगी। जिस प्रकार यहां पर आप वैशाखी के सहारे खड़ी हैं। वहां पर आप को परीक्षा स्वयं देनी पड़ी होगी। तो जब परीक्षा स्वयं देनी पड़ी होगी तो एक 164 (2) भी जरूर पढ़ा होगा। उसको मैं पढ़कर सुना दूं, भारत के संविधान में दिया हुआ है "164(2)–मंत्रि परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।" मुलायम सिंह यादव जी की अराजक तत्वों से बनी हुई गुण्डों और माफियाओं की सरकार 18 महीने चली है। इस अराजकतत्वों, गुण्डों और माफियाओं की सरकार ने, आप जिस दल की महामंत्री हैं और कांशीराम जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े-बड़े महारथी बसपा के उसमें शामिल थे, वह उस मत्रिमण्डल में शामिल थी, संयुक्त रूप से जिम्मेदार होती है। तो 18 महीने के पाप से कम से कम आप और आपका दल तो अपने आप को दूर नहीं कर सकता है। "व्यवधान"

मान्यवर, मैं तो समझता था कि मुख्य मंत्री जी सदन में पहली बार आई हैं, कभी-कभी सदन की परम्पराओं का ध्यान नहीं रखती हैं, लेकिन जो उनके नये-नये सहयोगी हैं वह उन्हें संयुक्त जिम्मेदारी

और मुद्दों के आधार पर समर्थन की बात का फर्क जानते होंगे । हमारा मुद्दों के आधार पर समर्थन था । लालबत्ती के बारे में कहा गया तो उसके बारे में बताना चाहूंगा, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि मुद्दों के आधार पर समर्थन था । विकास करने का मुद्दा, साम्प्रदायिकता से लड़ने का यही मुद्दा मुलायम सिंह यादव के साथ होने का था । अब साम्प्रदायिकता की नींव पर सरकार है । आपने डर के मारे साम्प्रदायिकता के मुद्दे को नहीं कहा, क्योंकि साम्प्रदायिकता के मुद्दे पर सरकार बनी है । इससे आपकी बुजदिली सामने आई । सरकार आपको ज्यादा कीमती है । विकास के वायदे किए गए थे । केन्द्र में हमारी सरकार थी आने वाली सरकार ने विकास के लिए सहयोग मांगा । योजना आयोग भारत सरकार का था भारत सरकार की वजह से वह मुझे दिया गया उसमें हमने 20 प्रतिशत का इजाफा प्रदेश का किया । और तत्कालीन सरकार का सहयोग किया । लालबत्ती-लालबत्ती यह तबलची लोग बोल रहे थे । भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण सिंह जी ने अलग कमरा ले रखा है । लालबत्ती को मिलने वाली सभी सुविधाओं का उपभोग वह कर रहे हैं फोन और पी० ए० का उपभोग कर रहे हैं ।

एक सदस्य–

तबलची कहा गया है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

अच्छा सारंगीवाले कह देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण बैठ जाएं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं 164(2) का उल्लेख करना चाहूंगा मैं आपकी सरकार के बारे में न कहूंगा नैतिकता के बारे में कहा गया तो प्रधान मंत्री जी ने समर्थन का वायदा किया हम भी नैतिकता के आधार पर समर्थन दे सकते हैं । अच्छे जनों का आप हमारी बात मानें या न मानें लेकिन आपके मंत्रिमण्डल में शामिल एक मंत्री ने भ्रष्टाचारी सरकार कहा, हत्या और अपराध वाली सरकार कहा यह ज्यादा करेंगे तो मंत्रिमण्डल से उनको निकाल देंगे मान्यवर, मैं पढ़ रहा हूं "आज" इलाहाबाद का 17 अगस्त का अंश उद्धरत कर रहा हूं जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व राज्य मंत्री ने कहा है जनपद के बढ़ते अपराध पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा गया कि आए दिन लूट डकैती व हत्याओं की घटनायें हो रही हैं यहां बैठते डी० आई० जी०, आई० जी०, एस० पी० इलाहाबाद में थानों को बेच रहे हैं यह 17 अगस्त का बयान है । अखबार "आज" है जिसमें है, दैनिक जागरण में बयान छपा है इसी तरह से अमृत प्रभाव, लीडर आदि अखबारों में बयान छपा है तो क्या आपके मंत्रिपरिषद् में शामिल मंत्री आपकी सरकार को थाने बेचने वाली सरकार कह रहे हैं, इसे बड़ा प्रमाण–पत्र और क्या हो सकता है । जो अन्य सहयोगी हैं उनके संदर्भ में कहना चाहता हूं आप स्पष्ट कहा है कि साम्प्रदायिकता से लड़ने का आपका गठबंधन नहीं है । तीन मुद्दे गिनाए साम्प्रदायिकता की बात नहीं कही, बाकी बातें कहीं साम्प्रदायिकता भूलना

आपकी मजबूरी है एक बयान आपके वरिष्ठतम मंत्री माननीय वन मंत्री जी का है पढ़ रहा हूं कैसे अलग करेंगी श्री मुलायम सिंह यादव को कैसे अलग करेंगी, अपने आपको मुलायम सिंह यादव से । दिनांक 17 जनवरी, 94 को आपके मंत्री राम लखन वर्मा जी ने इसी सदन में कहा था कि मैं माननीय सदन को आश्वास्त करना चाहता हूं कि दल हमारे दो हैं लेकिन दिल हमारा एक है, सरकार एक है और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव हैं । मान्यवर, यह केवल एक मंत्री का बयान नहीं था, बल्कि मंत्री के साथ-साथ बहुजन समाज पार्टी दल विधान मण्डल के नेता का बयान था और उन्होंने तत्कालीन मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना था ।

आज यदि आप अपने को उन पापकर्मों से अलग करना चाहती हैं तो लाख पीछा छुड़ाइये, लेकिन आप बराबर की भागीदार हैं । जितनी भी आलोचनायें आपने उनकी की हैं, कृपापूर्वक उनको वापस लेकर उन पापकर्मों का हिस्सा अपने पाप खाते में भी डाल लीजिये, यही मैं आग्रह करना चाहता हूं । मान्यवर, उस दिन श्री राम लखन वर्मा सच बोल रहे थे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई और आज भी सुनी नहीं जा रही है, उस समय बहुत चढ़ाव पर थे और आज आर० के० चौधरी ज्यादा चढ़ गये हैं, इसलिये राम लखन वर्मा कमजोर हैं । जिनके सहारे मुख्य मंत्री जी आप मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई हैं जिनके सहारे आप मुख्य मंत्री बनी हैं, आप को दूसरों की सुख-सुविधा तो बड़ा कष्ट देती है, पर किसके सहारे आपने यह सुविधा ली है, उन्हीं के सहारे न, जिन्हें आप, आपके नेता साम्प्रदायिक कहा करते थे । आपको आज मुख्य मंत्री के रूप में जितनी सुविधायें मिली हुई हैं, यह उस दल की वजह से हैं, जिसके बारे में पेज 94 पर विधान सभा में कहा गया था "मान्यवर, यह जरूर है कि हम जो कहते हैं, उस पर अटल रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे दो मुंह और दो आवाजें नही हैं" तो आज इन दो मुंहे सांपों और दोहरी आवाजों वाले के सहारे से आप इस गरिमामई कुर्सी पर बैठी हुई हैं, अब आप जरा अपने दामन में भी देख लीजिये, कहां से यह शक्ति आपको मिली हुई है और कितने दिन तक मिली रहेगी ।

मान्यवर, इस संबंध में सदन की कार्यवाही पढ़ देना चाहता हूं, माननीय कल्याण सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, भारतीय दंड संहिता में समय की सीमा नहीं होती, जो अपराधी है, वह अपराधी रहता है, जब तक वह पकड़ में न आ जाय । आज आपका अपराधी आपके सामने बैठा है, साहस हो तो फिर अपनी बात दोहरा दीजिये । आपने कहा था, राष्ट्रपिता के संबंध में, कि सुश्री मायावती जी ने पूज्य बापू के संबंध में जो बयान दिया है, उसके लिये वह सार्वजनिक रूप से, देश की जनता से क्षमा मांगे । अब मंगवाइये क्षमा, अगर आप में साहस है । आपने यह भी कहा था कि "अन्यथा मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा, मुलायम सिंह यादव से अपील की थी कि उनके खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही संभव हो, वह उनके खिलाफ करें ।" अब करवाइये कार्यवाही, अब आपका मुलजिम आपके सामने है । या तो आप कानूनी कार्यवाही करवाइये नहीं तो शर्म से चुल्लू भर पानी लीजिये और उसमें डूब मरिये ।

मान्यवर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, यह सरकार दलितों, शोषितों, पिछड़ों की बड़ी हितैषी होने का दावा करती है और आप यह भी कहती हैं कि हमने बहुत कानून अपराध बचाये हैं । मैं अपने आंकड़े दूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिये मैं आपके ही आंकड़े, जो आपने उपलब्ध

कराये हैं, दिये देता हूं। आपके हिसाब से हत्या तो अपराध होगा। आप देख लें, हत्याओं का जो तुलनात्मक विवरण दिया है, उसमें 92 से पढ़ दूं। वर्ष 92 में 1649 हत्यायें हुई, 93 में 1596 हुई और 94 में राष्ट्रपति शासन के बाद जब सरकार बनी थी, 1640 हत्यायें हुई थीं और आपके शासनकाल में 1890 हुई थीं, जून, जुलाई, अगस्त में इन्सान की जान की कोई कीमत तो है नहीं, कानून व्यवस्था का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है ? इसी तरह अपहरण को भी आप अपराध नहीं मानती होगी। 2 जून को जो कुछ आपके साथ हुआ, उसकी जितनी निन्दा की जाय, कम है और भारत की केन्द्र सरकार ने ऐसे लोगों की सरकार को भंग करके उन्हें सबक भी सिखा दिया है।

आपके कार्यकाल में 3 जून से अपहरण के आंकड़े रख रहा हूं, 607 से 630 बढ़ गये तो इस प्रकार हत्यायें बढ़ी, अपहरण बढ़े तो आपका मंत्री सही कह रहा है, उसे आप कैबिनेट मंत्री बना दीजिये। अगर उसकी बात के अनुसार हत्यायें बढ़ी हैं तो आप उसे कैबिनेट मंत्री बना दीजिये, अब उसे राज्य मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसका कहना सही था। मान्यवर, आप पुलिस के मनोबल को देख लें। कहा गया, स्थानान्तरण नहीं हो रहा है, लेकिन आज गांव के गलियारों तक में चर्चा है कि आज स्थानान्तरण क्षमता और योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि पैसों के आधार पर हो रहे हैं और इसीलिये वह अधिकारी/कर्मचारी कहता है कि हम पैसे देकर आये हैं तो क्यों पैसे नहीं कमायेंगे, आज इसीलिये आपके मंत्री को यह कहना पड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलिस का मनोबल कहां बढ़ा है ? कहां आपने आदेश दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही हो ? वर्ष 1993 में पुलिस से मुठभेड़ों की संख्या 324 थी और आपके कार्यकाल में 282 मुठभेड़ हुयी हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुयी है। मैं आपको आंकड़े देकर बताना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। वर्ष 1993 में मुठभेड़ में मृत डकैतों की संख्या 67 थी और 1995 में 28 है। इसी तरह से 1993 में मुठभेड़ में बंदी डकैतों की संख्या 636 है और 1995 में 595 है। किस मामले में हम आपका मुकाबला कर सकते हैं आप बतायें। इसी तरह से 1993 में शस्त्र बरामदगी में 3408 देशी शस्त्र बरामद किये गये और 1995 में 3263 देशी शस्त्र बरामद किये गये। फैक्ट्री निर्मित शस्त्र 1993 में 256 बरामद किये गये और 1995 में 180 बरामद किये गये। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में 1993 में 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 1995 में 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत 1993 में 6988 लोगों पर कार्यवाही की गयी और 1995 में 6774 लोगों पर कार्यवाही की गयी। इस पर भी सरकार कह रही है कि इस सरकार के जमाने में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपके शासनकाल में अपराधों में बढ़ोत्तरी हुयी है। आपके साथी बैठे हुये हैं जिनको आपका साथ मिला है। सबसे ज्यादा अत्याचार आपके जमाने में महिलाओं और दलितों पर हुये हैं। मैं आपको इसके आंकड़े दिये देता हूं। 1993 से लेकर 1995 तक के आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं। 1993 में 309 बलात्कार हुये, 1994 में 338 हुये और 1995 में 383 हुये। इसी तरह से 1993 में 987 अपहरण हुये, 1994 में 1032 अपहरण हुये और 1995 में 1260 अपहरण हुये। दलितों, पिछड़ों के उत्पीड़न की 1993 में 1039 घटनायें हुयी। 1994 में 1285 तथा 1995 में 1678

घटनायें हुयीं हैं । किस क्षेत्र की बात कही जाय । चाहे वह दलित, पिछड़ों से संबंधित बलात्कार की घटनायें हों, अपहरण की या उत्पीड़न की घटनायें हों आपके जमाने में इन सबको बढ़ावा मिला है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, समय का ध्यान रखें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय नेता सदन को आपने 65 मिनट का समय दिया है और कटौती के प्रस्तावक को 15 मिनट पर रोक देना चाहते हैं अगर माननीय नेता सदन को 65 मिनट का समय दिया है तो मुझे कम से कम आधे घंटे का समय दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, जो स्थिति है उससे आप अवगत हैं । समय की कमी है ।

पंचायती राज व संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, 4 बजे विनियोग विधेयक है और अभी उत्तर भाषण होना है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा । मैंने जो आंकड़े दिये हैं वह मैंने केवल जो स्थिति इस समय है उसको बताने के लिये दिये हैं । यह आंकड़े आपके डी० जी० पी० के हैं । आपके डी० जी० पी० स्वीकार करते हैं कि अपराध बढ़े हैं ।

आप अपने कामों को देखें । मैं बताना चाहता हूं कि 2 महीने में 260 अधिकारियों के स्थानान्तरण हुये हैं । ऐसे भी अधिकारी हैं, जिनके एक बार नहीं चार-चार बार स्थानान्तरण हुये हैं, ऐसी कौन सी आपके सामने मजबूरी थी जो आपने उनका इतनी-इतनी बार स्थानान्तरण किया । ऐसा कौन सा सौदा था, जो नहीं पट रहा था । मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं आप पर, आप के नीचे बैठे लोगों ने किया, आपकी उम्र पर मुझे शक नहीं है और आपके अनुभव पर भी मुझे शक नहीं है । मैं इतनी ही कहना चाहता हूं कि आर० आर० वर्मा एस० पी० सिटी थे, उनका 3 बार स्थानान्तरण किया गया । इसी प्रकार से मान्यवर मैं आप के माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तमाम लोगों का स्थानान्तरण आपने किया है, कई-कई बार किया है, मैंने अखबार आपको दे दिया है, उसमें सारे तथ्य दिये गये हैं, तो आपके सामने कौन सी मजबूरी थी कि आपने इतनी-इतनी बार स्थानान्तरण किये ।

मान्यवर, यह आपकी प्रशासनिक क्षमता है, जिसे मैंने अभी बताया है । यह रिकार्ड की बात मैंने बतायी है। मैंने सारे अखबार दे दिये हैं, यह तीन तारीख के पायनियर में छपा है । दैनिक जागरण में छपा है, जिनका नेपाल में बैंक एकाउन्ट है, उनको आपने अच्छे पद पर नियुक्त किया है, जिनके विरुद्ध जांच चलायी गयी थी, उनको जिला रेंज दे दिया और यह मुख्य मंत्री का यहां पर दावा है ।

मान्यवर, मैं उत्तराखण्ड के बारे में कहना चाहता हूं । जब तक मैं उत्तराखण्ड के बारे में अपनी बात नहीं कह लूंगा मेरी बात ही नहीं पूरी होगी । आपने कहा था कि लोग राष्ट्रद्रोही हैं, भारतीय जनता पार्टी

के लोग आपके साथ हैं, राष्ट्र द्रोही कहने के लिये आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी, आपको मालूम होगा कि मसूरी और खटीमा में बलात्कार की घटनायें हुयी हैं, आप जातीय व्यवस्था का सहारा ले लेंगी। रामपुर में हत्यायें हुई, उसकी जांच बैठी है, भाजपा मुजफ्फरनगर काण्ड के लिये आन्दोलन कर रही थी, और जिस अधिकारी ने वह काण्ड करवाया उसको प्रोन्नति दे दी है आपने। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सत्ता की चमक राम की चमक से अधिक है। उत्तराखण्ड में जितने भी अत्याचार हुये हैं और बलात्कार हुये हैं, उनके लिये कल्याण सिंह जी आप भी जिम्मेदार हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं मजबूर हूं, मुझे कटौती का प्रस्ताव रखना है। सरकार मंत्रि मंडल की बैठक करे और 4 से 6 का समय कर दे या कल कर दे।

श्री अध्यक्ष–

इसके बाद इसको परिषद में भी जाना है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं अपने अधिकार का प्रयोग करूंगा। मान्यवर, समर्थन देने की बात कही जाती है, साम्प्रदायिक दंगों की बात कही जाती है, मैं कहना चाहता हूं कि दो बार लखनऊ में साम्प्रदायिक दंगे हुये, इलाहाबाद में हुये, देव बन्द में हुये, आप उनका नाम बदल देने से ही नहीं बच सकती है। थोड़ी बहुत गर्मी आ जाये, चुनाव का प्रयास करते रहते हैं, जब तक आपके साथ यह रहेंगे तब तक साम्प्रदायिकता बढ़ेगी, बम विस्फोट हुये। सईद साहब, भारत के गृह मंत्री ने कहा कि देश भर में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनायें उत्तर प्रदेश में हुई हैं और वहां पर अपराधों की संख्या बढ़ी है। आपके शासनकाल में और जब आप सत्ता में शामिल थे, उसके शासनकाल में, अपराध बढ़े हैं।

(श्री प्रमोद तिवारी के भाषण के बीच टोकाटाकी होने पर)

इन्हीं की सरकार में जब लिखकर दिया गया था तो हम विरोधी दल के लोगों ने ही बचाया था नहीं तो सी० आई० डी० जांच के आदेश हो गये थे और आप जेल के अन्दर होते।

मान्यवर, ये बड़ी गंभीर बाते कहती हैं राजेश पायलट के बारे में मैं दावे के साथ कह रहा हूं और इस हाउस में कह रहा हूं कि आज सुबह ही प्रधान मंत्री जी से मेरी बात हुई है और राजेश पायलट जी से भी बात हुयी है। प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर ही राजेश पायलट यहां आये थे, ऐसे नहीं आये थे। आपने गलत बयानी की है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप भी कोई कदम माननीय कांशीराम जी से पूछे बगैर नहीं उठाती है क्योंकि वह आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वैसे हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जितना आप उनसे पूछकर कर सकती हैं उतना ही हम भी पूछकर यहां करते हैं जितना नरसिम्हाराव जी कहते हैं। तो यह हमारे दल का मामला है। काशी और मथुरा के मुद्दे पर चाभी कहां से भरी जा रही थी, आपके कदम डगमगा रहे थे, सम्प्रदायिक ताकते हावी हो रही थी इसलिए हमने सचेत करने के लिये कदम उठाया था, चाभी से आप चला करती हैं। पिछली सरकार में मुलायम सिंह यादव की चाभी से चलती थीं और अब भाजपा की चाभी से चलती हैं। दूसरे पर आरोप लगाकर तैयार रहा करिये। इसे आपने कहा न होता तो मैं दोहराता नहीं। मान्यवर, सामान्य प्रशासन की बात में आपने एक बात बहुत ही गौर से कही है कि नई परम्परा नहीं कायम होने देंगे। चूंकि समय कम है इसलिए जब जवाब देने का मौका मिलेगा तो मैं कहूंगा।

मान्यवर, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि काशी में तीसरे सोमवार को अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में श्रृंगार गौरी में कुछ दूर तक जाने दें और वहां एक साधू ने जल गिरा दिया जिसको तुरन्त हटा दिया गया तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब वह आदमी जा रहा था तो क्या कर रहा था आपका प्रशासन उसे रोक क्यों नहीं दिया गया। अगर जलाभिषेक की चुनौती थी तो वहां जल लेकर क्यों जाने दिया गया। कलराज मिश्र जी ने कह दिया कि वहां पर जलाभिषेक का कार्यक्रम हुआ था। जब दबाव डाला गया तो संसदीय कार्य मंत्री जी को अपना बयान बदलना पड़ा। मैं कह रहा हूं कि जलाभिषेक के लिए जब लोग जा रहे थे तो उस साधू को आपने पानी लेकर जाने क्यों दिया गया क्या यह कलराज जी को राखी तो बाद में बांधी पता नहीं उसके पहले कैसे बंधन में बंधी हुई थी।

(पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपनी घड़ी देखने पर)

घड़ी दिखाने से काम नहीं चलेगा, यह संसदीय परम्पराओं के खिलाफ हैं अगर आपको कुछ कहना है तो खड़े होकर कहिये। आप अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकते हैं।

दूसरी बात मान्यवर, विश्व हिन्दू परिषद् की है। कल आपने कहा कि बड़ा आभार उनका व्यक्त करते हैं। विश्व हिन्दू परिषद के विनय कटियार ने कहा कि बड़ा अच्छा किया लाठी चार्ज करा दिया। तो जब नूराकुश्ती होती है तो ऐसे ही होता है। विश्व हिन्दू परिषद का बयान यह है कि चौथे सोमवार की आवश्यकता नहीं तीसरे सोमवार को उद्देश्य पूरा हो गया। जलाभिषेक कराकर आपने नई परम्परा डाल दी। मथुरा में आपने जिसे धन्यवाद दिया है विश्व हिन्दू परिषद को उन्होंने कहा कि जवाहर लाल इंटर कालेज में भूमि पूंजन हुआ है। रविकान्त गर्ग जो भूतपूर्व एम० एल० ए० हैं और अशोक सिंघल जो भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सांसद हैं वह कहते हैं कि वहां तो भूमि पूंजन मैंने कराया था यज्ञ की आहूति भी वहीं होगी तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि वहां पर अगर नई परम्परा नहीं शुरू हुई तो क्या हुआ तीन किलोमीटर के अन्दर भूमि पूंजन कराया गया। आप धन्यवाद दीजिए नरसिम्हाराव जी का जनता दल का, कम्युनिस्ट पार्टी का, राजेश पायलट जी को, महामहिम राज्यपाल जी को, आप तो डर गयी थीं कि कहीं सरकार न चली जाय ये भी डर गये क्योंकि इनकी चार सरकार चली गयी थी अबकी बार कहीं राजस्थान और दिल्ली भी चपेट में न आ जाय वह कांग्रेस और सेक्यूलर फोर्स की सफलता है।

मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी अनुभवहीनता आपकी कमजोरी और लापरवाही के कारण विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों ने फायदा उठाया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी 25 मिनट का समय बाकी रह गया है और अभी माननीया मुख्य मंत्री जी को अपना उत्तर भाषण भी करना है अतः आप अब समाप्त करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह तो आपको उस समय सोचना चाहिए था जब आप दो बजे बजट रख रहे थे और आपने माननीया मुख्य मंत्री जी को एक घण्टा पांच मिनट बोलने का समय दिया।

श्री अध्यक्ष–

एक घंटा पांच मिनट नहीं सिर्फ पचपन मिनट माननीया मुख्य मंत्री जी ने बोला है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप मेरे अधिकार को नहीं छीन सकते हैं । कटौती के प्रस्ताव पर बोलने की कोई सीमा नहीं होती है । लेकिन आप तो मुस्करा रहे हैं । मैंने आपसे यह कहा था कि आप मुस्कराया मत करें । मैं अपनी बात समाप्त करूं इसके पहले मैं पांच मिनट का समय चाहूंगा । मान्यवर, अभी माननीया मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि कुछ कांग्रेसी लोग प्रधानमंत्री जी के पैर खींचने में लगे हुए हैं । लेकिन आप अपनी चिन्ता करिये । यहां पर कोई प्रधानमंत्री जी के पैर नहीं खींच रहा है यह जो आपके सहयोगी दल हैं यह आपकी गर्दन घसीट रहे हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप इससे बची रहें । आप इनके चक्कर में मत आयें नहीं तो यह आपकी गर्दन घसीट देंगे । यहां पर हम जो आलोचनाएं करते हैं वह इसलिये करते हैं कि सरकार सचेत रहे । यह तो 9.00 बजे ट्रांसफर और पोस्टिंग लेकर आपके पास पहुंच जाते हैं और इनका काम ट्रांसफर और पोस्टिंग करवाना नहीं होता बल्कि यह कहते हैं कि कैसे आप कांग्रेसियों से कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से और जनता दल के लोगों से बचें यह समझाना होता है । तो यह सब आपकी कम उमर का और कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं । आप हमारी तरफ भी मुस्करा कर देखा करें खाली इन्हीं की तरफ देखकर न मुस्करायें । आप इनके कहने में न आयें ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक बारे मैं पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और जो आलोचनाएं मैंने की हैं और जो मेरी बहुत सी आलोचनाएं जो रह गयी हैं मैं उन्हें लिखित रूप से आपको दे दूंगा और उस पर विचार कर लीजिएगा । मान्यवर, एक बात मैं अपने क्षेत्र की कहकर समाप्त करूंगा । मेरे क्षेत्र में सिपाही से लेकर उच्च अधिकारी तक का स्थानान्तरण कर दिया गया है और यह कल्याण सिंह जी के एक पत्र द्वारा किया गया है जिसकी फोटो प्रति मेरे पास है । अगर उनके खिलाफ कोई बात होती तो वह कर देते लेकिन सिर्फ उनके एक पत्र पर उनका स्थानान्तरण कर दिया गया और वह पत्र आपके कार्यालय का ही है । मान्यवर, मैं तो इतना ही कहूंगा कि यह दूसरे क्षेत्र के अधिकारियों को बदलते हैं तो यह चुनाव में अपनी गोटी फिट कर रहे हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो कहा है तो मैं ऐसा समझता हूं कि प्रतापगढ़ जनपद उनकी जागीर निजी है ऐसा वह समझते हैं और हुकूमत चलाना चाहते हैं । तो मैं यह कहूंगा कि यह मुलायम सिंह की सरकार नहीं है जो उनकी हुकूमत चलेगी । जहां पर अन्याय होगा वहां इसका विरोध किया जायेगा चाहे वह आपका क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे मालूम है कि 4.00 बजे विनियोग विधेयक रखा जाता है, इसलिए मैं समय का ध्यान रखते हुए एक-दो बातों का जवाब अवश्य देना चाहूंगा, जिनका उल्लेख श्री प्रमोद तिवारी जी ने किया है । श्री तिवारी जी ने अपने पूरे भाषण में बी० जे० पी० को कोसने का प्रयास किया और वह आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर वह एक दलित परिवार की महिला को देखना पसन्द नहीं करते हैं । श्री तिवारी जी ने कहा कि उन्होंने प्रधान मंत्री जी से व राजेश पायलट से बातचीत की और इस बात को कहा कि राजेश पायलट ने इसकी जानकारी दी थी । यदि वह पूछकर आये थे तो उत्तर प्रदेश की सरकार को अपदस्थ करने की साजिश में प्रधानमंत्री जी का भी हाथ था, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है । यह तो बहिन मायावती और विश्व हिन्दू परिषद की सूझबूझ का ही नमूना है कि एक ऐसा वातावरण बना कि मथुरा में यज्ञ भी सही तरीके सम्पन्न हो गया । इसके लिए तो इन्हें बधाई देनी चाहिये थी ।

मुलायम सिंह यादव की सरकार को कांग्रेस जैसी सबसे बड़ी साम्प्रदायिक पार्टी समर्थन दे रही थी वहीं आज भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी बहिन मायावती की सरकार को समर्थन दे रही है । आपने कहा कि मुठभेड़ कम हुए हैं । मायावती जी की सरकार की नीति है और हम भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम उस सिद्धान्त में विश्वास करते हैं जहां पर आरोप लगाना, सजा का निर्णय करना और सजा को क्रियान्वित करना, ये तीनों काम एक व्यक्ति में नहीं दिये जा सकते है । राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के जमाने में सबसे ज्यादा घटनायें हुई हैं, उस समय भी हमने कहा था कि हम इसका विरोध करते हैं । तीनों ताकतों को एक व्यक्ति के हाथ देने के सिद्धान्त के खिलाफ हम हैं । अब श्री तिवारी जी ने कल्याण सिंह जी ने बारे में चर्चा की । मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ । श्री कल्याण सिंह जी सबसे बड़े दल के नेता हैं और उनकी भारी संख्या है । अब उन्हें बैठने के लिए तो कोई जगह मिलनी चाहिए । पूरे प्रदेश की जनता उनके पास अपनी गुहार लेकर आती है । अब उन्हें कमरा क्या मिल गया, कि श्री तिवारी जी को वह अखर रहा है । आदरणीय सदन को यह मालूम होगा कि उन्हें जैड प्लस की सुविधा प्राप्त है । शायद ऐसी सुविधा हिन्दुस्तान में एक-दो लोगों को ही प्राप्त है । अब उनकी नजरों में कारें खटक रही हैं, वह चाहते हैं कि उन्हें ये सुविधायें न मिलें और ऐसा प्रतीत होता है कि श्री तिवारी जी कल्याण सिंह जी की हत्या के साजिश में कहीं कोई काम तो नहीं कर रहे हैं ।

बी० जे० पी० एक आदर्शवादी लोगों का दल है । जिस समय हमने सरकार को बिना शर्त समर्थन देने का फैसला किया, उसी समय श्री कल्याण सिंह जी ने नेता विरोधी दल से अपना इस्तीफा दे दिया । परन्तु आप लोग समर्थन भी देते रहे और सुविधा भी भोगते रहे । अब कहते हैं कि 18 महीने में क्या हुआ ? जब मुलायम सिंह यादव के पाप का घड़ा भर गया तो आप लोग उससे निकलकर बाहर आ गये, परन्तु आपने कहा था कि हम मुद्दों पर समर्थन देंगे । सिंचाई की दरें बढ़ी और बिजली की दरें बढ़ी आप समर्थन देते रहे । यहां तक कि विशेष सुरक्षा बल विधेयक का भी आपने समर्थन किया परन्तु आज वर्तमान सरकार ने इसे वापस ले लिया । इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है ।

मैंने उस समय भी इस विधेयक का पुरजोर शब्दों में विरोध किया था और कहा था कि जो इससे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनका कसूर क्या है । आज आप मुख्य मंत्री हैं, कल आप भूतपूर्व हो जायेंगे

और अपने भाई भतीजों के लिए आप इसे ले लेंगे, जो उचित नहीं है । तो क्या राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को वह सुविधा मिलेगी या माननीय तिवारी जी को यह सुविधा मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी यह केवल उन्होंने अपने लिए किया । माननीया मायावती जी ने वह विधेयक वापस ले लिया वह आज ही वापस हुआ है । कहा गया कि शक्ति कहां से मिलेगी और कब तक मिलेगी तो मैं अपने दल की ओर से घोषित करता हूं कि यह शक्ति और यह समर्थन पूरे इस सरकार के कार्यकाल तक 5 वर्ष का जो शेष समय रह गया है वह मिलता रहेगा और जब तक मायावती जी चाहेंगी यह सरकार चलती रहेगी । मान्यवर, यह खुद उस चट्टान पर प्रहार कर रहे हैं जिस चट्टान पर प्रहार कर टूट जाते हैं, इनका जो इस सरकार को अपदस्थ करने का इरादा है उसका परिणाम वही होगा कांग्रेस की इस साजिश को हम नहीं चलने देंगे उसको हम फेल कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी समय का ध्यान रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी बात से सहमत हूं केवल दो-तीन मिनट लूंगा । बहन मायावती की बात का हम समर्थन करते हैं मैं उनकी तारीफ करूंगा उन्होंने शासन को जनता तक पहुंचाने का एलान किया । यह बात सही है पिछले एक साल में लाखों की संख्या में करीब 3 लाख परिवाद अनिस्तारित पड़े रहे । मैं तारीफ उस समय करूंगा जब दारूलशफा में बैठे हुए टाइपिस्ट जो एक लम्बी कतार में बैठे रहते हैं वह इस बात की चुनौती है कि लोगों की कठिनाइयों का निस्तारण तहसील और जिला स्तर पर नहीं होता है, गांव के लोगों की समस्याओं का निस्तारण वहां नहीं हो पाता है वह यहां आते हैं और टाइप कराते हैं । तो जब वह टाइपिस्ट दारूलशफा में नहीं दिखायी देंगे वहां से हट जायेंगे तो उस दिन हम समझ जायेंगे कि व्यवस्था विकेन्द्रित हो गयी है और जनता की समस्याओं का निदान वहीं हो जायेगा । तो इस चीज को लेकर जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किया है उसका हम समर्थन करते हैं । मान्यवर, सबने अपने घर गलियारे की बात कह दी मुझे भी अपने क्षेत्र की बात कहनी है सीतापुर जहां से चुन कर मैं आता हूं हमारे सीतापुर में राम कोटशहर एक थाना है इस इलाके के लोग पूरा शहर पार कर कोतवाली रामकोटशहर जाते हैं तो इसका परिसीमन किया जाय । जब 75 हजार से ज्यादा आबादी बढ़ जाती है तो वहां थाना दिया जाता है । तो सीतापुर देहात में जो पुराना सीतापुर है जहां अल्पसंख्यक भाई रहते हैं वहां सीतापुर देहात के नाम से एक थाना बनाया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी समय हो गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक वाक्य कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ; माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार की बात है सभी आप लोग जानते हैं कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी विश्व में हिन्दी के प्रचार के लिए प्रख्यात रहे । उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा 1992 में पण्डित श्री नारायण चतुर्वेदी जन्म शताब्दी के मौके पर मा० अटल बिहारी जी को हिन्दी गौरव का सम्मान दिया गया जिसमें 51 हजार रुपया

पुरुस्कार के रूप में दिया उस पर माननीय बाजपेयी जी ने 50 हजार रुपया अपने पास से मिलाकर उसके ब्याज से एक पुरस्कार हाई स्कूल और इण्टर में हिन्दी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को, सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों को पुरुस्कृत करने के लिए अपने पिता श्री बृज बिहारी जी के नाम से देने के लिए योजना चलायी, लेकिन उसका अभी तक कार्यान्वयन नहीं किया गया पिछली सरकार ने उसे दबाये रखा तो उसे तय करने की कृपा करें । पिछली सरकार ने राजनीतिक दलगत भावना से काम कर नेक इरादों को भी ताख में रख दिया । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

व्यवधान (कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री ऊदल–

श्रीमन्, दो-दो मिनट दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

चार बजे एप्रोपियेशन विल पास होना है । उसके बाद उसे आज ही परिषद् में जाना है । इसलिए समय नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

दो-दो मिनट दे दें । थोड़ा माननीय तिवारी जी अपना समय कट कर दे दें थोड़ा माननीय मुख्य मंत्री जी अपना समय काटकर दे देंगी ।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद तिवारी जी, आप उत्तर भाषण दें ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, हमें दो मिनट का समय बोलने के लिए दें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप अपनी बात कह लें । लेकिन समय कम है इसलिए आप संक्षेप में कह दें ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, श्री कल्याण सिंह जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने माननीय सदस्यों को कह दें कि मुझे सत्य बात कहने में बीच में टोकेंगे नहीं ।

श्रीमन्, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की इस बात के लिए सहमत नहीं हूं कि कोई नया कार्य उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद काशी और मथुरा में नहीं होने दिया । मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि काशी में श्रृंगारगौरी में प्रतिबन्ध को तोड़ करके हमारे जिले के उच्च अधिकारियों ने माननीय अशोक सिंघल और श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित को 25 और व्यक्तियों को ले जाकर श्रृंगार गौरी में जलाभिषेक कराया । इसलिए मैं उनकी बात को सही नहीं समझता हूं । इसलिए मैं मांग करता हूं कि मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करायेंगी ।

दूसरी बात मथुरा में जो भूमि पूजन हुआ वह भी तीन किलोमीटर के दायरे में ही चाहे हो वह भी नया कार्यक्रम शुरू किया गया है । मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, ज्ञानवापी मस्जिद और बनारस गये थे । और 8 दिन मथुरा में गोविन्दाचार्य जी के साथ किस हैसियत से रहे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया है अब आप बैठ जायं ।

श्री ऊदल–

(व्यवधान के मध्य) मान्यवर, मैं यह भी मांग करता हूं कि प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, सामान्य और पुलिस प्रशासन के संबंध में मैं भी बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है दो मिनट में अपनी बात कह लें ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर दो मिनट बोलने के लिए बहुत कम हैं । इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे 15 मिनट बोलने के लिए दें जिससे मैं दो–चार बातें कह सकूं । वरना यह तो बोलने के नाम पर माखौल हो जायेगा इसलिए दो मिनट में मैं नहीं बोलूंगा अथवा मुझे 15–20 मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यह सम्भव नहीं है ।

(कई सदस्यों के द्वारा कहने पर कि हम लोगों को बोलने का समय दिया जाय)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, मेरा आपसे आग्रह है कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वे अपने-अपने विचार लिखकर दे दें जिसे कार्यवाही में समाहित कर लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, उन्होंने (भाजपा के श्री कल्याण सिंह ने) कहा कि हमारा जिला प्रतापगढ़ हमारी जागीर नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जिला उनकी जागीर नहीं है । वहां किसी अधिकारी को हटाना न हटाना गुण-दोष पर निर्भर करता है लेकिन उनकी इच्छा पर नहीं । इसलिए सम्पूर्ण सदन के सामने मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं और मुझे देखना है कि कितनी इनमें सच्चाई है, जो कहते हैं वह करते हैं या नहीं । 21 अप्रैल, सन् 94 को कल्याण सिंह जी ने, जब शान्ति सुरक्षा बल विधेयक यहां आया था, तो कहा है कि जो यह शान्ति सुरक्षा बल का गठन हो रहा है, यह साम्प्रदायिकता के आधार पर हो रहा है और हमारी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है (व्यवधान) आज मैं भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता की, कथनी और करनी की परीक्षा लेना चाहता हूं (व्यवधान) मैं देखता हूं कि यह जो कहते हैं वह करते हैं या नहीं या विधान सभा में जो कहते हैं करते हैं कुछ हैं । इन्होंने कहा है यह जो शान्ति सुरक्षा बल का गठन हो रहा है वह साम्प्रदायिकता के आधार पर हो रहा है और हमारी पार्टी इस प्रकार के सुरक्षा बल का विरोध करती है .....

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव लायें, नहीं तो 4.00 बजे यह सम्भव नहीं है ... व्यवधान आपको मैं अवसर दे रहा हूं । हमें समय बढ़ाना पड़ रहा है ।

गृह विभाग (पुलिस) और सामान्य प्रशासन के बजट पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि गृह विभाग (पुलिस) और सामान्य प्रशासन के जिन विभागों पर बजट संबंधी चर्चा हों रही है, उस चर्चा के लिये 40 मिनट का समय और बढ़ाया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, विनियोग विधेयक 1995 का जो समय 4.00 से है, वह तो किसी की अनुमति से तय हुआ होगा, क्या उनकी बिना अनुमति के उसके समय को आप बढ़ा सकते हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह सब मुझे न बोलने देने की साजिश है ।

श्री हृदय नारायण–

समय संबंधी गुप्त जी की आपत्ति हमें सहज स्वीकार है । चूंकि उनकी इच्छा है कि इस विषय पर वह बोलें तो आप विनियोग विधेयक करवा लीजिये और उसके बाद वह इस पर बोल लें । और मैं इसके लिये पस्ताव करता हूं कि विनियोग विधेयक पहले आप पारित करवा लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय, संसदीय कार्य मंत्री जी समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव रखें । तो 4.00 बजे के बजाए 4.40. 4.20 या 4.30 पर रखें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा आरोप है कि निश्चित रूप मे मुझे न बोलने देने की यह एक साजिश है ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु समय 4.00 के स्थान पर 4.40 से कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु समय 4.00 के स्थान पर 4.40 बजे कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान–अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या 30–वित्त विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 46–कार्मिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग (क्रमागत)

(श्री किरन पाल सिंह का नाम बोलने हेतु पुकारा गया और उनके खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप संक्षेप में ही अपनी बात कहें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर बोलने पर मुझे मौका दिया, उसके लिये आपका आभारी हूं । माननीया मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके शुरू ही में अपना पुराना जो गठबन्धन था सपा और बसपा का उसका उन्होंने जिक्र किया और मुद्दों का जिक्र किया । साथ ही वह गठबन्धन क्यों टूटा इसका भी जिक्र किया । यह बात सही है कि पिछले दौर में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई और प्रदेश में गुण्डा राज कायम हुआ । मान्यवर, पिछले टाइम पर मान्यवर यह देखने में आया कि इस प्रदेश में मैं, समझता हूं और किसी प्रदेश में यह देखने को नहीं मिला होगा कि जो हमारे प्रदेश में दलितों के लिये अल्पसंख्यकों के लिये और पिछड़े वर्गों के लिये गठबंधन बना इसमें ऐसे हालात पैदा किये गये कि जो जनतंत्र में पैदा नहीं होने चाहिये थे । मान्यवर, प्रदेश के अन्दर इस गरीब प्रदेश के अन्दर ऐसा नंगा नाच हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ । आज भी जब मथुरा का सवाल आया तो मथुरा के सवाल पर, उसकी तह में जाया जाय तो यह देखने को मिलता है कि एक पार्टी के जो उद्योगपति हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं उन्होंने जो मान्यवर, विश्व हिन्दू परिषद् के नेता के पुत्र हैं उन्होंने मिलकर मथुरा में साजिश करने की कोशिश की । उसके बाद में सारे प्रदेश में हालात ऐसे पैदा हुए कि प्रदेश का बहुत बड़ा खर्चा हुआ । करोड़ों रुपये का खर्चा हुआ । जिसकी तह में जायें तो मान्यवर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो पार्टी मायावती जी की सरकार को समर्थन दे रही है उसका भी इसके पीछे हाथ था ।

हमारे प्रदेश में दोनों पार्टियों ने दो उद्योगपतियों को इतना बढ़ावा दिया बसपा और सपा ने दो उद्योगपतियों को इतना बढ़ावा दिया और उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ाई प्रदेश में ऐसा माहौल पैदा हो गया है दो उद्योगपति शासन को चला रहे हैं उन्हीं उद्योगपतियों के कारण मथुरा की स्थिति पैदा हुई । आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब हम छोटे थे तब एक बहुत बड़ी पार्टी ने एक बहुत बड़े उद्योगपति को टिकट दिया सारे देश में उस पर नुक्ताचीनी हुई, उसको बुरा बताया गया । आज भी यह हालत है यह सरकार बन गई है अब उद्योगपति कह रहे हैं इस सरकार को बदल देंगे । उसको बना देंगे । उद्योगपतियों की गरीब प्रदेश में राजनीतिक हैसियत बढ़ाई जायेगी तो कैसे यह प्रदेश चलेगा । सपा और बसपा ने उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया है जिसकी लड़ाई से सारे प्रदेश में यह हालात हो गये हैं । इस समय यह हो रहा है कि मेरे उद्योगपति को यह मिल मिलनी चाहिये । इन्हीं उद्योगपतियों की वजह से मथुरा में ऐसी स्थिति पैदा हो गई । आप कहते हैं गृह विभाग से क्यों जोड़ते हैं काल्टन होटल की बात आई थी उद्योगपतियों को ऐसी हैसियत नहीं देनी चाहिये । चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि यदि

उद्योगपतियों से पैसा हम लेंगे तो उनके लिये नीतियां बनानी पड़ेंगी । उनके इशारों पर चलना पड़ेगा । आज यह हो रहा है खुले आम उनको राजनीतिक हैसियत दी जा रही है । राजनीतिक कद दिया जा रहा है । मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरफ सोचा है और यह कहा है कि इस षडयंत्र में जो लगे हुए हैं उनके कद को छांटा जायगा । उनके कद को कम किया जायेगा । मथुरा में पूजास्थल के लिये बाद में स्थान बदला गया । व बनारस में क्या हुआ मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं । आप देखें, कि सत्ता पार्टी को जो समर्थन दे रहे हैं उन्होंने गलत तरीके से उसे फांसने का प्रयास किया । अपने समर्थन की कीमत वसूल करने का प्रयास किया व सरकार के सामने मुश्किल पैदा की । मुख्य मंत्री के सामने मुश्किल है केन्द्र सरकार समझती है कि उसका वरदहस्त उनको प्राप्त है । कुछ लोग समझते हैं कि उनका वरदहस्त उनको प्राप्त है ।

मुख्य मंत्री जी इस सदन की नेता हैं । बहुमत की नेता हैं किसी के कृपा की पात्र नहीं हैं । वह बहुमत के बल पर इस प्रदेश की नेता हैं । इसी दौरान प्रशासनिक फेरबदल हुआ । इस प्रदेश के डी० जी० पी० बदले गये उनका बयान आता है, वह कहते हैं कि मेरे ऊपर एक दलित मुख्यमंत्री ने मुझको समझा है । मेरे ऊपर कृपा की है । यह राजनीति बयान है । क्या डी० जी० पी० को इस तरह का बयान देना चाहिये ? मेरे ऊपर मुख्य मंत्री जी ने कृपा की है । इस तरह के बयानों से इन्फीरियारिटी काम्पलेक्स होगा । इससे प्रशासन का मनोबल कैसे ऊंचा हो सकता है । इसी तरह से आज ट्रांसफर का मामला चल रहा है । दो महीने से ट्रांसफर चल रहे हैं ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है । अफवाह फैल रही है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ है । मुख्य मंत्री जी इस ट्रांसफर की प्रक्रिया को जल्दी पूरा करिये । जिससे जो अफवाह फैल रही है उस पर रोक लगे कि पैसा खर्च करके लोग अच्छी अच्छी जगह पा रहे हैं शायद माननीया मुख्य मंत्री जी की जानकारी में यह बात न हो । हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिलाधिकारी, आपका नाम बदनाम करके पैसा ले रहे हैं । आप उसकी जांच करवायें वह आपके नाम का इस्तेमाल करते हैं ।

इसी तरह से भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है मैं यह नहीं कहता कि यह इसी राज्य में बढ़ा है । भ्रष्टाचार हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा । मुझे याद है कि जब जयप्रकाश नारायण जी का आन्दोलन चल रहा था मैं अपने जिले के छात्र संघर्ष समिति का संयोजक था । जय प्रकाश नारायण जी बुलन्दशहर आये थे । बुलन्दशहर में उनकी सभा थी । मैंने उसकी अध्यक्षता की थी । सभा के बाद मैंने जयप्रकाश नरायण जी से पूछा कि आप कैसे इसको समाप्त करेंगे तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा । भ्रष्टाचार मर्यादित होगा इसको मर्यादा के अन्दर रहना चाहिये । आज भ्रष्टाचार मर्यादा की सीमाओं के बाहर जा रहा है । भ्रष्टाचार शिष्टाचार में आ गया है । मैं कहना चाहता हूं कि डेवलपिंग स्टेट में भ्रष्टाचार अनियंत्रित हो जायगा तो किसी का भी भला नहीं होगा । चाहे अल्पसंख्यकों की बात हो चाहे, पिछड़ों व दलितों की बात हो । इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारियों की पोस्टिंग में भेदभाव हो रहा है । मुजफ्फरनगर काण्ड के दोषी को प्रमोशन दे दिया गया है । जो अच्छे व ईमानदार अधिकारी हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिये । योग्य अधिकारियों को सही स्थान मिलना चाहिये । खटीमा काण्ड के दोषी अधिकारियों की अच्छी अच्छी जगह पोस्टिंग कर दी गयी है । जो डिजर्व करते हैं उनकी उपेक्षा हो रही है । जो डिजर्व नहीं करते हैं वह तिकड़म लगाकर अच्छी जगह पा जाते हैं ।

सरकार की नीति है कि जो पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी इनामी बदमाश को मारेंगे उनको प्रमोशन दिया जायगा, नकद इनाम दिया जायगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने इनामी बदमाश मारे हैं उनको प्रमोशन नहीं मिला है न ही उनको पैसा मिला है ।

ऋषिपाल सिंह, सब इन्स्पेक्टर हैं, उन्होंने दो इनामी बदमाश मारे हैं, एक 1 लाख का और दूसरा 50 हजार का, लेकिन आज तक न उनको इनाम का पैसा मिला और न आज तक प्रमोशन मिला है। मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस के प्रमोशन में योग्यता और कार्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये, ऐसा न हो कि योग्यता की जगह बिरादरी ले लें। जहां योग्यता हो, वहां उसको बिरादरी के साथ में जोड़कर देखा जाय, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुये माननीय प्रमोद तिवारी जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, जो सदन के नेता ने बजट प्रस्ताव रखा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने कुछ प्रतिशत बढ़ाकर कुछ बतलाया है। लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि महंगाई 20 प्रतिशत बढ़ गई है, इसलिये बजट बजाय बढ़ने के कम हो गया है। मान्यवर, अभी कानून व्यवस्था की बात कही गई, मैं बताना चाहता हूं कि भयमुक्त जो हुआ है, वह केवल भाजपा के लोगों का हुआ है, दलित और अल्पसंख्यक और भयभीत हुये हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मेरे पास जानकारी में पचासों ऐसी घटनायें हैं। जनपद फतेहपुर के छाता तहसील में गुन्डे वहां की महिलाओं से बलात्कार कर रहे हैं, यह भाजपा का आदमी है, जिसका नाम मौला है, उनके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखी गई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां मौला के गुन्डों ने पचासों घर उजाड़ दिये हैं और गांव की कोई महिला नहीं बची है, जो उन लोगों का शिकार न हुई हो।

मान्यवर, इसी तरह वाराणसी में नई परम्परा कायम की गई, उससे साम्प्रदायिकता बढ़ी है और अल्पसंख्यक भयभीत हुये हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री इन्द्र भद्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मुख्य मंत्री जी ने अपना बजट भाषण प्रस्तुत करते हुये बहुत सी घोषणायें की हैं और उनका ज्यादातर समय आरोप प्रत्यारोप में गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सर्वजन हिताय कार्य करने के लिये बात कही है और यह भी कहा है कि उनको विरासत में गुंडाराज मिला था। माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुये इस शासनकाल में हुयी हत्याओं का जिक्र किया था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 1993 के बाद जनपद सुल्तानपुर में जितनी हत्यायें हुयीं हैं मैं समझता हूं कि पिछले कई वर्षों में उतनी हत्यायें नहीं हुयी हैं। अगर दो साल की हत्याओं को एक साथ मिला लिया जाय तो 1993 के बाद सुल्तानपुर में जितनी हत्यायें हुयीं हैं उनकी संख्या अधिक आयेगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने आज घोषणा की है कि धर्म व जाति के आधार पर काम नहीं किया जायगा बल्कि सर्वसमाज का ध्यान रखकर कार्य सरकार करेगी।

आज जो स्थानान्तरण हो रहे हैं उस संबंध में मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं और उन्होंने मेरे सुझाव को माना भी था। मैं सुल्तानपुर की बात कर रहा हूं, वहां पर केवल जातिगत आधार पर अधिकारियों को हटाया गया। मेरे ध्यान आकर्षित करने पर मुख्य मंत्री जी ने आदेश भी दिया था लेकिन दुख की बात है कि उस आदेश का पालन नहीं हो पाया। पिछली 21 तारीख को डी०आई०जी० की बैठक हुयी थी और मुख्य मंत्री जी ने उसमें निर्देशित किया था कि राजनीतिक

हस्तक्षेप किसी कीमत पर न देखा जाय । मैं निवेदन करूंगा कि किन परिस्थितियों में हम लोग अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और कैसे जीत कर आते हैं । हम लोगों पर जनता की बड़ी जिम्मेदारी होती है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अब समाप्त करें । (मा० प्रमोद तिवारी को पुकारा गया) ।

श्री इन्द्र भद्र सिंह–

मान्यवर, अभी तो मेरी बात पूरी नहीं हुयी है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी आप अपना उत्तर भाषण दें ।

श्री इन्द्र भद्र सिंह–

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, 2 मिनट का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय दीक्षित जी, मजबूरी है इसलिये समय नहीं दे पा रहा हूं ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जायं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रगतिशील मोर्चा को आप रिकगनाइज नहीं कर रहे हैं ।

(श्री प्रमोद तिवारी और श्री जगदम्बिका पाल के एक साथ खड़े रहने पर ।)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी में लड़ाई हो रही है ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[× × ×]

नोटः–[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

आप जो बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायगा । आप बैठ जायं । माननीय तिवारी जी, आप अपना उत्तर भाषण दें ।

[4 बजकर 20 मिनट]

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के बोलते रहने पर व्यवधान)

आदरणीय दीक्षित जी आप बैठ जायें । जो कुछ आप बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जा रहा है, आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायें, समय कम है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया और मैं उन माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया, माननीय ऊदल जी और किरन पाल सिंह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया । मान्यवर, मुझसे जो सवाल किये गये हैं, मैं उन्हीं का उत्तर दूंगा, माननीय कल्याण सिंह जी ने और राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कुछ प्रश्न किये हैं, उनका उत्तर जरूर दूंगा ।

मान्यवर, मैं आपको अपनी प्रारम्भिक आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं, जे नियम हैं, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो समय निर्धारित है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, बहुमत के सामने मेरा सिर झुका है ।

श्री अध्क्ष्यक्ष–

तिवारी जी, सर्व सम्मति से हुआ है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरी आपत्ति को आप ले लें । मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह ने कहा कि प्रतापगढ़ मेरी जागीर नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ भी उनकी जागीर नहीं है । प्रतापगढ़ मेरी नहीं जनता की ताकत है । आपने जो पत्र लिखा है, उसमें केवल यही लिखा है कि प्रमोद तिवारी जी के क्षेत्र में है, इसलिये इसे हटा दें, तो जो कुछ किया वह अनुचित किया है राजेन्द्र कुमार गुप्त जी जब बोल रहे थे तो आज कुछ नर्वस थे, वह कुछ हड़बड़ाहट में थे और उन्होंने लड़खड़ाहट में कह दिया कि प्रधान मंत्री इस षडयंत्र में शामिल हैं । मैं कहना चाहता हूं कि उनकी वह

बात सही नहीं है और मैं उसका खण्डन करता हूं। दो तारीख के बाद जो सरकार आयी, सुश्री मायावती जी की सरकार आयी, उसे प्रधान मंत्री जी बरखास्त नहीं करना चाहते हैं और न समय ही कम करना चाहते हैं। राजेन्द्र कुमार गुप्त और कल्याण सिंह के पास एक ही झुनझुना है, एक ही तलवार है, उनका समर्थन और उसी को दिखा कर वह ट्रान्सफर और पोस्टिंग करा लेते हैं, अगर डर बना रहेगा तो इनकी सुन ली जायेगी और कोई 10-12 ट्रान्सफर करा लेंगे। तो कुछ कहा गया मैं उसकी निन्दा करता हूं और उनको धिक्कारता हूं, इतने उच्च पद, प्रधान मंत्री के पद पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, लेकिन बौखलाहट में वह कुछ कह गये, तो उसे कार्यवाही से निकाल दें। यह डर दिखाकर कुछ काम कराना चाहते हैं, तो वह अलग बात है।

मान्यवर, एक बात इन्होंने और कही कि प्रमोद तिवारी जी के पेट में कुलबुलाहट होती है। दलित महिला को मुख्य मंत्री के पद पर देखकर, तो यह डाक्टर भी हो गये।

एक सदस्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

कौन सी अव्यवस्था पैदा हो गयी। प्रमोद तिवारी जी अब आप समाप्त करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं 5 मिनट और बोलूंगा और बीच-बीच में जो डिस्टर्व हो रहा है उसको और जोड़ लें। मान्यवर, कृपा पूर्वक मेरी बात सुन लें मैं बहुत गम्भीर बात करूंगा मैं जोकरों की तरह उठकर कोई बात नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मैं अपने माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि प्रमोद तिवारी जी जैसे जोकर बोल रहे हों तो उसे सुन लें तो कुछ मनोरंजन हो जाएगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय कल्याण सिंह जी, बड़े नेता हैं मैंने जो कुछ जोकरई सीखी है उनसे सीखी है इसलिए उन्हीं को समर्पित करता हूं।

मान्यवर, उन्होंने कहा कि दलित मुख्य मंत्री को देखकर पेट में कुलबुलाहट होती है, मैं चाहता हूं कि दलित मुख्य मंत्री बनी रहे इसके लिए सभी के दिल में सम्मान है। राजेन्द्र कुमार गुप्त जी जब संसदीय कार्य मंत्री थे और वित्त मंत्री थे तो वहां बैठते थे जहां हृदय नारायण दीक्षित जी बैठते हैं और जो दलित महिला उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में सदन के नेता के रूप में यहां सदन में बैठी हैं वह तब भी दलित महिला थीं जब उनका आपकी सरकार ने एन०एस०ए० में बन्द करके बुलन्दशहर जेल में रखा था और साधारण कैदियों जैसा व्यवहार किया था। तब भी यह दलित महिला थीं। और इन्हें आपने जेल में बन्द किया था और यहां परिवहन मंत्री नन्दलाल पटेल जी बैठे हैं उनके जिले की नैनी

जेल में ले जाकर उनको रखा था । उस समय मैंने भी कहा था और माननीय राम लखन वर्मा जी ने नेता के रूप में आग्रह किया था तो राजेन्द्र जी ने तपक कर जवाब दिया था कि अपराधी अपराधी होता है दलित और महिला नहीं होता है । तो यह दलित महिला के प्रति घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों को वह दिन याद दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, बड़ा रामायण का जिक्र करते हैं ।

रघुकुल रीति सदा चली आई ।

प्राण जायं पर वचन न जाई ।।

तो मैं आज देखना चाहता हूं कि भाजपा के प्राण जाते हैं या वचन जाते हैं । मान्यवर, 1994 में कल्याण सिंह जी ने कहा था कि यह जो शान्ति सुरक्षा बल का गठन हो रहा है यह साम्प्रदायिकता के आधार पर हो रहा है मेरी पार्टी इसका विरोध करती है । जिस शान्ति सुरक्षा बल का विरोध करते थे आज उसी को 86 करोड़ रुपया जो इसी मद में प्राविधान है मैं आज भाजपा की नैतिकता देखना चाहता हूं कि 86 करोड़ रुपया जो साम्प्रदायिकता के बल पर खर्च हो रहा है यह उसका विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं । ये अगर अपनी बात पर कायम हैं तो उसका विरोध करें अगर नहीं कायम हैं तो सदन के अन्दर सच बोलें वही बोले जो कर सकें नहीं तो न बोलें ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं अभी नहीं बैठूंगा मैं अपने अधिकार का प्रयोग करूंगा मैं भाजपा की नैतिकता को बता रहा हूं । यह मेरे पास लेटर है विष्णु हरि डालमियां का 9 अगस्त का पत्र है उसमें लिखा है कि नव निर्मित परिवर्तन चौक लखनऊ पर रामास्वामी पेरियर की मूर्ति लगाने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है वह पेरियर का भाषण श्री राम के सम्बन्ध में जो भूमिका रही है उसको देखते हुए उनकी मूर्ति को स्थापित करने में हिन्दुओं को गहरा आघात लगेगा ।

अतएव विनम्र अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस विचार को त्याग दे । यह पत्र मैं आपके पास भेज रहा हूं । इसमें हस्ताक्षर भी हैं ।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने और बोलने से सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण आप बैठ जायें । श्री तिवारी आप कृपया समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री प्रमाद तिवारी–

मैं पत्र की प्रतिलिपि आपके पास भेज रहा हूं । [× × ×]

(व्यवधान)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि विचारों में हमारे और आपके बीच भिन्नता नहीं है। भिन्नता तो उन छद्मवेश देश प्रेमियों और देशद्रोहियों से है।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक शेर सुनाकर मैं अपनी बात करना चाहूंगा :–

"जिन चिरागों से तनफ्फुर का धुंवा उठता हो,
उन चिरागों को बुझा दो।"

मान्यवर, अगर आप अराजक तत्वों और माफियाओं को समाप्त करना चाहते हैं तो इन [× × ×] माफियाओं को जेल भेज दें जिससे इस प्रदेश में शांति मिले और अमन चैन हो जायें।

(श्री कल्याण सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

यह कोई परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब कोई माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे।

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, विभिन्न पार्टी के नेताओं ने अपने विचार यहां पर रखे हैं और जो विचार उनके द्वारा यहां पर रखे गये हैं, उन पर मैं कोई टीका–टिप्पणी करना नहीं चाहती हूं। परन्तु बनारस के बारे में जो जलाभिषेक की बात कही गई है, उसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि सावन के तीसरे सोमवार को बनारस के श्रृंगार गौरी में कोई जलाभिषेक नहीं हुआ। बनारस शहर के काजी ने भी सार्वजनिक तौर से यह बयान दिया कि श्रृंगार गौरी में कोई जलाभिषेक नहीं हुआ और यह बयान समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। इसलिए श्री प्रमोद तिवारी जी का इस संबंध में कथन असत्य है। श्री प्रमोद तिवारी जी ने अपराधों के जो तुलनात्मक आंकड़े रखे हैं, वे भी भ्रामक हैं। इन एक दो महीनों में पिछले 5 वर्ष की तुलना में सबसे कम अपराध हुए हैं। जहां तक मथुरा का मामला है, मैं बताना चाहती हूं कि वहां पर कोई नई परम्परा नहीं होने दी गई। इसके साथ ही उन्होंने कुछ समाचार-पत्रों का जिक्र किया, इस संबंध में मैं बताना चाहती हूं कि समाचार पत्रों में जो बात छपती है कदाचित् नियमतः उनका संज्ञान इस

नोटः–[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सदन में नहीं लिया जाता है । वैसे भी समाचार पत्रों में आजकल जो चलता है, इसे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ।

पिछली सरकार ने जिस तरह से अखबार में छपवाकर फायदा लिया, इसे यह सदन अच्छी तरह से जानता है । वैसे अखबारों की मैं इज्जत करती हूं । श्री तिवारी जी ने कहा कि आपके मंत्री ने ऐसा कहा, वैसा कहा और सदन को गुमराह किया, ऐसी बात नहीं है । माननीय श्री कांशीराम जी ने चुनाव के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा, यदि समाचार पत्र वाले इधर-उधर की बात छाप देते हैं तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । हां, पत्रकारों से मेरी गुजारिश है कि वह छानबीनकर ही समाचार लिखें, तो उचित रहेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाई श्री प्रमोद तिवारी, मा० श्री गुप्त जी, माननीय श्री ऊदल जी, श्री किरनपाल सिंह जी व अन्य सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने जो विचार रखे और जो सुझाव दिये, उनका हम खयाल रखेंगे । अब श्री प्रमोद तिवारी जी से अनुरोध है कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद तिवारी जी आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,00,39,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,00,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राज्य विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,24,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,86,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 †

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सुश्री मायावती–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायं (प्रतियां वितरित की गयीं)

सुश्री मायावती–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नोट :– † दिनांक 31 अगस्त, 1995 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा है।

खण्ड–2, खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995

31 मार्च, 1996 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1995 कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 1996 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1995) तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1995) की अनुसूची के स्तम्भ–3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 2.55.24.90.59.000 रुपये (केवल दो सौ पचपन अरब, चौबीस करोड़, नब्बे लाख और उनसठ हजार रुपये) होता है, अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में वर्ष 1995-96 के लिए 2.55.24.90.59.000 रुपये का निकाला जाना

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं। — विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	आबकारी विभाग ..	राजस्व	12,84.11	*10*	12,84.21
		पूंजी	..	..	..
2	आवास विभाग ..	राजस्व	15,66.56	*20,90,00*	36,56.56
		पूंजी	61,01.26	*13,15,00*	74,16.26
3	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	5,59.44	..	5,59.44
		पूंजी	15.00	..	15.00
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	4,98.63	*10*	4,98.73
		पूंजी	..	..	..
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	37,07.58	*200*	37,09.58
		पूंजी	3,15.86	..	3,15.86
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	33,86.18	*5,80*	33,91.98
		पूंजी	1,65.07	*5,72*	1,70.79
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	4,15.95	*60,00*	4,75.95
		पूंजी	70,00.03	*1,25,01*	71,25.04
8	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	34,60.31	..	34,60.31
		पूंजी	..	..	..
9	ऊर्जा विभाग ..	राजस्व	3,04.99	..	3,04.99
		पूंजी	9,97,13.59	..	9,97,13.59
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	42,44.73	*21,00*	42,65.73
	(औद्यानिक विकास)	पूंजी	4,32.40	..	4,32.40

1	2		3		
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	3.13.77.93	*3,12*	3.13.81.05
		पूंजी	55.39.34	*50*	55.39.84
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	44.60.04	..	44.60.04
	(क्षेत्रीय विकास)	पूंजो	50.00	..	50.00
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	12.86.56.45	*400*	12.86.60.45
	(ग्राम्य विकास)	पूंजी	25.62.91	..	25.62.91
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	1.32.25.87	*21*	1.32.26.08
	(पंचायती राज)	पूंजी	11.00	..	11.00
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	1.08.15.24	*50*	1.08.15.74
		पूंजी	1.54.06	..	1.54.06
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	10.04.15	*3*	10.04.18
	(दुग्धशाला विकास)	पूंजी	6.75.94	..	6.75.94
17	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	14.91.60	*5*	14.91.65
		पूंजी	1.00	..	1.00
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	22.05.42	*11,84,94*	33.90.36
	(सहकारिता)	पूंजी	2.67.26.19	*29,66,21*	2.96.92.40
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण	राजस्व	2.72.12	..	2.72.12
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी	..	..	..
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	1.05.98	*3,98,01*	5.03.99
		पूंजी	..	..	..
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	56.01.94	*5,00,86*	61.02.80
		पूंजी	18.70.82.00	*70,00,50*	19.40.82.50
22	खेल विभाग	राजस्व	9.17.73	..	9.17.73
		पूंजी	1.34.19	..	1.34.19
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	31.94.97	*10,58*	32.05.55
		पूंजी	..	*5,13*	5.13
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	14.71.91	*16,20,40*	30.92.31
		पूंजी	10.00.00	*4,81,00*	14.81.00

1	2			3	
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	53.49.42	*3*	53.49.45
		पूंजी	8.50.05	..	8.50.05
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	11.38.72.98	*59.10*	11.39.32.08
		पूंजी	5.00.00	*73.53*	5.73.53
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	63.36.04	..	63.36.04
		पूंजी	..	..	..
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	29.44.42	..	29.44.42
		पूंजी	..	..	..
* 29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	*1.26.53*	1.26.53
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	60.81	..	60.81
		पूंजी	..	..	..
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	1.02.33.59	*25*	1.02.33.84
		पूंजी	65.42	..	65.42
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	3.47.64.37	*1.00*	3.47.65.37
		पूंजी	36.94.11	..	36.94.11
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	61.08.13	*3*	61.08.16
		पूंजी	86.62	..	86.62
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	राजस्व	20.83.84	*20*	20.84.04
		पूंजी	31.36	..	31.36
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	1.84.28.22	*39*	1.84.28.61
		पूंजी	6.17.83	..	6.17.83
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	1.54.15.78	*100*	1.54.16.78
		पूंजी	2.79.00	..	2.79.00
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	5.42.09.40	..	5.42.09.40
		पूंजी	1.43.00	..	1.43.00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	6.03.73	..	6.03.73
		पूंजी	7.44.07	..	7.44.07
39	भाषा विभाग	राजस्व	2.53.35	*90*	2.54.25
		पूंजी	..	..	..

* भारित विनियोग से संबंधित क्रम-संख्या ।

1	2		3		
40	नियोजन विभाग	राजस्व	85.77.95	..	85.77.95
		पूंजी	70.00.00	..	70.00.00
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	1.47.44.25	..	1.47.44.25
		पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग	राजस्व	1.02.75.31	*17,80,38*	1.20.55.69
		पूंजी	9.00.00	..	9.00.00
43	परिवहन विभाग	राजस्व	15.02.40	*12*	15.02.52
		पूंजी	28.11	..	28.11
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	8.72.82	..	5.75.67
		पूंजी	39.64.43	..	39.64.43
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	2.50.66	..	2.50.66
		पूंजी	1.00	..	1.00
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	64.13	..	64.13
		पूंजी	..	..	..
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	79.25.42	*3,80,02*	83.05.44
		पूंजी	15.85.88	..	15.85.88
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	96.14	*2,73*	98.87
		पूंजी	..	..	..
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	1.28.77.10	..	1.28.77.10
		पूंजी	1.21.70	..	1.21.70
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	73.38.77	*35*	73.39.12
		पूंजी	7.20.01	..	7.20.01
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	1.27.14.38	*1,18,10,90*	2.45.25.28
		पूंजी	1.41.23	*14,85*	1.56.08
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	2.74.76.15	*50,83*	2.75.26.98
		पूंजी	1.00.72	*10,52*	1.11.24
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	93.31	..	93.31
		पूंजी	1.00	..	1.00
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	2.10.00.07	*4,15*	2.10.04.22
		पूंजी	..	..	..
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	10.81.08	*56,32*	11.37.40
		पूंजी	9.36.28	*1,00*	9.37.28

1	2			3	
56	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	6.92.49	*29.50*	7.21.99
		पूंजी	5.28.44	*10*	5.28.54
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	..	*6*	6
		पूंजी	2.38.21	*93*	2.39.14
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	1.64.93.24	*10*	1.64.93.34
		पूंजी	2.34.22.14	*17.36*	2.34.39.50
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति	राजस्व	6.76.63	..	6.76.63
	निदेशालय)	पूंजी	2.97.52	..	2.97.52
60	वन विभाग	राजस्व	97.51.60	*21*	97.51.81
		पूंजी	86.83	..	86.83
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	15.00.66.64	*34.57.37.60*	49.58.04.24
		पूंजी	36.35.00	*23.05.49.88*	23.41.84.88
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते	राजस्व	5.49.95.71	*15.37*	5.50.11.08
	तथा पेन्शनें)	पूंजी	..	..	..
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा	राजस्व	20.79.76	..	20.79.76
	प्रशासन)	पूंजी	19.92	..	19.92
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	8.05.24.74	..	8.05.24.74
		पूंजी	..	..	..
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत	राजस्व	45.81.63	*3*	45.81.66
	आदि)	पूंजी	..	..	..
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	37.02	*59.85.90*	60.22.92
		पूंजी	..	..	..
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	4.14.74	*15.71*	4.30.45
		पूंजी	..	..	..
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	11.60.38	*30.04*	11.90.42
		पूंजी	..	..	..
69	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	..	..	..
	(विधान मण्डल)	पूंजी	65.00	..	65.00

1	2		3		
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	20.07.99	..	20.07.99
		पूंजी	..	..	..
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	16.86.33.43	*1,68,00.02*	18.54.33.45
		पूंजी	..	..	..
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	10.05.93.70	*1,00,05.55*	11.05.99.25
		पूंजी	10.64.00	..	10.64.00
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	2.46.57.45	*3.15.01*	2.49.72.46
		पूंजी	3.60.01	..	3.60.01
74	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	13.78.38	..	13.78.38
		पूंजी	..	..	..
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	30.19.08	..	30.19.08
		पूंजी	..	..	..
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	37.94.74	*3*	37.94.77
		पूंजी	..	..	..
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	53.05.91	*20*	53.06.11
		पूंजी	1.42.45	..	1.42.45
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	66.42.45	*4*	66.42.49
		पूंजी	..	..	..
79	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	राजस्व	1.34.94.92	*3*	1.34.94.95
		पूंजी	3	..	3
80	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	राजस्व	3.19.89.16	*3*	3.19.89.19
		पूंजी	4.76.77	..	4.76.77
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	5.23.30	*3*	5.23.33
		पूंजी	1.45.85	..	1.45.85
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	5.68.65	*34.07*	6.02.72
		पूंजी	..	..	..
83	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व	7.80	*3*	7.83
		पूंजी	3	..	3

1	2	3		
84 सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	40.69	*3*	40.72
	पूंजी	..	..	..
85 सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	61.01	..	61.01
	पूंजी	..	..	..
86 सूचना विभाग	राजस्व	17.78.88	..	17.78.88
	पूंजी	..	..	..
87 सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	8.28.85	*3*	8.28.88
	पूंजी	..	..	..
88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	61.01	*4*	61.05
	पूंजी	3.78.27	..	3.78.27
89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापारकर)	राजस्व	71.22.90	*1.15*	71.24.05
	पूंजी	1.70.00	..	1.70.00
90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	3.05.13	..	3.05.13
	पूंजी	..	..	..
91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	12.94.60	*4*	12.94.64
	पूंजी	..	..	..
92 सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	7.78.89	*3*	7.78.92
	पूंजी	10.00	..	10.00
93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	2.65.23.14	*1.00*	2.65.24.14
	पूंजी	1.17.32.44	..	1.17.32.44
94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	7.19.46.24	*3*	7.19.46.27
	पूंजी	5.60.40.25	*1.00*	5.60.41.25
95 उत्तराखण्ड विकास विभाग	राजस्व	2.27.52.03	*14.02*	2.27.66.05
	पूंजी	1.23.66.91	*19.00*	1.23.85.91
योग :	राजस्व	1.43.93.68.76	*39,91,62,86*	1.83.85.31.62
	पूंजी	47.13.71.73	*24,25,87,24*	71.39.58.97
कुल योग :		1.91.07.40.49	*64.17.50.10*	2.55.24.90.59

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सुश्री मायावती–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(मेजों की थपथपाहट)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22-8-95 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 38 सूचनायें प्राप्त हुई । इनमें पहली सूचना श्री तेजभान सिंह की सुल्तानपुर जिले के थाना कोतवाली अन्तर्गत नीलांगन फोटो स्टूडियो द्वारा मासूम लड़कियों के चरित्र हनन की साजिश के तहत फोटो खींचे जाने तथा उन्हें गुमराह किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस सूचना के संबंध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

दूसरी सूचना, डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में स्कैलिंग पद्धति लागू कराये जाने के संबंध में है । इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

तीसरी सूचना, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की–उ० प्र० अधीनस्थ गन्ना सेवा वर्ग–2 की ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप से जारी कराये जाने के संबंध में है । इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

चौथी सूचना, श्री राम आसरे वर्मा, श्री किरनपाल सिंह की–धूरयापार किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड हरपुर-गजपुर, गोरखपुर की निर्वाचन प्रबन्ध कमेटी को जिलाधिकारी एवं प्रधान प्रबन्धक द्वारा अधिकार विहीन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

पांचवीं सूचना, श्री बदन सिंह की–जनपद आगरा के किरावली कस्बे में स्थित वक्फ बोर्ड की सार्वजनिक प्रयोग की सम्पत्तियों को सचिव द्वारा बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

छठी सूचना, श्री सफदर रजा खान की–प्रदेश में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिकों के वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

सातवीं सूचना, डा० राम बाबू हरित की–गोल्ड मोहर शंकर पान मसाला और गुटका की बिक्री पर रोक लगाये जाने के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

आठवीं सूचना, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री राम कुमार शुक्ल की–लखनऊ अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब लिमिटेड की कुव्यवस्था के कारण बेरोजगारी व भारी घाटे के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

नवीं सूचना, डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" की–प्रदेश में आई० टी० आई० के 143 ट्रेडों को समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

दसवीं सूचना, श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय 'गुरूजी'' की–प्रतापगढ़ जिले के वीरापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में शासन द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय न खुलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

शेष सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं ।

आगरा महानगर में जगदीशपुरा की नीलगिरी इन्क्लेव में गृहस्वामी की हत्या तथा पांच लोगों के घायल करने एवं लूट करने के संबंध में श्री राम बाबू हरित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

दिनांक 2/3-8-95 की रात्रि में थाना जगदीशपुरा के अन्तर्गत.....

श्री अध्यक्ष–

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[.....नीलगिरी इन्क्लेव में श्री जे० पी० शर्मा के मकान में अज्ञात बदमाशों ने डण्डों से मारपीट की एवं लूटपाट की । घायलों को एस० एन० मेडिकल अस्पताल ले जाया गया । दिनांक 3-8-95 को श्री जे० पी० शर्मा की मृत्यु हो गयी । परिवार के अन्य सदस्यों को प्राथमिक चिकित्सा के उपरान्त वापस घर भेज दिया गया था । उक्त घटना के संबंध में थाना जगदीशपुरा पर पंजीकृत अपराध संख्या–206/95, धारा–396 भा०द०वि० की विवेचना की गयी । फलस्वरूप दिनांक 12/13-8-95 को 3 बदमाशों को पकड़ा गया और उनसे अवैध शस्त्र तथा लूटे गये जेवरात व कपड़े बरामद किये गये । अभी विवेचना जारी है । जिस गिरोह द्वारा यह घटना की गयी है वह कच्छा बनियान धारी गिरोह नहीं है । यह सही नहीं है कि लूटपाट, राहजनी, हत्या आदि का तांता लगा है । जनता में किसी प्रकार का भय का वातावरण नहीं है । फिर भी इस नई बसी हुई कालोनी में अस्थायी चौकी की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर कर दी गयी है । अपराध स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है तथा वातावरण भय रहित है ।]

प्रदेश के बरई, चौरसिया समाज के लोगों को पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने विषयक श्री जगदम्बिका पाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

समाज कल्याण मंत्री (श्री श्रीराम पाल)–

श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 1995 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से.....

श्री अध्यक्ष–

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया ।)

नोट :–[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया ।

श्री श्रीराम पाल–

[बरई और चौरसिया जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित करने की मांग की गयी है ।

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ों वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–I में पिछड़े वर्ग की 55 जातियों के नाम अंकित है । किन्तु यह देखने में आया है कि इन 55 जातियों की ही कुछ उपजातियां प्रदेश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न नाम, उपनाम से जानी जाती है । यद्यपि इन सभी पर्यायवाची नामों से अथवा उपनामों से जानी जाने वाली जातियों के लोगों का खान-पान, रहन-सहन सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक स्तर समान है, किन्तु चूंकि इन उपजातियों के नाम उक्त अधिनियम की अनुसूची में नहीं दर्शाये गये हैं, अतः उन्हें अधिसूचित जातियों के लोगों के समान पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त हो पाता, जिससे उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की भांति अनुमन्य करायी गयी सुविधायें प्राप्त नहीं होती ।

3–माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी बनाम भारतीय संघ में दिये गये निर्णय में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये थे कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेंगी । इस निर्देश के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने भी दिनांक 9 मर्च, 1993 को उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग का गठन किया । इस निमित्त जारी किये अध्यादेश की धारा–11 में पिछड़े वर्ग में जातियों को सम्मिलित करने अथवा उससे निष्कासित करने के लिये आयोग का परामर्श प्राप्त करने का प्राविधान किया गया है । उक्त धारा–11 निम्न प्रकार है :–

> "11(1) राज्य सरकार किसी भी समय अनुसूची से उन वर्गों को जो पिछड़े वर्ग नहीं रह गये हैं, निकालने की दृष्टि से या नये पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने के लिये अनुसूची का पुनरीक्षण कर सकती हैं और इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने से दस वर्ष की समाप्ति पर और उसके पश्चात् दस वर्ष की उत्तरवर्ती अवधि की समाप्ति पर ऐसा पुनरीक्षण करेगी ।
>
> (2) राज्य सरकार उप धारा (1) में निर्दिष्ट कोई पुनरीक्षण करते समय आयोग से परामर्श करेगी ।"

4–उक्त धारा के अनुपालन में अन्य जातियों की भांति बरई और चौरसिया जाति के प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रत्यावेदनों की आयोग की आख्या प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा समय समय पर संदर्भित किया गया । कुछ प्रत्यावेदन आयोग को सीधे भी प्राप्त हुए । इन प्रत्यावेदनों में यह उल्लेख किया गया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–I में क्रम संख्या–23 "पर" "तमोली" शब्द का उल्लेख है, किन्तु पान की खेती तथा पान का व्यवसाय आदि करने वाले इस जाति के बहुत से लोग प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बरई, चौरसिया आदि उपनामों/उपजातियों से जाने जाते हैं और वह भी "तमोली" की ही जाति से संबंध रखते हैं और वह पेशा करते हैं । उनका खान-पान रीति-रिवाज, रोटी-बेटी का वही संबंध है । इसके अतिरिक्त वह सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से उसी तरह पिछड़े हुए हैं और सरकारी सेवा में उनका स्थान नगण्य है ।

5–आयोग ने इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी करके इन उपजातियों/वर्गों/समूहों की सुनवाई की, विरोध दर्ज करने के इच्छुक व्यक्तियों को समय दिया गया तथा इच्छुक पक्षों का बयान भी दर्ज किया गया । शपथ-पत्रों के साथ यह कहा गया कि "तमोली", नागवंशी, चौरसिया और बरई की ही

नोट:–I । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जाति के अलग-अलग नाम हैं और इसीलिये "तमोली" के नाम के साथ बरई और चौरसिया नाम जोड़ दिये जायें । जिन व्यक्तियों ने आयोग के सामने बयान दिया, उन सबकी आम सहमति इस बात पर भी थी कि "तमोली" के साथ बरई और चौरसिया जोड़ दिये जायें । बरई तथा चौरसिया नामों के शामिल करने पर किसी भी पक्ष की तरफ से विरोध नहीं हुआ और न कोई प्रत्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ । प्रेषित किये गये प्रत्यावेदन बहस, साक्ष्य, बयानहलफी आदि तथा सुनवाई के समय व्यक्त की गई आम सहमति आदि के आधार पर आयोग संतुष्ट हुआ तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–1 की क्रम संख्या–23 "तमोली" शब्द के साथ "बरई तथा चौरसिया" शब्द सम्मिलित करने का अनुरोध स्वीकार करने योग्य पाया और तद्नुसार आयोग ने अपनी संस्तुति दिनांक 17 अप्रैल, 1995 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को प्रेषित की ।

6–आयोग की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् शासन स्तर पर इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की गई और अब इस संबंध में आवश्यक निर्णय ले लिया गया है और तद्नुसार आवश्यक आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे । इस आशय के आदेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–13 के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित करके जारी किये जायेंगे ।।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं बहुत आभारी हूं कि प्रदेश सरकार ने बरई और चौरसिया समाज को भी तमोली जाति की तरह पिछड़े समाज में शामिल करने का निर्णय लिया है । इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने वक्तव्य के पैरा 6 में कहा है कि "आयोग की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् शासन स्तर पर इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी और अब इस संबंध में आवश्यक निर्णय ले लिया गया है और तद्नुसार आवश्यक आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे । तो यह आदेश कब तक हो जायेंगे । और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 13 के अन्तर्गत अधिसूचना कब तक प्रकाशित कर दी जाएगी ।

श्री श्रीराम पाल–

जैसा कि भारत सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग हमारे प्रदेश में स्थापित किया गया है, यह हमारे उच्चतम न्यायालय ने इन्द्रा साहनी बनाम भारत संघ के संबंध मे निर्णय है इसी अनुसार पिछड़ी जातियों की सूची में कोई जाति शामिल होती है तो आयोग उसकी सुनवाई करता है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह तो आपने निर्णय ले लिया है और उसके लिये आपको धन्यवाद भी दिया है । लेकिन जो मैंने पूछा है .....

श्री श्रीराम पाल–

वह बहुत शीघ्र हो जायगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इसकी अधिसूचना कब तक प्रकाशित हो जाएगी ?

श्री श्रीराम पाल–

अतिशीघ्र जारी हो जायेगी । जल्दी से जल्दी जारी हो जायेगी ।

लेखपाल हल्कों की पुनर्गठन योजना के फलस्वरूप अतिरिक्त (सरप्लस) लेखपालों को संग्रह कार्य में लगाये जाने विषयक श्री मारकण्डेय सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार)–

प्रदेश के 55 मैदानी जनपदों में ....

श्री अध्यक्ष–

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री राजेन्द्र कुमार–

..... । लेखपाल हल्का/भूलेख निरीक्षक (राजस्व निरीक्षक) क्षेत्रों के पुनर्गठन योजना के फलस्वरूप पूर्व में स्वीकृत 27213 लेखपालों के विरुद्ध 21928 लेखपालों को विभिन्न कार्यों में लगाये जाने के उपरान्त 5285 लेखपाल फालतू (सरप्लस) हो गये हैं जिन्हें सेवा से न निकाले जाने का निर्णय ले लिया गया था ।

प्रदेश में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में सीजनल संग्रह अमीनों की भर्ती की जाती है जिनमें से अधिकतर द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार वसूली नहीं हो पाती है । अतः सम्यक् विचार कर शासकीय हित में सीजनल संग्रह अमीनों की नियुक्तियों के फलस्वरूप शासन पर आने वाले व्यय में कमी करने के उद्देश्य से बिना कार्य किये वेतन पाने वाले फालतू (सरप्लस) लेखपालों को संग्रह कार्य में लगाने हेतु दिनांक 20 मार्च, 1995 को शासनादेश निर्गत किया गया । उक्त आदेश निम्न शर्तों के अधीन तत्कालिक प्रभाव से लागू किये गये :–

(1) इन लेखपालों का मूल पद लेखपाल ही रहेगा तथा इसी पद का वेतनमान देय होगा ।

(2) जब तक लेखपालों का समायोजन नहीं हो जाता है तब तक उनसे संग्रह कार्य लिया जाता रहेगा ।

(3) संग्रह कार्य के लिये उतनी संख्या में सीजनल अमीनों की भर्ती नहीं की जायेगी जितने लेखपाल इस कार्य के लिये लगाये जायेंगे ।

(4) यह व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी और उक्त व्यवस्था के अनुसार किये गये कार्य के लिये कोई अतिरिक्त लाभ का दावा मान्य नहीं होगा ।

यद्यपि सीजनल संग्रह अमीनों को पहले की तरह नियुक्ति किये जाने के लिये मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 1995 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को निर्देश निर्गत किये गये थे तथा कृत कार्यवाही की स्थिति की जानकारी हेतु प्रमुख सचिव राजस्व विभाग द्वारा भी दिनांक 8 अगस्त, 1995 को समस्त मण्डलायुक्तों से अनुरोध किया गया था तथापि मा० सदस्य एवं विशिष्ट जनप्रतिनिधियों द्वारा वर्णित कठिनाई एवं की गई संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्विचारोपरान्त पुर्नगठित लेखपाल हल्कों को यथावत् कर फालतू लेखपालों को संग्रह कार्य में लगाये जाने से संबंधित शासनादेश संख्या–1245/1–9–95–6–1(19)/95–रा०–9. दिनांक 20 मार्च, 1995 को निरस्त करके पूर्व की व्यवस्था ही बनाये रखने के आदेश दिनांक 14 अगस्त, 1995 को निर्गत किये जा चुके हैं ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश में चल रहे दस जाली विश्वविद्यालयों से शिक्षा क्षेत्र में आये संकट विषयक श्री रमेश कान्त लवानियां द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

माननीय विधान सभा सदस्य, श्री रमेश कान्त लवानियां द्वारा .....

श्री अध्यक्ष–

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया) ।

श्री सुखदेव राजभर–

.....[उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 22-8-95 को वक्तव्य दिये जाने के आदेश दिये थे ।

2–मा० सदस्य ने दिनांक 7 अगस्त, 1995 से सूचित किया था कि उत्तर प्रदेश में इस समय 10 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं । केन्द्र सरकार की शिक्षा मंत्री, सुश्री शैलजा ने संसद में दिये गये एक प्रश्न के उत्तर में भी यही अवगत कराया था । अतः माननीय सदस्य ने इस प्रकरण पर वक्तव्य दिये जाने की मांग की थी जिसे माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया था ।

3–इस संबंध में सूचित करना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में प्रदेश में चल रहे निम्नलिखित 10 विश्वविद्यालयों के नाम हैं :–

(1) महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग, इलाहाबाद ।

(2) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

(3) इण्डियन एजूकेशन कौंसिल आफ यू० पी० लखनऊ ।

(4) गांधी हिन्दी विद्यापीठ प्रयाग, इलाहाबाद ।

(5) नेशनल यूनिवर्सिटी आफ इलेक्ट्रो काम्पलेक्स होम्योपैथी, कानपुर ।

(6) नेता जी सुभाष चन्द्र बोस विश्वविद्यालय (खुला विश्वविद्यालय) अचलताल, अलीगढ़ ।

(7) श्रीमती महादेवी वर्मा/खुला विश्वविद्यालय, मुगलसराय, वाराणसी ।

(8) सन्त रविदास विश्वविद्यालय मुमरेजपुर, बुलन्दशहर ।

(9) उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोसीकला, मथुरा ।

(10) महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ ।

उक्त संस्थाओं के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही व उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

(1) महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय महिला विश्वविद्यालय प्रयाग इलाहाबाद ।

यह संस्था पत्राचार के माध्यम से परीक्षायें आयोजित करती थी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों के पश्चात् 23-4-90 को संस्था के द्वारा सूचित किया था कि संस्था ने अपने सम्बद्ध विश्वविद्यालय शब्द को हटा दिया है और उसने उपाधियां दिया जाना बन्द कर दिया है । तद्नुसार इस विश्वविद्यालय को फर्जी/जाली विश्वविद्यालय की सूची से हटाये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जा रहा है ।

(2) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

स्थानीय प्रशासन द्वारा इस संस्था के संबंध में जांच करायी गयी किन्तु उक्त संस्थान के कार्यालय की जानकारी नहीं हो सकी । कदाचित इसका कार्यालय दिल्ली में है । ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के संचालक भूमिगत होकर उपाधियां/डिग्रियां वितरित करते हैं । जिला प्रशासन इस पर सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं परन्तु अभी तक इसकी अनियमित गतिविधियों की जानकारी प्राप्त नहीं हुयी है ।

(3) इडियन एजूकेशन कौंसिल आफ यू० पी० लखनऊ (भारतीय शिक्षा परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ) ।

इडियन एजूकेशन कौंसिल आफ यू० पी०, लखनऊ एवं भारतीय शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ दोनों एक ही संस्था है । उक्त फर्जी विश्वविद्यालय के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा संस्था के संस्थापक/प्रबन्धक के विरुद्ध धारा 420/469/471/472 आई० पी० सी० के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है । उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच से संस्था के प्रबन्धक ने स्थगनादेश प्राप्त कर रखा है जिसके फलस्वरूप इस संस्था की गतिविधियों पर राज्य सरकार द्वारा रोक नहीं लगायी जा सकी है । स्थगनादेश समाप्त किये जाने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है ।

(4) गांधी हिन्दी विद्यापीठ प्रयाग, इलाहाबाद ।

जिला प्रशासन ने जांचोपरान्त जानकारी दी है कि उक्त संस्था का पता नहीं चल पा रहा है । कदाचित इस संस्था का कोई अस्तित्व नहीं है । इसको फर्जी विश्वविद्यालय की सूची से हटाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है ।

(5) नेशनल यूनिर्वसिटी आफ इलेक्ट्रो काम्पलेक्स होम्योपैथी, कानपुर ।

जिला प्रशासन ने उक्त संस्था के विरुद्ध कार्यवाही की है, संस्था ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यथासमय कार्यवाही की जायेगी ।

(6) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विश्वविद्यालय (खुला विश्वविद्यालय) अचलताल, अलीगढ़ ।

उक्त विश्वविद्यालय के प्रबन्धक के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गयी और प्रबन्धक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया । फलस्वरूप संस्था बन्द हो गयी है ।

(7) श्रीमती महादेवी वर्मा (खुला विश्वविद्यालय) मुगलसराय, वाराणसी ।

स्थानीय प्रशासन ने उक्त विश्वविद्यालय की छान-बीन की, किन्तु उसके अस्तित्व की जानकारी नहीं हो सकी । प्रशासन सक्रिय है ।

(8) संत रविदास विश्वविद्यालय मुमरेजपुर, बुलन्दशहर ।

उक्त संस्था के प्रबन्धक ने विश्वविद्यालय खोले जाने की प्रार्थना की थी जिसे स्वीकार नहीं किया गया । इस विश्वविद्यालय ने कभी भी न तो शिक्षण कार्य निष्पादित किया है और न ही कोई उपाधि प्रदान की । अतः इसे फर्जी विश्वविद्यालय नहीं कहा जा सकता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है ।

(9) उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोसीकला, मथुरा ।

उक्त संस्था के विरुद्ध सीधे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है जिसके फलस्वरूप संस्था के आगे विश्वविद्यालय "शब्द" का प्रयोग न करें, डिग्री प्रदान न करें । संस्था की गतिविधियां इस समय स्थगित हैं ।

(10) महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ ।

इस संस्था के विरुद्ध जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा कार्यवाही की गयी । संस्था ने जिला न्यायालय प्रतापगढ़ से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे हैं जिससे इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है । स्थगनादेश समाप्त कराये जाने के प्रयास जारी हैं ।

4–इस संबंध में जनहित में दिनांक 25-3-93 को स्वतंत्र भारत व अन्य दैनिक स्थानीय अखबारों में विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया था और अब जनसामान्य को विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालयों में ही अध्ययन करने तथा उनसे ही उपाधियां प्राप्त करने के उद्देश्य से पुनः समाचार-पत्रों में सूचना प्रकाशित

किये जाने के संबंध में निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश को लिखा गया है, आशा है समाचार-पत्रों आदि में यह सूचना शीघ्र प्रकाशित हो जायेगी ।]

भदोही जिले के कतिपय मार्गों में नदियों पर बने पुलों पर सरकारी घोषणा के बावजूद वाहन शुल्क वसूले जाने विषयक श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

पशुधन राज्य मंत्री (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)––

माननीय सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत जनपद भदोही में लोक निर्माण विभाग के कतिपय सेतुओं पर पथकर .....

श्री अध्यक्ष–

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया) ।

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

....[उद्ग्रहण के संबंध में दी गयी सूचना के संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिसूचना संख्या–5662/23-2-94-92/89, दिनांक 29 दिसम्बर, 1994 द्वारा लोक निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन पक्के सेतुओं का प्रयोग करने वाले यान के प्रभारी व्यक्तियों से पथकर उद्ग्रहण हेतु शर्तें निर्धारित की गयी हैं । पथकर की दरों का उल्लेख भी इसी अधिसूचना में किया गया है । इसके पूर्व पथकर का उद्ग्रहण अधिसूचना संख्या–2174/23-सा०नि०दो–62/76, दिनांक 2 जून, 1976 में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जाता था।

2–वर्तमान व्यवस्था के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 1994 के पश्चात् निर्मित समस्त स्थायी सेतु जिनके निर्माण की लागत रुपये एक करोड़ से अधिक न हो, पथकर के उद्ग्रहण से मुक्त होंगे । वर्ष 1976 की अधिसूचना में सेतु जो पथकर के उद्ग्रहण से मुक्त थे के निर्माण की लागत की सीमा रुपये 5 लाख थी।

3–किसी पुल पर पथकर का उद्ग्रहण उस समय तक, जब तक कि उसके निर्माण की कुल लागत, जिसके अन्तर्गत पुल के निर्माण पर किये गये व्यय पर ब्याज भी है, पथकर की वसूली में और उसके रख-रखाव पर हुआ व्यय, पूर्णरूप से वसूल न हो जाय या उस पुल पर पथकर लगाने के प्रथम दिनांक से 50 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो, किया जायेगा ।

4–उक्त अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर, 1994 में यह व्यवस्था भी की गयी है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट पथकर की दरें उन पुलों के संबंध में प्रभावी नहीं होंगी जिनके संबंध में पथकर संग्रह का पट्टा पहले ही निष्पादित किया जा चुका है और ऐसे पुलों के संबंध में सरकारी अधिसूचना दिनांक 2 जून, 1976 के अनुसार पथकर तब तक वसूल किया जायेगा जब तक ऐसे पट्टे का अवसान न हो जाय।

5–माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना में उल्लिखित सेतुओं के निर्माण की यथापरिभाषित लागत अभी पूर्ण रूप से वसूल नहीं हुई है, अतः इन पर पथकर का उद्ग्रहण अभी किया जा रहा है।]

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैने अपने जनपद भदोही के बारे में तीन पुलों के बारे में उनका उल्लेख करते हुए पथकर की स्थिति के संबंध में जानना चाहा था । जो उत्तर दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि एक

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

करोड़ रुपये की लागत से कम के जो पुल हैं उन पर से पथकर समाप्त किया जायेगा यह जो हमारे यहां के पुल हैं उनकी लागत निश्चित रूप से 20--25 लाख से ज्यादा की नहीं है क्योंकि दो-तीन पाये के ये पुल हैं। तो जिनकी लागत एक करोड़ से कम की है। और सन् 76 से पहले के हैं तो उन पर से पथकर क्यों नहीं माफ किया गया है ? यदि नहीं किया गया है तो कब तक माफ कर दिया जायेगा ? (व्यवधान) इन पुलों की लागत 15–20 लाख रुपया ही होगी। एक करोड़ का शासनादेश है कि उस पर पथकर लिया जायेगा। तो आप क्यों नहीं घोषित करते हैं कि उन पर से हम टैक्स नहीं लेंगे ? यह इनके क्षेत्र का भी मामला है।

नगर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम किशोर विन्द)–

माननीय सदस्य हमरे पास हमारे कक्ष में आ जायेंगे तो मैं उनको सारी बात बता दूंगा, समझा दूंगा।

लखनऊ में न्यायालय की इमारत तोड़कर सोलह कैदियों के भागने के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

दिनांक 9-8-1995 को थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ पर वादी आरक्षी.....

श्री अध्यक्ष–

पढ़ा हुआ माना जाए।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

....[383 ना० पु० उदय शंकर सिंह, लाक-अप मोहर्रिर, सेशन कोर्ट लखनऊ की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 275/95, अन्तर्गत धारा 223/224 भा० दं० वि० निम्न अभियुक्तों के विरुद्ध कायम हुआ :—

(1) जितेन्द्र उर्फ टिंकू पुत्र बच्चा लाल, निवासी फतेहगंज, थाना नाका, जनपद लखनऊ (2) चांद बाबू उर्फ चांद खां पुत्र मो० पीरू निवासी विलोचपुरा, गढ़इया, ऐशबाग, थाना बाजारखाला, लखनऊ, (3) अजय उर्फ राजेश उर्फ बिजय पुत्र रती राम नि० एल० डी० ए० कालोनी, आलमबाग, लखनऊ, (4) हित किशोर उर्फ कलिया पुत्र स्वामी दीन निवासी गढ़ी लालकुर्ती, थाना कैन्ट, जनपद लखनऊ, (5) राजन तिवारी पुत्र शिव कुमार तिवारी निवासी 242 मोतीनगर, थाना नाका, लखनऊ, (6) दारा उर्फ उमेश शर्मा पुत्र राम चन्द्र नि० 556/28 जय प्रकाश नगर, थाना कृष्णानगर, लखनऊ, (7) रहमत अली उर्फ बाबा उर्फ रईस पुत्र शौकत अली, निवासी हरि चन्दा थाना जरवल रोड, जनपद बहराइच, (8) प्रेम बहादुर उर्फ पहाड़ी पुत्र खेम बहादुर नि० शिवपुरा, थाना छोटा नैपाल, नैपाल, (9) शफीक पुत्र सिद्दीकी नि० खाला बजार, लखनऊ, (10) रमेश उर्फ खोतरा पुत्र राजेश नि० रहमत चौराहा, सराय फाटक, कोतवाली, हरदोई, (11) पीर मोहम्मद पुत्र मकसूद अहमद नि० बेलीगार्ड सेक्टर क्यू, थाना मड़ियाव, लखनऊ, (12) बांके लाल पुत्र चंदन लाल, नि० गऊघाट, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ, (13) मो० सईद पुत्र अब्दुल रशीद नि० मुसाफिर खाना, जनपद सुल्तानपुर, (14) गुड्डू उर्फ राम प्रसाद पुत्र दुबरे (15) हुलासी पुत्र गया प्रसाद निवासी शेखपुर, थाना

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ठाकुरगंज, लखनऊ, (16) अकरम खां पुत्र रवीश खां नि० मसनपुर सैनी, थाना बादीपुर, जनपद सुल्तानपुर ।

यह बन्दी सेशन कोर्ट लाकअप का रोशनदान तोड़कर भाग गये थे प्रकरण की विवेचना थाना वजीरगंज श्री टी० वी० सिंह द्वारा की जा रही है । अभी तक उक्त में से पांच भागे हुए बन्दी पुनः बन्दी बनाये जा चुके हैं तथा शेष के विरुद्ध धारा 82/83 द० प्र० सं० की कार्यवाही के लिये न्यायालय आख्या प्रस्तुत की गयी है । विभागीय स्तर पर कर्तव्य पालन में लापरवाही दर्शाने के लिये स्थानापन्न उपनिरीक्षक बेनी बहादुर सिंह, लाकअप मोहर्रिर दया शंकर सिंह व आरक्षी लल्लन राम को दिनांक 14-8-1995 को निलम्बित किया जा चुका है ।[]

प्रदेश के बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों को सेवायोजित किये जाने के संबंध में श्री अरविन्द कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मा० सदस्य अरविन्द कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से.....

श्री अध्यक्ष–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाए ।

कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

(किसी माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

...[इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि उनके जनपद ललितपुर को सम्मिलित करते हुए प्रदेश भर में लगभग 45000 बी० टी० सी० बेरोजगार सेवायोजन की बाट जोह रहे हैं, और उन्हें रोजगार की सुविधा उपलब्ध न कराकर प्रदेश में 5000 उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने के लिये आदेश जारी किये गये हैं ।

शासन स्तर पर उपलब्ध अद्यतन जानकारी के अनुसार प्रदेश में कुल 39290 बी० टी० सी० बेरोजगार हैं । इन बी० टी० सी० बेरोजगारों को वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों की सेवा निवृत्ति, उनकी मृत्यु, प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उनकी पदोन्नति, छात्र नामांकन में वृद्धि के फलस्वरूप मानक के आधार पर अतिरिक्त पदों के सृजन तथा शासन की नीति के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम सभा में प्राथमिक तथा प्रत्येक न्याय पंचायत में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाली रिक्तियों में सेवायोजित किये जाने की नीति शासन की रही है । यह अनवरत चलने वाली सामान्य प्रक्रिया है जिसके तहत बी० टी० सी० बेरोजगारों को शनैः-शनैः सेवायोजित किया जाता रहा है । यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1994-95 में खोले गये प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये लगभग 9126 अध्यापकों की तात्कालिक रूप से आवश्यकता है और चालू वित्तीय वर्ष में स्थापित किये जाने वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये लगभग 8621 अध्यापकों की आवश्यकता अनुमानित है । इस प्रकार वर्तमान में उपलब्ध 39.290 बी० टी० सी० बेरोजगारों में से लगभग 17747 बी० टी० सी० बेरोजगारों की तात्कालिक रूप से सेवायोजन की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी । अध्यापकों की सेवानिवृत्ति, मृत्यु, छात्र नामांकन में वृद्धि के फलस्वरूप इस संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि संभावित है । इस प्रकार अनुमान यही है कि 39.290 बी० टी० सी०

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बेरोजगारों के सापेक्ष्य आधे से अधिक बी० टी० सी० बेरोजगार निकट भविष्य में सेवायोजित हो जायेंगे। यह स्थिति बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों के सामान्य पदों पर सेवयोजन से संबंधित है।

जहां तक उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति का प्रश्न है इस संबंध में स्थिति भिन्न है। शासन की नीति के अनुसार यदि किसी बेसिक विद्यालय में 5 से अधिक बच्चों की मातृ भाषा उर्दू है तो एक उर्दू अध्यापक तथा प्रत्येक 50 ऐसे बच्चों पर एक अतिरिक्त उर्दू अध्यापक उपलब्ध कराये जायेंगे। उर्दू अध्यापकों के इन पदों पर नियुक्ति के लिये नियमावली में यह व्यवस्था प्राविधानित है कि उर्दू अध्यापन के लिये प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से लखनऊ, आगरा, मवाना (मेरठ), सकलडीहा (वाराणसी) में स्थापित किसी एक केन्द्र में से बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बेसिक विद्यालयों में सेवायोजन के लिए अर्ह माना जायेगा। इस प्रकार वर्तमान 39290 बी० टी० सी० बेरोजगारों में से बहुत से ऐसे बी० टी० सी० बेरोजगारों को भी बेसिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर सेवायोजन का अवसर उपलब्ध हो जायेगा। जो शासन द्वारा स्थापित उक्त चारों प्रशिक्षण केन्द्रों में से बी० टी० सी० प्रशिक्षण उर्दू उत्तीर्ण है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उर्दू अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियां उन्हीं विद्यालयों में की जायेगी जहां पढ़ने वाले बालकों की मातृ भाषा उर्दू है। अतः ऊर्दू अध्यापकों की नियुक्ति एक सीमित दायरे में की जानी है जिसका बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों के नियमित पदों पर नियुक्ति से कोई विरोध नहीं है। अतः माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गयी यह आशंका निर्मूल है कि उर्दू अध्यापकों को नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप बी० टी० सी० बेरोजगारों के सेवायोजन के अवसर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।]

रायबरेली जिले की शारदा नहर दक्षिणी रायबरेली की डीह डी० वाई० में सफाई आदि में अनियमितताओं के संबंध में श्री राजाराम त्यागी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, रायबरेली जनपद के अन्तर्गत शारदा.....

श्री अध्यक्ष–

पढ़ा हुआ माना जाए।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

...[नहर (दक्षिण) रायबरेली खण्ड के अधीन डीह डी० वाई० में सफाई और मुंह चौड़ा कराने के नाम पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता ने सांठ-गांठ कर लाखों रुपये का घोटाला किया, बताया गया है। इस संबंध में स्थिति यह है कि इस प्रकारण पर विभागीय जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता को नामित कर दिया गया है, जांच अख्या अभी प्रतीक्षित है। जांच के परिणाम आ जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। चूंकि विभागीय जांच कार्यवाही की जा रही है तथा टी० ए० सी० की जांच कराने की इस समय कोई आवश्यक नहीं है।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटन विभाग में लखनऊ गाइड मैप न उपलब्ध होने विषयक श्री जगदम्बिका पाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन राज्य मंत्री का वक्तव्य

पशुधन राज्य मंत्री (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)–

वित्तीय वर्ष 1994-95 में 30,000 लखनऊ.....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

...[सिटी गाइड मैप का मुद्रण कराया गया था जिसके लिये 2,11,876/- की धनराशि का भुगतान किया गया। लखनऊ सिटी गाइड मैप पर्यटकों के वितरण हेतु उपलब्ध है।

चारबाग स्थित पर्यटक स्वागत केन्द्र का वर्तमान समय में पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। पुराना स्वागत केन्द्र अत्यन्त जर्ण-शीर्ण अवस्था में तथा अतः इसका पुनर्निर्माण आवश्यक हो गया था। चारबाग स्थित पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है एवं यह शीघ्र ही बनकर तैयार हो जायेगा जिसके उपरान्त पर्यटकों को पर्यटन संबंधी सूचनायें चारबाग रेलवे स्टेशन पर ही उपलब्ध हो सकेंगी।

पूर्ववर्ती क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के मुख्यालय पर स्थानान्तरण के साथ ही दूसरे क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी की तैनाती क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय लखनऊ में कर दी गयी है। क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय लखनऊ में एक क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, एक पर्यटक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं जो पर्यटकों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराने हेतु तत्पर रहते हैं। पर्यटन निदेशालय में भी पर्यटकों को जानकारी दी जाती है। पर्यटन निदेशालय में विशेष रूप से स्वागत पटल पर ही पर्यटकों को सूचना दिये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जा रही है। पर्यटन विभाग द्वारा सुचारु रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है जिसके कारण राजधानी लखनऊ में आने वाले पर्यटकों में वृद्धि हुई है।

पर्यटन निदेशालय को दो होवर क्राफ्ट उपलब्ध कराये गये थे। इन होवर क्राफ्टों को वाणिज्यिक दृष्टिकोण से एवं इसका लाभ अधिकाधिक पर्यटकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्हें संचालन हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम को हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।]

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड गौरा के अन्तर्गत 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने तथा पडरौना जिले के तरया सुजान व कुण्डी विद्युत उप स्टेशनों के फीडरों की री-वुर्पिंग कराये जाने विषयक श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन राज्य मंत्री का वक्तव्य

पशुधन राज्य मंत्री (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)–

जनपद प्रतापगढ़ के 33/11 के० वी०.....

श्री अध्यक्ष–

पढ़ा हुआ माना जाए।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

...[तरया सुजान विद्युत उपकेन्द्र वर्ष 1991-92 में 132/33 के० वी० विद्युत उपगृह, राजापाकड़ के निर्माण के साथ-साथ किया गया था। विद्युत परिषद् द्वारा स्थानीय व्यवस्था करके इस विद्युत उपगृह से क्षेत्र की 11 के० वी० लाईनों की रिग्रुपिंग करके 19.5 कि०मी० लम्बा तरया ग्रामीण फीडर से

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संबंधित क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की जा रही है। रिग्रुपिंग कार्य के अन्तर्गत इस उपगृह से 11 के० वी० के दूसरे ग्रामीण फीडर निकाले जाने हैं, जिनके निर्माण में 8.77 लाख रुपये की आवश्यकता है।

जनपद पडरौना के 33/11 के० वी० दुधही उपकेन्द्र का निर्माण भी वर्ष 91-92 में 132/33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र राजापाकड़ के निर्माण के साथ किया गया था परन्तु 11 के० वी० फीडरों के रिग्रुपिंग का प्राविधान न होने के कारण यह कार्य नहीं किया जा सका। रिग्रुपिंग के इस उपगृह से 2 ग्रामीण फीडर निकाले जाने हैं, जिन पर लगभग 6.20 लाख व्यय होगा, जिनमें रेलवे क्रासिंग का कार्य भी किया जाना है। स्थानीय व्यवस्था द्वारा 15 कि०मी० तुरपट्टी ग्रामीण फीडर निकाल कर वर्तमान समय में संबंधित क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

उपरोक्त दोनों उपकेन्द्रों से संबंधित फीडरों के रिग्रुपिंग हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा सर्वेक्षण कराकर प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है और आवश्यक धन की व्यवस्था हेतु परिषद् द्वारा अपेक्षित औपचारकतायें पूर्ण की जा रही हैं परन्तु तीन रेलवे क्रासिंग का कार्य सम्मिलित होने के कारण कार्य में विलम्ब होने की सम्भावना है, फिर भी अगले वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा।]

प्रदेश में किसानों को समुचित रूप से विद्युत आपूर्ति न होने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष–

चर्चा आरम्भ करते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

आप चाहेंगे तो चर्चा बढ़ा दें। पूरे प्रदेश से जुड़ा प्रश्न है संसदीय कार्य मंत्री जी से और आपसे भी कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय मंत्रीगण से अनुरोध है कि पत्र न लें जो स्थिति संसदीय कार्य मंत्री जी, आपकी बगल में देखने को मिल रही है, कृपया उस पर ध्यान दें।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

आपका निर्देश शिरोधार्य है, हमें खेद है।

श्री जगदम्बिका पाल–

दूसरे के नाते आपको खेद प्रकट करना पड़ रहा है जब उत्तर प्रदेश का 1995-96 का बजट, वार्षिक बजट सदन में पारित हुआ था तब कहा गया था मैं. इस सरकार से अपेक्षा करूंगा कि आज इस सदन में विनियोग विधेयक पारित हो गया। 1995-96 के लिये तमाम विभाग के लिये परिव्यय हैं उसकी स्वीकृति इस सरकार को मिल चुकी है। इस सदन ने इस बात की गारन्टी दी है, इस बात को सुनिश्चित कर दिया है कि विभिन्न विभागों के लिये परिव्यय निर्धारित किया जायेगा उसका खर्चा करने के लिये अधिकृत होंगे। बिजली विभाग के बारे में चर्चा आरम्भ करने की अनुमति दे रहे हैं किसानों के लिये जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता की चीज है वह बिजली और सिंचाई है बिजली और सिंचाई के लिये इस सरकार से विनती करना चाहूंगा यह सरकार पिछली सरकार की नकल नहीं करेगी। पिछली सरकार ने सदन में कहा था कि उत्तर प्रदेश के किसानों को 16 घंटे बिजली की आपूर्ति करेंगे। इस सरकार ने उन्हीं परम्पराओं पर प्रदेश की मुखिया ने कहना शुरू कर दिया कि उत्तर प्रदेश के किसानों को 16 घंटे बिजली देंगे। आज उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में 16 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है। यह चर्चा हो रही है इसमें मतदान नहीं होना है मैं सबका आवाहन करूंगा कि यह सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ अब बजट पारित कर दिया है तो सरकार के समक्ष वास्तविकता रखेंगे। सुझाव रखेंगे ताकि बिजली विभाग में सुधार हो सके।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सरकार कम से कम अपने विद्युत विभाग में जो आज पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं से, प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा हुआ ज्वलन्त प्रश्न है। इस प्रश्न पर प्रदेश के किसानों को लाभ मिल सके। आज उत्तर प्रदेश में स्वयं इन्होंने स्वीकार किया है प्लाण्ट लोड फेक्टर 43 प्रतिशत हो गया है। 1989 में जब कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में प्लाण्ट लोड फेक्टर 57 प्रतिशत था। आज वह प्लाण्ट लोड फेक्टर घटकर 43 प्रतिशत रह गया है। इस बात को स्वयं बिजली के बजट पर बोलते हुए मंत्री जी ने स्वीकार किया था। यह कोई राजनीतिक भाषण नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह चिन्ता का विषय है। आज बिजली के उत्पादन में निरन्तर ह्रास हो रहा है, निरन्तर उत्पादन में गिरावट आ रही है। आज हर शहर और गांवों में विद्युत की मांग बढ़ा रही है लेकिन बिजली का उत्पादन घटा है। पूरे देश में आज 14 प्रतिशत का लाइन लाश है जबकि उत्तर प्रदेश में बिजली का लाइन लाश 22 प्रतिशत है उत्पादन में गिरावट हो रही है या तो सरकार सुनिश्चित रूप से कह दे कि हम 16 घण्टे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करेंगे।

(इस समय 5 बजकर 05 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए।)

आप दो-दो, तीन-तीन घण्टे विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं। कई इलाकों में तो दो-दो, तीन-तीन दिन तक बिजली नहीं पहुंचती है। हमारे बस्ती जिला मुख्यालय पर दो दिन बिजली नहीं रही, बस्ती के ग्रामीण अंचलों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड, रूहेलखण्ड आदि इलाकों में जहां हम लोगों के जमाने में 24 घण्टे बिजली मिलती थी आज वहां स्थिति अत्यन्त दयनीय है। मैंने उस दिन भी उल्लेख किया था कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के क्षेत्र पुरवा में कई दिन से बिजली नहीं आयी। इनके यहां लखनऊ में तो एयर कण्डीशनर है लेकिन इनके क्षेत्र में जो भाई बन्धु हैं जिनके प्रति यह जवाबदेह हैं जिनके आर्शीवाद से आज यह इतने गौरवमयी पद पर आसीन हैं। उस क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है। कम से कम एक बिद्युत विभाग में केबिनेट मंत्री का पद तो रख ही दिया जाए। प्रजातंत्र में शैडो सरकार होती है। विपक्ष के लोग मंत्रिमण्डल में तो शामिल नहीं होते हैं लेकिन वह हमेशा अच्छे सुझाव देते रहते हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि सदन की समाप्ति के बाद एक बैठक बुला लेंगे विद्युत की आपूर्ति के संबंध में।

मैं कहना चाहता हूं कि विधायकों के सुझाव क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में, नियोजन के संबंध में हैं उनके बारे में एक बैठक बुला लें जिससे विधायकों के विचार सम्यक रूप से आ जायेंगे। यहां पर हम लोग जो सुझाव देते हैं उनको सदन की समाप्ति के बाद कोई महत्व नहीं दिया जाता है जब बैठक में माननीय विधायकों के जो सुझाव आएं उनको अमली जामा पहनाया जा सके। आज प्रदेश की सबसे बड़ी कठिनाई है, सबसे ज्यादा दुर्दशा है तो वह विद्युत की आपूर्ति की है। इस सरकार ने 16 घंटे विद्युत आपूर्ति देने की प्रतिबद्धता दोहराई है, उसे पूर्ति करने के संबंध में कोई कार्य योजना बनाई है कि कैसे यह भविष्य में 16 घण्टे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। इसके संबंध में माननीय मंत्री जी अपने

उत्तर भाषण में बता देंगे । पिछले 3 साल से बस्ती जिला मुख्यालय पर 33/11 के०वी० के एक सबस्टेशन के लिये जमीन का अधिग्रहण हो चुका है । वर्ष 1993-94 में जब इसके लिये प्रयास किया गया तो कहा गया कि 94 के बजट में इसे शामिल कर लिया जायेगा, जब 94 में प्रयास हुआ तो कहा गया कि 95-96 के बजट में शुरू के महीनों में कार्य शुरू करा दिया जायेगा, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज तक वहां कोई कार्य शुरू नहीं हुआ । बस्ती में राज्यपाल शासन के दौरान 25 लाख रुपया लाइन्स चेंज करने के लिये दिया गया । विद्युत विभाग में यह सिस्टम है कि अगर पैसा स्वीकृत भी हो जाय तो पैसा पहले वह स्टोर डिवीजन में जायेगा, स्टोर डिवीजन कहेगा, सामान उपलब्ध नहीं है । इस विभाग के अन्तर्गत जो स्टोर डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन डिवीजन है, इन तीनों ही डिवीजनों में कम्युनिकेशनगैप है, जिसकी वजह से आज यह विभाग जर्जर स्थिति में पहुंच गया है और इसलिये यह कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश का विद्युत विभाग सफेद हाथी की तरफ से हो गया है । यह विभाग जो प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई से बना है, कुल 800 करोड़ रुपये के घाटे पर चल रहा है । आज आपकी सरकार है, कल हमारी हो सकती है, परसों किसी और की होगी, लेकिन भविष्य में जब उत्तरदायित्व निर्धारण करने की बात आयेगी, तो उसमें भी दिक्कत होगी और उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं हो सकेगा । आज आप विद्युत विभाग को स्ट्रेन्थन नहीं कर पा रहे हैं । जो आपकी सरकार ने प्रदेश के किसानों को, उपभोक्ताओं को 16 घन्टे विद्युत देने की वचनबद्धता दोहराई है, उसे किस तरह से पूरा करेंगे, यह आप बता दें ? अन्यथा यदि आप वास्तविकता में 4 घन्टे दे सकते हैं तो 3 ही घन्टे कहिये, इससे यह होगा कि जब उपभोक्ता को 4 घन्टे मिलेगी, तो वह भी खुश होगा कि 3 घन्टे कहा था, 4 घन्टे बिजली मिल गई । आज वास्तविकता यह है कि 16 घन्टे तो दूर, कभी-कभी कई-कई दिन तक बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती, इससे लोगों में रोष और क्षोभ व्याप्त होता है और सरकार की क्रेडिविलिटी भी गिरती है । मेरा अनुरोध है कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण करेंगे तो सरकार की विश्वसनीयता को बनाये रखने के लिये, 16 घन्टे की विद्युत आपूर्ति कैसे सुनिश्चित करेंगे, इस बारे में जरूर उत्तर देंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । अभी पाल जी इस विषय पर बोल रहे थे, विद्युत विभाग की स्थिति पर कई बार इस सदन में चर्चा हुई है । मान्यवर, 16 घन्टे बिजली देने की बात कई बार कही गई है, इस बारे में आप भी परिचित होंगे, आपने भी देखा होगा कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में यदि देखा जाय तो कहीं भी सिर्फ एक-दो स्थानों को छोड़कर औसतन 5-6 घन्टे ही विद्युत मिल पा रही है, सभी लोग इस स्थिति से परिचित हैं । दिक्कत यह है कि सरकार को, विद्युत विभाग के अधिकारियों का बनाया वक्तव्य मजबूरी में हाउस में पढ़ना पड़ता है, लेकिन सभी को विद्युत की समस्या से यहां से जाने के बाद पीड़ित होना पड़ता है, आज दुख की बात यह है कि यह कितने गलत ढंग से अधिकारियों की बात का समर्थन कर रहे हैं । मैंने नियम–56 दिया था और उल्लेख किया था कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में 12 करोड़ की खरीद होने जा रही है, यह खरीद ऐसी कम्पनी से होने जा रही है, जिसका नाम अभी बिल्कुल नया है और कभी प्रतिस्पर्धा में नहीं आई है, लेकिन चाहे विद्युत परिषद् के चेयरमैन हों, अथवा जिसने भी फैसला लिया हो, उचित नहीं है । यह कम्पनी गाजियाबाद, साहिबाबाद की है इस कम्पनी ने कभी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिया और

मीटर सप्लाई करने जा रही है। इस कम्पनी द्वारा सप्लाई किये गये मीटर प्रदेश भर में लगाये जायेंगे। किसानों के ट्यूबवेल पर लगाये जायेंगे जितनी बिजली किसान इस्तेमाल करेगा उससे ज्यादा की रीडिंग मीटर में आयेगी और किसान कम धन की जगह अधिक धन बिजली विभाग को देने पर मजबूर होगा। यह जो अधिक धन है, वह राज्य विद्युत परिषद् में नहीं जायेगा बल्कि वहां के कार्यालय कर्मियों, मेम्बर, सचिव, चेयरमैन की जेब में जायेगा।

माननीय वन मंत्री जी बैठे हैं, कल लघु उद्योग के बारे में जिक्र आया था। पर्वतीय क्षेत्र के माननीय विधायक कह रहे थे कि 4 करोड़ रुपया जिले की योजना के लिये मंजूर हुआ था। उनका कहना था कि 4 करोड़ की जगह पर 5 लाख रुपया ही केवल क्षेत्र में पहुंचा है और बाकी रुपया इधर उधर लोगों की जेब में गया। इससे आप सहज की अंदाजा लगा सकते हैं कि परिषद् की क्या स्थिति है। माननीय पाल जी ने अभी घाटे की बात कही है। परिषद् 800 करोड़ रुपये के घाटे में हैं। यहां पर जब परिषद् के बारे में क्वेश्चन लगते हैं उनका उत्तर जब आता है तो उत्तर में कहा जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। बार-बार आपकी पीठ से निर्देश दिये जाते हैं लेकिन राज्य विद्युत परिषद् जो सफेद हाथी है उसके ऊपर कोई असर न तो हाउस का पड़ता है और मुख्य मंत्री का असर कितना पड़ता है यह वह जानें। किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती है इसीलिये पीड़ित होकर प्रश्न किया गया था और प्रश्न से हाउस में जब हम लोग संतुष्ट नहीं हुये तो नियम 49 में आपसे चर्चा के लिये निवेदन किया और आपने चर्चा स्वीकार की और आज चर्चा हो रही है। हमारे यहां ट्यूबवेलों की स्थिति यह है कि वह मौके पर नहीं हैं और कागज पर दिखा दिये जाते हैं कि ट्यूबवेल लगे हैं। जब ट्यूबवेल ही नहीं हैं तो आप बतायें कि सिंचाई कहां से होगी ? गांवों का विद्युतीकरण नहीं होता है और दिखा दिया जाता है कि विद्युतीकरण हुआ है। मेरे यहां महराजगंज जिले में एक पिपरपाती गांव है वहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इस विधान सभा में जो प्रश्न का उत्तर आया है उसमें कहा गया है कि इस गांव का विद्युतीकरण हो गया है। एक बल्ब भी गांव में नहीं टिमटिमाता है और कह दिया जाता है कि गांव का विद्युतीकरण हो गया है। मेरे यहां पिपराइच से लगायत कप्तानगंज की जो 36 के०वी०ए० की लाइन है उसका तार चोरी चला गया, चोर लोग तार काट ले गये और अब देवरिया डिवीजन वहां पर खम्भे उखाड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि लाइन न उखाड़ी जाय ताकि लघु उद्योगों को बिजली मिल सके और देहात के रहने वाले लोगों को सुविधा हो सके। राज्य विद्युत परिषद् को सफेद हाथी के रूप में खड़ा कर दिया गया है, बिजली मिल नहीं रही है जिससे उद्योगपति बेकार है, किसान बेकार है। आपने गीडा उद्योग स्थापित करने की बात कही है। लेकिन जब आप इसको तरजीह नहीं देंगे, उद्योगपतियों को तरजीह नहीं देंगे तो उद्योगों का विकास कैसे होगा ? लोगों को 15-15 दिन आफिस का चक्कर काटना पड़ता है लेकिन उनके काम नहीं हो पाते हैं।

विद्युत विभाग से संबंधित चर्चा पर विभागीय कर्मचारियों के दीर्घा में उपस्थित न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न हैं। बिजली पर चर्चा चल रही है और विद्युत परिषद् का कोई अधिकारी यहां पर उपस्थित नहीं है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली के प्रति सरकार कितनी गंभीर है। हम दीर्घाओं का संज्ञान नहीं लेते हैं लेकिन इस समय अधिकारियों को होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्रीगण बैठे हैं। वह सुन रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

वह बिजली के मंत्री नहीं है। वह संसदीय औपचारिकता को पूरा करते है यह यह चर्चा क्यों मंजूर की गयी थी, जो विद्युत से सम्बन्धित समस्यायें है उनका सभी लोग उल्लेख करेंगे और उनका उत्तर आयेगा। मंत्री जी सारे प्रश्नों का उत्तर दें, यह तो सम्भव नहीं है। कम से कम उस विभाग के अधिकारियों को तो रहना चहिए, आप इस विषय पर निर्देशित करें कि चर्चा के समय विभाग के लोगों को रहना चाहिए और सदस्यों द्वारा जो समस्यायें उठाई जाती है उनको नोट करें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, अधिकरियों के गलत रवैये के कारण सदन में गलत उत्तर आ जाते है। मैं गोरखपुर इन्डस्ट्रियल डेपलपमेंट की बात कहना चाहता हूं वहां पर जो व्यक्ति जाता है वह दो-दो तीन-तीन महीने तक लाईन लगाता है इन शब्दों के साथ मैं इस चर्चा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जाना उपयोगी होगा।

प्रदेश में किसानों को समुचित रूप से विद्युत आपूर्ति न होने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

(क्रमागत)

श्री राजाराम त्यागी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो इस चर्चा पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, रायबरेली ऐसा जनपद है जहां पर बहुत कम वर्षा हुई फसल सूख रही है और 16 घण्टे बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है इस बारे में मैंने नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी थी कि नहरों को चौड़ा करने के नाम पर लाखों रुपये का घोटला किया गया है। मान्यवर, जो बिजली दी जा रही है उसमें सुधार होना चाहिए। महराजगंज ऐसी तहसील है जहां पर नवोदय विद्यालय है, तहसील है और टाउन एरिया है लेकिन वहां पर लाइट एण्ड फैन के लिए विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और जब कर्मचारियों से कहा जाता है तो वह इमरजेन्सी रोस्टिग की बात करते हैं। मान्यवर, सूखे की पूरी स्थिति है नहरों की दुर्दशा है वहां पर लाखों रुपया नहरों की सफाई के नाम पर वसूला जा रहा है।

[समय 5 बजकर 20 मिनट]

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राजाराम त्यागी–

मान्यवर, हमारे यहां पर 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाय इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री भैरो प्रसाद मित्र–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपको हम लोगों ने चर्चा के लिए सूचना दी थी यह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है हमारे बुन्देलखंड में विद्युत की समस्या बहुत गम्भीर है । वहां पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है लेकिन वहां स्थिति बहुत ही खराब है ।

श्री मन्नू लाल कुरील–

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० मिश्रा जी बोल रहे हैं । आप बैठ जायं । आप जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जायेगा । मिश्र जी अब आप भी समाप्त करें । माननीय मंत्री जी को जवाब देना है ।

(व्यवधान)

पशुधन राज्य मंत्री (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)–.

मान्यवर, 16 घंटे विद्युत आपूर्ति के विषय पर माननीय त्यागी जी, माननीय पाल जी, माननीय भैरो प्रसाद जी आदि माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है उनके क्षेत्र से जो संबंधित है उसके बारे में भी उन्होंने बात रखी है उनको भी मैंने गम्भीरता से सुना है मैं उस पर समुचित कार्यवाही कराऊंगा । मान्यवर, प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा बुन्देलखंड तथा पर्वतीय जनपदों में निरन्तर विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है । शेष सभी मैदानी जिलों में 16 घंटे विद्युत आपूर्ति की घोषणा का हर संभव प्रयास किया जा रहा है । मान्यवर, इस वित्तीय वर्ष में भीषण गर्मी अल्पवृष्टि जैसी दैवी आपदाओं से विद्युत आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है इसलिए 16 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं की जा सकी है । मान्यवर, हमारे पाल जी ने एक प्रश्न रखा था कि सरकार क्या कार्य योजना बना रही है है उसके संबंध में मैं संक्षिप्त में बता दूं कि इस समय ओवर लोडिंग दूर किये जाने हेतु 52 नये उप केन्द्रों एवं 200 उप केन्द्रों की क्षमता वृद्धि की योजना बनाई गई है । पारेषण के लगभग 18 नये उप केन्द्र एवं 28 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की योजना है ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, ये पढ़ रहे हैं कोई मंत्री लिखित वक्तव्य पढ़ेगा, तो उसे वितरित किया जायेगा और भाषण देगा तो उसे हम सुनेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी बता रहे हैं उसे आप सुनें । 4.55 पर चर्चा शुरू हुई थी और आधा घंटे का समय हो चुका है ।

(व्यवधान)

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे विद्युत आपूर्ति करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा की प्रतिबन्धित मांग पर निर्भर करती है। माह जुलाई एवं अगस्त में अल्प वृष्टि के कारण प्रदेश में विद्युत की मांग गत वर्ष की तुलना में लगभग 400 मेगावाट बढ़ गई है। इसी कारण इन महिनों में जल विद्युत उत्पादन में 300 मेगावाट विद्युत की कमी आयी है। यह पानी कम होने के कारण ऐसा हुआ है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने तीन सौ मेगावाट तापीय विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन किया है और तीन सौ मेगावाट विद्युत का अतिरिक्त आयात किया है इस प्रकार से 100 मेगावाट की कमी है जिसे आकस्मिक कटौती करके पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मेरा भी चर्चा में नाम था। मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

जिस समय आपका नाम पुकारा गया था आप सदन में नहीं थे। अगर कोई स्पष्टीकरण आप माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं तो पूछ लें।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, आज विद्युत उत्तर प्रदेश के लिए, किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। गांव सभा तो गांव सभा आज विधान सभा में भी बिजली भागती नजर आ रही है जो विधायक निवास है, मैं रायल होटल में रहता हूं वहां पर चार दिन से तीन-तीन घंटे बिजली नहीं आ रही है। हम चाहें जितनी बहस यहां कर लें लेकिन बिजली जितनी हमकों मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। जो सरकार यह दावा करती है कि हम 16 घंटे बिजली दे रहे हैं वह असत्य है। आज आप मैदानी क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की बात करते हैं कितना उत्पादन है और जो घोषणा है उसके अनुसार कितने मेगावाट विद्युत की जरूरत है ? इसको आप देंखे।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई भाषण नहीं हो रहा है। आप एक-दो स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं। यहां पर चर्चा का समय समाप्त हो गया है।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, आज 49 हजार करोड़ रुपये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इसमें लगा हुआ है और 96 हजार कर्मचारी इसमें कार्य कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आप कोई स्पष्टीकरण पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं मैं भाषण की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् अपने को अक्षम पा रहा है। सब स्टेशन अधूरे पड़े हुये हैं, पावर हाऊस रूके हुए हैं, मशीनें बन्द हैं। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि पारीक्षा विद्युत परियोजना जो बन्द थी वह कब शुरू हो जायेगी, ओबरा का उत्पादन कब शुरू होगा और आनपारा "सी" का प्रोजेक्ट कब शुरू होगा ?

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायें और पहले माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लें।

(व्यवधान)

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, यह एक-एक करके सवाल पूछें मैं उनका जवाब दे दूंगा।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, तमाम सारे विभाग सीधे पूर्वांचल विकास निधि में पैसा जमा करते हैं पैकेज सिस्टम के अन्तर्गत हमारे तीन चार गांवों में बिजली लगाने का काम लाइन बिछाने का काम नहीं हो पा रहा है। जो भी हम पैसा देते हैं विद्युत विभाग को, ग्रामीण विद्युत की योजना पूरी करने के लिए, उस काम को आप कब तक पूरा करायेंगे ?

श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद–

पूर्वांचल विकास निधि के माध्यम से जो विद्युतीकरण की बात कही गई है, हम प्रयास करेंगे कि जहां पर सामान नहीं पहुंचा है, वहां पर पहुंच जाये और विद्युतीकरण हो जाये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जिले से शासन स्तर पर प्रस्ताव आते है, जिसमें तीन-तीन वर्ष लग जाते हैं। दूसरे मंत्री व दूसरे विधायक आ जाते है, जिससे विद्युतीकरण की स्थिति जैसे की तैसी बनी रहती है।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे बैठेंगे।

इसके बाद सदन 5 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ

दिनांक 22 अगस्त, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

अनुबंध 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

संलग्नक

रुग्ण उद्यमों में तीन वर्षों में हानि की स्थिति

(लाख रु० में)

क्र०सं०	निगम का नाम	91–92	92–93	93–94
1	2	3	4	5
	(क) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित			
1	उ० प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि०	2646.23	5210.36	5154.45
2	उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि०	1161.51	994.55	12402.54
3	उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि०	9320.87	8435.93	4607.75
4	उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०	479.81	717.44	793.89
5	उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०	2781.47	752.58	737.69
6	यू०पी० स्टेट एग्रो लि०	483.74	528.30	209.36
7	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि०	17.87	47.15	60.07
8	खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०	139.12	816.31	203.41
9	उ० प्र० राज्य मत्स्य निगम लि०	46.51	52.55	63.79
10	इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कं०	153.56	148.77	21.40
11	उ० प्र० राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लि०	70.42	70.83	84.99
12	उ० प्र० राज्य सेतु निगम लि०	406.00	319.00 (+)	34.00
	योग :–(क)	17707.11	18093.77	23339.34

1	2	3	4	5
	(ख) कम्पनी अधिनियम के अतिरिक्त अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत गठित			
13	उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्	(+) 10790.00	(+)38941.00	(+)19421.00
14	उ० प्र० जल निगम	3692.00	2916.00	2900.00
15	उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	(+) 7.66	47.31	89.88
	योग :–(ख)	3692.0	2963.31	2989.88
	योग :–(क + ख)	21399.11	21057.08	27329.22

नोट :–(+) लाभ को दर्शाता है तथा इसे योग में शामिल नहीं किया गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुबंध 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं० 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

संलग्नक

वर्ष 93-94 में हानि वहन करने वाले निगम की सूची

(लाख रु० में)

क्र०सं०	निगम का नाम	धनराशि
1	2	3
1	उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि०	12402.54
2	उ० प्र० राज्य सीमेंट निगम लि०	5154.45
3	उ० प्र० वित्तीय निगम	4835.06
4	उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि०	4607.79
5	उ० प्र० जल निगम	290.00
6	उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम	879.13
7	उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०	793.89
8	उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०	737.69
9	यू० पी० स्टेट एग्रो लि०	209.36
10	उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०	203.41
11	उ० प्र० लघु उद्योग निगम लि०	167.59
12	उ० प्र० नलकूप निगम लि०	159.26
13	उ० प्र० राज्य भण्डारण निगम	70.00
14	उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	89.88
15	उ० प्र० राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लि०	89.99
16	उ० प्र० निर्यात निगम लि०	84.15
17	उ० प्र० राज्य मत्स्य विकास निगम लि०	63.79
18	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि०	60.00
19	उ० प्र० पशुधन उद्योग निगम लि०	58.49
20	आई० टी० आर० कम्पनी लि०	21.40
21	उ० प्र० डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लि०	16.85

1	2	3
22	उ० प्र० पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लि०	11.43
23	उ० प्र० लघु जल विद्युत निगम लि०	9.00
24	उ० प्र० हिलट्रान लि०	3.94
25	उ० प्र० पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि०	3.06
26	उ० प्र० महिला कल्याण निगम लि०	0.52
	योग :–	33643.70

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी–एल० 251 विधान् सभा (764)–1995–572 (डी० टी० पी०) ।